इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

ANNUAL REPORT 2014-15

निदेशकगण (31.03.2015 को)

श्री आर. कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.12.2014 से)

श्री अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक (27.09.2013 से)

श्री पवन कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक (10.03.2015 से)

डॉ. आलोक पाण्डे
भारत सरकार के नामिती निदेशक (22.07.2011 से)

श्री निर्मल चंद
भा. रि. बैंक के नामिती निदेशक (13.03.2014 से)

श्री आर. संपत कुमार
कामगार कर्मचारी निदेशक (24.01.2014 से)

डॉ. जे. डी. शर्मा
अधिकारी कर्मचारी निदेशक (02.05.2013 से)

श्री चिन्नैय्या
अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (13.11.2013 से)

श्रीमती एस सुजाता
अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (05.12.2013 से)

श्री ए.बी. डी. बादुशास
अंश कालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (12.12.2013 से)

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
शेयरधारक निदेशक (08.12.2014 से)

श्री संजय रुंगटा
शेयरधारक निदेशक (08.12.2014 से)

BOARD OF DIRECTORS (as on 31.03.2015)

Shri R Koteeswaran
Managing Director & Chief Executive Officer (from 31.12.2014)

Shri Atul Agarwal
Executive Director (from 27.09.2013)

Shri Pawan Kumar Bajaj
Executive Director (from 10.03.2015)

Dr. Alok Pande
Govt. Nominee Director (from 22.07.2011)

Shri Nirmal Chand
RBI Nominee Director (from 13.03.2014)

Shri R Sampath Kumar
Workmen Employee Director (from 24.01.2014)

Dr. J D Sharma
Officer Employee Director (from 02.05.2013)

Shri Chinnaiah
Part-time Non-Official Director (from 13.11.2013)

Smt. S Sujatha
Part-time Non-Official Director (from 05.12.2013)

Shri A.B.D. Badushas
Part-time Non-Official Director (from 12.12.2013)

Shri Niranjan Kumar Agarwal
Shareholder Director (from 08.12.2014)

Shri Sanjay Rungta
Shareholder Director (from 08.12.2014)

श्री कृष्णा लाल
महा प्रबंधक व बोर्ड सचिव (14.03.2015 से)

Shri Krishan Lal
General Manager & Board Secretary (from 14.03.2015)

लेखा परीक्षक

1. मेसर्स पी. आर. मेहरा एंड कं नई दिल्ली
2. मेसर्स दास खन्ना एंड कं लुधियाना
3. मेसर्स वर्धमान एंड कं चेन्नै
4. मेसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चेन्नै
5. मेसर्स ए वी देवन एंड कं चेन्नै

AUDITORS

1. M/s. P.R.Mehra & Co New Delhi
2. M/s. Dass Khanna & Co Ludhiana
3. M/s. Vardhaman & Co Chennai
4. M/s. ASA & Associates LLP Chennai
5. M/s. A V Deven & Co Chennai

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि
(यूनिट - आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पांचवी मंज़िल, नं 1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै-600 002
टेलिफोन: 044-28460390 (6 लाइन)
044-28460395
फैक्स 044-28460129
ई मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-IOB) Subramaninan Building
V Floor, No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460390 (Six Lines)
044-28460395
Fax 044-28460129
E mail: cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
प्रबंध निदेशक व सी ई ओ की डेस्क से	3
शेयरधारकों को सूचना	8
एक झलक में	16
निदेशकों की रिपोर्ट	18
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	22
वर्ष 2014-15 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	46
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	94
वार्षिक लेखे	96
नकदी प्रवाह विवरण एवं लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	164
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	220
प्रॉक्सी फॉर्म	225

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी रुपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी रुपांतरण सही माना जाएगा)

ANNUAL REPORT 2014-15

Contents	Page No.
From the Managing Director & CEO's Desk	3
Notice to the Shareholder	8
At a Glance	16
Directors' Report	19
Management Discussion and Analysis	23
Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2014-15	47
Auditors' Certificate on Corporate Governance	95
Annual Accounts	97
Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	165
Auditors' Report	221
Proxy Form	226

(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक

लेखा बंदी की तारीखें	: 24.06.2015 (बुधवार) से 30.06.2015 (मंगलवार)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	: 02.06.2015 (मंगलवार) 05.06.2015 (शुक्रवार)
प्राक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख :	: 25.06.2015 (गुरुवार) सायं 5.00
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख :	: 30.06.2015 (मंगलवार) सुबह 10.30

Financial Calendar

For the Financial Year 1st April, 2014 to 31st March, 2015

Book Closure Dates	: 24.06.2015 (Wednesday) to 30.06.2015 (Tuesday)
Posting of Annual Report	: 02.06.2015 (Tuesday) 05.06.2015 (Friday)
Last date for Receipt of Proxy Forms	: 25.06.2015 (Thursday) 5.00 PM
Date of AGM	: 30.06.2015 (Tuesday) 10.30 AM

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
LETTER FROM MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

श्री आर.कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय शेयरधारकों,

मैं वर्ष 2014-15 के लिए हमारे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट व वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वर्ष के दौरान के हमारे कार्यनिष्पादनों की झलकियाँ व वित्तीय संकेतकों को आप से साझा करना चाहूँगा।

आर्थिक परिदृश्य:

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक परिदृश्य में अपनी एक स्वर्णिम छवि बनाई है और 2014-15 में त्वरित पुनरुत्थान हेतु आशा व भरोसे के एक नए युग की शुरुआत हुई है। संवृद्धि आँकड़े में बढ़ोतरी व वैश्विक तेल की कीमतों में कमी से हमारी अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। मुद्रास्फीति टार्गेटिंग, सीपीआइ (5.17%) तथा डब्ल्यूपीआइ (2.33%) आधारित मुद्रास्फीति को मार्च 2015 में स्थिर रखना, आरक्षितियों में बढ़ोतरी, वित्तीय वर्ष 2015 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% पर नियंत्रित रखना जैसे कुछेक क्षेत्रों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

कुछ उपायों के साथ, आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए उच्च व बढ़ती संवृद्धि हासिल करने की संभावना है। अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष-15 के दौरान जीडीपी में 7.5% की वृद्धि दर्ज की है और वित्तीय वर्ष 2016 में 7.8% की और वृद्धि हासिल करने की संभावना है। हालाँकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र 2014-15 (वर्ष दर वर्ष) में 2.1% की संवृद्धि के साथ धीमी गति से रिकवरी कर रहा है। इसी अवधि में निर्यात ने 2013-14 के 7.3% की तुलना में 0.9% की संवृद्धि दर्ज की है। कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है, कृषि उत्पादकता काफी कम है, बड़ी हानि व इंफ्रास्ट्रकचर बाधाओं की वज़ह से बाज़ार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हाल ही में सांविधिक परियोजना अनुमोदन करने में विलंब, उच्च वित्तपोषण लगातार अर्थव्यवस्था में माँग में कमी के कारण कारपोरेट नकद प्रभाव में कमी आई है और अनक उधारकर्ताओं के लिए कर्ज़ का चुकतान करना मुश्किल हो गया है। परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋणों की भरमार हो गई है। कैपिटल गुड्स फर्म्स को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रीय उठान पर है और अग्रगामी सूचकांक यह बताते हैं कि घरेलू माँग गति पकड़ रहा है और ऋण माँग को तेज़ी पकड़ने में अभी दो और तिमाही का समय लगेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पूँजी पर्याप्तता मानदंड और तनावग्रस्त आस्तियों के मद्देनजर काफी दबाव बना हुआ है जिसके चलते अधिक प्रावधानीकरण करना पड़ रहा है। 2014-15 में एनपीए में बढ़ोतरी घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट जैसे आंतरिक घटकों के साथ जुड़े वैश्विक मंदी का एक कारण रही है। इसने कार्पोरेट कार्यनिष्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है जिससे भा.रि. बैं. तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद ऋण गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हमारा बैंक भी इसका शिकार हुआ है। निवेश चक्र में तेज़ी आने पर एमएसएमई/ खुदरा क्षेत्र पर विशेष जोर देने और चल रही परियोजनाओं का शीघ्र क्लियरेंस होने की वजह से ऋण माँग में तेज़ी आने की संभावना है। हम वर्ष 2015-16 के लिए जमाओं के तहत 13% तथा अग्रिमों में 14% की उम्मीद कर सकते हैं। सरकार के सुधार उपाय अर्थव्यवस्था के तेजी से गति पकड़ने की

Shri.R Koteeswaran
Managing Director & CEO

Dear Shareholders,

I am presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2014-15. I would like to share with you the performance highlights and financial indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario:-

Indian economy has been hailed as the 'bright spot in the global landscape', and a new era of optimism and confidence has dawned for speedy revival in 2014-15. An escalation in growth figures and a reduction in the global oil prices have helped our economy. India has done well in few parameters like inflation-targeting, containing CPI (5.17%) & WPI (-2.33%) based inflation in March 2015, shoring up reserves, controlling the fiscal deficit at 4% of GDP in FY15.

With the slew of measures, Indian economy has the prospects of witnessing a high and rising growth in the years to come, while simultaneously maintaining macroeconomic stability. The economy has achieved 7.5% growth in GDP during FY15 and is expected to pick up further to 7.8% in FY 2016. However, the Index of Industrial Production (IIP) suggests that the industrial sector is recovering slowly with a 2.1% growth in 2014-15 (y-o-y). Exports in the same period recorded a growth of 0.9% as compared to 7.3 % in 2013–14. Agriculture is still dependent on monsoon, farm productivity is abysmally low, large wastage and infrastructure constraints prevent market from meeting shortages. Delays in securing statutory project approvals, high finance costs and slowing demand in the economy crimped corporate cash flows in recent years and made it difficult for many borrowers to repay debt, leading a pile up of bad loans in the banking system. Capital goods firms see muted growth. Thus, the Indian economy is on a cyclical upswing and forward-looking indicators suggest that the domestic demand is gathering momentum and it would take two more quarters for the credit demand to pick up.

Public Sector Banks oversee continued pressure on capital adequacy norms and stressed assets leading to higher provisions. The rise in NPAs in 2014-15 has been attributed to the effect of global recession coupled with internal factors such as slowdown in the domestic economy. This has adversely affected the corporate performance leading to a negative impact on credit quality despite good fundamentals maintained by the RBI and the Government for which your Bank was also a victim. As the investment cycle gathers momentum, the credit demand is expected to pick up with due thrust on MSME/Retail sector and early clearance of stalled projects. We can expect the system to grow moderately at 13% under deposits and 14% in advances for 2015-16. The reforms oriented by Government are raising hopes for a faster pick up of

उम्मीद जगाते हैं जिससे खराब ऋण पर नियंत्रण रखने व ऋण माँग को सुधारने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि हमारा बैंक भी एसएमई व खुदरा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए बैंकिंग सिस्टम के साथ विकास करेगा।

कार्यनिष्पादन झलकियाँ - 2014-15

हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन व विश्लेषण पिछले एक वर्ष की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे सम्माननीय हितधारकों द्वारा किया जाना है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण निम्नवत है:

कारोबार मानदण्ड राशि (रु. करोड़ में)

	31.03.2015	31.03.2014
वैश्विक कारोबार	4,25,090	4,09,057
वैश्विक जमाएँ	2,46,049	2,27,976
वैश्विक अग्रिम	1,79,041	1,81,081
परिचालनात्मक लाभ	3322	3997
निवल लाभ/ हानि	-454.33	601.74

बैंक का **निवल निवेश** 31.03.2014 के रु. 70,237 करोड़ से बढ़कर 31.03.2015 को रु. 81,310 हो गया। प्रतिभूतियो की बिक्री व विनिमय पर लाभ समेत कुल लाभ वर्ष 2013-14 के रु. 752.65 करोड़ के प्रति वह 2014-15 में रु. 772.23 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान 10 वर्ष बेंचमार्क लाभ 8.96%से घटकर 7.81% हो गया। वर्ष के लिए परिशोधन से पूर्व कुल निवेश पर लाभ 2013-14 के 7.60% के प्रति 7.64% रहा।

अग्रिम: सकल अग्रिम 31 मार्च 2014 के रु. 1,81,081 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2015 को रु. 1,79,041 करोड़ रहा। बैंक के समेकन मोड में रहने की ववह से निम्न क्रेडिट ऑफ टेक की पृष्ठभूमि में क्रेडिट संवृद्धि लगातार एक जैसी बनी रही।

निवल लाभ: बैंक ने 2014-15 की तीसरी तिमाही के रु. 516.03 करोड़ की निवल हानि की तुलना में रु. 35.50 करोड़ का निवल लाभ दर्ज करते हुए 2014-15 की चौथी तिमाही के दौरान अपने कार्यनिष्पादन को सुधारा है। 31.03.15 को समाप्त वर्ष के लिए निवल नुकसान रु. 454.32 करोड़ था। जमाओं की लागत में कटौती के प्रति चौथी तिमाही में की गई नीतिगत पहलों ने वसूली कार्यनिष्पादन और रु. 35.50 करोड़ के निवल लाभ करते हुए लागत नियंत्रण संबंधी सख्त उपायों को सुधारा है।

अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के तहत एनपीए, पुनर्संरचित खाते, कर, खातों के एनपीए में नए फिसलनों के लिए रु. 3322 करोड़ के परिचालनात्मक लाभ के प्रति रु. 3777 करोड़ के बढ़े हुए प्रावधानों के परिणामस्वरूप हमारे लाभ के लिए संचित आय का नुकसान हुआ जिसके चलते वर्ष के दौरान निवल हानि हुई ।

शाखा विस्तार:

	31.03.2015	31.03.2014
शाखाओं की संख्या		
क) देशी	3381	3265
उनमें से ग्रामीण	1028	985
अर्द्ध शहरी	947	904
शहरी	747	728
मेट्रो	659	648
ख) वैश्विक	8	7

इसके अलावा, बैंक में 7 अंचल कार्यालय, 59 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उपशाखाएँ, 20 सैटेलाइट कार्यालय, 40 सिटी बैक ऑफिस, 41 त्वरित खुदरा केंद्र, 18 एमएसएमई प्रसंसाधन केंद्र और 6 निरीक्षणालय हैं।

the economy which will help to curb the bad loans and improve credit demand. Your Bank also expects to grow in tune with the banking system, with a major thrust in SME and Retail sector.

Performance Highlights – 2014-15

The performance of your Bank has to be evaluated and judged by esteemed stakeholders against the economic scenario witnessed by us during the last one year,

The performance details of the Bank during the year under review are as under:

Business Parameters Amount (₹ in Crores)

	31.03.2015	31.03.2014
Global Business	4,25,090	4,09,057
Global Deposits	2,46,049	2,27,976
Global Advances	1,79,041	1,81,081
Operating Profit	3322	3997
Net profit/Loss	-454.33	601.74

Net investments of the Bank increased to ₹ 81,310 crore as on 31.03.2015 from ₹ 70,237 crore as on 31.03.2014. Total profit including sale of securities & profit on exchange amounted to ₹ 772.23 Crores during the year 2014-15 as against ₹ 752.65 Crores of 2013-14. 10-year benchmark yield has gone down from 8.96% to 7.81% during the year. The return on total investments before amortization for the year is 7.64% as against 7.60% in 2013-14.

Advances: Gross Advances stood at ₹ 1,79,041 crore as on 31st March 2015 as against ₹ 1,81,081 crore as on 31st March 2014. As the Bank was in consolidation mode, credit growth was contained consciously, in the backdrop of low credit off-take.

NET PROFIT: The Bank turned around its performance during Q4 of 2014-15 registering net profit of ₹ 35.50 crore as against net loss of ₹ 516.03 crore in Q3 of 2014-15. Net loss for the year ended 31.03.2015 was ₹ 454.32 crore. Strategic initiatives taken in the fourth quarter towards reduction in the cost of deposits, improved recovery performance and stringent measures on cost control contributed to net profit of ₹ 35.50 crore.

Due to increased provisions of ₹ 3777 crore against operating profit of ₹ 3322 crore on NPA, Restructured accounts, Taxes and fresh slippages of accounts to NPA under prime sector of the economy, which resulted the denial of income accrued thereon for our profit, resulted in net loss for the year.

Branch Expansion:-

	31.03.2015	31.03.2014
No of Branches		
A. Domestic	3381	3265
Of which Rural	1028	985
Semi Urban	947	904
Urban	747	728
Metro	659	648
B.Global	8	7

Besides, the Bank has 7 Zonal Offices, 59 Regional Offices, 4 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 40 City Back Offices, 41 Rapid Retail centers (RLPCs), 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने देश भर में 116 शाखाएँ खोली हैं। 2014-15 के दौरान खुली इन 116 शाखाओं में 86 शाखाएं (74.14%) ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें से 28 शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में अवस्थित हैं। इन नई शाखाओं ने नए संपर्क बढ़ाने और सभी राज्यों को कवर करते हुए बैंक के नेटवर्क को फैलाने की दिशा में बैंक को समर्थ बनाया है।

अन्य झलकियाँ:

समायोजित निवल बैंक ऋण के प्रति प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम की प्रतिशतता भा.रि.बैं. के न्यूनतम 40% के मानदंडों के प्रति 39% रहा।

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2015
कुल प्राथमिकता ऋण	58,090	63,635
कृषि	26,254	29,236
सूक्ष्म व लघु उद्यम	24,575	26,161
कममोर तबका	21,968	23,478
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	8,349	8,237

31.03.2015 को **प्रति कर्मचारी कारोबार** रु. 13.24 करोड़ रहा।

31 मार्च 2015 को **सकल एनपीए** 8.33 करोड़ के सकल एनपीए अनुपात के साथ रु. 14922.45 करोड़ रहा और निवल एनपीए 5.68% रहा। 2014-15 की तीसरी तिमाही के लिए सकल एनपीए व निवल एनपीए क्रमश: 8.12% तथा 5.52% रहा। वसूली व उन्नयन के प्रति केंद्रित प्रयासों ने प्रभावी एनपीए प्रबंधन में मदद किया जिससे 2014-15 की तीसरी तिमाही से स्लिपेज में कमी आई है।

31.03.2015 को **प्रावधान कवरेज अनुपात** 50.92% रहा।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

31.03.2015तक बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात बेसल IIIमानदंडों के अनुसार 10.11% रहा जो कि भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित 9% की अपेक्षा से काफी ऊपर है। 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को रु. 454.32 करोड़ का निवल नुकसान हुआ है। अत: निदेशक मंडल ने किसी भी लाभांश को संस्तुति नहीं दी है क्योंकि बैंक भारत सरकार/ भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

आइटी पहल: बैंक ने परिचालनात्मक प्रभावकारिता और ग्राहक सेवा को सुधारने की दिशा में प्रौद्योगिकी उन्नयन व प्रौद्योगिकी रूपांतरण हेतु प्रयास शुरू किया है। सीबीएस माइग्रेशन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक मोड पर शुरू किया गया है। इससे ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार होगा तथा यह ग्राहकों को अपने घर से ही अधिक तेजी से चौबीसों घंटे बैंकिंग परिचालन कर सकते हैं। अन्य नई पहलों के साथ-साथ पूछताछ सेवाओं तथा रियल टाइम निधि अंतरण के साथ मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन को शुरू किया गया है।

पैरा बैंकिंग:

पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक बीमा उत्पादों तथा आइटी समर्थित उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान दे रहा है। बैंक गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम कंपनी) के साथ के अपने कारपोरेट एजेंसी करार को जारी रखा है।

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार जीवन व गैर जीवन बीमा कंपनियों के अलावा कार्पोरेट एजेंट वन स्टैंड अलोन इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ कर सकता है। अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य बीमा उच्च मध्य आय तथा उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रु. 3,5,7.5 तथा 10 लाख की बीमा के साथ टेलर मेड ग्रुप इंश्योरेंस

During the year under review, the Bank has opened 116 branches across the country. Out of 116 branches opened during 2014-15, 86 branches (74.14%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 28 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationship and spread Bank's Network covering all states.

Other Highlights:-

The percentage of **priority sector advances** to Adjusted Net Bank Credit stood at 39% as against RBI norms of minimum 40%.

(₹ in crore)

	31.03.2014	31.03.2015
Total Priority Credit	58,090	63,635
Agriculture	26,254	29,236
Micro & Small Enterprises	24,575	26,161
Weaker Sections	21,968	23,478
Other Priority Sector	8,349	8,237

Business per employee stood at ₹ 13.24 crore as on 31.03.2015.

Gross NPA as at 31st March 2015 was at ₹ 14922.45 crore with Gross NPA ratio of 8.33% and Net NPA stood at 5.68%. For Q3 of 2014-15, Gross NPA and Net NPA stood at 8.12% and 5.52% respectively. Focused efforts towards recovery and upgradation helped efficient NPA management has brought down the slippages from Q3 of 2014-15.

Provision Coverage Ratio stood at 50.92% as on 31.03.2015

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2015 stood at 10.11% as per Basel III norms, which is well above the requirement of 9% prescribed by RBI. Bank has incurred a net loss of ₹ 454.32 crore during the financial year ended 31.03.2015. Hence the Board of Directors has not recommended any dividend, as the Bank does not confirm to eligibility criteria prescribed by GOI/ RBI.

IT INITIATIVES: Bank has embarked on Technology Upgrade and IT Transformation, to improve the operational efficiency and customer service. CBS migration project has been taken up on a fast track mode. This will improve customer satisfaction level and facilitate the customers to conduct their banking operations from home 24/7 in a faster manner. Mobile banking solution with enquiry services and real time funds transfer (IMPS) has been launched along with other new IT initiatives.

Para banking:-

In the area of Para-banking, Bank is concentrating on marketing of insurance products and IT enabled products. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with Universal Sompo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company) for distribution of non-life insurance products.

As per Insurance Regulatory Development Authority (IRDA) guidelines, Corporate Agent can have tie up ONE STANDALONE INSURANCE apart from Life and Non Life Insurance Companies. Apollo Munich Health Insurance has uniquely designed a tailor made group insurance Health Insurance Product with Sum Insured of ₹ 3,5,7.5 and 10 lakhs to meet the needs of our Upper

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के रूप में खास तौर पर तैयार किया गया है। यह योजना 18.02.2015 को शुरू की गई। 31.03.2015 तक हमारे बैंक ने मार्च 2015 में लगभग 5000 पॉलिसियों को बेचते हुए रु. 40 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

लाभप्रदता को सुधारने के कदमः

लाभप्रदता को बढ़ाने के प्रयासों के रूप में बैंक कासा अनुपात को सुधारने, निवल ब्याज मार्जिन में सुधार, बार- बार लोक अदालतों/ वसूली शिविरों का आयोजन करने, एकबारगी निपटान तथा सरफासी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने तथा पात्र खातों में वित्तीय आस्तियों की बिक्री जैसे गहन वसूली उपायों के माध्यम से एनपीए में बड़े पैमाने पर कमी पर नए सिरे से जोर दे रहा है।

विदेशी परिचालनः

हमारे विदेशी परिचालनों के संबंध में विदेशों में हमारी आठ पूर्ण शाखाएं हैं जिनमें से हाँगकाँग, बैंकॉक, व श्रीलंका में दो दो तथा सिंगापुर व दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखाएँ हैं। हमारे यहाँ बून ले तथा सेरंगून में परिचालित विप्रेषण केंद्र भी हैं। अगस्त 2013 के दौरान, बैंक ने श्रीलंका की एक उपशाखा को विधिवत विनियामक अनुमोदनों के साथ शाखा में उन्नत कराया जिससे श्रीलंका में हमारी शाखाओं की सं. बढ़कर दो हो गई है। अगस्त 2014 के दौरान, सुखुमविट, बैंकॉक के साथ बैंकॉक में शाखाओं की संख्या बढ़कर दो हो गई है।

बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय गुवांगझू (चीन), हो चि मिन्ह सिटी (वियतनाम) तथा अल करामा (दुबई) में स्थित हैं। बैंक दुबई, वियतनाम तथा चीन के अपने प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्ण शाखा में उन्नत कराने के लिए भा. रि. बैं की अनुमति की प्रतीक्षा में है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक द्वारा ओवरसीज़ जेवी/ डब्ल्यूओएस खोलने के लिए निम्नलिखित विदेशी केंद्रों को आबंटित किया है: 1. थाइलैंड, 2. वियतनाम, 3. मंगोलिया, 4. श्रीलंका तथा 5. कोरिया गणराज्य।

हमारे बैंक ने मलेशिया में एक बैंकिंग अनुषंगी खोलने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आन्ध्रा बैंक के साथ एक संयुक्त उपक्रम करार पर हस्ताक्षर किया है। इस संयुक्त उपक्रम को **"इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) लि." बीएचडी** के नाम से 13.08.2010 को मलेशिया में विधिवत शामिल कर लिया गया है और इस बैंकिंग संयुक्त उपक्रम ने जुलाई 2012 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ):

बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई। बैंक ने इस योजना के तहत 31 मार्च 2015 तक 30,46,389 बीएसबीडी खाते खोले हैं और 29,73,230 रूपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

आइओबी को प्राप्त पुरस्कारः

वित्तीय समावेशन तथा ऑटोमेटेड डेटा फ्लो/ एमआइएस प्रोजेक्ट के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट।

बैंकिंग उद्योग को असाधारण योगदान हेतु सीएनबीसी टीवी 18 सीएफओ पुरस्कार ।

सर्वश्रेष्ठ बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के) हेतु लोकमत बीएफएसआइ पुरस्कार ।

"सोशल बैंकिंग" में सराहनीय कार्य हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में रनर अप स्थान प्राप्त करने के लिए एसोचैम सोशल बैंकिंग एक्सीलेंस पुरस्कार ।

वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से आइओबी की गृह पत्रिका 'वाणी' (राजभाषा) को तीसरा पुरस्कार ।

Middle Income and High Net worth Customer base. The scheme was launched on 18.02.2015. As on 31.03.2015, our Bank has earned commission of ₹ 40 lakhs by selling around 5000 policies in the month of March 2015.

Steps to improve Profitability:-

As part of the efforts to improve profitability, bank lays renewed emphasis on improving the CASA ratio, improve Net Interest Margin, reduction of NPAs to a large extent through intensive recovery measures like conducting frequent Lok Adalats / Recovery Camps, One-Time Settlements and resorting to legal action under SARFAESI Act and sale of financial assets in eligible accounts.

Overseas Operations:-

As regards our overseas operations, we have eight full-fledged overseas branches – two in Hong Kong,Bangkok and Sri Lanka and one each in Singapore and South Korea. We also have remittance Centers operating at Boon Lay and Serangoon, Singapore. During August 2013, bank has upgraded the Extension Counter at Sri Lanka into a branch with due regulatory approvals increasing the number of branches at Sri Lanka to two. During August 2014, Sukhumvit, Bangkok commenced operations increasing the number of branches in Bangkok to two.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama, (Dubai). Bank is taking up for/awaiting RBI permission for upgrading its representative office at Dubai, Vietnam and China into full fledged branches.

Ministry of Finance, Government of India has allocated the following overseas centres for opening of overseas JV/WOS by the Bank. 1. Thailand, 2. Vietnam, 3.Mongolia, 4. Srilanka and 5. Republic of Korea.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia. The Joint venture has been duly incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name **"India International Bank (Malaysia) Ltd." BHD** and the banking Joint Venture has started functioning from July 2012.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 30,46,389 BSBD Accounts and issued 29,73,230 RuPay Debit Cards as on 31st March 2015 under this scheme.

Awards won by IOB:-

Skoch Order of Merit for Financial Inclusion & Automated Data Flow/MIS Project

CNBC TV18 CFO Award for Exceptional Contribution to Banking Industry

Lokmat BFSI Award 2014 for Best Bank (Public Sector)

ASSOCHAM Social Banking Excellence Award 2014 for Runner-up among PSB category for Commendable work in "Social Banking"

IOB In-House magazine 'VANI' (Official Language) has been awarded Third Prize from Reserve Bank of India for the year 2013-14.

हमारी प्रतिबद्धताएँ:

बैंक अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने तथा अपने शेयरधारकों के मूल्य व लाभ को सुधारने की दिशा में उद्योग के प्रतियोगी व प्रतिस्पर्द्धी वातावरण में अपने मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग करते हुए तथा शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सतत व सार्थक संवृद्धि हासिल करने का संकल्प लेता है।

स्वीकृति:

मैं बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग व निर्देशन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने सभी ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रति अपना विश्वास बनाए रखा और हमें उनकी सेवा तथा कारोबार संबंधों को विकसित करने का मौका दिया। मैं अपने स्टाफ सदस्यों को भी उनके समर्पण व प्रतिबद्धता के लिए साधुवाद देता हूँ।

हमारे हितधारकों का बेशकीमती सहयोग तथा उनका हमारे प्रति विश्वास- हमें वर्ष दर वर्ष अपने कारोबार कार्यनिष्पादन को और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सादर

भवदीय

(आर.कोटीस्वरन)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Our Commitment:-

The bank resolves to achieve continuous and meaningful growth by making effective use of its human resources and leveraging its large network of branches and technology amidst the competitive and challenging environment in the industry in order to expand our market share and to improve values and returns to all our stakeholders.

Acknowledgements:-

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our customers for their continued patronage and the opportunity given to us to serve them and nurture business relationship. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our staff members.

The valuable support of our stakeholders and the confidence they repose on the bank will motivate us to work with renewed vigour to improve business performance year after year.

With warm regards,

Yours sincerely,

(R KOTEESWARAN)
Managing Director & Chief Executive Officer

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 30 जून, 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे सतगुरू ज्ञाननंदा हॉल, नारद गान सभा, 314, टीटीके रोड,चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।
2. आगे और शेयरों को ज़ारी करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि सही समझा गया तो संशोधन रहित या फिर संशोधन सहित उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

"संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ)**, भारत सरकार **(जीओआइ)**, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आइ सी डी आर विनियम)/ दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 51,79,41,777 की संख्या और रु. 517.95/- करोड़ की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि रु.3000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी सीमा के अन्तर्गत हैं जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Tuesday, 30th June 2015, at 10.30 A.M. at Sathguru Gnananda Hall, Narada Gana Sabha, 314, TTK Road, Chennai 600018, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To Issue Further Shares:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (**Regulations**) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**ICDR Regulations**) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/ preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of ₹ 10 each and in any case not exceeding 51,79,41,777 equity shares and aggregating to not more than ₹ 517.95 crore which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank ₹ 3000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at

एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **(एनआरआइ)**, निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **(क्यूआइबी)** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके,अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, **सेबी** (पूँजी एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं का निर्गम) विनियमन, 2009 **("आइसीडीआर विनियमन")** और **भा.रि.बैं, सेबी** द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशें तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत **आइसीडीआर विनियमनों**, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग, (डीआइपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, इक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की इक्विटी पूंजी में 52% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबी (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में

all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**"ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central

परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थागत स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और जो स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियो के शुरुआती मूल्य निर्धारण की **संबंधित तिथि** को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नही होगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसी घोषणाओं के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयर /प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हों, संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक विनियमन, 2003, के अधीन होंगी तथा लाभांश समेत बैंक के मौज़ूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगी और अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि कथित नये इक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के संशोधित रूप में, के अनुसार जारी किये जाएंगे तथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश, यदि कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित अग्रणी प्रबंधक/ों, बैंकर/ों, हामीदारों, डिपाज़िटरीस और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित

Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement made pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall be made only to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations and that such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance of proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five per cent on the floor price and the **relevant date** for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approval in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / equity shares arising out of conversion of preference shares / securities shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and such issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/

मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर इक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. कोटीस्वरन)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै
08.05.2015

conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board may in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(R. KOTEESWARAN)
Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai
08.05.2015

नोट

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् गुरूवार दिनांक 25 जून 2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :**

कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्यापित प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात गुरूवार दिनांक 25 जून 2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र**

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची और प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें ।प्रॉक्सी /प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति पर्ची में ' प्रॉक्सी/प्रतिनिधि धारक', जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होने चाहिए ।

5. **शेयर धारकों के रजिस्टर को बंद करना**

शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 24.06.2015 (बुधवार) से 30.06.2015 (मंगलवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी ।

6. **अदावी लाभांश, यदि कोई हो**

2007-2008 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से **7 वर्षो** की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित **निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ)** में अन्तरित करनी है तथा **भुगतान के लिए कोई दावा बैंक या आई ई पी एफ के संबंध में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Thursday, 25.06.2015.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., before 5.00 p.m. on Thursday, 25.06.2015.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/ proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 24.06.2015 (Wednesday) to 30.06.2015 (Tuesday) (both days inclusive).

6. **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from 2007-08 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF**.

7. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.

(आइओबी-यूनिट)

पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें।

8. फोलियो का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं। **कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।**

9. ई-वोटिंग

सूचीबद्ध करार के खण्ड 35 बी के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक 30.06.2015 को होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में शेयर धारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार से इतर बैंक के कोई शेयर धारक बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकार के हकदार नहीं होंगे। यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होते हैं, रजिस्टर में नामित पहला व्यक्ति वोटिंग के संबंध में मुख्य धारक माना जाएगा।

10. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव

सभी शेयर धारक वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं। हालांकि ई-वोटिंग के ज़रिए अपना वोट देने वाले शेयर धारक वार्षिक सामान्य बैठक में एजेंडा के मदों के लिए होने वाले चुनाव में वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

चुनाव तथा ई-वोटिंग के समेकित परिणाम बैंक, एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

11. शेयरधारकों से अनुरोध

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. कोटीस्वरन)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै
08.05.2015

7. CHANGE OF ADDRESS:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address.

Cameo Corporate Services Ltd.

(IOB – unit)

5th floor, Subramanian Building,

No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address.

8 CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

9. E-voting:

In compliance with the provisions of Clause 35B of the Listing Agreement, the Bank is providing the shareholders facility of e-voting at the AGM to be held on 30.06.2015.

In terms of extant guidelines, no shareholder of the Bank other than Central Government, no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any shares stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

10. POLL AT THE AGM

All shareholders can attend the AGM. However, shareholders who have cast their votes through e-voting shall not be entitled to vote on the Poll to be conducted on the items on the agenda at the AGM.

The consolidated results of the Poll and e-voting shall be displayed on the website of the Bank, NSDL's website and also informed to the stock exchanges within the prescribed time limits.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(R. KOTEESWARAN)
Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai
08.05.2015

नोटिस की कार्यसूची मद सं.2 के व्याख्यात्मक विवरण:

1. 31 मार्च 2015 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.11% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार का धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में बावन प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. सूची करार (बैंक व स्टॉक एक्सचेंज के बीच) के खण्ड 23 के उप-खण्ड (अ) के अनुसार बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।

4. संकल्प से यह अपेक्षित है कि बैंक यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम,या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट अधिमानी निर्गम के द्वारा और/या निजी तौर पर आबंटन के ज़रिए इक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन किया जाए । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ सुदृढ़ हो जाए ।

5. संकल्प से यह भी अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों में से योग्य संस्थागत नियुक्ति करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, बैंक निधि हासिल करने के लिए निदेशक मंडल आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत उल्लिखित इस तंत्र को अपने विवेकाधिकार में अपनाएं।

6. क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि संबंधित तारीख के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो ।

   'संबंधित तारीख' का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेता है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और अधोलेखकों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, बैंकिंग कंपनी

EXPLANATORY STATEMENT to Agenda item No. 2 of the Notice.

1. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2015, as per Basel III is 10.11%, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

3. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchanges) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

6. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

   "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking

(उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. उक्त कारणों से, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आबंटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होगा ।

इस प्रयोजन के लिए, बैंक को आवश्यकता है कि एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की सहमति ली जाए । अत: उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध है ।

नोटिस में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने हेतु निदेशक मंडल सिफारिश करता है।

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक की शेयरधारण सीमा के अलावा उक्त संकल्प(ों) में कोई हित या उनसे कोई संबंध नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. कोटीस्वरन)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै
08.05.2015

Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(R. KOTEESWARAN)
Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai
08.05.2015

एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च -15	मार्च -14	मार्च -13	मार्च -12	मार्च -11
वैश्विक जमाएँ	246,049	227,976	202,135	178,434	145,229
घरेलू जमाएँ	239,819	219,731	195,457	172,219	140,381
घरेलू सकल अग्रिम	162,838	161,992	144,894	125,064	101,270
वैश्विक निवल अग्रिम	171,756	175,888	160,364	140,724	111,833
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	63,635	58,090	51,056	42,265	32,648
कृषि अग्रिम	29,236	26,254	23,393	19,416	16,056
निवल निवेश	81,310	70,237	61,417	55,566	48,610
सकल लाभ	3,322	3,997	3,817	3,534	2,861
निवल लाभ / निवल हानि	-454	602	567	1,050	1,073

At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-15	Mar-14	Mar-13	Mar-12	Mar-11
Global Deposits	246,049	227,976	202,135	178,434	145,229
Domestic Deposits	239,819	219,731	195,457	172,219	140,381
Domestic Gross Advances	162,838	161,992	144,894	125,064	101,270
Global Net Advances	171,756	175,888	160,364	140,724	111,833
Priority Sector Advances	63,635	58,090	51,056	42,265	32,648
Agricultural Credit	29,236	26,254	23,393	19,416	16,056
Net Investments	81,310	70,237	61,417	55,566	48,610
Gross Profit	3,322	3,997	3,817	3,534	2,861
Net Profit/Net Loss	-454	602	567	1,050	1,073

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डिपॉज़िटरी सेवाएँ शाखा

कैथीड्रल शाखा (मेज़ानिन फ्लोर)

762, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002

दूरभाष- 28513617/3618 फैक्स :28513619

ईमेल: deposit@chemsco.iobnet.co.in

संपर्क व्यक्ति - श्री वी. श्रानिवासन/ श्री आर.एस. मणि

भौतिक शेयर धारण करने वाल शेयरधारकों से अपील

- ➢ क्या आप अपने भौतिक शेयरों को हानि या चोरी से बचाना चाहते हैं?
- ➢ क्या आप शेयरों के अंतरण में लगने वाले स्टांप शुल्क तथा देरी से बचना चाहते हैं?
- ➢ क्या आप अपने शेयरों को बेचना तथा आय ज़ल्दी प्राप्त करना चाहते हैं?
- ➢ क्या आप अपने बैंक खाते में सीधे ही लाभांश राशि के जमा को प्राप्त करना चाहते हैं?
- ➢ क्या आप अपने सभी धारितों को एक बार में पता / बैंक खाता् नामिति के परिवर्तन को संप्रेषित करना चाहते हैं?
- ➢ क्या आप सार्वजनिक /राइट्स निर्गम के माध्यम से शेयरों में आगे निवेश के इच्छुक हैं?

इन सभी सवालों का एक मात्र जवाब हमारे साथ डीमैट खाता खोलते हुए भौतिक शेयरों को डीमैट में परिवर्तित करना है ।

आइ ओ बी के साथ डीमैट खाता खोलें (www.iob.in में सूचीबद्ध चुनिंदा शाखाओं में) तथा निम्नलिखित अन्य लाभ उठाएं

- ➢ अपना शेयर शेष ऑनलाइन देखें
- ➢ शेयरों पर ऋण को आसानी से बढ़ाएं
- ➢ उसी डीमैट खाते में म्युचुअल फंड / बॉण्ड / गोल्ड ई टी एफ रखें
- ➢ प्रत्येक नामे के लिए एस एम एस अलर्ट प्राप्त करें
- ➢ पोर्टफोलियों की कीमत में अनुकूल परिवर्तन पर प्रतिदिन एस एम एस अलर्ट प्राप्त करें
- ➢ नामिती को शेयरों का तत्काल अंतरण
- ➢ धारित मूल्य पर आधारित रियायती ए एम प्रभार
- ➢ अपने परिवार के सदस्योंकेनामपर भी डीमैट खाता खोलकर और शेयरों का अंतरण करते हुए उनमें शेयरों के रूप में अपनी संपत्ति वितरित करें ।

Indian Overseas Bank

DEPOSITORY SERVICES BRANCH

Cathedral Branch (Mezzanine Floor),

762, Anna Salai, Chennai 600 002

Phone 28513617/3618 Fax – 28513619

email – deposit@chemsco.iobnet.co.in

Contact persons – Mr.V. Srinivasan/Mr.P.K. Murali

APPEAL TO SHAREHOLDERS HOLDING PHYSICAL SHARES

- ➢ Do you want to prevent loss or theft or damage to your physical shares?
- ➢ Do you want to avoid incurring stamp duty and delay in transfer of shares?
- ➢ Do you want to sell your shares and realize the proceeds quickly?
- ➢ Do you intend to receive credit of dividend amount into your Bank account directly?
- ➢ Do you want to communicate change of address/ Bank account/nominee to all your holdings at one go?
- ➢ Do you wish to make further investments in shares through Public/Rights Issues?

THE ONLY ANSWER TO ALL THESE QUESTIONS IS TO CONVERT YOUR PHYSICAL SHARES INTO DEMAT BY OPENING A DEMAT ACCOUNT WITH US.

Open demat account with IOB (at select branches listed in www.iob.in) and enjoy the following other benefits.

- ➢ View your share balances online
- ➢ Raise loan on the shares easily
- ➢ Keep Mutual Fund/Bond/Gold ETF in the same demat account
- ➢ Get SMS alert for each debit
- ➢ Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio
- ➢ Instant transfer of shares to nominee
- ➢ Concessional AMC charges depending on holding value
- ➢ Distribute your wealth in the form of shares among your family members by opening demat account in their names and transferring the shares

निदेशक रिपोर्ट 2014-15

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वैश्विक कारोबार कार्य-निष्पादन

पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने कारोबार मिश्रण में महत्वपूर्ण सुधार किया है जिससे भावी प्रगति के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। बैंक का कारोबार स्तर मार्च 2014 के रु. 4,09,051 करोड़ के मुकाबले मार्च 2015 में रु.4,25,090 करोड़ तक पहुंच गया है जिसमें वर्ष के दौरान तुलनपत्र का कुल आकार सभी आस्तियों मुख्यत: अग्रिम और निवेश को मिलाकर रु.2,85,637 करोड़ रहा है। देश के सभी राज्यों में फैली 3381 शाखाओं के साथ बैंक के पास अपनी क्षमता में सुधार की अपार संभावनाएं हैं। बैंक ने नए सीबीएस मॉडल में जाने और एक कॉमन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का निर्णय लिया है जिस प्रकार दूसरे पीएसबी में व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रहा है। ग्राहक सेवा प्रभावी तरीके से प्रदान करने और उसकी गुणवत्ता सुधारने में तकनीकी प्रगति बैंक का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगी । यह एक उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बैंक ने चरणबद्ध रूप से हासिल करना तय किया है।

वर्ष 2014-15 बैंक के लिए समग्र रूप से अधिक चुनौतियों वाला रहा। उधार के मोर्चे पर धीमी संवृद्धि रही। तदनुसार, बैंक की कुल जमाएं 8% की मध्यम संवृद्धि के साथ मार्च 2014 के रु. 2,27,976 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 में रु.2,46,049 करोड़ रही। 31 मार्च 2015 तक वैश्विक अग्रिम रुपए 1,79,041 रहा। घरेलू अग्रिम थोड़ी वृद्धि के साथ मार्च 2014 के रु.1,61,992 के मुकाबले मार्च 2015 में रु.1,62,838 करोड़ रहा।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्य रूप से ब्याज विस्तार में रुकावटों की वजह से वैश्विक परिचालनगत लाभ 2013-14 के रु.3,997 करोड़ की तुलना में 2014-15 में रु.3,322 करोड़ रहा। जो भी हो, चौथी तिमाही में बैंक का कार्यनिष्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली दो तिमाहियों में निराशाजनक परिणाम देने के बाद इसके परिणामस्वरूप रु.35.5 करोड़ के निवल लाभ के साथ सकारात्मक बदलाव आया है। चूंकि बैंक को रु.3,777 करोड़ तक का बाटमलाइन प्रावधान करना पड़ा जो कुल परिचालनात्मक लाभ का 113% था। जो भी हो, अप्रैल - दिसम्बर 2014 में रु.490 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में संपूर्ण वर्ष के लिए निवल घाटा घटकर रु.454 करोड़ पर आ गया।

आय और व्यय विश्लेषण

जहाँ तक बैंक की लाभप्रदता का सम्बन्ध है वर्ष 2014-15 अधिक चुनौतियों वाला रहा। ब्याज विस्तार में अड़चनों के बावजूद बैंक ने 2014-15 की चौथी तिमाही में रु. 35 करोड़ का निवल लाभ दर्ज करते हुए सफलतम प्रतिवर्तन किया है। बड़ी वसूलियों, परिचालन व्ययों पर लगाम, निधियन लागत पर अधिक नियंत्रण के साथ विशेषकर चौथी तिमाही में बड़े ट्रेज़री लाभ की वजह से यह मुमकिन हो पाया है।

वर्ष के दौरान बैंक ने जमाओं की लागत पहली तिमाही में 7.93%, दूसरी तिमाही में 7.94% और तीसरी तिमाही में 7.81% के मुकाबले चौथी तिमाही में 7.68% पर नियंत्रित रखने के लिए गंभीर उपाय किए हैं। जो भी हो, जमाओं की कुल घरेलू लागत वर्ष 2013-14 के 7.81% की तुलना में 2014-15 में 7.84% रही। बैंक मियादी जमाओं पर कार्ड रेट मार्केट ट्रेंड के साथ बरकरार रखा हुआ है। चूंकि वित्त वर्ष के अंतिम छह महीने के दौरान भारिबैं ने अनुग्रहपूर्वक रेपो दरों में कुल 50 बेसिस अंक की कमी की जिससे यह 7.50% के वर्तमान स्तर पर आ गया और परिणामस्वरूप 2013-14 के 9.65% की तुलना में बैंक अपने उधारों की घरेलू लागत कम करके 9.64% करने में समर्थ रहा। तथापि, निधियों की घरेलू लागत पहली तिमाही में 8.03%, दूसरी तिमाही में 8.02%, तीसरी तिमाही में 7.88% और चौथी तिमाही में 7.73% के मुकाबले 2014-15 के पूर्ण वर्ष के लिए अनुग्रहपूर्वक 7.92% पर रही। उच्च लागत जमाओं को छोड़कर औसत थोक जमाओं में कमी के अलावा प्रभावी एएलएम तकनीकों को इसका श्रेय दिया जा सकता है जिसके फलस्वरूप बैंक के औसत रीटेल मियादी जमाओं में पर्याप्त संवृद्धि हुई।

यद्यपि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने लगभग 52 लाख कासा खाते खोले हैं, कासा जमा की मात्रा में समय के साथ ही तेजी आएगी। इस वजह से घरेलू औसत कासा प्रतिशतता पिछले वर्ष के 24.25% के स्तर की तुलना में मार्केट ट्रेंड के अनुसार थोड़ी कम 23.71% रही।

वर्ष के दौरान उच्च वृद्धिशील एनपीए के कारण, घरेलू अग्रिमों से आय पिछले वर्ष के 10.95% की तुलना में घटकर 10.62% पर आ गई। उतार - चढ़ाव भरी बाज़ार स्थितियों के बावजूद निवेश पर प्राप्ति, 2013-14 के 7.39% की तुलना में 2014-15 के पूरे वर्ष के लिए 7.38% पर बरकरार रखी गई। इसका निवल ब्याज आय पर बड़ा असर हुआ जिससे लाभप्रदता प्रभावित हुई। जो भी हो, बैंक 2014-15 में वैश्विक निवल मार्जिन को तर्कसंगत रूप से 2.06% पर बनाए रखने में समर्थ रहा। साथ ही बैंक मार्च 2015 में 50.92% का मजबूत प्रोविज़न कवरेज अनुपात बनाए हुए है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बैसल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2015 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.11% रहा। अतिरिक्त टियर-I पूंजी और बैंक की समस्त पूंजी में वृद्धि के लिए बैंक ने रु.300 करोड़ के ग्रीन शू विकल्प के साथ रु.1000 करोड़ के अरक्षित, अपरिवर्तनीय, अतिरिक्त टियर I, बेसल III अनुवर्तन वाले स्थायी बॉन्ड जारी किए हैं। निवेशकों द्वारा समस्त इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ था।

शाखा नेटवर्क

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, बैंक ने पूरे देश में 116 शाखाएं खोली हैं।

जिनमें से, 86 शााखाएं (74.14%) ग्रामीण व अर्द्ध- शहरी केंद्रों में स्थित हैं, जिनमें से 28 शाखाएं बैंकरहित शहरी केंद्रों में स्थित हैं। इन नई शाखाओं ने बैंक को नए सम्बन्ध बढ़ाने और सभी राज्यों को कवर करते हुए बैंक नेटवर्क फैलाने में समर्थ बनाया है।

आगे, वर्ष के दौरान बैंक ने 8 त्वरित खुदरा केंद्र, एक सिटी बैक ऑफिस और एक विस्तार काउंटर खोला है। 31 मार्च 2014 में 3,265 शाखाओं की तुलना में 31 मार्च 2015 तक, बैंक के पास 3,381 घरेलू शाखाएं हैं जिनमें से 1028 ग्रामीण शाखाएं (30.41%), 947 अर्द्ध - शहरी शाखाएं (28.00%), 747 शहरी शाखाएं (22.09%) और 659 महानगरीय शाखाएं (19.49%) हैं। इनके अलावा, बैंक के 7 अंचल कार्यालय, 59 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 विस्तार काउंटर, 20 सेटेलाइट कार्यालय, 40 सिटी बैक ऑफिस, 41 त्वरित खुदरा केंद्र (आरएलपीसी), 18 एमएसएमई संसाधन केंद्र और 6 निरीक्षणालय हैं।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक की रोजमर्रा की गतिविधियों में बैंक के अंतनिर्मित वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है कि उसकी सरकारी जिम्मेदारियों का अनुपालन करने के लिए संरचनाएं और प्रक्रियाएं अपनी जगह पर हैं।

वर्ष के दौरान, सेबी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए सर्वोत्तम अभ्यास अपनाने और कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिस्टिंग समझौतों के प्रावधानों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। लिस्टिंग करार के संशोधित किए जाने वाले मुख्य खंड 35बी व खंड 49 हैं। खंड 35बी के अनुसार, इश्यू लाने वाला एजीएम / ईजीएम में पारित किए जाने वाले सभी शेयरधारकों को संकल्पों के सम्बन्ध में शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा देने पर सहमत है। बैंक एजीएम / ईजीएम के समय अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है।

DIRECTORS' REPORT 2014-15

The Board of Directors has pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2015.

Global Business Performance

The Bank has improved its Business Mix quite significantly in the last few years which has formed a strong base for future prospects. The business level of the Bank has reached ₹ 4,25,090 crores by March 2015 as against ₹ 4,09,051 crores in March 2014 with Balance sheet total size comprising of all assets mainly including Advances and Investments to the tune of ₹ 2,85,637 crores during the year. The Bank has larger scope in improving the potential with wide spread 3381 branches in all the states of the country. The Bank has decided to migrate to a new CBS model and be aligned with a common platform as being widely used in other PSBs. The technological advancement will work as a morale booster for the Bank to effectively deliver and enhance the customer service. This is a remarkable & significant task which the Bank has scheduled to achieve in a phased manner.

The year 2014-15 has been more challenging for the Bank as a whole. There was a sluggish growth in the credit front. Accordingly, the Bank's total deposits increased from ₹ 2,27,976 crores in March 2014 to ₹ 2,46,049 crores in March 2015 with a moderate growth of 8%. The global advances stood at ₹ 1,79,041 crores as of 31st March 2015. The domestic advances increased marginally from ₹ 1,61,992 crores in March 2014 to ₹ 1,62,838 crores in March 2015.

Financial Performance

The global operating profit has stood at ₹ 3,322 crores in 2014-15 compared to ₹ 3,997 crores in 2013-14 mainly due to constraints on interest spread during this financial year. However, the performance of the Bank in Q4 is significant resulting into a positive turnaround by achieving a net profit of ₹ 35.5 crores as against off-putting results in the preceding two quarters. As the Bank has to make bottom line provisions to the tune of ₹ 3,777 crores constituting 113% of total operating profit. However, the net loss for the whole year 2014-15 has come down to ₹ 454 crores as against ₹ 490 crores for the period April-December 2014.

Income and Expenditure Analysis

The year 2014-15 has been more challenging as far as the Bank's profitability is concerned. Despite the constraints on interest spread the Bank has made a successful turnaround during the fourth quarter 2014-15 registering a net profit of ₹ 35 crores in Q4. This is made possible mainly on account of larger recoveries, containment of operating expenses, more control on funding costs apart from substantial treasury gains mainly in the fourth Quarter.

The Bank has taken serious measures in controlling the cost of domestic deposits to 7.68% in Q4 as against 7.93% in Q1, 7.94% in Q2 and 7.81% in Q3 during the year. However, the overall domestic cost of deposits ended with 7.84% for FY 2014-15 compared to 7.81% in 2013-14. The Bank has been maintaining the card rates on term deposits in line with the market trend. As RBI reduced the repo rates favorably by overall 50 basis points in the second half of the financial year to the present level of 7.50%, the Bank is able to reduce Its domestic cost of borrowings marginally to 9.64% for the year as a whole as against 9.65% in 2013-14. As such, the domestic cost of funds ended favorably at 7.92% for the full year 2014-15 compared to 8.03% in Q1, 8.02% in Q2, 7.88% in Q3 and 7.73% in Q4. This can be attributed to efficient ALM techniques which resulted in substantial growth in Bank's average retail term deposits apart from reducing average bulk deposits excluding high cost deposits.

Although, the Bank has opened around 52 lacs CASA accounts during the year under review, the quantum of CASA deposit would stimulate only over a period. As such, domestic average CASA% was marginally lower at 23.71% compared to last year level of 24.25%, in line with the market trend.

Due to higher incremental NPAs during the year, the yield on domestic advances has come down to 10.62% as against 10.95% in last year. Despite volatile market conditions, the yield on investments was maintained at 7.38% for the whole year 2014-15 compared to 7.39% in 2013-14. This has a major impact on Net Interest Income affecting the profitability. However, the Bank has been able to maintain the global Net interest margin reasonably at 2.06% in 2014-15. Also the Bank has maintained a comfortable Provision Coverage Ratio of 50.92% in March 2015.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2015 has stood at 10.11% as per Basel III norms. The Bank has issued Unsecured, Non Convertible, Additional Tier I, Basel III Compliant Perpetual Bonds to the extent of ₹ 1,000 crores including the green shoe option of ₹ 300 crores to augment additional Tier-I capital and overall capital of the Bank. The entire issue was fully subscribed by the investors.

Branch Network

During the year under review, the Bank has opened 116 branches across the country. Out of these, 86 branches (74.14%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 28 branches are located in Unbanked Rural Centres. These new branches have enabled the Bank to enhance new relationship and spread Bank's Network covering all states.

Further, the Bank has opened 8 Rapid Retail Centres, one City Back office and one extension counter during the year. As on 31st March 2015, the Bank has 3,381 domestic branches, as against 3,265 branches as on 31st March 2014, comprising of 1028 rural branches (30.41%), 947 Semi Urban branches (28.00%), 747 Urban branches (22.09%) and 659 Metropolitan branches (19.49%). Besides, the Bank has 7 Zonal Offices, 59 Regional Offices, 4 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 40 City Back Offices, 41 Rapid Retail centers (RLPCs), 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank lays emphasis on the need for ensuring that structures and processes are put in place to help in compliance of its government responsibilities.

During the year, SEBI has decided to review the provisions of the Listing Agreement with the objectives to adopt best practices on corporate governance and to make the corporate governance framework more effective. Clause 35B and Clause 49 of the Listing agreements are the main clauses amended. As per Clause 35B, the issuer agrees to provide E-voting facility to its shareholders in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/ EGM. Bank is in preparedness to provide e-voting facility to its shareholders at the time of AGM/EGM.

लिस्टिंग करार के खंड 49 में हुए संशोधनों के अनुपालन में, बैंक ने एक आचार संहिता बनाई है जो मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन (यानि बैंक के महा प्रबन्धक तक) पर लागू है। स्टॉक एक्सचेंजों, मंडल की लेखापरीक्षा समिति को भी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) नियमों में संशोधन किया है और बैंक को अदत्त लाभांश राशि को केंद्र सरकार को अंतरित करने की प्रकिया के बारे में सूचित किया है। तदनुसार, बैंक द्वारा 2000-01 से 2006-07 वर्ष तक से सम्बन्धित अदत्त लाभांश राशि आईईपीएफ को अंतरित कर दी गई है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है। 2007-08 से 2013-14 वर्ष तक से सम्बन्धित अदत्त लाभांश डाटा एमसीए की वेबसाइट पर पोर्ट किया गया है और साथ ही www.iob.in पर भी उपलब्ध है।

विनियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी दिशानिर्देशों / विनियमनों का बैंक अनुपालन कर रहा है। बैंक नियमित तौर पर शेयरधारकों की शिकायतों का बिना समय गंवाए निपटारा कर रहा है।

विज़न-अभियान 2013-2020

बैंक ने प्रतिस्पर्धी माहौल में बदलते परिदृश्य के मद्देनज़र 2013-2020 की अवधि के लिए मध्यम अवधि विजन-अभियान खाका तैयार किया है। बैंक ने सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले वर्ष 2015-16 के लिए रणनीतिक कारोबार प्रायोजना पर चर्चा के लिए निदेशक मंडल की विशेष बैठक बुलाई है। आने वाले वर्ष में कारोबार, पूंजी एवं लाभप्रदता की संवृद्धि के सम्बन्ध में विश्लेषण ढांचा तैयार किया गया है। बैंक को आशा है कि नए सीबीएस के सहयोग से लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

निदेशक मंडल

श्री एम. नरेंद्र, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 31 जुलाई 2014 को और उनके बाद श्री ए. डी. एम. चावली, कार्यपालक निदेशक 31 अक्तूबर 2014 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए। श्री निरंजन कुमार अग्रवाल (धारा 9 (3) (जी) के अंतर्गत - सनदी लेखाकार वर्ग में नामित) ने 31 अक्तूबर 2014 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया और अब वो निदेशक नहीं है।

श्री अजीत वसंत सरदेसाई एवं प्रो. एस सडगोपन, शेयरधारक निदेशक ने 7 दिसंबर 2014 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और निदेशक नहीं हैं।

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल एवं श्री संजय रुंगटा को 8 दिसंबर 2014 से 7 दिसंबर 2017 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के तौर पर चुना गया है। श्री आर कोटीस्वरन को 31 दिसंबर 2014 से 30 जून 2016 तक के लिए बैंक का प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री पवन कुमार बजाज को 10 मार्च 2015 से 30 सितंबर 2018 तक बैंक का कार्यपालक नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल पिछले निदेशकों के बहुमूल्य योगदान के प्रति अपनी सराहना को दर्ज करता है और नए निदेशकों का स्वागत करता है।

आभारोक्ति

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल आभारी है। निदेशक मंडल बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय, शेयरधारकों, अन्य स्टेकधारकों को उनकी सद्भावना, उनके संरक्षण व बैंक पर उनके विश्वास को धन्यवाद के साथ दर्ज करता है।

बैंक अपने सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के लिए अपनी प्रगाढ़ प्रशंसा भी दर्ज करना चाहता है और अपेक्षा करता है कि भविष्यगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे अपनी संलग्नता और प्रतिबद्धता जारी रखेंगे।

कृते और निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै **(आर. कोटीस्वरन)**

मई 8, 2015 **प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

In compliance to the amendments of Clause 49 of the Listing Agreement, the code of conduct has been put in place by the Bank which is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e upto General Managers of the Bank). The Bank is also submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to The Audit Committee of the Board and to Stock Exchanges.

Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India has amended the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Rules and advised the Bank the process of transfer of unpaid dividend amount to the Central Government. Accordingly, Unpaid Dividend amount pertaining to the years from 2000-01 to 2006-07 has been transferred to IEPF by the Bank and complied with the Government of India guidelines. The unpaid Dividend data pertaining to the years 2007-08 to 2013-14 is ported in MCA website and also available at www.iob.in.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by Regulatory authorities and Government of India. Bank regularly redresses the shareholders grievances without any time delay.

Vision-Mission: 2013-2020

With the changing dynamics in the competitive environment, the Bank has reviewed its medium term Vision-Mission outlook for the period 2013 – 2020. The Bank has convened an exclusive meeting of the Board of Directors to discuss the Strategic Business Plan for the next year 2015-16 covering all the key aspects. Frame work analysis has been laid down in terms of growth in business, capital and profitability in the years to come. The Bank expects that the targets be well achieved with the support of migration to new CBS.

Board of Directors

Shri. M. Narendra, Chairman and Managing Director retired on superannuation on 31st July 2014 followed by Shri. A.D.M. Chavali, Executive Director on 31st October 2014. Shri. Niranjan Kumar Agarwal, Director (nominated under Section 9 (3) (g) – Chartered Accountant Category) had completed his 3 year term on 31st October 2014 and ceased to be Director. Shri. Ajit Vasant Sardesai and Prof. S. Sadagopan, Shareholder Directors had completed their 3 year term on 7th December 2014 and ceased to be Directors.

Shri. Niranjan Kumar Agarwal and Shri. Sanjay Rungta have been elected as Shareholder Directors for a period of 3 years from 8th December 2014 to 7th December 2017. Shri. R. Koteeswaran has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank from 31st December 2014 to 30th June 2016. Shri. Pawan Kumar Bajaj has been appointed as Executive Director from 10th March 2015 to 30th September 2018.

The Board of Directors places on record their appreciation for the valuable contributions made by the erstwhile Directors and welcomes the new Directors.

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks to the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support, continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and look forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai — (R. KOTEESWARAN)
May 8, 2015 — Managing Director & Chief Executive Officer

प्रबंधन विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक व बैंकिंग परिवेश

वित्तीय वर्ष 2014-15 विरोधाभाषी प्रवृत्ति का दृश्य दिखा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, सकारात्मक पहलू से, अमेरिका अपनी रिकवरी को सुदृढ़ करने में सफल रहा है और जिससे अन्य अर्थव्यवस्थाओं को गति मिली है। इसी प्रकार, आशा है कि ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भी अपनी संवृद्धि को बनाए रख पाएंगे। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सकारात्मक पहलों के बावजूद गतिहीन यूरोपीय देशों में कम रिकवरी दिखी है। इसी प्रकार, स्टिमुलस मोड का असर जापान पर बेहतर नहीं दिख रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा मंदी का कुछ अन्य देशों पर बड़ा जोखिम प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय अर्थव्यस्था को "वैश्विक भूभाग का चमकदार बिन्दु" कहा जाता रहा है और तेज पुनरोद्धार के लिए आशा और भरोसे के नए युग का उदय हुआ है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल से दिसंबर 2014 में पिछले वर्ष के समान अवधि के 7.0% की तुलना में नियंत्रित मुद्रास्फीति, घरेलू मांग में बढोतरी, निवेश में वृद्धि, तेल कीमतों में कमी एवं अन्य सुधारों की वजह से 7.4% की संवृद्धि के प्रगति पथ पर है। कोयला एवं अन्य खनन गतिविधियों को दोबारा शुरू करने, एफडीआई सीमाओं में ढील के लिए प्रभावी नीतिगत उपायों से मध्यम अवधि संवृद्धि संभावनाओं में सुधार आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश पर फिर से जोर से निवेश माहौल सुधरने में मदद मिलेगी । मार्च 2015 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एवं थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति का दबाव धूमिल रहेगा। मार्च 2015 के दौरान 5.17% की शीर्ष मुद्रास्फीति पिछले कुछ महीनों के दौरान की गणना के अनुसार है। थोक मूल्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 6% के मुकाबले मार्च 2015 के दौरान 2.33% पर निगेटिव थी। सामान्य से कम मॉनसून के मध्य सख्त मौद्रिक नीति, कमोडिटी मूल्यों में नरमी और कीमतों में स्थिरता के उपायों से मुद्रास्फीति के दबाव को स्थूल स्तर पर काबू रखने में मदद मिली है।

जो भी हो, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) दर्शाता है कि औद्योगिक क्षेत्र 2014-15 (वर्ष दर वर्ष) के दौरान 2.1% की संवृद्धि के साथ धीमी रिकवरी कर रहा है। उसी अवधि के दौरान निर्यात ने 2013-14 के 7.3% के मुकाबले 0.9% की संवृद्धि दर्ज़ की है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान आयात संवृद्धि 0.84% थी जो 2014-15 में 0.5% पर निगेटिव दर्ज़ की गई। बेमौसम बारिश का कुछ राज्यों की कृषि संवृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। अत: आईएमएफ ने 2015-16 में भारत की जीडीपी के 7.5% की दर से संवृद्धि का अनुमान जताया है। 2015-16 के बजट का लक्ष्य वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.8% पर लाना है। वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के साथ डीज़ल-कीमतों के विनियमन एवं एलपीजी सब्सिडियों के बैंक खातों में सीधे अंतरण से उम्मीद है कि तेल सब्सिडी बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी।

भारत की उज्ज्वल आर्थिक संभावनाओं के बावजूद, सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को लगता है कि पूंजी पर्याप्तता नियमों एवं तनावग्रस्त आस्तियों पर दबाव बना रहेगा जिससे उच्च प्रावधान करना होगा।

वर्ष 2014-15 के दौरान सिस्टम निम्नलिखित प्रमुख बदलावों का साक्षी बना है।

- एलएएफ के अंतर्गत रेपो रेट अभी तक 7.50% पर है जो मध्य जनवरी 2015 और शुरुआती मार्च 2015 तक 8% पर था, ऑफ-पॉलिसी उपाय के तौर पर दोनों बार 25 बेसिस अंक की कटौती की गई। रिवर्स रेपो रेट अभी 6.5% पर है।
- फरवरी 2015 में एसएलआर 50 बेसिस अंक की कटौती के साथ 22% से 21.50% रहा।
- सीआरआर अपरिवर्तित रहकर एनडीटीएल का 4% रहा।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर 8.50% है।
- भारत में बेसल III पूंजी विनियमन के लिए संक्रमण अवधि 31.03.2018 की बजाय 31.03.2019 है।
- गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए दिसंबर 2014 तक अपने द्वारा धारित प्रति चक्रीय प्रावधानीकरण बफर / परिवर्तनीय प्रावधानों का 50% तक (पूर्व में 33%) उपयोग करेंगे।

10.93% की संवृद्धि के साथ बैंकिंग प्रणाली 21 मार्च 2014 के रु.77,39,390 करोड़ के मुकाबले 20 मार्च 2015 तक रु.85,85,641 करोड़ कुल जमाओं का गवाह बनी है। इसी प्रकार, प्रणाली का अग्रिम 21 मार्च 2014 के 60,13,090 के मुकाबले 9.17% की संवृद्धि के साथ बढक़र 65,64,680 करोड़ पहुंच गया।

कार्यनिष्पादन स्तर के आधार पर सरकार ने कुछ बैंकों में पूंजी डाली है, हाल के घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि सरकार अच्छे तुलनपत्र प्रबन्धन में सहयोग करने के लिए जरूरतमंद बैंकों को पूंजी सहायता दे सकती है। जैसे ही निवेश चक्र गति पकड़ता है, एमएसएमई / रीटेल क्षेत्र पर जोर दिए जाने और रुकी हुई परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी देने से उधार मांग में तेजी आएगी। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्टम 2015-16 में जमाओं के अंतर्गत 13% और अग्रिमों के अंतर्गत 14% की धीमी संवृद्धि करेगा।

बैंक के परिचालन

देशी जमाएं

बैंक की कुल देशी जमाएं मार्च 2014 के रुपए 2,19,731 करोड़ की तुलना में 9.14% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2015 में रुपए 2,39,819 करोड़ हो गई। बैंक की देशी कासा जमाएं 6.86% की वृद्धि के साथ रुपए 60,786 करोड़ पहुंच गईं फलस्वरूप कासा अनुपात 25.35% हो गया। बैंक ने कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 52 लाख से अधिक कासा खाते खोले हैं। जो भी हो, कार्ड दर मियादी जमा दरों में कमी की वजह से बचत जमाएं मियादी जमाओं में चली गई हैं।

देशी अग्रिम

अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं फिर भी सिस्टम में वर्ष के दौरान उधार संवृद्धि में कमी देखी गई है। देशी सकल अग्रिम मार्च 2014 को रुपए 1,61,992 करोड़ की तुलना में थोड़ा सुधरकर मार्च 2015 में रुपए 1,62,838 करोड़ हो गई।

ओवरसीज़ परिचालन

बैंक ने अपनी आठवीं ओवरसीज़ शाखा 4 जुलाई 2014 को सुखुमवीत, थाइलैंड में खोली है। मार्च 2015 के अंत तक बैंक के पास 8 ओवरसीज़ शाखाएं, 3 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केंद्र और 1 संयुक्त उपक्रम अनुषंगी मिलाकर 14 प्रतिष्ठान हैं। हाँगकाँग, श्रीलंका और बैंकॉक में दो-दो शाखाएं, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखा है। प्रतिनिधि कार्यालय चीन के गुआंगझौ, वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी और दुबई के अल करामा में है। विप्रेषण केंद्र सिंगापुर के बूनले और सेरंगून में परिचालित हैं। संयुक्त उपक्रम अनुषंगी मलेशिया में कार्यरत है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और अस्थिर विनिमय दर उतार - चढावों की वजह से ओवरसीज.कारोबार कुल मिलाकर 31 मार्च 2014 को रु.27,328 करोड़ की तुलना में फिसलकर 31 मार्च 2015 को रु 22,433 करोड़ पर आ गया।

फॉरेक्स परिचालन

एडी शाखाओं सहित 2014-15 के लिए कुल वाणिज्यिक टर्नओवर पिछले वर्ष के रुपए 1,30,319 करोड़ की तुलना में रुपए 1,27,421 करोड़ रहा। इसमें पिछले वर्ष रुपए 1470 करोड़ (5768 किलोग्राम) की तुलना में रुपए 457

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment

The fiscal year 2014-15 presents a picture of contrasting economic trends. Among the developed economies, on the positive side, the United States has succeeded in consolidating its recovery and thereby increasing momentum to other economies. Likewise, United Kingdom and Australia, are expected to sustain their growth. Many European countries on stagnation showed little visibility of recovery despite the European Central Bank's positive measures. Similarly, Japan does not seem to be responding well to the stimulus mode. The present slowdown in Chinese economy may carry significant spillover risks to certain other countries.

Indian economy has been hailed as the 'bright spot in the global landscape', and a new era of optimism and confidence has dawned for speedy revival. Among emerging economies, Indian economy is on a trajectory path with 7.4% growth in April to Dec 2014 compared to 7.0% in the same period of its preceding year on the back of controlled inflation, rise in domestic demand, increase in investments, decline in oil prices and reforms among others. Medium term growth prospects have improved following effective policy measures towards unlocking coal and other mining activities, liberalisation of FDI limits and a renewed thrust on public investment in infrastructure which would help to improve the investment climate. The Consumer Price Index (CPI) and Wholesale Price Index (WPI) for March 2015, indicate that inflation pressures remain subdued. Headline inflation at 5.17% during March, 2015 is in line with the readings over the past few months. Wholesale price inflation was negative at 2.33% during March, 2015, compared with 6% a year ago**.**The combination of tight monetary policy, softer commodity prices and price stabilization measures have helped to contain inflationary measures at the macro level in the midst of monsoon at below normal.

However, the Index of Industrial Production (IIP) suggests that the industrial sector is recovering slowly with a 2.1% growth in 2014-15 (y-o-y). Exports in the same period recorded a growth of 0.9% as compared to 7.3 % in 2013–14. Import growth is registered negative at 0.5 % in 2014-15 as against similar 0.84% In the previous year. Unseasonal rains in certain States have an impact on the agricultural growth. As such IMF has projected India to clock 7.5% growth in GDP during 2015-16. The budget for 2015-16 aims to contain the fiscal deficit at 3.8% of GDP. The declining global oil prices along with the diesel-price deregulation and direct transfer of domestic LPG subsidies to Bank accounts are expected to help lower the fuel subsidy bill.

Despite India's brighter economic prospects, PSBs oversee continued pressure on capital adequacy norms and stressed assets leading to higher provisions.

The system has witnessed the following key changes during the year 2014-15.

- Repo rate under LAF changed to 7.50% as of now from 8% in the mid January 2015 and in early March 2015 as off-policy measures with 25 bps reduction each time. Reverse repo rate is now at 6.5%.
- Reduced SLR by 50 bps from 22% to 21.5% in Feb 2015.
- CRR unchanged at 4% of NDTL.
- Marginal Standing Facility rate is 8.50%.
- Extension of the transitional period for full implementation of Basel III Capital Regulations in India up to 31.03.2019 instead of 31.03.2018.
- Banks to utilize up to 50% (earlier 33%) of counter cyclical provisioning buffer/floating provisions held by them as of December 2014 for making specific provisions for non-performing assets.

The Banking system has witnessed total deposits amounting to ₹ 85,85,641 crores on 20th March, 2015 as against ₹ 77,39,390 crores as on 21st March, 2014 with a growth of 10.93% . Similarly, the system's advances increased to ₹ 65,64,680 crores on 20th March, 2015 from ₹ 60,13,090 crore on 21st March 2014 with a 9.17% growth.

Although the Govt has made capital infusion for a fewer Banks on the strength of performance levels, the recent developments indicate that it will support capital infusion for the needy Banks in support of providing good balance sheet management. As the investment cycle gathers momentum, the credit demand will pick up due to thrust given to MSME/Retail sector and early clearance of stalled projects. With this we can expect the system to grow moderately at 13% under deposits and 14% in advances for 2015-16.

Bank's Operations.

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits increased from ₹ 2,19,731 crores in March 2014 to ₹ 2,39,819 crores as of March 2015 registering a growth of 9.14%. The Bank's domestic CASA deposits increased to ₹ 60,786 crores with a growth of 6.86% with CASA at 25.35%. The Bank has opened more than 52 lacs CASA accounts during the year. However, there has been movement of savings deposits to term deposits due to lowering of card rate term deposit rates.

Domestic Advances

Though green shoots appear to be visible in economy, the system has observed lower credit growth during the year. The Domestic gross Advances of the Bank marginally improved to ₹ 1,62,838 crores as of March 2015 as against to ₹ 1,61,992 crores in March 2014.

Overseas Operations

Bank has opened its eighth overseas branch at Sukhumvit, Thailand on 4th July 2014. As at the end of March 2015, the Bank has 14 establishments abroad, including 8 overseas branches, 3 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Joint Venture Subsidiary. There are two branches each at Hongkong, Sri Lanka and Bangkok and one each at Singapore and South Korea. Representative offices are located at Guangzhou, China at Ho Chi Minh City, Vietnam and at Al Karama, Dubai. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore. The Joint Venture subsidiary is functioning at Malaysia. Due to present global economic scenario and volatile exchange rate fluctuations, the overseas business as a whole has slipped to ₹ 22,433 crores as of 31st March 2015 compared to ₹ 27,328 crores as of 31st March 2014.

Forex Operations

The total merchant turnover for 2014-15 including AD branches amounted to ₹ 1,27,421 crores as against ₹ 1, 30,319 crores in last year. This includes the precious metal business of the Bank for 2014-15 to the tune of ₹ 457 crores (1,010 kgs) as against

करोड़ (1,010 किलोग्राम) का वर्ष 2014-15 के लिए बैंक का बहुमूल्य धातु कारोबार शामिल है। बैंक इस रणनीति पर काम कर रहा है कि वो निर्यात उधार में अपनी हिस्सेदारी बढाए ताकि भारिबैं का एएनबीसी का 12% का लक्ष्य हासिल कर सके। बैंक ने विनिमय पर कुल लाभ रुपए 215 करोड़ अर्जित किया और देशी बहुमूल्य धातु कारोबार से रुपए 4 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

निवेश

सकल घरेलू निवेश 31 मार्च 2014 के रु.68,006 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2015 को रु. 78,269 करोड़ पर रहा जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 15.09% संवृद्धि दर्ज हुई है। एसएलआर सेगमेंट में निवेश में रु.6,529 करोड़ की ब़ढ़ोतरी हुई है जो 11% है जबकि गैर-एसएलआर निवेश 43.06% के साथ रु.3,734 करोड़ बढ़ा है।

31 मार्च 2014 तक 21.69% की तुलना में भारिबैं द्वारा निर्धारित अनुसार 23.50% की उच्च सीमा के मुकाबले परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में धारित एसएलआर प्रतिभूतियों की सीमा 31 मार्च 2015 को 22.26% पर रही है।

वर्ष के दौरान कई बाह्य एवं आंतरिक कारकों की वजह से बॉन्ड बाजार में काफी अस्थिरता रही है जिससे आय 8.96% पर परिचालन के बाद वर्ष की समाप्ति पर घटकर 7.81% पर आ गई। अनुषंगी बाजार में टर्नओवर (बुक वैल्यू) 2013-14 में रु.71,919 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान रु.64,817 करोड़ रहा। प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाली आय वर्ष 2013-14 में रुपए 489 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014-15 में रु. 530 करोड़ रही। 2013-14 में 7.60% की तुलना में वर्ष के लिए ऋणमुक्ति से पहले कुल निवेश पर रिटर्न 7.64% है।

रुपया डेरिवेटिव

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने रुपया ब्याज दर अदला - बदली में कारोबार नहीं किया है और कोई नई हेजिंग अदला - बदली नहीं की है। ब्याज दर अदला - बदली में बकाया 31 मार्च 2014 के समान ही 31 मार्च 2015 तक रु.823 करोड़ पर स्थिर है।

एमएसएमई

वर्ष 2014-15 के दौरान कुल घरेलू अग्रिमों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदत्त उधार में बैंक का हिस्सा 17.56% से बढक़र 19.75% हो गया। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में 88% योगदान के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उधार रु.24,575 करोड़ से बढक़र रु.28,036 करोड़ हो गया। 10% के अधिदेशित नियम के प्रति सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत उधार खातों की संख्या 13.57% बढ.गई। बैंक ने सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत एमएसएमई को रु.833 करोड.राशि के 17,473 संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए हैं।

प्राप्तियों की वसूली में देरी की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए इ एसएमई इजी की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु राज्य में एमएसएमई की उधार आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक ने तमिलनाडु लघु एवं सूक्ष्म उद्यम संघ (टीएएनएसटीआईए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्योग संघ उन सदस्यों के आवेदन को प्रायोजित कर रहा है जिन्हें उधार की आवश्यकता है। बैंक ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी) के साथ समझौता ज्ञापन का दायरा बढाते हुए एससी / एसटी / महिला लाभार्थियों समेत सभी वर्गों के उद्यमियों को कवर करने के आलावा भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) के साथ उसके वित्त सुविधा केंद्र (एफएफसी), युनाइटेड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बैंक ने सीआईआई के साथ गठजोड. के साथ एफएफसी, एसएमईआरए के अंतर्गत और देश भर के विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ अपने एमएसएमई उत्पादों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न रोड शो आयोजित किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान नई पहलों के लिए चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्माल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने बैंक को बैंकिंग एक्सेलेंस अवॉर्ड प्रदान किया है।

खुदरा बैंकिंग एवं विपणन

वर्ष के दौरान ख़ुदरा क्षेत्र के प्रमुख सेगमेंट आवासीय एवं शिक्षा ऋण में 12.53% का सुधार आया है। पुष्पक वाहन ऋण के अंतर्गत 99% संवृद्धि दर्ज हुई है। लेखांकन अवधि में परा-बैंकिंग उत्पादों के अंतर्गत हुई आय रु.19 करोड़ पर रही।

बैंक ने रीटेल सेगमेंट की आवश्यकताओं का खयाल रखते हुए निम्नलिखित नए उत्पाद और नए उत्पाद प्रकारों की शुरुआत की है।

- **शुभ गृह पूर्व स्वीकृत आवास ऋण:** इस योजना के अंतर्गत, बैंक ग्राहकों को संपत्ति को अंतिम रूप देने से पहले ही आवास ऋण के लिए अनंतिम मंजूरी देता है जिससे उन्हें बिल्डर / विक्रेता के साथ आत्मविश्वास के साथ मोलभाव करने में सहूलियत होती है। ऋण पात्रता का मूल्यांकन आवेदक की आय के आधार पर किया जाएगा।
- **शुभ गृह टॉप अप ऋण**: अटकलों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए आवास इक्विटी ऋण के रूप में ऋण प्रदान किए जाते हैं जहां उधारकर्ता आवास में अपनी हिस्सेदारी को संपाश्विक के तौर पर इस्तेमाल करता है। आवास इक्विटी ऋण का इस्तेमाल अकसर अहम व्ययों जैसे आवास सुधार, चिकित्सा बिल, या कॉलेज शिक्षा को वित्त पोषण के लिए किया जाता है।
- **शुभ गृह हाउसिंग - नकद उधार सुविधा:** मौजूदा एसबी / सीडी ग्राहकों को नकद उधार सीमा के तौर पर आवास ऋण लेने की सुविधा। इस सुविधा से उधारकर्ता अपना सरप्लस फंड नकद उधार खातों में रख पाएंगे जिससे ब्याज का भार कई गुना कम हो जाएगा। उधारकर्ता अपने खातों के परिचालन के लिए एटीएम-डेबिट कार्ड एवं ई- सी बैंकिंग सुविधाओं के लिए पात्र हैं।
- **शुभ गृह जेन नेक्स्ट आवास ऋण**: ऐसी आवास ऋण योजना जो 21 से 45 वर्ष की आयु के निजी क्षेत्र कंपनियों / एमएनसी/ सरकारी प्रतिष्ठानों / पीएसयू व सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को सामान्य आवास ऋण पात्रता से 20% अधिक ऋण राशि प्रदान करती है।
- **आइओबी पैशन:** किसी को भी अपने पसंदीदा हुनर को आगे बढाने के लिए बुनियादी सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तपोषण प्रदान करने के लिए जैसे स्पोर्ट्स किट, वाद्य यंत्र, पेंटिंग सामग्री, कैमरा, सिलाई मशीन, इत्यादि और कोचिंग शुल्क के भुगतान के लिए जहां कहीं भी जरूरत हो मियादी ऋण योजना। इस योजना के तहत बच्चों को अपने पसंदीदा हुनर को आगे बढाने/ समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **एलएपी - एचएनआई:** संपत्तियों को बंधक रखने के बदले ऋण विशेषकर एचएनआई / वीआईपी ग्राहकों को जिनका मासिक वेतन / आय रु.75,000/- और उससे अधिक है, अधिकतम ऋण राशि रु.25.00 लाख।
- **एचएनआई / वीआईपी ग्राहकों को विशेष वैयक्तिक ऋण**: ग्राहक जिनका मासिक वेतन / आय रु.75,000/- और उससे अधिक है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं / ब्रैंडेड फर्नीचर / घरेलू सामान खरीदने के लिए अधिकतम ऋण राशि रु.25.00 लाख देने पर विचार किया जाता है।

सिबिल बंधक जांच: सिबिल बंधक जांच की शुरुआत की गई है जिसमें उन संपत्तियों का केंद्रीकृत संदर्भ डाटाबेस है जिसके प्रति मालिकों ने ऋण लिया है और उसमें प्राप्त ऋण के विवरण के साथ खुलने और बंद होने की तिथि भी है। ये सुविधा शाखाओं को सतर्क रहने में मदद करती है और नकली और धोखाधड़ीपूर्ण विक्रय विलेखों की धोखाधड़ी से बचने में उन्हें समर्थ बनाती है।

सिबिल उपभोक्ता पूछताछ ट्रिगर: यह एक पोर्टफोलियो प्रबोधन सेवा है जो बैंक को गतिशील रूप से पोर्टफोलियो का प्रबोधन करने में मदद करती है और ग्राहक के बारे में और अधिक जानकारियां देती है। इससे ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने और वैसे ग्राहक को बनाए रखने में मदद मिलती है जिन्हें अन्य बैंक अपना ग्राहक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं।

₹ 1,470 crores (5,768 kgs) in the previous year. The Bank is working on the strategies to increase its share of export credit to achieve RBI target of 12% of ANBC. The Bank has earned a Profit on Exchange of ₹ 215 crores and ₹ 4 crores from the precious metal business domestically.

Investments

Gross domestic investments as of 31st March 2015 has stood at ₹ 78,269 crores as against ₹ 68,006 crores as on 31st March 2014 registering a growth of 15.09% over the previous year. The investments in SLR segment have registered a growth of ₹ 6,529 crores at 11.00% during the year while Non-SLR investments have increased by ₹ 3,734 crores at 43.06%.

As on 31st March 2015, the extent of SLR securities held in Held to Maturity (HTM) has been at 22.26% of DTL against the upper limit of 23.50% prescribed by RBI compared to 21.69% as on 31st March 2014.

The Bond market has experienced extreme volatility during the year, due to a host of external and internal factors which saw the yields go down at 7.81% at the close of the year after opening at 8.96%. The turnover (book value) in the secondary market was ₹ 64,817 crores during the year 2014-15 as against ₹ 71,919 crores in 2013-14. Total profit on sale of securities has amounted to ₹ 530 crores during the year 2014-15 as against ₹ 489 crores of 2013-14. The return on total investments before amortization for the year is 7.64% as against 7.60% in 2013-14.

Rupee Derivatives

During the year 2014-15, Bank has not traded in Rupee interest swaps and entered into any fresh hedging swaps. The outstanding in interest rate swaps is stagnant at ₹ 823 crores as on 31st March 2015, same as the outstanding as on 31st March 2014.

MSME

The Bank's share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to total domestic advances has increased from 17.56% to 19.75% during the year 2014-15. Credit to Micro and Small Enterprises has increased from ₹ 24,575 crores to ₹ 28,036 crores with a contribution of 88% towards Priority Sector advances. The number of borrowal accounts under Micro Sector has increased by 13.57% as against the mandatory norms of 10%. Bank has also extended 17,473 collateral free loans amounting to ₹ 833 crores to MSME under the CGTMSE scheme.

IOB SME EASY has been launched for the Micro and Small sector to take care of the main problems of delayed realization of receivables. To address the credit requirement of MSME in the State of Tamil Nadu, the Bank has signed a MOU with Tamil Nadu Small and Tiny Industries Association (TANSTIA). The Industries Association is sponsoring applications of the members seeking credit requirements. The Bank has also signed MOU with Confederation of Indian Industry (CII) under its Finance Facilitation Centre (FFC), United Economic Forum besides enlarging the scope of MOU with Bharatiya Yuva Sakthi Trust (BYST) by covering all categories of entrepreneurs including all SC/ST/Women beneficiaries. The Bank has conducted various road shows for display of its MSME products in association with CII under FFC, SMERA and various industries associations across the country. The Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises (MSME) has awarded Banking Excellence Award to the Bank for New Initiatives made during 2013-14.

Retail Banking and Marketing

Housing and Educational Loans as major segments under retail sector have improved by 12.53% during the year. Growth under Pushpaka – Vehicle loans recorded 99% achievement. The income earned under Para Banking Products has stood at ₹ 19 crores for the accounting period.

The Bank has introduced the following new products & new product variants catering to the requirements of the retail segment

- **Subha Gruha Pre approved Home Loans:** Under this scheme, the Bank provides Provisional sanction of Home Loan limits to the customers before finalization of the property which enables them to negotiate with the Builder/ Seller confidently. The loan eligibility will be assessed on the basis of income of the applicant.
- **Subha Gruha Top Up Loans**: Loans are provided for any purpose other than speculation in the form of Home equity loan where the borrower uses his equity in home as collateral. Home equity loans are often used to finance major expenses such as home repairs, medical bills, or college education.
- **Subha Gruha Housing - Cash Credit Facility:** A facility to avail Housing Loan as Cash Credit limit for the existing SB/CD customers. This will facilitate the borrowers to park the surplus funds in Cash credit accounts which in turn will reduce the interest burden drastically. Borrowers are eligible for ATM-Debit card and E See banking facilities to operate the account.
- **Subha Gruha Gen Next Housing Loans**: A Housing Loan scheme which provides 20% higher loan amount than that of normal Home Loan eligibility to salaried employees of Private Sector Companies/MNCs/ Government Undertakings/PSUs & the Government employees aged from 21 to 45 years.
- **IOB Passion:** A term loan scheme to finance the purchase of basic materials to pursue in one's passion like, sports kits, music instruments, painting materials, cameras, sewing Machines, etc., and payment of coaching fees, wherever involved. Children are encouraged under this scheme to pursue/realize their passion.
- **LAP-HNI:** A Loan Against mortgage of Properties with focus on HNI/ VIP clients, whose monthly salary/income is ₹ 75,000/- and above, with maximum loan amount of ₹ 25.00 lacs.
- **Special Personal Loan to HNI / VIP clients**: Customers whose monthly salary/income is ₹ 75,000/- and above, with maximum loans amount of ₹ 25.00 lacs for purchase of Consumer goods / branded furniture / House hold articles are considered.

CIBIL Mortgage Checks: CIBIL Mortgage Check, a centralized reference database of properties against which owners have availed loan with a summary of the loan availed along with open & close dates have been initiated. This facility helps the branches to alert and enable them to prevent frauds like fake and forged sales deeds.

CIBIL Consumer Enquiry Trigger: It is a portfolio monitoring service that helps the Bank to dynamically monitor the portfolio and gain insights about the customers. This helps in identifying the needs of customers and helps to retain customers who are being canvassed by other Banks.

कॉरपोरेट्स के साथ समझौता ज्ञापन

- ➢ रीटेल हिस्सेदारी में बढोतरी के उद्देश्य से बैंक ने टाटा मोर्टर्स के विभिन्न मॉडल को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए कंपनी के साथ 24 फरवरी 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- ➢ सोलर होम सिस्टम्स सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के ध्येय से आइओबी सूर्या उत्पाद के साथ बैंक ने 24 फरवरी 2015 को मेसर्स एन्ड्रोमेडा एनर्जी टेक्नोलॉजीज (प्रा.) लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।
- ➢ बैंक ने बिजलीपे (मोबाइल पीओएस) के साथ करार किया है। यह मोबाइल उपकरण आधुनिक तकनीक है जिसका उपयोग लघु / मध्यम कारोबारी जैसे किराना दुकानें, रेस्त्रां, कार रेंटल्स इत्यादि कर सकते हैं।
- ➢ बैंक ने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एकल आधार प्लेटफॉर्म के अंतर्गत समूह उत्पाद - इजी हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस के वितरण के लिए करार किया है जो विशेषरूप से बैंक के ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है।

खोया पाया गतिविधि के आधार पर लुप्त उधारकर्ताओं से रीटेल ऋण के बकाए की वसूली के लिए विशेष उपाय शुरू किया है जिसके द्वारा 2,662 खातों से रु.16 करोड़ की वसूली की गई है।

मिड कॉरपोरेट

मिड कॉरपोरेट समूह रु.40 करोड़ से लेकर रु.100 करोड़ की सीमा तक उधारकर्ताओं की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश के विभिन्न शहरों में पूरी तरह परिचालित बैंक की 16 विशेषीकृत शाखाएं हैं, जो उधार प्रस्तावों को उनके तेजी से निस्तारण के लिए सीधे केंद्रीय कार्यालय भेजते हैं। क्रेडिट वर्टिकल को सीधे क्रेडिट रिपोर्टिंग की त्वरित डिलीवरी के लिए इन शाखाओं के पास उधार प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक महारत हासिल है।

मिड कॉरपोरेट शाखाओं ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निधि आधारित ऋण में रु.5,040 करोड़ का और गैर-निधि आधारित ऋण में रु.761 करोड़ का वृद्धिशील योगदान दिया है। अत: 31 मार्च 2015 तक मिड कॉरपोरेट सेगमेंट में बैंक का कुल ऋण रु.13,005 करोड़ रहा।

वृहत् कॉरपोरेट

उधार पोर्टफोलियो के अंतर्गत वृहत् कॉरपोरेट एक अहम वर्टिकल है जो कृषि के अलावा उधारकर्ताओं की रु.100 करोड़ से अधिक की उधार जरूरतों को पूरा करता है। इस वर्टिकल के तहत 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का निधि आधारित ऋण रु.84,634 करोड़ और गैर-निधि आधारित ऋण रु.17,478 करोड़ है। वर्ष के दौरान, एलसीजी ने वृद्धि के साथ रु.11,102 के 97 प्रस्तावों और रु13,395 करोड़ के 33 नए प्रस्तावों को मिलाकर कुल रु.24,497 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो देश भर के कॉरपोरेट ग्राहकों से प्राप्त हुए थे।

वृहत् कॉरपोरेट खातों पर विशेष ध्यान को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक भारत में 7 स्थानों पर (अहमदाबाद, बैंगलोर, कोयम्बत्तूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई) विशेषीकृत वृहत् कॉरपोरेट शाखाएं चला रहा है। इन विशेषीकृत वृहत् कॉरपोरेट शाखाओं का 31 मार्च 2015 तक करीब रु.13,000 करोड़ का ऋण है। उपर्युक्त के अलावा, महानगरीय केंद्रों में मौजूदा 15 शाखाओं की पहचान वृहत् कॉरपोरेट शाखाओं के तौर पर की गई है।

ये विशेषीकृत शाखाएं वृहत् कॉरपोरेट सेगमेंट के अंतर्गत उधारकर्ताओं को उधार देने पर फोकस करती हैं, आवश्यक उधार मूल्यांकन के लिए अपेक्षित निपुणता और उधार की त्वरित डिलीवरी उपलब्ध कराती हैं। उधार प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए ये शाखाएं उधार प्रस्तावों को सीधे केंद्रीय कार्यालय को भेजती हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

मार्च 2014 के मुकाबले प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का सकल उधार बढक़र 31 मार्च 2015 तक रु.63,635 करोड़ तक है जो समायोजित निवल बैंक उधार (एएनबीसी) का 39% है। आगे, भारिबैं ने अप्रैल 2015 से प्राथमिकता क्षेत्र के वर्गीकरण में आशोधन किया है।

कृषि

वर्ष के दौरान बैंक का कृषि ऋण रु.2,246 करोड़ की वृद्धिशील संवृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2015 तक रु. 29,236 करोड़ रहा है। एएनबीसी को कृषि अग्रिम में बैंक का अनुपात 17.92% है। पिछले वर्ष में रु.35,492 करोड़ की तुलना में बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत रु.36,033 करोड़ वितरित किए हैं।

कमजोर वर्ग

बैंक ने समाज के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान किया है और 31 मार्च 2015 तक रु.23,478 करोड़ बकाया है जो 10% के लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 14.09% है। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एससी / एसटी को प्रदत्त ऋण के अंतर्गत बकाया 31 मार्च 2015 तक रु.7,915 करोड़ है जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का 12.45% है, जबकि पिछले वर्ष यह 11.68% था। 15% के नियम के मुकाबले अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण बकाया रु.9,793 करोड़ है जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का 15.39% है।

सूक्ष्म वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.1000 करोड़ उधार आउटले के साथ 53,404 स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) को उधार से जोडा है। मार्च 2015 तक रु.6,792 करोड़ के औसत उधार के साथ उधार से जोडे.गए एसएचजी की संख्या 6,12,076 रही।

महिलाओं को उधार प्रवाह

महिलाओं को बैंक का उधार प्रवाह 31 मार्च 2015 तक रु.22,753 करोड़ है जो बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार का 13.94% है।

विशेषीकृत कृषि उधार शाखाएं

किसान समुदाय को उधार प्रवाह बढाने के लिए, बैंक ने देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषतौर पर कृषि उधारों के लिए 33 विशेषीकृत कृषि उधार शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं के पास पिछले वर्ष के रु.87 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2015 तक रु.218 करोड़ बकाया है यानि 150% की संवृद्धि।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक को तमिलनाडु के 13 जिलों और केरल के एक जिले में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक तमिलनाडु में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने एसएलबीजी की चार बैठकें भी आयोजित की हैं। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान बैंक ने 18 विशेष बैठकें / कोर समिति/ उप - समिति बैठकें भी बुलाई हैं।

प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पीएमजेडीवाई)

- ➢ एसएलबीसी, तमिलनाडु ने 28 अगस्त 2014 को पीएमजेडीवाई के शुरुआत समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
- ➢ एसएलबीसी ने तमिलनाडु में पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कम से कम एक खाता खोलकर 100% परिवारों को कवर करने की सुविधा प्रदान की है। राज्य के सभी 32 जिलों को संतृप्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
- ➢ बैंकों ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु में 59.77 लाख खाते खोले हैं।
- ➢ एसएलबीसी, तमिलनाडु ने शिकायतों के निपटारे के लिए पीएमजेडीवाई के लिए विशेष टोल मुक्त नम्बर तैयार किया है।

Memorandum of Understanding with Corporates

- The Bank with its objective of increasing the retail share has signed Memorandum of Understanding with Tata Motors Limited on 24th Feb 2015 to finance their various models.
- With a view to increase the market share in solar home systems segment with the existing product IOB Surya, the Bank has entered into a tie up with M/s Andromeda Energy Technologies (P) Ltd (AETPL) on 24th Feb 2015.
- The Bank has entered into an agreement with Bijlipay (Mobile POS). This Mobile device is a state of art of technology which can be used by small/medium merchants like kirana shops, Restaurants, Car rentals etc.
- The Bank has entered into an agreement with Apollo Munich Health Insurance under Stand Alone Platform for distribution of Group Product - Easy Health Group Insurance which is exclusively designed for Bank customers.

An exclusive exercise has been undertaken to recover dues from the retail loan untraced borrowers under Skip Trace Activity whereby a recovery of ₹ 16 crores has been recovered in 2,662 accounts.

Mid Corporate

Mid Corporate Group takes care of lending requirements of borrowers in the range of ₹ 40 crores and upto ₹ 100 crores. The Bank has 16 Specialized branches, fully operational all over India in various cities, submit the credit proposals directly to Central Office for speedy disposal. These branches possess necessary expertise in credit appraisal for quicker delivery of credit reporting to the Credit Vertical directly.

Mid Corporate branches have incrementally contributed ₹ 5,040 crores of Fund Based exposure and ₹ 761 crores of Non Fund based exposure during the financial year 2014-15. Thus the total Bank's exposure under Mid Corporate segment as on 31st March 2015 is at ₹ 13,005 crores

Large Corporate

Large Corporate is the major vertical under credit folio taking care of credit requirement of borrowers other than Agriculture where credit requirement is above ₹ 100 crores. Under this vertical, Bank has a fund based exposure of ₹ 84,634 crores and Non Fund exposure of ₹ 17,478 crores for the year ended 31st March 2015. During the year, LCG has sanctioned 97 proposals for ₹ 11,102 crores with enhancement and 33 fresh proposals for ₹ 13,395 crores thus totaling of ₹ 24,497 crores received from Corporate Clients from all over India.

To promote focused attention on Large Corporate accounts, the Bank is operating Specialized Large Corporate branches at 7 places all over India (Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai). These Specialized Large Corporate Branches have exposure of around ₹ 13,000 crores as on 31st March 2015. Apart from the above, 15 existing branches in Metropolitan Centres are identified as Large Corporate Branches.

These Specialized branches are focusing in lending to borrowers coming under Large Corporate segment, making available necessary expertise in Credit Appraisal and quick delivery of credit. These branches are sending the credit proposals directly to Central Office for expedite disposal.

Priority Sector Credit

The Bank's Gross Credit under Priority Sector has Increased to ₹ 63,635 crores as on 31st March 2015 which is 39 **%** of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2014. Further, RBI has revised the Priority Sector classification effective from April 2015.

Agriculture

During the year, the Bank's agricultural credit stood at ₹ 29,236 crores as on 31st March 2015, thereby registering an incremental growth of ₹ 2,246 crores. The Bank's ratio of Agricultural Advances to ANBC is 17.92%. The Bank disbursed ₹ 36,033 crores under Special Agriculture Credit Plan (SACP) as against ₹ 35,492 crores last year.

Weaker Section

The Bank has granted loans to weaker section of the society and the outstanding as on 31st March 2015 is ₹ 23,478 crores forming 14.09% of ANBC as against the target of 10%. Outstanding under loans to SC/ST under Priority Sector as on 31st March 2015 stood at ₹ 7,915 crores, 12.45% of total priority sector advances as against achievement of 11.68% last year. Outstanding loans to Minority Communities stood at ₹ 9,793 crores which is 15.39% of total priority sector advances as against norm of 15%.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 53,404 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of ₹ 1000 crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank stood at 6,12,076 with aggregate lending of ₹ 6,792 crores as of March 2015.

Credit flow to Women

Bank's credit flow to women at ₹ 22,753 crores as of 31st March 2015 constitutes 13.94% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Specialized Agriculture Credit Branches

In order to increase the flow of credit to the farming community, Bank has opened 33 Specialised Agriculture Credit Branches in various parts of the country exclusively for Agricultural lending. These branches have loans outstanding at ₹ 218 crores as on 31st March 2015, up from ₹ 87 crores last year, i.e. a growth of 150%.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 13 districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year under review the Bank has conducted four meetings of the SLBC. In addition, the Bank has convened 18 special meetings / core committee / sub-committee meetings during the year.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)

- SLBC, Tamil Nadu has conducted State Level launch function of PMJDY on 28th August 2014 successfully.
- SLBC has facilitated 100% coverage of households by opening of minimum one account per household under PMJDY Scheme in Tamil Nadu. All the 32 districts in the state have been issued saturation certificate.
- Banks have opened 59.77 lacs accounts in Tamil Nadu under PMJDY.
- SLBC, Tamil Nadu has established an exclusive Toll Free number to PMJDY for grievance redressal.

- एसएलबीसी, तमिलनाडु ने बीसी के लिए आईबीए के क्षमता निर्माण कार्यक्रम - प्रथम चरण कार्यक्रम "ट्रेन द ट्रेनर्स" कार्यक्रम सभी आरएसईटीआई निदेशकों एवं एफएलसीसी परामर्शकों के लिए आयोजित किया है। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।
- पीएमजेडीवाई दस्तावेजों को स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में अनूदित किया गया है और उसे सदस्य बैंकों / एलडीएम इत्यादि को वितरित किया गया।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहल

- एसएलबीसी ने तमिलनाडु में 12,261 बैंक रहित गांवों की पहचान की और उन्हें विभिन्न बैंकों को सौंप दिया। वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए समय काल से काफी पहले ही वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सभी गांवों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस दिशा में 100% से अधिक उपलब्धि रही है।
- तमिलनाडु सरकार की वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य में कारोबार संवादियों द्वारा परिचालित किए जा रहे स्मार्ट कार्ड के जरिए 12.56 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक बैंक उधार के जरिए 1.91 लाख मछुआरों को मंदी वाली अवधि के दौरान वर्ष में दो बार रु.4000/- की सहायता दी जाती है।
- राज्य में इलेक्ट्रॉनिक बैंक उधार के जरिए डॉ. मुत्तुलक्ष्मी प्रसूति हित लाभ योजना के अंतर्गत करीब 8 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रति वर्ष रु.12,000/- का अनुदान दिया जा रहा है।
- राज्य के 36 लाख से अधिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) कामगारों की दिहाडी सीधे बैंक खातों में पहुंच रही है।

उधार प्रवाह पर एसएलबीसी की पहल

दिसंबर 2014 तक तमिलनाडु में बैंकों ने निम्नलिखित उपलब्धि हासिल की है।

- 121.40% का सीडी अनुपात बेहद ऊंचा है जिसे कुछ राज्यों ने ही हासिल किया है।
- 2014-15 के वार्षिक उधार प्रायोजना के अंतर्गत 104%।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 40% के राष्ट्रीय नियम के मुकाबले 42.11%।
- 18% के राष्ट्रीय नियम के मुकाबले कृषि को 19.11% अग्रिम ।
- 10% के राष्ट्रीय नियम के मुकाबले कुल अग्रिम का 12.94% कमजोर वर्ग को।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों मसलन तमिलनाडु में पाण्डियन ग्राम बैंक और ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया है। पाण्डियन ग्राम बैंक 270 शाखाओं के नेटवर्क और 1,048 स्टाफ सदस्यों के साथ तमिलनाडु के 16 जिलों में परिचालन कर रहा है। आरआरबी का 31 मार्च 2015 तक 105.75% के सीडी अनुपात के साथ रु.7,852 करोड़ का कारोबार मिश्रण था। 547 शाखाओं के नेटवर्क और 2,265 सदस्यों की स्टाफ संख्या के साथ ओडिशा गाम्य बैंक की ओडिशा के 13 जिलों में मौजूदगी है। आरआरबी का 31 मार्च 2015 तक 56.50% के सीडी अनुपात साथ रु.11,938 करोड़ का कारोबार मिश्रण था।

वित्तीय समावेशन

बैंक ने बैंक रहित गांवों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार कारोबार संवादियों के जरिए स्मार्ट कार्ड बैंकिंग शुरू की है। 2601 कारोबार संवादियों की मदद से स्मार्ट कार्ड बैंकिंग 56 क्षेत्रों में लागू की जा रही है। बैंक ने अब तक 16,73,126 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं और स्मार्ट कार्ड टर्मिनल के जरिए हुए लेन - देनों की संख्या 2,47,35,429 है। यह बताने योग्य बात है कि तमिलनाडु सरकार के सहयोग से, आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग करीब 2 लाख वृद्ध पेंशभोगियों को अपना मासिक पेंशन लेने में और 60 शिविरों में रह रहे 0.13 लाख श्रीलंकाई शरणार्थियों को अपना मासिक अनुदान लेने में समर्थ बना रहा है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक पीएमजेडीवाई को सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू कर रहा है। योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक 30,46,389 बीएसबीडी खाते खोले हैं और 29,73,230 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक ने किसानों, स्वयं सेवी समूहों के सदस्यों, एसजीएसवाई के लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजग़ार युवाओं, कामगारों और कमजोर वर्ग से आने वाले लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी शीर्ष जिलों में आरएसईटीआई की स्थापना की है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक ने नीलगिरि जिले में आदिवासियों के लाभ के लिए एक आरएसईटीआई की स्थापना की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने इन आरएसईटीआई के जरिए 958 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनसे 24,608 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) जैसे, स्नेहा:

22 केंद्रों में स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (स्नेहा) के जरिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हुए बैंक ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए करीब रु.25 लाख खर्च किए हैं जिनके जरिए ग्रामीण व शहरी लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में वित्तीय साक्षरता, आमने -सामने बैठकर वित्तीय परामर्श सेवाएं और कर्ज.में डूबे व्यक्तियों को कर्ज.से जुडे. परामर्श प्रदान किए जाते हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

आइओबी- सम्पूर्ण परियोजना - समग्र ग्राम विकास परियोजना

आइओबी सम्पूर्ण एक नवोन्मेषी ग्रामीण विकास परियोजना है जिसका लक्ष्य गांव में उपलब्ध विभिन्न जीविकोपार्जन पहलों को मिलाकर, ग्रामीण जनसंख्या को समावेषी संवृद्धि सुनिश्चित करते हुए समग्र ग्राम विकास है।

ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन में बताया गया है, बैंक ने ग्राम स्वरोजग़ार के लिए न्यास (टीवीएसजी) को कुतमबाक्कम गांव में मॉड्यूलर कन्क्रीट सामग्री उत्पादन मय प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए रु. 2 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की है। तैयार की गई सामग्रियों का उपयोग गांव के करीब 1000 परिवारों के लिए शौचालय बनाने के काम में किया जाएगा।

- **शक्ति - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट**

न्यास ने, जिसकी स्थापना बैंक के संस्थापक श्री एम. सीटी. एम. चेट्टियार की याद को चिरंजीवी बनाए रखने के लिए बैंक के प्रबन्धन,इण्डियन ओवरसीज. बैंक अधिकारी संघ एवं अखिल भारतीय ओवरसीज.बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, महिलाओं को उद्यम विकास प्रशिक्षण प्रदान

- SLBC, Tamil Nadu has organized IBA's Capacity Building for BCs –First phase of the programme "Train the Trainers" programme for all RSETI Directors and FLCCC Counsellors. Tamil Nadu is the first state in the country to organize the above training programme.
- PMJDY Documents have been translated to local vernacular language and the same were circulated to member Banks /LDMs etc.,

SLBC Initiatives for Financial Inclusion

- SLBC identified 12,261 unbanked villages in Tamil Nadu and allotted to various Banks. All the villages have been provided with banking facilities under Financial Inclusion well ahead of the timeline framed by Ministry of Finance. There has been more than 100% achievement in this regard.
- More than 12.56 lakh beneficiaries are being paid pension through Smart Cards operated by Business Correspondents in the State under Tamil Nadu Government's Old Age Pension Scheme.
- 1.91 lakh fishermen are paid lean period assistance of ₹ 4000/- twice a year through electronic Bank credit in the State.
- Around 8 lakh pregnant women are being paid grant of ₹ 12,000/- every year under Dr. Muthulakshmi Maternity Benefit Scheme through electronic Bank credit in the State.
- The wages of more than 36 lakh Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) workers in the state are being routed through Bank accounts.

SLBC Initiatives on Credit Flow

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2014

- CD ratio at 121.40% stands higher among the very few states which achieved this feat.
- 104% under Annual Credit Plan 2014-15.
- 42.11% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 19.11% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- 12.94% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha. Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch net work of 270 and staff strength of 1,048. As on March 31, 2015 the RRB had business mix of ₹ 7,852 crores, CD ratio of 105.75%. Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a net work of 547 branches and staff strength of 2,265 members. As on March 31, 2015 the RRB has business mix of ₹ 11,938 crore with a CD ratio of 56.50%.

Financial Inclusion

Bank has introduced Smart Card Banking through Business Correspondent as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages. Smart Card Banking is now being implemented in 56 Regions by engaging 2,601 Business Correspondents. The Bank has so far issued 16,73,126 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 2,47,35,429. It is noteworthy to state that in co ordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 2 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.13 lac Sri Lankan Tamil Refugees in 60 camps to obtain their monthly dole.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank is implementing PMJDY as per the directives of Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 30,46,389 BSBD Accounts and issued 29,73,230 RuPay Debit Cards as on 31st March 2015 under this scheme.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, Govt of India, the Bank had set up RSETIs at all Lead Districts to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, the Bank has set up one RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the tribals. During the year under review, the Bank has conducted 958 training programmes benefiting 24,608 persons through these RSETIs.

Financial Literacy Centre (FLC) viz., SNEHA:

The Bank has spent around ₹ 25 lacs towards Corporate Social Responsibility by imparting Financial Literacy through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 22 centres which educate rural and urban people with regard to various financial products and services available from formal financial sector, provide face to face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals.

Corporate Social Responsibility

- **IOB-Sampoorna Project – A Total Village Development Project**

IOB Sampoorna is an innovative rural development project aimed at Total Village Development, encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population.

With a view to encourage the habit of sanitization in rural areas as envisaged under Swachh Bharat mission, the Bank has provided a grant support of ₹ 2 lacs to Trust for Village Self Governance (TVSG) for establishing the modular concrete materials production cum demonstration centre at Kuthambakkam village. The materials produced will be utilized to construct toilets for around 1000 households in the village.

- **Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust**

The Trust set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers Association and All India Overseas Bank Employees Union to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, has continued to provide Entrepreneurial Development Training to women, empower them

करना, उन्हें सामाजिक और वित्तीय रूप से सशक्त करना जारी रखा है ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें। न्यास ने अब तक विभिन्न केंद्रों पर विशेषकर महिलाओं के लिए 79 उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और दक्षता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे करीब 3,804 महिलाओं को लाभ पहुंचा है और इनमें से 1,163 महिलाएं एससी / एसटी वर्ग की हैं और 99 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। न्यास ने 2014-15 में देश के विभिन्न केंद्रों में ऐसे 8 ईडीपी आयोजित किए हैं।

मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां

भारत की सभी सामान्य बैंकिंग शाखाएं एएसएबी समर्थित शाखाएं बना दी गयी हैं ताकि वे आइपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू के लिए एएसएबी आवेदन स्वीकार कर सकें। ई-एएसएबी का उपयोग ग्राहकों द्वारा प्रभावी तरीके से जारी है। बैंक ब्रोकरों से आइपीओ / एफपीओ / राइट्स आवेदन स्वीकार करने के लिए सिंडिकेट एएसएबी बैंक के तौर पर भी कार्य कर रहा है।

बैंक इश्यू, डिबेंचर ट्रस्टी, गैर एएसएबी आवेदनों के लिए समाहर्ता बैंकर, लाभांश / ब्याज वारंट इत्यादि के लिए मर्चेंट बैंकर के तौर पर कार्य कर रहा है। बैंक एनएसडीएल का डिपॉजिट्री पार्टिसिपेन्ट भी है और 56 सेवा केंद्र शाखाओं के जरिए डिपॉजिट्री से सम्बन्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। डीमैट खातों की संख्या में सुधार के लिए बैंक सीडीएसएल का भी डीपी बन गया है और 13 सेवा केंद्रों के जरिए सेवाएं दे रहा है। स्टॉक ब्रोकरों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक की मुंबई में एक पूंजी बाजार सेवा शाखा भी है जो अपनी सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

ग्राहक सेवा

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का भी सदस्य है। बीसीएसबीआई ने विभिन्न निष्पक्ष अभ्यास संहिताओं में संशोधन किए हैं जो व्यापक रूप से बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को कवर करता है। संशोधित संहिताओं के अनुसार, "फेयर प्रैक्टिस कोड्स फॉर लेंडर्स" को शामिल किया गया है। बीसीएसबीआई द्वारा भारतीय बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, बैंक को औसत से अधिक रेटिंग दी गई है और बैंक को 26 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।

ग्राहकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में सहायता करने के साथ स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा के लिए एसपीजीआरएस नाम का (स्टैंडराइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम) वेब आधारित ऑनलाइन सिस्टम पहले ही मौजूद है। क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं सिस्टम में शिकायतें देख सकती हैं और तत्काल उनका निपटारा कर सकती हैं। 48 घंटे में ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा करने के लिए टोल मुक्त टेलीसेवा (संख्या 1800-425-4445) 24X7 के आधार पर उपलब्ध है।

शाखाओं द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने वर्ष 2014-15 के लिए ग्राहक सेवा सर्वे किया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त और निपटाई गईं ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे प्रदान किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	केंद्रीय कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालयों में
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	94	72
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	6008	2361
3.	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	5476	2267
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	532	94
	निपटान दर	91.15%	96.02%

शिकायतों के विवरण नीचे हैं:

शिकायतों की प्रकृति	संख्या	कुल शिकायतों की तुलना में प्रतिशतता
अग्रिम सम्बन्धी शिकायतें	1,137	13.58
एटीएम सम्बन्धी शिकायतें	1,895	22.64
ग्राहक सेवा सम्बन्धी शिकायतें	1,478	17.66
डीमैट सेवा सम्बन्धी शिकायतें	5	0.05
जमा सम्बन्धी शिकायतें	628	7.50
सामान्य बैंकिंग सम्बन्धी शिकायतें	1,595	19.05
सरकारी कारोबार सम्बन्धी शिकायतें	22	0.26
एनआरआई सेवा सम्बन्धी शिकायतें	10	0.12
विप्रेषणों से सम्बन्धित शिकायतें	387	4.62
इंटरनेट बैंकिंग से सम्बन्धित शिकायतें	500	5.97
क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी शिकायतें	273	3.31
पेंशन सम्बन्धी शिकायतें	439	5.24
कुल	8,369	100.00

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए और बैंक द्वारा लागू किए गए फैसलों की संख्या नीचे दी गई है:

1. वर्ष की शुरुआत में लंबित फैसलों की संख्या 0
2. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए आदेश 0
3. वर्ष के दौरान लागू किए गए गए फैसलों की संख्या 0
4. ग्राहक द्वारा अस्वीकृति की वजह से समाप्त होने वाले फैसलों की संख्या 0
5. वर्ष की समाप्ति पर लागू नहीं किए गए फैसलों की संख्या 0

चेन्नै शहर में ग्राहक सेवा के संयोजक की हैसियत से बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त हुई सभी शिकायतों का समाधान किया है।

वसूली प्रबन्धन

एनपीए खातों के अंतर्गत वसूली को सुधारने के लिए बैंक के पास 16 विशेषीकृत आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखाएं (एआरएमबी) हैं। वसूली में तेजी लाने के लिए वसूली एजेंटों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। रु.5 करोड़ और उससे ऊपर के उच्च मूल्य फिसलनों की समीक्षा मंडल द्वारा की जा रही है और मंडल द्वारा दिए गए विशेष निदेशों का पालन किया जा रहा है। रु.1 करोड़ और उससे ऊपर के शीर्ष एनपीए खातों की निगरानी नियमित आधार पर कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा की जा रही है और जहां भी आवश्यक होता है महा प्रबन्धक (विधि एवं वसूली) निजी तौर पर उधारकर्ताओं से मिलते हैं। प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक और महा प्रबन्धक (विधि एवं वसूली) समेत उच्च कार्यपालक ने उच्च मूल्य एनपीए खातों की फील्ड में कार्य करने वालों के साथ नियमित आधार पर समीक्षा की है।

रु.1 लाख से कम और रु. 1 लाख से अधिक से लेकर रु.10 लाख तक के कम मूल्य वाले सभी एनपीए खातों के लिए शाखा प्रबन्धकों को एकबारगी निपटान में सशक्त बनाने के लिए विशेष योजना का पुनर्वैधीकरण किया गया है। रु.10 लाख से कम बकाया वाले कम मूल्य एनपीए खातों से रु.425 करोड़ की राशि वसूली गई है। इनमें से, रु.1 लाख से कम बकाया वाले खातों से वसूली रु.92 करोड़ रही। रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ तक बकाया वाले खातों से रु.307 करोड़ की वसूली की गई है।

सभी पात्र खातों और बिक्री के लिए लाई गई संपत्तियों के मामले में सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। विशेषकर कम मूल्य के एनपीए खातों के लिए लोक अदालतें / वसूली शिविर आयोजित किए गए हैं। 14 और 22 फरवरी

socially and financially to meet the challenges. The Trust has so far conducted 79 Entrepreneurship Development Programmes (EDP) and skill based training programmes exclusively for women at various centers, benefitting 3,804 women out of which 1,163 women belong to SC/ST category and 99 belong to Minority Communities. The trust conducted 8 such EDPs during 2014-15 at various centres of the country.

Merchant Banking Activities

All general banking branches in India have been made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA has continued to be in usage effectively by the customers. The Bank is also acting as a Syndicate ASBA Bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers.

The Bank continues to act as Merchant Banker for issues, Debenture Trustee, Collecting Bankers to Non ASBA Applications, Paying Banker for Dividend/Interest Warrants etc. The Bank is a Depository Participant (DP) of NSDL and is extending depository related services through 56 service centre branches. In order to improve the number of demat accounts, Bank has become a DP of CDSL by offering the service through 13 service centres. In order to cater to the financial requirements of Stock Brokers, Bank has a Capital Market Services Branch at Mumbai which takes necessary steps to improve its services.

Customer Service

The Bank is a member in Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). BCSBI has revised various Fair Practice Codes which is elaborately covering all the areas of Banking. As per the revised codes, 'Fair Practice Code for Lenders' has been incorporated. As per the survey on Customer service rendered by Indian Banks by BCSBI, the Bank has been assigned above average rating and is rated fourth amongst the 26 PSBs.

A web based online system called SPGRS (Standardised Public Grievance Redressal System) assisting customers to logde complaint online with status tracking facility is already in place. The Regional offices and Branches are enabled to view the complaints in the system and resolve the same immediately. Toll Free Teleservices for Redressal of Customer Grievances (No.1800-425-4445) is provided on 24x7 basis for receiving the complaints from the customers to resolve within 48 hours.

The Bank has conducted the Customer Service Survey for the year 2014-15 to assess the level of customer service rendered by the branches.

The details of customer complaints received and redressed during the year 2014-15 are detailed below.

Sl. No.	Details	At Central Office	At Regional Offices
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	94	72
2.	No. of complaints received during the year	6008	2361
3.	No. of complaints redressed during the year	5476	2267
4.	No. of complaints pending at the end of the year	532	94
	Settlement Rate	91.15%	96.02%

Details of Complaints are given below :

Nature of Complaints	Number	% to Total Complaints
Advances related complaints	1,137	13.58
ATM related complaints	1,895	22.64
Customer service related complaints	1,478	17.66
Demat services related complaints	5	0.05
Deposit related complaints	628	7.50
General Banking complaints	1,595	19.05
Complaints related to Government business	22	0.26
Complaints related to NRI services	10	0.12
Complaints related Remittances	387	4.62
Internet banking related complaints	500	5.97
Credit card related complaints	273	3.31
Pension related complaints	439	5.24
TOTAL	8,369	100.00

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are given below:

1. No. of awards pending at the beginning of the year 0
2. No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year 0
3. No. of awards implemented during the year 0
4. No. of awards lapsed due to non acceptance by customer 0
5. No. of unimplemented awards at the end of the year 0

The Bank in the capacity as the Convener of Customer Service Centre in Chennai City has resolved all the complaints received during the year.

Recovery Management

Bank has 16 specialised Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery under NPA accounts. The services of Recovery Agents have been utilised to expedite recovery. High value Slippages of ₹ 5 crores and above are being reviewed by the Board and the specific directions given by the Board is duly carried out. Top NPA accounts of ₹ 1 Crore and above are monitored from the corporate office on a regular basis and the borrowers are personally met by the General Manager (Law & Recovery) wherever necessary. Top Executives including the Managing Director & CEO, the Executive Director and the General Manager (Law & Recovery) reviewed all high value NPA accounts on a regular basis with field functionaries.

Special schemes empowering Branch Managers to accept One Time Settlements in small value NPA accounts for all NPAs of less than ₹ 1 lakh and above ₹ 1 lakh to ₹ 10 lakhs have been revalidated. An amount of ₹ 425 crores has been recovered in small value NPA accounts with outstanding less than ₹ 10 lakhs. Out of this, recovery in accounts with outstanding less than ₹ 1 lakh was ₹ 92 crores. The recovery in accounts with outstanding of more than ₹ 10 lakhs upto 1 crore is ₹ 307 crores.

Action under SARFAESI act has been initiated in all eligible accounts and properties brought for sale. Frequent Lok Adalats/ Recovery camps have been conducted especially in respect of small value NPA accounts. In the National Lok Adalat conducted

2015 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक की सहभागिता महत्वपूर्ण रही। रु.39 करोड़ के 4,727 मामलों का निपटान किया गया। रु.5 करोड़ की राशि की वसूली यथास्थान ही कर ली गई। पिछली लोक अदालतें 6 और 23 दिसंबर 2014 को आयोजित की गई थीं जिनमें रु.344 करोड़ के 40,228 मामले लाए गए थे। इनमें से रु.58 करोड़ के 7,747 मामलों का निपटान किया गया। 5,723 खातों से यथास्थान नकद वसूलियों की प्राप्ति रु.10 करोड़ रही।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को आरसी जारी मामलों में वसूली कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित किया है। बैंक ने विभिन्न केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और उन्हें निदेश दिया गया है कि वे सभी आरसी जारी मामलों को उठाएं और प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए लाएं। बैंक विभिन्न डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों / वसूली अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए हुए है और इन आमने- सामने की चर्चा/ बातचीत से बैंक को अडच़नों की पहचान करने और वसूली में तेजी लाने में मदद मिली है।

इस वित्त वर्ष के दौरान रु.3,043 करोड़ (दावा राशि) के 524 डीआरटी मामले दाखिल किए गए हैं। रु.166 करोड़ के 197 मामलों में फैसला आ चुका है। डीआरटी के मामलों में हुई वसूली रु.119 करोड़ है। रु.7,663 करोड़ (समग्र) के 2,507 मामले लंबित हैं। बैंक डीआरटी के साथ गहनता से अनुवर्तन कर रहा है और मामलों के त्वरित निष्कर्ष तक कोशिशें कर रहा हैं। ऐसे मामलों में डीआरटी ई-नीलामी अपना रहा है जहां भी नीलामी कार्यवाही की आवश्यकता है। रु.2,150 करोड़ की कुल नकद वसूली के कॉरपोरेट लक्ष्य के मुकाबले (बट्टा खातों से और नामे नहीं किए गए ब्याज को मिलाकर वसूली) रु.2111 करोड़ हासिल किया गया। वर्ष के दौरान सिर्फ एनपीए का अपग्रेडेशन रु.1,320 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु.1,425 करोड़ था। सरफेसी कार्रवाई के सम्बन्ध में बैंक ने रु.3,685 करोड़ के 2,759 मामलों में नोटिस जारी किया है। 53 खातों में नीलामी से प्राप्त की गई राशि रु.34 करोड़ है जबकि 653 खातों में समझौतों से प्राप्त राशि रु.168 करोड़ है और 3,295 खातों से आंशिक वसूली रु.315 करोड़ हुई है।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त याचिकाओं का निस्तारण

बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना की मांग करते हुए 1,953 आवेदन प्राप्त किए। सभी आवदनों का विधिवत रूप से निर्धारित समय के भीतर उत्तर दिया गया और मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण किया गया। बैंक के पहले अपीलीय प्राधिकरण ने उन लोगों से जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे 203 प्रथम अपीलें प्राप्त की और उनका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से निस्तारण किया गया। 47 आवेदनों में दूसरी अपील माननीय केंद्रीय सूचना आयोग से की गई। सभी आवेदनों का निपटान केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा समुचित फैसले पारित करके किया गया, जिसमें बैंक के विरुद्ध कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं थी और उनका विधिवत रूप से अनुपालन किया गया।

जोखिम प्रबन्धन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक ने उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत अपेक्षाओं के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसएमएम) को अपनाया है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है। बैंक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी आरबीआई द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहा है। तरलता कवरेज अनुपात तथा निवल स्थायी फंडिंग अनुपात पर दिशार्निदेशों के सम्बन्ध में, बैंक जनवरी 2015 से भारिबैं को एलसीआर की रिपोर्टिंग कर रहा है। निवल स्थायी फंडिंग अनुपात जनवरी 2018 से प्रभावी होगा।

उधार जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया को सुदृढ.करने के उपाय के रूप में बैंक ने मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उधार जोखिम प्रबन्धन नीति और संपार्श्विक प्रबन्धन व उधार जोखिम शमन नीति तैयार की है। उधारकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रेटिंग करने के उद्देश्य के लिए जो उच्च दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है, बैंक ने विशिष्ट स्तरों पर आंतरिक उधार रेटिंग्स का वैधीकरण करने के लिए टियर प्रणाली कार्यान्वित की है, जो कि उधार विभागों में स्वतंत्र है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में, रेटिंग्स का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय में किया जाता है। कॉर्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों के ऋणों को उपलब्ध बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भारित के साथ किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने छ: देशीय बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है और बैंक ने पूँजी राहत उद्देश्य के लिए सभी इन ईसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। बैंक उच्च रेटिंग उधार खातों के लिए निम्न ब्याज दर द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करता है।

बैंक विभिन्न उद्योगों के लिए उद्योग अध्ययन करता है जहाँ भी किसी विशेष उद्योग के लिए बैंक का ऋण बैंक द्वारा निर्धारित ऋण सीमा से परे होता है। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को भी अद्यतन करने की प्रक्रिया में है साथ बेसल III फ्रेमवर्क के तहत निर्दिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रक्रिया का भी अद्यतन किया जा रहा है।

बैंक ने बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन जीएपी विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता / व्यवहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बाजार जोखिम प्रबंधन प्रकार्य व प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना दी गई है जिसके द्वारा बैंक द्वारा वहन की जाने वाली बाजार जोखिम की पहचान, परिकलन, प्रबोधन व नियंत्रण बैंक की जोखिम सहायता स्तर के अनुरूप एएलएम फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है।

बैंक ने अल्पकालिक गत्यात्मक तरलता प्रबंधन व आकस्मिक वित्त पोषण प्रायोजना की प्रणाली बनाई है । विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाएँ, कुशल आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशेष परिपक्वता अवधि बकेट्स के लिए निर्धारित की गई हैं। बैंक का लिक्विडिटी प्रोफाइल का मूल्यांकन विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के ज़रिए किया जाता है। बैंक ने लिक्विडिटी की स्थिति पर किसी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए हैं । बैंक प्रणालीबद्ध व स्थाई निधि प्रायोजना के जरिए देशी ट्रेज़री द्वारा पर्याप्त लिक्विडिटी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन दर संवेदी आस्ति व देयताओं के जीएपी विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है और इनका प्रबोधन निर्धारित विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाओं के ज़रिए किया जाता है। शेयर धारक मूल्य को अधिकतम बनाने के मद्देनज़र निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक रूप से बैंक जोखिम पर आय और आशोधित अवधि अंतराल का आंकलन करता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अलको) / बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के पालन का प्रबोधन करता है और एएलएम नीति में निहित बाजार परिस्थितियों (चालू और प्रत्याशित) के आलोक में रणनीति निर्धारित करता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनात्मक जोखिम नीति बनायी है। इसमें परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचे और विस्तृत प्रक्रिया का खाका दिया गया है। महत्वपूर्ण परिचालनात्मक हानि सहित परचालनात्मक जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग और परचालनात्मक जोखिम को कम करने या नियंत्रण व प्रबोधन, मूल्यांकन, प्रभावी पहचान द्वारा भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के लिए बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन प्रक्रियाओं को एक साथ लाना ही

on 14th and 22nd Feb 2015, Bank's participation was significant. 4,727 cases amounting to ₹ 39 crores were settled. An amount of ₹ 5 crores were recovered on the spot. The previous Lok Adalats were conducted on 6th and 23rd Dec 2014, wherein 40,228 cases amounting to ₹ 344 crores were referred. Out of which, 7,747 cases amounting to ₹ 58 crores were settled. Spot cash recoveries received in 5,723 accounts is amounting to ₹ 10 crores.

Ministry of Finance has advised the Banks to initiate recovery action in the matter of RC issued cases. The Bank has appointed Nodal Officers at various centres and they are directed to take up all RC issued cases and bring the securities for sale. Bank has been coordinating with Presiding Officers/Recovery Officers of various DRTs and these one-to-one discussions/deliberations have helped the Bank to identify the issues and speed up the recovery.

During this financial year 524 number of DRT cases have been filed amounting to ₹ 3,043crores (claim amount). 197 cases involving ₹ 166 crores have been decided. The recovery made in DRT cases is ₹ 119 cores. Cases pending are 2,507 cases amounting to ₹ 7,663 crores (cumulative). The Bank is following up with DRTs closely and trying to bring speedy conclusion to the cases. In these cases DRTs are resorting to e-auction, wherever there are auction proceedings. As against the corporate target of ₹ 2,150 crores for total cash recovery (including recovery from written off accounts and recovery of undebited interest) the achievement was ₹ 2,111 crores. The upgradation of NPAs alone during the year was ₹ 1,425 crores, as against target of ₹ 1,320 crores. In respect of SARFAESI action, the Bank has issued notices for 2,759 cases amounting to ₹ 3,685 crores. Amount Recovered through auction is ₹ 34 crores from 53 accounts whereas amount recovered through compromise is ₹ 168 crores from 653 accounts and partial recoveries were made in 3,295 accounts amounting to ₹ 315 crores.

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 1,953 applications seeking information under RTI Act during the year 2014-15. All the requests were duly replied within the specified period and disposed of based on merits. The Banks First Appellate Authority received 203 First Appeals from those who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer and the same were duly disposed as per the provisions of the Act. 47 applications resulted as Second Appeals with the Hon'ble Central Information Commission. All applications were disposed by Central Information Commission by passing appropriate decisions, without any adverse remarks against the Bank, which were duly complied with.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India guidelines, the Bank has adopted the Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank is in compliance with the regulatory requirements in this regard. The Bank is maintaining capital as per Basel III guidelines issued by RBI with effect from 1st April 2013. With regard to the guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting on LCR to RBI from Jan 2015 onwards. Net Stable Funding Ratio is effective from January 2018.

As a measure of robust credit risk management process, the Bank has formulated Credit Risk Management Policy and Collateral Management & Credit Risk Mitigation Policy duly approved by the Board. The Bank has implemented a tiered system for validation of internal credit ratings at specified levels, which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers, for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under the powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Department, Central Office. Exposures on Corporate /PSEs/Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the six domestic External Credit Rating Agencies and the Bank is using the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The Bank provides incentive by way of lower rate of interest for better rated accounts.

The Bank also conducts industry study for various industries wherever the exposure of the Bank for a particular industry is beyond a threshold limit fixed by the Bank. The Bank is also in the process of upgrading its Risk Management systems and procedure for migrating to the advanced approaches under Basel III framework.

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of Market risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The Liquidity risk is managed through gap analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis. The Market Risk management policy lays down well defined organizational structure for market risk management functions and processes whereby the market risks (carried by the Bank) are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance level.

The Bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for effective asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank ensures adequate liquidity by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The Bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value. The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy.

The Bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. It outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational

नीति का मूल उद्देश्य है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन व्यापक व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के जरिए किया जाता है। बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए दि स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच (टीएसए) की ओर अंतरण के लिए अपनी तैयारी के बारे में आरबीआई के समक्ष प्रस्तुति दी है तथा वह आरबीआई द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रणाली के साथ सरलता से क्रियाशील है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन संबंधी बोर्ड द्वारा अपनायी गई अन्य नीतियाँ हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति,(ख) फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति, (ग) अपने ग्राहक को जानें धन शोधन निवारण प्रक्रिया पर नीति दस्तावेज़ (घ) कारोबार निरन्तरता व आपदा निवारण प्रायोजना (ड़.) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग पर नीति बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम नीति।

ऋण प्रबोधन

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक फिसलनों को न्यूनतम करने और सघन प्रबोधन द्वारा फिसलनों को कम करने की कोशिशों पर ध्यान देता है। शाखाओं को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालय की वसूली टीम को सक्रिय करने की भी कोशिश करता है। बैंक कम मूल्य आस्तियों के लिए भी अधिक से अधिक तकनीक-आधारित प्रबोधन उपाय प्रदान करता रहा है। बैंक समय के भीतर खातों की 100% समीक्षा / नवीकरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रयास करता रहा है।

ऋण समीक्षा प्रणाली

बैंक खातों की ताजा स्थिति का मूल्यांकन करता है और स्वधिरोपित लक्ष्य के तौर पर सांख्यिकीय लक्ष्य तैयार करता है। बैंक ने प्रोएक्टिव अनुवर्तन के लिए व्यवस्थित सहायता उपाय प्रणालियों की शुरुआत की है। अनुपालन हेतु अंचल कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय / शाखाओं के साथ अनुवर्तन के अलावा ऋण समीक्षा प्रणाली में किए गए प्रेक्षणों को क्रेडिट वर्टिकल्स को सूचित किया जाता है।

कॉरपोरेट ऋण पुनः संरचना (सीडीआर)

आरबीआई के तत्वावधान में गठित सीडीआर प्रणाली के तहत बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रु.2851 करोड़ के जोखिम के साथ 26 खातों के लिए संदर्भ प्राप्त किए हैं। संयुक्त उधारकर्ता फोरम रूट के अंतर्गत वाले भी संदर्भों में शामिल हैं। संदर्भितों में से बहुमत नहीं मिलने, आहरण और 180 दिनों के भीतर पुनर्संरचना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से सीडीआर मंजूरी नहीं पा सकने वाले रु.927 करोड़ के समेकित जोखिम वाले 5 खाते हैं। 31 मार्च 2015 तक सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचित खातों में बैंक का जोखिम कुल 85 खातों में रु.10022 करोड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, लौह एवं इस्पात उद्योग एवं बुनियादी गतिविधियों के क्षेत्र से जुडी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) करार कार्यों में शामिल कंपनियां संदर्भित खातों का बडा हिस्सा बनाती हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने रु.286 करोड़ के त्याग के साथ 25 खातों को सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचना के लिए अनुमोदित किया है। सीडीआर पुनर्संरचना के समय रु.35 करोड़ के जोखिम के साथ तीन खातों ने अनुमान से बेहतर प्रर्दशन किया है और उन्हें दी गई रियायत वापस ले ली गई है। क्षतिपूर्ति के अधिकार का भुगतान करने के बाद रु.25 करोड़ के जोखिम वाला एक खाता निकल गया है। रु. 87 करोड़ के जोखिम वाला एक और खाता प्रबन्धन में बदलाव की वजह से सीडीआर से बाहर आ गया है।

औद्योगिक पुनर्वास

31 मार्च 2015 तक कारोबार की समाप्ति तक बीआइएफआर एवं एएआइएफआर के तहत रु.1589 करोड़ के ऋण वाले कुल 37 खाते हैं। उपर्युक्त में से, रु.435 करोड़ की समेकित रकम वाले 14 खाते मानक और बाकी के 23 खाते रु.1154 करोड़ राशि के एनपीए खाते हैं। वर्ष के दौरान 6 बीआइएफआर खातों में रु.393 करोड़ की वसूली की गई है। वर्ष के दौरान बीआइएफआर के तहत पंजीकृत रु.1179 करोड़ के ऋण वाले 16 नए खाते बी आइ एफ आर के पंजीकृत किए गए और शून्य ऋण के साथ एक खाता एसआइसीए / बीआइएफआर से बाहर निकल आए। बैंक 6 खातों के लिए परिचालन एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहा है जिनमें से 3 खातों में रु.114 करोड़ के ऋण हैं जबकि अन्य 3 खातों का ओटीएस के अंतर्गत निपटान किया गया है।

अनुपालन प्रकार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास सुनिर्दिष्ट अनुपालन नीति मौजूद है और यह नीति अनुपालन जोखिम प्रबन्धन करने तथा उसे कम करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणालियों में भी विद्यमान है। विनियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र / अनुदेश नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। हरेक शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय/ केंद्रीय कार्यालय के विभाग में एक अनुपालन अधिकारी मौजूद है, जो अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। अनुपालन स्तर की समवेत रिपोर्ट बोर्ड / बोर्ड की लेखा परीक्षा समति (एसीबी) को प्रस्तुत की जाती है। बोर्ड / एसीबी द्वारा इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले निदेशों का पालन किया जाता है। बैंक ने अपने इन्ट्रानेट पर यूटिलिटी टूल जैसे बैंकिंग रूल्स.कॉम का प्रावधान कर रखा है जिस पर एकल क्लिक मात्र से ही वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी आदि जैसे विभिन्न विनियामकों के विनियमों, दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, सीएंडडीएसी ने 406 फाइलों का निपटारा किया है जिनमें से 154 सतर्कता और 252 गैर - सतर्कता फाइलें हैं। साथ ही, उसी वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग ने 419 आरोपपत्र जारी किए हैं। 31 मार्च 2015 तक 442 मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर जांच प्रगति पर है। अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया को कार्यपालकों द्वारा निरंतर समीक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में पूरा करने की कोशिशें की जाती हैं। लंबे समय से लंबित सभी अनुशासनात्मक मामलों को (>6 महीने) जहां घरेलू जांच 30.09.2014 तक चल ही रही है, उन्हें 31 मार्च 2015 से पहले पूरा कर लिया गया है। (सिर्फ 3 मामलों को छोड़क़र जो अदालत और औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण के पास लंबित हैं।)

निरीक्षण

निरीक्षण विभाग वसूली के अनुवर्तन और आय में स्राव का पता लगाकर बैंक की टॉप लाइन आय में महत्वपूर्ण योगदान करता है। 1 अप्रैल 2013 से तमिलनाडु के 9 क्षेत्रों की शाखाओं में बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए) प्रणाली शुरू की है और 1 जुलाई 2013 से देश की सभी शाखाओं में इसे लागू कर दिया है और 2014-15 के दौरान ऑनलाइन आरबीआइए के अंतर्गत 1923 शाखाओं को कवर किया गया है। 31 मार्च 2015 तक 787 शाखाओं ने आरबीआइए के अंतर्गत ओवरऑल “लो” जोखिम रेटिंग हासिल की है।

2014-15 के दौरान 31 क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा संपन्न की गई । बैंक ने जोखिम आकलन की प्रणाली को संशोधित किया है और उसे “कॉपरेट गवर्नेन्स रिस्क रिव्यू (सीजीआरआर)” का नाम दिया है और 2015-16 के दौरान सीजीआरआर के अंतर्गत बाकी के 28 क्षेत्रों को भी कवर करने का प्रस्ताव है।

सूचना प्रणाली गत लेखापरीक्षा अपवाद रूप से वृहत् 9 शाखाओं और 16 आरसीसी/ क्षे.का. में पूरी कर ली गई। बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक के 16 महत्वपूर्ण एप्लिकेशंस के लिए आईएस लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्ताव निवेदन (आरएफपी) जारी कर दिया गया है। ऑफ साइट नियंत्रण एवं निगरानी (ओसीएएस) को 8 जुलाई 2013 से देशी की सभी शाखाओं में लागू किया गया है और 35 अलर्ट्स परिचालनीय हैं।बैंक की कुल जमाओं के 69.80% और कुल अग्रिमों के 76.04% को कवर करते हुए 613 शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली प्रभावी रूप से उपयोग में है। इसके अलावा समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत चेन्नै डेपाज़िटरी सर्विसेस ब्रांच और केन्द्रीय कार्यालय के 3 विभागों को भी कवर किया गया ।

वर्ष के दौरान 1760 शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा पूरी की गई और 613 शाखाओं में टेस्ट चेक लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई। चुनिंदा आधार पर 1185 खातों में स्टॉक की लेखा परीक्षा संपन्न की गई । 2013-14 को समाप्त वर्ष के दौरान राजस्व लेखा परीक्षा / टेस्ट चेक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा और केन्द्रीय कार्यालय के निरीक्षण द्वारा रु.28 करोड़ की पहचान की गई जिसमें से रु.25 करोड़ तत्पश्चात वसूल कर लिए गए।

risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework. The Bank has made an application to RBI for migrating to The Standardized Approach (TSA) for operational risk and is fine-tuning the system as per the suggestions given by RBI.

Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security policy (b) Forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) Business continuity and disaster recovery plan (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

Credit Monitoring

The Bank focuses on minimizing slippages and endeavor to reduce slippages by rigorous monitoring for asset quality improvement. The Bank also tries to activate the recovery team at Regional Offices by extending overall support to branches. It has been providing more tech-based monitoring tools to monitor even small value assets. The Bank has been putting forth rigorous efforts to ensure 100% review/renewal of accounts in time.

Loan Review Mechanism

The Bank evaluates the latest position of the accounts and formulates statistical projection as self imposed targets. It has introduced systematic supporting measures methods for proactive follow ups. Observations made in Loan Review Mechanism are well informed to credit verticals apart from following up with Zonal Offices/ Regional Offices/Branches for compliance.

Corporate Debt Restructuring (CDR)

Under the CDR mechanism set up under the aegis of RBI, the Bank during the financial year 2014-15 received references in 26 accounts with an exposure of ₹ 2851 Crores. The references include those under Joint Lenders Forum (JLF) route as well. Of the referrals, 5 accounts with aggregate exposure of ₹ 927 crores could not get CDR approval for want of majority, withdrawal and non finalization of restructuring scheme within 180 days. The exposure of the Bank in restructured accounts under CDR as on 31st March 2015 is ₹ 10022 crores in 85 accounts. The companies engaged in Engineering Procurement and Construction (EPC) contract works catering to infrastructure sector, iron & steel industry and Infrastructure activities form the bulk of referred accounts.

During 2014-15, the Bank has approved restructuring under CDR in 25 accounts with a sacrifice of ₹ 286 crores. Three accounts with exposure ₹ 35 crores have fared well than the estimates at the time of CDR restructuring and the concessions extended have been withdrawn. One account with exposure ₹ 25 crores has exited after paying Right of Recompense. Another account with exposure ₹ 87 crores has exited from CDR on account of change in management.

Industrial Rehabilitation

As at the close of business as on 31st March 2015, total cases under BIFR and AAIFR are 37 accounts with an exposure of ₹ 1589 crores. Of the above, 14 accounts aggregating to ₹ 435 crores are Standard and the remaining 23 accounts are NPA accounts amounting to ₹ 1154 crores. During the year, recoveries in 6 BIFR accounts amounting to ₹ 393 crores were made. 16 new accounts with an exposure of ₹ 1179 crores were registered with BIFR during the year and one account with Nil exposure came out of SICA/BIFR. Bank is acting as Operating Agency in 6 accounts with exposure of ₹ 114 crores in 3 accounts while the other 3 accounts are settled under OTS.

Compliance Function

The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance Risk and mitigating the same. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued. Each branch/Regional office/Zonal office/Central Office department has one Compliance Officer who is submitting compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Board/Audit Committee of the Board(ACB). The directions from Board/ACB are carried out. The Bank has provided a Web Portal viz., Banking Rules.com in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators like Ministry of Finance, RBI, SEBI etc., can be accessed at a single point.

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2014-15, C&DAC has disposed off 406 files with a break up of 154 Vigilance and 252 Non Vigilance Files. Also, during the same financial year the department has issued 419 charge sheets. As on 31st March 2015 in respect of 442 cases the investigation is in various stages of progress. Efforts are made to complete the disciplinary action process within the stipulated time frame, by continuous review by executives. All long outstanding vigilance disciplinary cases (>6 months) where domestic enquiry is still in progress as on 30.09.2014 have been completed before 31st March 2015. (Except 3 Cases which are pending with Court and Industrial Dispute Tribunal).

Inspection

Inspection department contributes substantially to the top line income of the Bank by detection of leakage of income and follow up in recovery. The Bank has introduced in the system Risk Based Internal Audit (RBIA) from 1st April 2013 initially in the branches of 9 regions of Tamil Nadu and extended to all the branches of the country from 1st July 2013 and 1923 branches have been covered under the online RBIA during 2014-15. Bank's 787 branches have secured overall 'LOW' risk rating under RBIA as on 31st March 2015.

Management Audit of Regional Offices of 31 Regions was conducted in 2014-15. Bank has revised the system of risk assessment in the name of "Corporate Governance Risk Review (CGRR)" and is proposing to cover all the remaining 28 Regions under CGRR during the year 2015-16.

Information System Audit was conducted in 9 Exceptionally Extra Large Branches and 16 RCCs/ROs. Request for Proposal (RFP) has been floated for conduct of IS Audit for 16 critical applications of the Bank by external Auditors. Off site Control and Surveillance System (OCAS) has been implemented in all the branches of the country from 8th July 2013 onwards and 35 alerts are running. Concurrent Audit System is effectively in use at 613 branches covering the 69.80% of total deposits and 76.04% of total advances of the Bank. In addition Chennai Depository Services branch and 3 Central Office Departments are also covered under concurrent Audit.

Revenue Audit was carried out in 1760 branches and Test Check Audit was conducted in 613 branches during the year. Stock Audit was assigned for 1185 accounts on a selective basis. Through Revenue Audit/Test Check Audit, Concurrent Audit, CO depts Inspection, an amount of around ₹ 28 crores was detected for the year ending 2013-14, out of which ₹ 25 crores was recovered subsequently.

सूचना प्रणालीगत (आइएस) लेखा परीक्षा

शाखाओं की लेखा परीक्षा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए) सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती है। आरबीआइए में सूचना प्रणालीगत लेखा परीक्षा (परिचालनात्मक जोखिम के तहत प्रौद्योगिकी जोखिम) के तहत 111 लेखा परीक्षा बिन्दु शामिल हैं । शाखा लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक इन लेखा बिन्दुओं को कवर करते हैं साथ ही वे सूचना प्रणाली लेखा डोमेन को भी कवर करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, 1923 शाखाओं को आरबीआइए के तहत कवर किया गया है। आरबीआइए लेखा परीक्षा के अलावा, 9 अपवाद स्वरूप वृहद शाखाओं और 16 आर सी सी / क्षेत्रीय कार्यालय की भी सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा आइएस लेखा परीक्षा कक्ष द्वारा की गई।

केन्द्रीय कार्यालय के 16 एप्लीकेशनों का आइ एस लेखा परीक्षा संपादित करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध किया गया है। इन विभागों में एटीएम डेबिट कार्ड परिचालन/एटीएम प्रबंधित सेवाएँ, चेन्नै स्थित डेटा केन्द्रों और हैदाराबाद स्थित आपदा प्रबंधन साइट, पेमेंट गेटवे, एएमएल कक्ष का एम लॉक सॉफ्टवेयर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीबीएस परिचालन, क्रेडिट कार्ड परिचालन, वित्तीय समावेशन, इंटरनेट बैंकिंग परिचालन, नेटवर्क सेक्यूरिटी, आरटीजीएस/नेफ़्ट परिचालन, ट्रेज़री परिचालन, ई-मेल परिचालन, नैतिक (निरीक्षण विभाग) एप्लीकेशन परिचालन, पीएडी परिचालन, प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग एप्लीकेशन को कवर किया जाएगा।

कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति (एसीई)

लेखा परीक्षा उप समिति (एएससी) का "कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति" के रूप में पुनर्नामन किया गया, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा गठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा सुधार विषयक कार्यान्वयन समिति की टिप्पणियों के अनुसार है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एसीई की 2 बैठकें आयोजित की गईं । इन एसीई बैठकों में बहुत बड़ी शाखाओं (ईएलबी), अपवादत: बहुत बड़ी शाखाओं (ईईएलबी) / विशिष्ट शाखाओं /विदेशी शाखाओं की केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्टों (कॉयर) की समीक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा, स्टॉक लेखा परीक्षा/समवर्ती लेखा परीक्षा/टेस्ट चेक लेखा परीक्षा/ राजस्व लेखा परीक्षा की समीक्षाओं को भी इन बैठकों में चर्चार्थ रखा गया । एसीई द्वारा इन समीक्षाओं में पाई गई प्रमुख खामियों तथा इनपर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को हर एक तिमाही में एसीबी के सम्मुख रखा गया ।

सतर्कता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक सतर्कता से जुड़े लंबित अनुशासनिक मामलों के निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाता रहा। वर्ष के दौरान, सतर्कता से जुडे 406 अनुशासनिक मामलों का निपटान किया गया और दण्ड प्रदान किये गये । 31 मार्च 2015 तक सतर्कता के 219 मामले लंबित हैं, जिनमें से केवल 3 मामले 24 महीने से भी ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि इन पर कोर्ट का स्थगन आदेश है । अधिकांश मामलों में जाँच-पड़ताल पूरी की जा चुकी है और प्रेज़ेन्टिंग अधिकारी/ डिफेन्स की ओर से संबंधित मामलों का सारांश प्रतीक्षित है ।

सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में धोखाधड़ियों के विवरण बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख रखे गये और प्राप्त सुझावों / टिप्पणियों पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई । आरबीआइ के मास्टर पत्र के अनुपालन में बहुत बडे मूल्य की धोखाधडियों (रु.100 लाख और उससे अधिक की रकमयुक्त) वाले मामलों को बहुत बड़े मूल्य की धोखाधडियों के प्रबोधन के लिए गठित समिति के सम्मुख रखा गया और निदेशकों की टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई तथा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को बैंक के बोर्ड के सम्मुख रखा गया। निवारक सतर्कता उपायों को सीवीओ के आवधिक दौरों/शाखा निरीक्षण के जरिए सुदृढ़ किया गया। निवारक सतर्कता को सुदृढ करने के लिए जो उपाय किये गये, उनमें से कुछ निम्नवत हैं :

- **सावधिक/आकस्मिक निरीक्षण:** केवाइसी/एएमएल दिशानिर्देशों आदि सहित प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के अनुपालन के संबंध में शाखाओं का सावधिक व आकस्मिक निरीक्षण किया गया ।
- **सावधानी पुरस्कार योजना :** यह योजना धोखाधड़ियों को रोकने / उनकी पहचान करने / उन्हें असफल बनाने में स्टाफ सदस्यों द्वारा बरती जानेवाली सावधानी के लिए उन्हें पुरस्कार व मान्यता प्रदान करने हेतु एक विशिष्ट योजना है, जिसका अनुमोदन बैंक के बोर्ड ने 20 सितंबर 2013 को किया ।
- **आइओबी विजिल :** सतर्कता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस नये त्रैमासिक गृह-न्यूज़ लेटर की जून 2013 से शुरुआत की गई है। सतर्कता जागरूकता, सफलता की कहानियाँ, सतर्कता समाचार, उच्च प्रबंधन के संदेश आदि इसके ज़रिए स्टाफ सदस्यों में परिचालित किये जाते हैं ।
- **अन्य पक्ष की हस्तियों के विरुद्ध कार्रवाई :** बैंक ने अपने इंट्रानेट पर बैन (निषिद्ध) किये गये उन अन्य पक्षों जैसे सनदी लेखाकारों, मूल्यांककों व वकीलों की सूची पहले ही डाल रखी है । अभी तक 5 पैनल वकीलों को बैंक के अनुदेशों का अनुपालन करने में असफल होने के कारण, जिनसे उधारकर्ताओं को ऐसी संपत्तियों से संबंधित जाली हक विलेख प्रस्तुत करके बैंक के साथ धोखाधड़ी करने में मदद मिली, जो संपत्तियाँ बैंक के यहाँ प्रमुख या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में पहले से ही बंधक थी, पैनल से हटा दिया गया है ।
- **क्या करें व क्या न करें विषयक हस्त पुस्तिका :** बैंक ने निवारक सतर्कता के संबंध में क्या करें और क्या न करें विषय पर एक हस्त पुस्तिका जारी की जो कि परिचालन से जुड़े सभी परिचालनात्मक स्टाफ सदस्यों के लिए निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने की दिशा में एक गाइड का काम करेगी ।
- **जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची :** धोखाधड़ियों को अंजाम देनेवाले उधारकर्ताओं की सूची बैंक की विलफ़ुल डिफ़ाल्टर्स विषयक समिति को सौंप दी गई ताकि उनके नाम जानबूझकर चूक करनेवालों की सूची में प्रकाशित किये जा सकें।
- बैंक ने ऐसे अधिकारियों की पहचान की है, जिनमें तहकीकात करने, विवरणों का आंकलन करने तथा फ़ारेनसिक आकलन करने आदि का माद्दा है और उन्हें तहकीकात /जाँच-पड़ताल व फारेंसिक लेखा परीक्षा में समुचित प्रशिक्षण दिया गया है ।
- सतर्कता जागरूकता के सृजन हेतु बैंक ने सभी अधिकारियों व अवार्ड स्टाफ सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 के दौरान विजेताओं को पुरस्कृत किया।
- बैंक ने जाँचकर्ताओं के लिए रिपोर्टिंग के प्रारूपों के साथ "जाँच विषयक हैंडबुक" का विमोचन किया है।

सतर्कता से संबंधित मामलों की देख-रेख करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और उनकी कार्यभूमिका भी स्पष्टत: परिभाषित की गई है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा शाखाओं के दौरे से जुड़ी मासिक रिपोर्ट की प्रस्तुति भी शामिल है । केंद्रीय कार्यालय में आनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए नवंबर 2014 माह के दौरान तहकीकात, जाँच कार्यवाही विषयक कार्यशाला चलायी गयी । बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, चेन्नै में 23 मार्च 2015 से 25 मार्च 2015 तक क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों (पांडियन ग्राम बैंक और ओडिशा ग्राम बैंक के पदाधिकारियों सहित) के लिए बैंक ने तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों और धोखाधड़ी पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित विभिन्न मामलों से अवगत कराया गया । अक्तूबर- नवंबर 2014 के दौरान अर्थात् 27 अक्तूबर 2014 से 1 नवंबर 2014 तक बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया ।

Information Systems (IS) Audit

Branches are audited through Risk Based Internal Audit (RBIA) software. The software has 111 Information System Audit points (Technological Risk under Operational Risk). While conducting branch audit internal auditors cover these audit points and cover the Information System Audit domain. During the financial year 1,923 branches are covered under RBIA. Apart from the RBIA audit, 9 Exceptionally Extra Large Branches and 16 RCC/RO have been subjected to Information System Audit by the IS Audit Cell.

Request for Proposal (RFP) has been floated to conduct IS Audit of 16 Central Office Applications. The audit will cover ATM/Debit Card Operations/ATM Managed Services, Data Center-Chennai & Disaster Recovery Site-Hyderabad, Payment Gateway, AMLOCK Software of AML Cell, Cheque Truncation System (CTS), Core Banking Solution, Credit Card Operations, Financial Inclusion, Internet Banking Operations, Network Security, RTGS/NEFT Operations, Treasury Operations, Email Operations, ethics (Inspection Department) application, PAD operations, Management Information System Department application.

Audit Committee of Executives (ACE)

Audit Sub Committee (ASC) was renamed as "Audit Committee of Executives", in line with the observations of the Implementation Committee on Audit Reforms in PSB, constituted by the Ministry of Finance which was approved by the Audit Committee of the Board.

During the Financial year 2014-15, 2 ACE Meetings were held. The Review of Central Office Inspection Reports (COIR) of Exceptionally Large Branches, Exceptionally Extra Large Branches /Specialised Branches/Overseas Branches including Corporate Governance Review of Regional Offices, Review of Stock Audit/Concurrent Audit/Test Check Audit/Revenue Audits were taken for discussion in the ACE Meetings. The major findings of ACE with Action Taken Report were placed before Audit Committee of the Board (ACB) once in a quarter.

Vigilance

The Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission. During the year, 406 Vigilance Disciplinary cases were disposed and penalties awarded. As on 31st March 2015, there are 219 vigilance cases pending of which only 3 cases were beyond 24 months mainly due to court stay. In most of the cases enquiries have been concluded and respective summing ups are awaited from Presenting Officer/Defence.

In compliance to the CVC guidelines, details of frauds were placed to Operational Risk Management Committee and Audit Committee of the Board and the observations/ suggestions received have been acted upon by the Bank. In compliance of RBI Master Circular, cases of Large Value Frauds (Amount involving ₹ 100 lacs and above) have been placed to the Committee for Monitoring Large Value Frauds and the observations of the Directors are acted upon and the Action Taken Report is also placed before the Bank's Board. Preventive Vigilance measures have been strengthened through periodical branch Inspection/visits by CVO. The following are some of the measures taken to strengthen preventive vigilance.

- **Periodical/Surprise Inspections:** Periodical and surprise inspections of branches are conducted on compliance of systems and procedures including KYC/AML guidelines, etc.
- **Alertness Award Scheme:** This scheme is an exclusive scheme for recognition and reward for alertness in staff members in prevention/detection/foiling of frauds which has been approved by the Bank's Board on 20th September 2013.
- **IOB Vigil:** Quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched since June 2013. Vigilance awareness, success stories, vigilance news, messages from Top Management, etc. are circulated among staff members.
- **Action against Third Party Entities:** Bank has already exhibited in intranet, the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. So far 5 Panel Advocates have been removed from the panel for their failure to comply with the Bank's instructions which enabled perpetration of fraud on the Bank by the borrowers by submitting fake title deeds relating to the properties which were mortgaged to the Bank either as prime as collateral security.
- **Hand Book on Do's and Don'ts**: Bank has released a Hand Book on Do's and Don'ts on Preventive Vigilance which will serve as a guide to all the operational staff to follow the laid down systems and procedures.
- **Willful Defaulters List:** The list of borrowers who have perpetrated frauds, has been furnished to Willful Defaulter's Committee of the Bank for the purpose of publishing their names in the Willful Defaulters List.
- Bank has identified Officers having aptitude for investigation, data analysis and forensic analysis, etc. and they are given appropriate training in investigations and forensic audit.
- To create vigilance awareness, Bank has conducted essay competition for all the officers and award staff members and awarded prizes to winners during Vigilance Awareness Week 2014.
- Bank has released a book "A Handbook on Investigations" for investigators with formats for reporting.

All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle Vigilance matters and their role functions have been well defined which includes submission of monthly report on visit to branches. A Workshop on Investigation, Enquiry Proceedings, was conducted during the month of November 2014 for Disciplinary Authorities at Central Office. An intensive three day Training Programme for all Regional Vigilance Officers (and Officials from Pandyan Grama Bank and Odisha Grama Bank) was conducted by Bank at Staff College Chennai from 23rd March 2015 to 25th March 2015. The participants were refreshed on various issues relating to Preventive Vigilance measures and post-fraud follow-up action. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October - November 2014 i.e. from 27th October 2014 to 1st November 2014 as per the Government guidelines.

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग सोल्यूशन

बैंक ने स्वविकसित कोर बैंकिंग सोल्यूशन अमल में ला रखा है जिसे क्राउन (सेन्ट्रलाइज्ड रिसोर्सेज.ओवर वाइड एरिया नेटवर्क) नाम दिया गया है और इसे आइएसओ : 9001 : 2008 प्रमाणपत्र प्राप्त है। मंत्रालय के निदेशों के अनुसार बैंक ने अपने सीबीएस को सीओटीएस सीबीएस मॉडल में परिवर्तित करने की योजना बनायी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में व्यापक तौर पर प्रयुक्त है। बैंक की सभी शाखाओं में नेफ्ट और आरटीजीएस की सुविधा मौजूद है।

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल

- **इंटरनेट बैंकिंग:** इंटरनेट बैंकिंग के ताने-बाने को बैंक ने खुद तैयार किया है जिसमें एसबी /सीडीसीसी/आरडी/ऋण खातों को भुगतान की बहुसूची और वरिष्ठ नागरिक समेत जमाओं को ऑनलाइन खोलने / बंद करने / नवीकरण करने, पीपीएफ का भुगतान, आरटीजीएस/ एनईएफटी जैसी समकालीन सेवाओं को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए समर्थ किया गया है। प्रमुख राज्यों के वैट ई-भुगतान को ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारा बैंक एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक है जो काउंटरों पर चेन्नै नगर निगम का कर स्वीकार करता है।

- **भुगतान गेटवे:** मोबाइल बिल भुगतान, बीमा प्रीमियम, अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल भुगतान इत्यादि जैसी यूटिलिटी बिलों का वीजा कार्ड द्वारा भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे को लागू किया गया है। कई संस्थानों को आइओबी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और अन्य बैंकों के वीजा कार्ड के साथ ई-भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे के अंतर्गत लाया गया है।

- **मोबाइल बैंकिंग:** विभिन्न सेवाओं की पूर्ति करने वाला नया मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन तैयार किया गया है। मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन ओटीपी (एकबारगी पिन) के जरिए दूसरे कारक से प्रामाणिकरण प्रदान करता है और स्मार्ट फोन एप्लिकेशंस और यूएसएसडी के जरिए लेन - देन किए जा सकते हैं।

- **जेननेक्स्ट:** टेकसैवी युवा पीढी की जरूरतों को पूरा करने के लिए चेन्नै, बैंगलोर और मनीपाल में शाखाएं खोली गई

- **आधार:** आधार से सम्बन्धित सरकार / एनपीसीआई की पहलों में बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है। शाखा चैनल के साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एसबी खातों के साथ आधार को जोडऩे का कार्य चालू है। आधार पेमेंट ब्रिज सॉल्यूशन और नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस प्लेटफॉर्म परिचालन में हैं। एनपीसीआई के साथ एईपीएस ब्रिज (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली) सुविधा शुरू की गई है।

- **सार्वजनिक निधि प्रबोधन प्रणाली (पीएफएमएस):** पीएफएमएस एक ऐसी परियोजना है जिसकी शुरुआत व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा प्राथमिक रूप से अंतिम लाभार्थी तक निधियों के संवितरण को ट्रैक करने के लिए की गई है। तमिलनाडु राज्य में बैंक उन 5 बैंकों में शामिल है जिनकी पहचान ई-एफएमएस (इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबन्धन प्रणाली) लेन - देन के संसाधन के लिए की गई है जिसमें हर सप्ताह तमिलनाडु सरकार द्वारा एनआरईजीए योजना भुगतान जारी किया जाता है। लेन -देनों को रोजाना आधार पर संसाधित किया जाता है और लाभार्थियों के खाते में, इंट्रा-बैंक एवं अंतर-बैंक दोनों, नामे किया जाता है।

- **एमआईएस एडीएफ**: भारिबैं के निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय डाटा संग्रह स्थापित किया गया है और भारिबैं-एडीएफ एवं आंतरिक एमआईएस (एडीएफ - 203 रिटर्न एवं आंतरिक एमआईएस- 400 रिपोर्ट) को ऑनलाइन उत्पन्न किया जा रहा है और पूरी तरह स्वचालित है।

- **कारोबार आसूचना एवं डाटा वेयरहाउसिंग:** बैंक ने कारोबारी कुशलता (बीआई) समूह की शुरुआत की है जो अंत: क्रियात्मक डैश बोर्ड्स, चेतावनी, विश्लेषण इत्यादि प्रदान करता है। अधिक मात्रा में ऐतिहासिक डाटा को जमा रखने के साथ साथ वास्तविक काल के साथ जुडऩे के लिए प्रणाली स्थापित की गई है। स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण के जरिए आवधिक ज्ञान अंतरण किया जाता है और बीआई के साथ ई-डेमो भी दिया जाता है। 12 ऐसी प्रणाली स्थापित की गई है जिनसे वर्ष से सम्बन्धित डाटा को भी जमा किया जाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में हमारा बैंक शून्य डाटा लॉस को सुनिश्चित करने के लिए 3 डाटा केंद्र स्थापित करने वाला अग्रणी बैंक है। अन्य अहम एप्लिकेशंस के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डीआर में उपलब्ध हैं। इससे सभी डाटा केंद्रों और साथ ही शाखाओं को, जहां भी वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं के जरिए संभव हुआ है, वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान की है। अत्यंत लघु शाखाओं को डब्ल्यूएएन आधारित ब्रॉडबैन्ड 3जी / डाटा कार्ड के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

आईटी संगठन ढांचा

बैंक का अपना सॉफ्टवेयर विकसित करने से कारोबार और आईटी अपेक्षाओं का सटीक मेल, लागत में कमी, दक्षता और कुशाग्रता और सबसे जरूरी विषय ज्ञान मिला है। तीन डाटा केंद्रों ने बैंक की बीसीपी-डीआर तैयारी में नई जान डाल दी है। डाटा केंद्र नेटवर्क नोड्स जो अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित हैं बीएसएनएल (प्राइमरी लिंक-सिर्फ) और एयरटेल से एमपीएलएस क्लाउड द्वारा जुडे.हैं और शाखाओं से सीधे बीएसएनएल (प्राइमरी) क्लाउड और द्वितीय लिंक के तौर पर टीसीएल / ट्यूलिप क्लाउड से जुडे.हैं। टीसीएल से द्वितीय लिंक के लिए आखिरी दूरी आरएफ / वीसैट लिंक के रूप में है। प्रतिस्पर्धा की वजह से नेटवर्क प्रचुरता के अलावा इससे आधी लागत पर दोगुना बैंडविड्थ हमें मिला है। अत्यधिक बैंडविड्थ का उपयोग विडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आईपी - वीडियो / ऑडियो टेलीफोनी के लिए किया गया है जिससे कम लागत पर पहुंच बढी है। चूंकि, आईपी टेलीफोनी 3 ओवरसीज. शाखाओं में शुरू की गई है इसलिए इससे पूर्ण लाभ मिलेगा।

प्रभावी आईटी गवर्नेंस के लिए वर्तमान आईटी सुरक्षा समिति के अलावा मंडल स्तर की आईटी रणनीति समिति और शीर्ष प्रबन्धन स्तर की आईटी संचालन समिति बनाई गई है। सूचना सुरक्षा नीति, आईटी क्रय नीति, बीसीपी / डीआर नीति जैसी नीतियाँ और मैनुअल बनाए गए हैं। सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति आइएसओ मानक पर खरी है।

लेनदेन बैंकिंग

- **एटीएम/ कैश डिस्पेंसर्स (सीडीज़)-** 31 मार्च 2015 तक बैंक में एटीएम/ कैश डिस्पेंसर्स की कुल सं 3,571 थी.। ऑनसाइट एटीएम की कुल सं 2,542 तथा ऑफ़साइट एटीएम की कुल सं. 1,029 हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने समीक्षाधीन 1,038 एटीएम/सीडीज़ प्रतिष्ठापित किए। बैंक के 789 एटीएम मेट्रो केंद्र, 864 एटीएम शहरी केंद्र, 986 एटीएम अर्द्धशहरी केंद्रो तथा 932 एटीएम ग्रामीण केंद्रो में हैं। 1029 ऑफसाइट ए टी एम के अतिरिक्त बैंक की 2542 शाखाएं ऑनसाइट ए टी एम / सीडीज़ से समर्थित हैं ।

- **डेबिट कार्ड** - बैंक के पास वर्ष के दौरान समीक्षा धीन जारी किए गए 39.11 लाख नए डेबिट कार्ड के साथ 31 मार्च 2015 तक 91.74 लाख का कार्ड बेस है। बैंक ने पी एम जे डी वाई योजना के तहत तीस लाख से अधिक रुपे कार्ड जारी किए हैं । बैंक ने ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के साथ प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड भी लांच किया है । अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं वाली इएम वी चिप डेबिट कार्ड भी शुरू की गयी है । बैंक ने जेन नेक्स्ट ग्राहकों को स्पेशल कार्ड (कनेक्ट कार्ड) जारी करता है । वीजा के तहत रुपे डेबिट कार्ड क्लासिक / गोल्ड / प्लैटिनम सिग्नेचर डेबिट कार्ड कृषि उधारकर्ताओं के लिए

Information Technology

Core Banking Solution

The Bank has implemented the Core Banking Solution developed in-house, christened 'CROWN' (Centralized Resources Over Wide-area Network) with ISO: 9001:2008 certifications. As per the directives of the Ministry, the Bank has planned to move to the COTS CBS model which is widely used by all other PSBs in India. All the branches of the Bank are enabled for NEFT and RTGS.

Alternate Delivery Channels

- **Internet Banking:** The Bank has home-grown Internet Banking suite, which has contemporary offerings like Multiple scheduling of payments to SB/CDCC/RD/ loan accounts and online opening / closure / renewal of Deposits Including Senior Citizen, payment to PPF, RTGS/NEFT have been enabled through Internet Banking. E-payment of major state VAT has been made online. The Bank is the only Nationalised Bank to collect Chennai Corporation tax across counters.
- **Payment Gateway:** Payment Gateway for payment of utility bills like mobile payment, insurance premium, other Banks' credit cards, telephone bill payments etc, using debit cards has been implemented. Many institutes have been brought under payment gateway has been brought under payment gateway with IOB debit and credit cards and other Bank VISA cards for E-payment.
- **Mobile Banking:** New Mobile Banking Solution has been enabled catering to various services. Mobile Banking solution provides second factor authentication through OTP (One Time Pin) and transactions can be done through Smart phone application and USSD.
- **GENNEXT:** Branches to cater to the needs of techsavy younger generation of customers has been opened in Chennai, Bangalore and Manipal.
- **Aadhaar:** The Bank is actively participating in the Aadhaar related initiates of the Government / NPCI. Linking of Aadhaar numbers to SB account numbers through Branch channel as well as through Internet Banking is in operation. Aadhaar Payment Bridge Solution and National Automated Clearing House platforms are in operation. Along with NPCI, AEPS Bridge (Aadhaar Enabled Payment System) facility is enabled.
- **Public Fund Monitoring System (PFMS**): PFMS is a project initiated by Department of Expenditure, Ministry of Finance, and Government of India, primarily to track the disbursement of funds to the ultimate beneficiaries. The Bank is one of the 5 Banks identified to process transactions of e-FMS (electronic Funds Management System) in the state of Tamil Nadu wherein NREGA scheme payments are released by Government of Tamil Nadu every week. Transactions are being processed on a day-to-day basis and credited to beneficiaries of both intra-bank and inter-bank.
- **MIS ADF**: As per RBI direction, Central Data Repository has been established and RBI-ADF and Internal MIS (ADF - 203 returns and Internal MIS - 400 reports) generation is online, and fully automated.
- **Business Intelligence & Data Warehousing:** The Bank has introduced Business Intelligence(BI) Suite, which gives interactive Dash Boards, alerts, analytics etc,. System is established to store huge amount of historical data as well as to connect to real time applications. Periodical Knowledge Transfer is done through training at Staff College and e-demo is also provided along with Business intelligence Data relating to 12 years have been ware-housed.

Infrastructure Space

The Bank is the pioneer in establishing 3 Data Centres which are setup to ensure Zero data loss among the Public Sector Banks. For other critical applications necessary Infrastructure is in place at DR. It has provided alternate connectivity to all Data Centres and also to the branches wherever feasible through alternate service providers. Connectivity for Ultra Small Branches is provided through a WAN based broadband 3G modem/ Data cards.

IT Organization Structure

Developing software in-house resulted in perfect alignment of business and IT aspirations, reduced cost, increased agility and nimble footedness and the all-important flavor of domain knowledge. Three Data Centers has revolutionalized the BCP-DR readiness of the Bank. The Data Centers are connected to the network nodes situated mostly at Regional Offices by means of MPLS clouds from BSNL (Primary link- except Mumbai & Delhi where MTNL is the Primary link) and Bharati Airtel and to branches directly through the BSNL (Primary) cloud and TCL/ Tulip cloud as secondary links. The last mile for secondary link from TCL is in the form of RF/VSAT links. Apart from introducing network redundancy, this has given us double-bandwidth at half the cost, because of competition. The excess bandwidth has been tapped to introduce Video Conferencing and IP – Video / Audio telephony thereby enhancing reach at reduced cost. Since, IP telephony is introduced to 3 of the overseas branches, the benefit is absolute.

For effective IT Governance, a Board level IT Strategy Committee and a Top Management level IT Steering Committee have been formed in addition to the existing IT security Committee. Policies like Information Security Policy, IT Outsourcing Policy, IT Purchase Policy, BCP/DR Policy and Manual have been put in place. The, Information System Security Policy conforms to ISO Standards.

Transaction Banking

- **ATM / Cash Dispensers (CDs):** The total number of ATMs/CDs of the Bank stood at 3,571 as on 31st March 2015. There are 2,542 onsite and 1,029 offsite ATMS. During the year under review, the Bank has installed 1,038 ATMs /CDs. The Bank's 789 ATMs are spread across Metro Centres, 864 in Urban Centres, 986 in Semi Urban Centres and 932 in Rural Centres. Bank's 2542 branches are supported with onsite ATMs / CDs apart from 1029 Offsite ATMs.
- **Debit Cards:** The Bank has a card base of 91.74 lacs as on 31st March 2015 with 39.11 lacs new debit cards issued during the year under review. The Bank has issued more than 30 lac Rupay Debit Cards under PMJDY Scheme. The Bank has also launched a Platinum RuPay Debit Card with added benefits to customers. EMV chip Debit Cards which has additional security features has also been introduced. Bank issues Special Cards (Connect Cards) to Gen Next customers, RuPay Debit

मास्टर डेबिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड तथा लघु उद्योग के ग्राहकों के लिए एसएमई डेबिट कार्ड तथा रुपे प्लैटिनम कार्ड जारी करता है ।

- **क्रेडिट कार्ड** - वर्ष के दौरान जारी किए गए 2729 कार्डस के साथ 31 मार्च 2015 तक बैंक के पास कुल 50503 क्रेडिट कार्ड्स हैं। बैंक अलग - अलग क्रेडिट सीमा के साथ क्लासिक व गोल्ड क्रेडिट कार्ड जारी करता है।
- **पेमेंट गेटवे ऑपरेशन**- बैंक में 11एग्रीगेटर्स हैं जिनमें बीएसएनएल, एलआइसी ऑफ इंडिया आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों समेत उनके बैनर के तहत लगभग 12000 सब मर्चेंट हैं । बैंक में टीएनईबी,ए एम ई टी यूनिवर्सिटी, आइ टी डी सी, आइ ओ ए सी ओ एन, लॉयला कॉलेज,एतिराज कॉलेज,मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज तथा, डॉ एम जी आर यूनिवर्सिटी व अन्ना यूनिवर्सिटी जैसे प्रत्यक्ष ग्राहक हैं ।
- **आर टी जी एस / एन ई एफ टी / इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग** - नेफ्ट वॉल्यूम व लेनदेन के मामले मे हमारा बैंक शीर्षस्थ 10 बैंकों में से एक है । वर्ष 2013-14 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण में अच्छी वृद्धि देखी गयी है ।

बैंक ने कई ग्राहकोन्मुखी सुविधाओं की शुरुआत की है जिनमें ग्राहकों द्वारा, खुद पासवर्ड सृजन की सुविधा, दैनिक निधि अंतरण को अधिकतम रु. 2 लाख तक बढ़ाना शामिल है । बैंक ने आठ संस्थाओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन शुल्क संग्रहण सुविधा की शुरुआत की है। बैंक ने रु. 50000 तथा उससे अधिक की राशि के लिए व इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ई - कामर्स लेनदेन के लिए अथेन्टिकेशन के अतिरिक्त कारक के रूप में ओटीपी शुरू की है ।

नेट बैंकिंग ग्राहक नेफ्ट व आरटीजीएस लेनदेन के जरिए इंट्रा बैंक व इंटर बैंक निधि अंतरण, ऑनलाइन के जरिए आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर,सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट भुगतान, राज्य सरकार वैट भुगतान, महाराष्ट्र जी आर ए एस, महाराष्ट्र बिक्री कर, पश्चिम बंगाल ग्रिप्स व तमिलनाडु परिवहन विभाग शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बैंक ऑनलाइन के जरिए सावधि जमाओं को खोलने / बंद करने तथा नवीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है । बैंक यूटिलिटी व बिल भुगतान, बैंक खातों के साथ आधार संख्या जोड़ने व पैन जोड़ने का विकल्प प्रदान करता है । संवर्द्धित सुरक्षा हेतु कार्पोरेट व वैयक्तिक नेट बैंकिंग ग्राहको के लिए ई टोकन / डिजीटल हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध है ।बैंक ने मोबाइल ऐप आधारित ओ टी पी सृजन की शुरूआत का प्रस्ताव रखा है जो कि अधिक सुरक्षित, कम लागत वाला है । मार्च 2015 की समाप्ति तक इलेक्ट्रानिक लेन देन बैंक की कुल लेन देन का 68.4 % रहा ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी टी एस) - देश भर के 52 क्षेत्रों की 1812 शाखाओं में सी टी एस कार्यान्वित कर लिया गया है । बैंक की योजना है कि क्लियरिंग हाउस के सी टी एस में माइग्रेट होने का निर्णय लेने पर सभी केन्द्रों में वर्ष 2015 -16 के दौरान सभी क्षेत्रों में कार्यान्वयन को पूरा कर लिया जाए।

शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों को ई उत्पादों का प्रभावी रूप से विपणन करने तथा पेपर आधारित लेन देन को कम करने के लिए आवधिक रूप से जागरुक किया जाता है । स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है । डी डी / पी ओ का अनुरोध करने वाले ग्राहकों व चेक जारी करने वालों को सूचित किया जाता है कि वे आर टी जी एस / नेफ्ट / इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करें । बैंक सभी सभी सक्रिय बचत खातों को डेबिट कार्ड जारी करता है । स्टॉफ सदस्यों को सिर्फ ई चैनलों का प्रयोग करने के लिए सूचित किया जाता है । कारोबार इंटेलिजेंस विश्लेषक विकसित किए गए हैं और उन्हें बहु विकल्पीय डिलेवरी चैनलों में शाखाओं के कार्य निष्पादन के प्रबोधन व विश्लेषण हेतु काम पर लगाया जाता है । ई पेमेंट लेन देनों को सुधारने की दिशा में रु 1 लाख तक के नेफ्ट विप्रेषण को नि:शुल्क करने की अनुमति दी जाती है ।

सरकारी लेखा विभाग

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

भारत भर में 354 शाखाओं द्वारा आय कर व अन्य प्रत्यक्ष कर का भौतिक रूप से व ऑनलाइन कर अकाउंटिंग सिस्टम (वोल्टास) के ज़रिए समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है । बैंक को प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने रु.9,806 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु.2.2 करोड़ का एजेंसी कमीशन अर्जित किया है ।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

सीबीईसी द्वारा प्राधिकृत 217 शाखाओं द्वारा उत्पाद एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम (ईज़िएस्ट) के ज़रिए अप्रत्यक्ष कर का समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है । बैंक को उत्पाद एवं सेवा कर के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है । सीमा शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी ड्रॉबैक की ई-प्रतिपूर्ति मार्च 2011 में शुरू की गई । बैंक ने रु.9,350 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु.1.70 करोड का कमीशन अर्जित किया है ।

राज्य सरकार के राजस्व का संग्रहण

बैंक तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश में इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए वाणिज्यिक कर ई-संग्रहण करता है । गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य भी बैंक संभालता है । बैंक ने राज्य सरकार राजस्व के तहत रु. 4,467 करोड़ के मूल्य के लेनदन की देखरेख की है।

पेंशन का भुगतान

केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूर संचार, राज्य सिविल, ईपीएफ़ओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नै पत्तन न्यास, चेन्नै डॉक श्रम बोर्ड, तमिलनाडु की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और मलेशिया सरकार की पेंशन से जुडे 2,89,786 पेंशनकर्ताओं की बैंक सेवा करता है । इसके अलावा ईसीएस के जरिए क्रेडिट देने का काम भी किया जाता है ।

54,240 पेशन खातों के लिए केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और दूर संचार पेंशनकर्ताओं को केन्द्रीकृत आधार पर पेंशन का संवितरण केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 2,788 करोड़ संवितरित किया है और संवितरण के 2-3 दिनो के भीतर केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम पेंशनों के लिए सिंगिल विन्डो योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। बैंक जून 2015 के अंत तक तमिलनाडु राज्य के सिविल पेंशन के केन्द्रीयकरण के लिए सक्रिय रूप से अनुवर्तन कर रहा है ।

तमिलनाडु सरकार के कोष कारोबार को भी बैंक अपनी 12 शाखाओं के जरिए संभालता है और ओडिशा सरकार के कोष कारोबार को 3 शाखाओं के जरिए तथा बैंक ने रु. 270 करोड़ की प्राप्तियों व रु. 1351 करोड़ के भुगतान की भी देखरेख की है। बैंक को केरल की एक शाखा द्वारा ट्रेजरी कारोबार की देखरेख के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और दूर संचार विभाग के खातों की भी देखरेख बैंक करता है और क्रमश: रु 454 करोड़ व रु. 142 करोड़ के भुगतानों व प्राप्तियों की भी देखरेख करता है। डाक कार्यालय समाहरण (निकासी व जमा) खाता तमिलनाडु के 59 शाखाओं में मौजूद है जहाँ रु. 68 करोड़ की प्राप्तियों व रु. 210 करोड़ के भुगतान की देख रेख की जाती है । वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, 8% टेक्सेबल बॉण्ड, लोक भविष्य निधि जैसी भारत सरकार की बचत योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय प्रतिभागिता है और बैंक इनके लिए लगभग रु.97 करोड के अंशदान का योगदान देता है ।

एनपीएस लाइट - असंगठित क्षेत्र के लिए स्वावलंबन योजना

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को भी 60 साल की उम्र से पेंशन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्वावलंबन नामक पेंशन योजना की शुरुआत की है । उक्त योजना की देखरेख करने के लिए बैंक ने एनएसडीएल के साथ एनएल-सीसी के रूप में 1200 शाखाओं को पंजीकृत किया है ।

cards, Classic/Gold/Platinum/Signature Debit cards under VISA, Master Debit Cards, Kissan Debit Cards for Agriculture Borrowers and SME Debit Cards for Small Industrial Customers and RuPay Platinum Cards.

- **Credit Cards:** The Bank has 50,503 credit cards as on 31st March 2015 with 2,729 cards issued during the year. Bank issues Classic and Gold Credit Cards with varying credit limits.
- **Payment Gateway Operations:** The Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank has direct clients like TNEB, AMET University, ITDC, IOACON, Loyola College, Ethiraj College, Madras Christian College and Dr MGR University and Anna University.
- **RTGS/NEFT/Internet Banking/Mobile Banking:** The Bank is one among the top 10 Banks in terms of NEFT volume and transactions. The internet banking registrations have shown a good growth during 2013-14.

The Bank introduced customer friendly approaches like generation of passwords by customers themselves, increasing the daily funds transfer limit to a max of ₹ 2.00 lacs were introduced. The Bank has enabled online fee collection facility in internet banking for 8 institutions. The Bank has introduced OTP as additional factor of authentication for amounts of ₹ 50,000 and above and for E-Commerce transactions through internet banking.

Net Banking Customers can initiate Intra Bank Funds Transfer and Inter Bank transfers through NEFT and RTGS transactions, payment of Income Tax, Excise Duty, Service Tax, Customs Duty, Port Trust Payment, State Governments VAT payments, Maharashtra GRAS, Maharashtra Sales Tax, West Bengal GRIPS and Tamil Nadu Transport Department Charges through online. Bank offers facility to open /close/renew Term Deposits online. Bank offers options to pay their Utility and Bills payments seed AADHAAR Number with Bank accounts and attach PAN number. E-token/Digital signature facility is available to Corporate & Individual Net Banking customers for enhanced security. The Bank has proposed to introduce Mobile App based OTP generation which is more secured and cost saving. As at the end of March 2015, electronic transactions stood at 68.4% of the total transactions of the Bank.

Cheque Truncation System (CTS): CTS has been implemented in 1,812 branches in 52 regions across the country. The Bank plans to complete the implementation in all the regions during this FY 2015-16 in all Centres as and when clearing houses takes decision to migrate to CTS.

Branches, Regional Offices are periodically sensitized to effectively market e-products and to reduce paper based transactions. Training is imparted through Staff Training Centres. Customers are requesting DDs/POs and who issue cheques are being advised to make use of RTGS/NEFT/Internet Banking. The Bank issues Debit to all active SB accounts. Staff members have been advised to use only e-channels. Business Intelligence analytics have been developed and deployed to monitor and analyse the performance of branches in multiple alternate delivery channels. With a view to improve the e-payment transactions, NEFT remittances up to ₹ 1 Lakh are allowed free of charges.

Government Accounts Department

Direct Tax Collections

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes in physical mode and through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct taxes. During the year under review, the Bank handled transactions worth ₹ 9,806 crores earning an agency commission of 2.2 crores.

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) by 217 branches authorized by CBEC. The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax. E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty drawback have started in March 2011. The Bank handled transactions amounting to ₹ 9,350 crores earning commission of ₹ 1.70 crores.

Collection of State Government revenues

The Bank handles e-collection of Commercial Taxes (VAT) through internet banking in the states of Tamil Nadu, Pondicherry, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Delhi, Gujarat, West Bengal and Maharashtra and UT. The Bank is also handling physical collections in selected locations in Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Delhi. The Bank handled transactions worth ₹ 4,467 crores under State Government revenues.

Payment of Pension

The Bank is servicing 2,89,786 pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralized basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 54,240 pension accounts. The Bank has disbursed about ₹ 2,788 crores during the year and received reimbursement under single window scheme for Central Civil, Defence, and Railway and Telecom pensions within 2-3 days from the date of disbursement. The Bank is actively pursuing for centralization of Tamil Nadu State Civil Pension by the end of June 2015.

The Bank also handles Treasury business of the Government of Tamil Nadu at 12 branches and Government of Orissa at 3 branches and handled ₹ 270 crores of receipts and ₹ 1,351 crores of payments. The Bank also received authorization for handling treasury business by one branch in Kerala. The Bank services the account of Planning Commission, National Informatics Centre and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of ₹ 454 crores and ₹ 142 crores respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 59 branches in Tamil Nadu handling ₹ 68 crores receipts and ₹ 210 crores of payments. The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond, Public Provident Fund contributing subscriptions of about ₹ 97 crores.

NPS Lite – Swavalamban Scheme for unorganized Sector

Government of India, with a view to ensure that persons who are economically and socially backward and employed in Unorganized sector also to get Income by way of pension at the age of 60 years, introduced the “Swavalamban”Pension scheme. The Bank has registered for 1,200 branches as NL-CC with NSDL to handle the above Scheme.

अंतर शाखा समंजन

अंतर शाखा समंजन का इसकी संवेदनशीलता की वज़ह से काफ़ी महत्व है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कारोबार विकास के समानांतर अंतर शाखा समंजन को प्राथमिकता देने को सूचित किया है। आरबीआइ ने अंतर शाखा प्रविष्टियों की निकासी के लिए छः महीनों का समय नियत किया है ।

भौतिक अंतर शाखा की एडवाइस को हटा दिया गया है। सिर्फ़ सिस्टम सृजित अंतर शाखा एडवाइस ज़ारी किए जाते हैं। इसकी वज़ह से कंपास के तहत बकाया प्रविष्टियाँ 3 माह से 15 दिन हो गईं। कंपास में दिनांक 31.03.2015 को कोई भी नामे प्रविष्टि और माँग ड्राफ्ट समाधान खाता नहीं है जो कि आरबीआइ की 6 महीनों के मानदंड के अंतर्गत है। निधि अंतरण के तहत कोई भी नामे प्रविष्टि 15 दिनों से अधिक के लिए बाकी नहीं है और टीटी प्रदत्त प्रतिपूर्ति खातों के अंतर्गत कोई भी प्रविष्टि 7 दिनों से अधिक पुरानी नहीं है, जो कि आरबीआइ की 6 महीनों के मानदंड के अनुरूप है।

माँग ड्राफ़्ट पैकेज को सीबीएस वातावरण में माइग्रेट कर दिया गया है। कंपास पैकेज को सीबीएस वातावरण में माइग्रेट करने के प्रयास ज़ारी हैं।

मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण

एक ग्राहकोन्मुख बैंक के रूप में आंतरिक व बाह्य मोड्स के ज़रिए बैंकिंग के मूलभूत क्षेत्रों के अलावा बैंक से जुड़े सामयिक विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस संबंध में ऋण मूल्यांकन, ऋण प्रबोधन, अनर्जक आस्ति प्रबंधन, वसूली के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन और कम्प्यूटर जागरूकता पर अधिक ध्यान दिया गया एवं इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय, प्राथमिकता उधार अपने ग्राहक को जानें/ धन शोधन निवारण, बैंकिंग कोड्स, लघु व मध्यम उद्यम/ माइक्रो फाइनेंस व ग्रामीण उधार, आइटी उत्पाद व निवारक सतर्कता के क्षेत्र में अधिकारियों व कर्मचारियों को बैंकिंग विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिए गये । इसके अतिरिक्त स्टाफ कॉलेज व विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों पर सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कार्मिक प्रभाविता व समूह निर्माण विषयक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान नेतृत्व विकास व ग्राहक संबंध प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैंक के सभी संकाय सदस्यों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें "ई-लर्निंग" पर विशेष ज़ोर दिया गया। बैंक ने भर्ती किये गये नये परिवीक्षाधीन अधिकारियों व विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन व पुष्टि-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा प्रवेश कार्यक्रम भी चलाये गए। पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु भी विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों पर पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गए।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व अवार्ड स्टाफ सदस्यों के वास्ते सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्श कार्यक्रम भी चलाया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बैंक ने अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त कार्यपालकों की सेवाएँ हासिल की ताकि बैंकिंग के विभिन्न पक्षों/क्षेत्रों में उनके अनुभव, ज्ञान और दक्षता का लाभ उठाया जा सके । कार्यपालकों/ अधिकारियों को ओवरसीज़ प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया ताकि वे बैंकिंग व प्रौद्योगिकी विषयक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकें और अन्य प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता व अनुभव बाँट सकें।

बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज, 11 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है । वर्ष के दौरान 860 कार्यक्रमों का आयोजन कर कुल 18660 स्टाफ सदस्यों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 12909 अधिकारी हैं, 4936 लिपिक हैं और 815 अधीनस्थ स्टाफ हैं । प्रशिक्षित कुल सदस्यों में से 3999 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और 1279 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । इसके अलावा बैंक ने 147 प्रतिभागियों के लिए विभिन्न शाखाओं में 14 ऑन लोकेशन कार्यक्रम भी आयोजित किये और प्रतिष्ठित बाहरी संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1403 कार्यपालकों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त 12 कार्यपालकों एवं 4 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया।

अभिप्रेरण

अनुकरणीय कार्यनिष्पादन को पुरस्कृत करने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में 12 माह के प्रबंधन विषयक कार्यपालक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए एक स्टाफ सदस्य को नामित किया गया है।

अभिप्रेरण योजना के रूप में अधिकारियों व अवार्ड स्टाफ दोनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित की गई। अभिप्रेरण को बढ़ाने की नई पहल के रूप में विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के पूर्वार्द्ध के दौरान बैंकिंग उत्पादों से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया।

मेंटरिंग कक्ष से प्रतिदिन सभी कर्मचारियों को कोट्स, लेख, कहानियाँ आदि भेजे जाते हैँ। बैंक ने बाहरी एजेंसियो के साथ मिलकर भी कार्डिओ वस्कुलर बीमारी, तनाव और हाइपरटेंशन, मधुमेह, कैंसर जागरूकता, आस्टियो आर्थराइटिस, नेत्र जागरूकता आदि जैसे विभिन्न विषयों पर चिकित्सा पेशेवरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए ।

भर्ती एवं स्टाफ संख्या

वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने 173 विशेषज्ञ अधिकारियों (99 आईटी अधिकारियों व 65 ग्रामीण विकास अधिकारियों और 9 सुरक्षा अधिकारियों) की भर्ती की है। 2,370 परिवीक्षाधीन अधिकारी और 1,716 लिपिक और 25 अधीनस्थ स्टाफ बैंक की सेवाओं में शामिल हुए हैं। बैंक ने मनीपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ गठजोड.करके भर्ती की नई पद्धति की शुरुआत की है। कुल 417 उम्मीदवारों ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मनीपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग (आइओबीएमएसबी) के बैंगलोर कैंपस से 9 महीने का प्रशिक्षण कार्याक्रम और बैंक की 273 शाखाओं में 3 महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा किया है और दिसंबर 2014 से बैंक की सेवाओं के साथ जुडे.हैं।

31 मार्च 2015 तक 16,145 अधिकारियों, 12,116 लिपिकों और 3,686 अधीनस्थ स्टाफ को मिलाकर कुल स्टाफ की संख्या 31,947 है। कुल स्टाफ की संख्या में से 6,596 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से, 2013 अनुसूचित जन जाति वर्ग से और 6813 अन्य पिछडा वर्ग से हैं। स्टाफ की संख्या में 9,570 महिला कर्मचारी, 1,043 पूर्व-सैनिक और 559 शारीरिक विकलांग सदस्य शामिल हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध

बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छा औद्योगिक सम्बन्ध माहौल बनाए रखने और उसके प्रबोधन के लिए अनुशासन लागू करने, नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में पालन की जानी वाली नीतियों के सम्बन्ध में और प्रबन्धन और संघों के साथ साथ कर्मचारियों इत्यादि के बीच होने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए समय-समय पर परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिससे औद्योगिक सम्बन्ध के अंतर्गत मामलों / विवादों में कमी आई है।

31 मार्च 2014 तक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्तियों के रिर्टन की ऑनलाइन प्रस्तुति रिकॉर्ड 99% के स्तर पर पहुंच गई है। स्टाफ सदस्यों द्वारा आईआर से सम्बन्धित धोखाधडी से जुडी शिकायतों / मामलों में दोषी सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, जहां कहीं भी जरूरी रही हो, शुरू की गई है ताकि बैंक में अनुशासनात्मक समरस औद्योगिक सम्बन्ध माहौल बनाए रखा जाए। स्टाफ सदस्यों से सम्बन्धित वित्त मंत्रालय एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों को परिपत्र जारी करके कर्मचारियों के लाभ के लिए शीघ्रता से लागू किया जाता है। संस्था के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बैंक का औद्योगिक सम्बन्ध माहौल सौहार्द्रपूर्ण और अनुकूल बना रहा है।

Inter Branch Reconciliation

Inter - branch reconciliation has assumed greater significance in view of its vulnerability. Reserve Bank of India has advised Banks to accord priority to inter-branch reconciliation at par with Business development. RBI has fixed six months time for elimination of inter-branch entries.

Physical inter branch advices have been done away with. Only system generated inter branch advises are being issued. This has brought down the outstanding entries under compass from 3 months to 15 days. There are no debit entries outstanding in COMPASS and Demand Draft Reconciliation accounts as on 31.03.2015 which is well within the RBI norms of six months. No debit entries are outstanding for more than 15 days under Funds Transfer and 7 days under TTs Paid Reimbursement Accounts as against RBI norms of six months.

The Demand Draft reconciliation package has been migrated to CBS environment. Efforts are on to migrate the compass package to CBS environment.

Human Resources Development

Training

As a customer centric Bank, training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through internal and external modes. The focus is continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Non Performance Asset Management and Recovery in addition to Risk Management and Computer awareness. Besides, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Foreign Exchange, Priority Credit, Know Your Customer/Anti Money Laundering, Banking Codes, Small & Medium Enterprises/Micro Finance & Rural Credit, IT Products & Preventive Vigilance. Further, programmes on Personnel Effectiveness and Team Building have conducted for all staff members at Staff College and various Staff Training Centers.

Training Programmes on Leadership Development and Customer Relationship Management have been conducted during the year. Faculty Development programme was conducted for all faculty members of the Bank with special emphasis on "E Learning". Induction programme for newly recruited probationary officers, specialist officers have been conducted apart from Orientation programme & pre confirmation programme for Probationary Officers. Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion have been conducted at various Staff Training Centers.

The Pre Retirement counseling programme has been conducted for Officers and Award Staff Members who retire during the year. Bank has engaged the services of retired executives on contract basis to derive the benefit of their experience, knowledge and expertise in various facets of banking. Executives/Officers have been nominated for overseas training to acquire international perspective on banking & technology and share their expertise and experience with other participants.

The internal training system comprises of One Staff College, eleven Staff Training Centers and One Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 18,660 staff comprising of 12,909 Officers, 4,936 Clerical and 815 Sub-staff by conducting 860 programmes. Of the total staff trained 3999 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1279 belonged to Scheduled Tribe (ST). Bank has conducted 14 On-location programmes across various branches for 147 participants and deputed 1,403 Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Further, 12 executives and 4 Officers have been deputed for training abroad.

Motivation

For rewarding exemplary performance, one of the staff members has been nominated for attending a 12 month Executive diploma course in Management at International Management Institute (IMI), New Delhi.

As a part of Motivation scheme, Quiz Programme for both officers and award staffs across all regions pan India was conducted. As a new initiative for increasing motivation, the Department has conducted a Quiz Programme on banking products during the first half of FY 2014 – 15.

Quotes, articles, stories, etc. are being sent daily from Mentoring Cell to all the employees. The Bank in coordination with external agencies also has conducted various health awareness sessions by medical professions on various topics such as cardiovascular diseases, Stress leading to hypertension, Diabetes, Cancer awareness, Osteoarthritis, eye awareness, etc.

Recruitment & Staff Strength

During the year 2014-15, Bank has recruited 173 Specialist Officers (99 IT Officers & 65 Rural Development Officers and 9 Security Officers). 2,370 Probationary Officers and 1,716 Clerks and 25 Subordinate staff have joined the services of the Bank. The Bank has initiated a novel recruitment methodology through tie-up with Manipal Global Education Services Pvt Ltd., Bangalore. A total of 417 candidates completed the 9 month training programme at the Indian Overseas Bank Manipal School of Banking (IOBMSB) Campus at Bangalore and 3 months internship programme across 273 Bank's branches and joined the services of the Bank in December 2014.

The Bank's staff strength has stood at 31,947 comprising 16,145 Officers, 12,116 Clerks and 3,686 Sub-staff as of 31st March, 2015. Of the total staff strength, 6,596 members belong to Scheduled Caste category, 2013 to Scheduled Tribe Category, and 6813 to Other Backward Caste Category. Staff Strength includes 9,570 Women employees, 1,043 ex-servicemen and 559 physically challenged members.

Industrial Relations

In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed in recruitment, promotion and redressal of grievance between Management and Union as well as among employees etc., which has led to reduction of cases/ disputes under Industrial Relations.

Online submission of return of movable, immovable and valuable properties by officer employees as on 31st March 2014 has reached a record of 99% submission. With regard to complaints/ matters pertaining to frauds in connection with IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain disciplined harmonious industrial relations in the Bank. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of employees. The Industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives.

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अदालती मामलों की बैंक के उच्चतम स्तर द्वारा समीक्षा की जाती है और कोशिश की जाती है कि अदालती मामलों का तेजी से निपटारा या समझौता हो जाए.ऐसे मामले जिनका निपटान नहीं हो सकता है उन्हें मजबूती से लडा जाता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीडऩ (बचाव, रोक और समाधान) अधिनियम 2013 की बात है, सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय, अंचल व क्षेत्रीय कार्यालय) ने आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। समिति की अनुसंशाओं के अनुसार, शिकायतों के निपटारे के लिए समुचित कारर्वाई की गई है।

वर्ष 2014 व 2015 के दौरान प्राप्त / निस्तारित की गई शिकायतें निम्नलिखित हैं।

31.03.2014 तक लंबित शिकायतें	2014-15 के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
2	0	2	0

सुरक्षा

अधिदेशित और अनुसंशा योग्य सुरक्षा उपायों को सही-सही और सख्ती से सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में लागू किया गया है और समय - समय पर स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर उनकी समीक्षा की जाती है और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं जिससे ग्राहकों और स्टाफ के लिए सुरक्षित बैंकिंग माहौल का निर्माण किया जा सके। सुरक्षा और अग्निशमन प्रबन्धों के लिए रक्षात्मक उपायों और स्टाफ में सुरक्षा को लेकर जागरूकता की भावना डालने पर बैंक जोर देता रहता है ताकि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैंक ने सुरक्षा को लेकर जागरूकता के सम्बन्ध में स्टाफ सदस्यों को सचेत किया है और सभी शाखाओं में सीसीटीवी और पैसिव इंफ्रा रेड (पीआईआर) सेंसर्स के साथ चोर अलार्म लगाने और संवेदनशील शाखाओं और एटीएम में महा निदेशक पुनर्स्थापन में पंजीकृत एजेंसियों / भरोसेमंद निजी सुरक्षा एजेंसियों से प्रहरी / सशस्त्र गार्ड तैनात करने को मंजूरी दी ।

राजभाषा (राजभाषा नीति)

बैंक ने वर्ष 2014-15 में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान 257 स्टाफ सदस्यों को जिनके पास हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था उन्हें आइओबी प्रवीण और बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 2,499 स्टाफ सदस्यों को वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मंडल स्तर की सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड स्थापित किया है और आइओबी ऑनलाइन पर उसे डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की है। स्टाफ सदस्यों के फायदे के लिए आइओबी ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी प्रदान की गई है। कंप्यूटर पर हिन्दी का उपयोग करने के लिए 1968 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान द्विमासिक हिन्दी पत्रिका 'वाणी' के छह अंक प्रकाशित किए गए हैं और सभी अंकों को आइओबी ऑनलाइन पर प्रदर्शित किया गया है।

राजभाषा विषयक लेखांकन व साक्ष्य समिति ने क्रमश: 8 जनवरी 2015 और 1 अप्रैल 2015 को नागपुर और दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। दोनों समितियों ने इन केंद्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन पर संतोष प्रकट किया है। राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक 23 और 24 अगस्त को आयोजित की गई ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति का जायजा लिया जा सके और क्षेत्रों में सघनता से कार्यान्वयन के लिए इनपुट प्रदान किया जा सके।

वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की गृह पत्रिकाओं के लिए अंतर-बैंक प्रतियोगिता में वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "वाणी" को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया है। राजभाषा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा किया गया है तथा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया है।

प्रायोजना, लागत एवं आर्थिक डेस्क

क्षेत्रवार पीएंडएल चाल के प्रबोधन, कॉरपोरेट स्तर की बजटिंग, प्रावधानिक दैनिक एमआईएस की शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्टिंग की दिशा में लागत व प्रायोजना कार्यप्रणाली उपयोगी परिणाम दे रहे हैं। बैंक का शीर्ष प्रबन्धन एसओआई, और समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों का सीधे प्रबोधन करता है जिसके लिए बेस वर्क जोड. - घटाव किया जाता है। बैंक ने पहले ही सभी क्षेत्रों के अनुकूल एनआईएम प्रतिशतता और आरओए प्रतिशतता के हिसाब के लिए एक मॉड्यूल तैयार कर लिया है ताकि उनके कार्य - निष्पादन का मूल्यांकन और मैक्रो स्तर पर उनके योगदान का मूल्यांकन किया जा सके। इनके अलावा, कर्मचारियों को सरकार की प्रोत्साहन योजना का आकलन दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। आर्थिक डेस्क बैंक के शीर्ष प्रबन्धन का रोजमर्रा के घटनाक्रमों में सहयोग करने के साथ सरकार / भारिबैं नीतियों का नियमित अंतराल पर आंकलन करता है।

संसदीय समितिः

निम्नलिखित समितियों के दौरे के लिए बैंक नोडल एजेंसी था:

क) 26- 28 अक्तूबर 2014 तक चेन्नै में याचिका विषयक समिति

ख) 30 अक्तूबर से 1 नवंबर 2014 तक चेन्नै में उद्योग विषयक स्थाई समिति

ग) 15 - 17 जनवरी 2015 तक चेन्नै में उद्योग विषयक स्थाई समिति

घ) 18 - 20 जनवरी 2015 तक चेन्नै में ग्रामीण विकास विषयक समिति

ड) 19 जनवरी 2015 को चेन्नै में वाणिज्य विषयक समिति

च) 27-30 जनवरी 2015 तक मदुरै में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विषयक स्थाई समिति

छ) 16 - 19 फरवरी 2015 तक चेन्नै में सरकारी आश्वासन विषयक समिति एवं

ज) 18 फरवरी 2015 को चेन्नै में अधीनस्थ विधेयक सम्बन्धी समिति।

आउटलुक 2015-16

देश में उठाए जा रहे कई कदमों की वजह से आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊंची और वृद्धिशील संवृद्धि की संभावनाएं हैं। साथ ही, वैश्विक मांग में मंदी की स्थिति के बावजूद सेवा व विनिर्माण में तेजी घरेलू मांग में मजबूती की ओर संकेत करती है। जो भी हो, देश में निर्माण एवं खनन गतिविधियों से जुडी चिंताएं बनी रह सकती हैं। खराब मॉनसून की वजह से कृषि को भी नुकसान पहुंचा है, यद्यपि इसका प्रभाव अगले वर्ष पर पडेग़ा ऐसे कोई संकेत नहीं हैं। बढी हुई आपूर्ति और कमजोर वैश्विक मांग की वजह से अल्पावधि में तेल कीमतें नीचे रहने की उम्मीद है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें घट रही हैं और कम अंतरराष्ट्रीय मांग के साथ पर्याप्त आपूर्ति की वजह से 2015 में उसके कमजोर रहने की संभावना है। उच्च ग्रामीण वेतन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊंचे स्तर और इनपुट लागत में बढोतरी जैसे कारकों की संवृद्धि में मंदी की वजह से खाद्य मुद्रास्फीति अपनी सीमा में है। ये सभी संकेत अर्थव्यवस्था को निवेश और संवृद्धि के लिए अनुकूल - "गोल्डीलॉक्स सेटिंग" की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उधार संवृद्धि 12-13% सुधार आएगा। वित्तीय कार्य निष्पादन को, सामान्य तौर पर, बल मिलने की उम्मीद है चूंकि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विकास और सुशासन का वादा किया है। अत:, हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2015-16 में जमाओं में 13% और अग्रिमों में 14% की संवृद्धि सिस्टम में दिखेगी।

Court cases are reviewed by the Bank at Apex level as per Ministry of Finance guidelines and efforts are taken to settle/ get the Court cases disposed of expeditiously. In such cases which cannot be settled the cases are contested strongly. As per the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, all Administrative offices (Central, Zonal & Regional office) have constituted internal complaints committee. As per the recommendations of the Committee, appropriate action has been taken to redress the grievance.

The following are the Complaints received / disposed during the year 2014 & 2015.

Complaints Pending as on 31.03.2014	Complaints received during 2014-15	Complaints Disposed	Complaints Pending
2	0	2	0

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, have been correctly and strictly implemented at all the branches and administrative offices are reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and staff. The Bank has continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and inculcation of security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitised staff members regarding security awareness and sanctioned installation of CCTV and Burglar Alarm incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibrations sensors in all branches and deployment of Watchmen/Armed Guards at vulnerable branches and ATMs from Director General Resettlement registered Agencies/reputed Private Security Agencies.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2014-15. During the year 257 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 2,499 Staff members possessing working knowledge of Hindi have been trained in General Hindi Workshops held during the year.

Minutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Govt. of India Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading of the same on IOB ONLINE. Banking terminology has been provided on IOB ONLINE for the benefit of staff members. Training has been given to 1968 staff members for the use of Hindi in computers. Six issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" are published during the year and all the issues have been ported on IOB ONLINE.

Drafting and evidence committee on Official Language has inspected Nagpur and Delhi Regional offices on 8th Jan 2015 and 1st April 2015 respectively. Both the committees have expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres. Annual Official Language Review Meeting for Official Language Officers has been held on 23rd and 24th August 2014 to assess the progress made in the area of Official Language implementation in Regional Offices and provided inputs for intensive implementation in all Regions.

Reserve Bank of India has awarded Third Prize for Hindi house magazine "VANI" for the year 2013-14 in the Inter-Bank Competition for Hindi House Magazines of Banks and Financial Institutions. Regional Offices have been inspected on Official Language implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields have been awarded to Regional Offices and branches for doing commendable work in official language implementation.

Planning, Costing & Economic Desk

The Costing & Planning functions continue to derive useful results towards monitoring region wise P&L movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional daily MIS to top Management & various study analysis. The top management directly monitors SOI, MOU goals of the Bank to which base work computation is carried out. The Bank has already formulated a module on computation of NIM% & ROA% suited to all the Regions so as to evaluate their performance and compare their contribution with the macro level. Apart from this, the Government's Incentive scheme to employees is assessed as per the guidelines. The economic desk supports top management the day-to-day developments apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.

Parliamentary Committee:

The Bank was the nodal agency for the visit of following committees:

A) Committee on Petitions at Chennai from 26th - 28th Oct 2014

B) Standing Committee on Industry at Chennai from 30th Oct to 1st Nov 2014

C) Standing Committee on Industry at Chennai on 15th - 17th Jan 2015

D) Committee on Rural Developments at Chennai from 18th - 20th Jan 2015

E) Committee on Commerce at Chennai on 19th Jan 2015

F) Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice at Madurai from 27th - 30th Jan 2015

G) Committee on Government Assurances at Chennai from 16th - 19th Feb 2015 and

H) Committee on Subordinate Legislation at Chennai on 18th Feb 2015.

Outlook 2015-16

With the slew of measure being taken in the country, Indian economy has prospects of high and rising growth in the years to come, along with maintaining macroeconomic stability. Also, acceleration in services and manufacturing growth in the face of subdued global demand conditions point to the strengthening of domestic demand. However, concerns surrounding the construction and mining activities in the country may still exist. Agriculture also has suffered due to poor monsoon, but there are no indications of its spill over to the next year. Oil prices are expected to remain low in short-term on account of weak global demand and increased supplies. Global commodity prices have been declining and are expected to remain weak in 2015 owing to low international demand with comfortable supply. Food inflation is well within limits owing to slowdown in the growth of driving factors such as high rural wages, higher level of minimum support prices and rise in input costs. All these signals are driving the economy to the 'Goldilocks Setting' – conducive to investment and growth. The credit growth in the India's banking sector would improve to 12-13% in 2015-16 as per the reports of some rating agencies. The financial performance, in general, would get stimulus as the Government has promised development and good governance so as to improve the economy. As such, we may expect the system to witness 13% growth in deposits and 14% growth in advances during 2015-16.

वर्ष 2014-15 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

ए. अनिवार्य अपेक्षाएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

बैंक अपना दैनंदिन कार्यकलाप कॉपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुसार संचालित करता है। बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक, निष्पक्षता व ज़वाबदेही तय की है। स्वस्थ कारोबारी व्यवहार अपनाने से अधिकतम दक्षता हासिल होती है। हम उच्च स्तरीय कारोबारी आचरण का पालन करते हैं,और आचरण संहिता रखते हैं जो उच्च प्रबंधन पर लागू है और साथ ही हम उस देश के कानून का पालन करते हैं जहाँ हमारा परिचालन मौज़ूद हैं। बैंक सदैव शेयरधारकों की समृद्धि को बढ़ाने की ओर लक्षित है और इसे सुरक्षित रखना सुनिश्चित करता है।

सभी सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं का सभी परिप्रेक्ष्यों में सख्ती से अनुपालन किया जाता है। हितधारकों को परिचालनों के संबंध में निरंतर हमारी वेबसाइट www.iob.in पर अद्यतन किया जाता है। हम सदैव सभी पहलुओं में बेहतर कारपोरेट गवर्नेंस का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

बैंक का कार्पोरेट विज़नः-

बैंक का उद्देश्य है कि वह गवर्नेंस के उच्च मानकों और आचार द्वारा निर्देशित वैश्विक पहचान / मौजूदगी के साथ कारोबार और टिकाऊ लाभप्रदता के साथ शीर्षस्थ पाँच राष्ट्रीयकृत बैंकों में बने और ; पहली पसंद वाले बैंकिंग पार्टनर "के रूप में उभरे ताकि अपने सभी हितधारकों" को मूल्य प्रदान करे ।

बैंक का कार्पोरेट मिशन

गुणवत्ता, उत्पादों के रेंज, उपयोगिता और लागत प्रभावकारिता के संदर्भ में सर्वोत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी उत्पाद प्रदान करना ।

मानव संसाधनों को प्रशिक्षण, एक्सपोज़र, मेंटरिंग और प्रोत्साहन, तथा "सॉफ्ट टच" के जरिए बेहतर करना न कि "कठोर व्यवहार" से।

गुणवत्तायुक्त बैंकरों का विकास करना, जो कि उद्योग के भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे ।

समावेशित वृद्धि और ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के जरिए देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना ।

उभरती जरूरतों की आपूर्ति के लिए नवोन्मेषी उत्पादों को शुरू करके समय समय पर सेवा सुपुर्दगी की प्रक्रिया को संगठित करना ।

यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा बैंक ग्राहकोन्मुखी है, ग्राहकों की समस्याओं का तत्परता से समाधान के लिए सर्जनात्मक समस्या समाधान कौशल वातावरण तैयार करना।

उभरती अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अनुपालन की नीतिगत और नियम चालित संस्कृति पर जोर देना ।

उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सी आर एम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) और हासिल दृष्टि का निर्माण करना ।

सभी बैंकिंग सेवाओं को "एक स्रोत " प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहे ग्राहक कहीं भी हो ।

"बैंक के अंदर बैंक " की अवधारणा के विकास के जरिए भविष्य की वृद्धि करने के लिए बहुआनुशासनिक विधि को अपनाना ।

2. निदेशक मंडल

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2015 तक 12 निदेशक हैं, जिनमें तीन पूर्ण कालिक निदेशक हैं व नौ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

बी. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समाप्ति
01	डॉ. एम.नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	1.11.2010	31.07.2014 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
02	श्री आर. कोटीस्वरन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्णकालिक	31.12.2014	
03	श्री ए डी एम चावली	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	28.12.2011	31.10.2014 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
04	श्री अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	27.09.2013	
05	श्री पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2015	
06	डॉ. आलोक पाण्डे	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यपालक	22.07.2011	
07	श्री निर्मल चंद	आरबीआई नामिती निदेशक	आधिकारिक, गैर कार्यपालक	13.03.2014	
08	श्री आर. संपत कुमार	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	24.01.2014	
09	डॉ. जे.डी.शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	02.05.2013	
10	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सनदी लेखाकार निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	01.11.2011	31.10.2014 को 3 वर्ष की अवधि समाप्त
		शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	
11	श्री चिन्नैय्या	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	13.11.2013	
12	श्रीमती एस. सुजाता	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	05.12.2013	
13	श्री ए.बी.डी. बादुशास	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	12.12.2013	

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2014-15

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. Bank's Philosophy on Code of Governance:

Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for more transparency and set very high standards, fairness and accountability for performance at various layers of authorities. The adoption of sound business practices ensures optimum efficiency. We maintain high level of business ethics and establish code of conduct applicable to top management strictly adhering to Laws of Land and where our operation extends to. The Bank always aims to maximise shareholders wealth and ensure to protect the same.

All statutory and regulatory requirements are strictly adhered to and complied in all respects. Every step is taken at regular intervals, to update the stakeholders about the operations on continuous basis in our Web site www.iob.in. We always ensure strict compliance to good Corporate Governance in all aspects.

Bank's Corporate Vision:

"To be among the top five nationalized Banks in terms of business volumes and sustained profitability with global recognition guided by high standard of governance and ethics; and emerge as the "Most Preferred Banking Partner" to unlock value to all its stakeholders."

Bank's Corporate Mission:

Deliver the best of competitive products in terms of quality, range, utility and cost effectiveness.

Optimize HR resources through training, exposure, mentoring and incentive, relying on the "soft touch" instead of the "big stick".

Develop quality Bankers who would rise to be future leaders of the industry.

Contribute to country's economic growth through dedicated efforts of inclusive growth and customer focus.

Streamline the process of service delivery from time to time to meet emerging requirements.

Nurture a climate of creative problem-solving to resolve customer's grievances with alacrity ensuring that the Bank is regarded as Customer Centric.

Emphasize a policy-oriented and rule-driven culture of compliance to meet evolving requirements.

Engineer CRM (Customer Relationship Management) and insights gained for further enhancement of products and service quality.

Expand IT infrastructure to deliver all Banking services from "one tap" irrespective of customer location.

Adopt a multi disciplinary approach to facilitate future growth through the evolution of "Banks within the Bank".

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2015 is twelve directors comprising three whole time Directors and nine non-executive Directors, which includes two directors elected by the shareholders to duly represent their interest. The Managing Director & Chief Executive Officer presides over the meetings of the Board.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2014-15:

Sl No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	Dr. M. Narendra	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	01.11.2010	Retired on superannuation on 31.07.2014
02	Shri. R.Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	31.12.2014	
03	Shri. A.D.M. Chavali	Executive Director	Executive / Whole Time	28.12.2011	Retired on superannuation on 31.10.2014
04	Shri. Atul Agarwal	Executive Director	Executive / Whole Time	27.09.2013	
05	Shri. Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2015	
06	Dr. Alok Pande	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2011	
07	Shri. Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	13.03.2014	
08	Shri. R. Sampath Kumar	Workmen Employee Director	Non Executive	24.01.2014	
09	Dr. J.D.Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	02.05.2013	
10	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	Chartered Accountant Director/Part Time Non- Official	Non Executive	01.11.2011	Completed 3 year term on 31.10.2014
		Shareholder Director	Non Executive	08.12.2014	
11	Shri. Chinnaiah	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	13.11.2013	
12	Smt. S. Sujatha	Director /Part-time Non – Official	Non Executive	05.12.2013	
13	Shri. A.B.D.Badushas	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	12.12.2013	

14	श्री अजित वसंत सरदेसाई	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	07.12.2014 को 3 वर्ष की अवधि समाप्त
15	प्रो. एस सडगोपन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	07.12.2014 को 3 वर्ष की अवधि समाप्त
16	श्री संजय रुंगटा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	

बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है। यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और प्र.नि व मु.का.नि. से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.एन. मिश्रा 31.12.2014 तक बोर्ड के सचिव रहे। वर्तमान में श्री कृष्णलाल, महा प्रबंधक बोर्ड के सचिव हैं ।

सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने के लिए बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। समीक्षा वर्ष के दौरान बोर्ड की तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के हिसाब से, वर्ष में न्यूनतम छः बार आयोजित किए जाने की अपेक्षा के प्रति 16 बैठकें हुई ।

बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस के जरिए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने 2012-13 में बोर्ड व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की। पोर्टल निदेशकों को आईपैड पर वास्तविक समय आधार पर एजेंडा पेपर्स के लिए गोपनीय ई एक्सेस प्रदान करता है। इस पहल से बैठकों के आयोजन में व्यापक परिवर्तन आया है, परिणामस्वरूप लागत, समय व संसाधन में काफी बचत होती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों पर 16 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बैठक का स्थान
1	28.04.2014	चेन्नै
2	29.04.2014	चेन्नै
3	12.06.2014	चेन्नै
4	27.06.2014 (विशेष बैठक सं. 1)	चेन्नै
05	26.07.2014	चेन्नै
06	16.08.2014	चेन्नै
07	20.09.2014	चेन्नै
08	20.10.2014	चेन्नै
09	20.10.2014 (विशेष बैठक सं. - 2)	चेन्नै
10	30.10.2014	चेन्नै
11	14.11.2014	चेन्नै
12	05.12.2014	चेन्नै
13	17.12.2014 (विशेष बैठक सं. - 3)	चेन्नै
14	05.02.2015	चेन्नै
15	28.02.2015	चेन्नै
16	24.03.2015 (विशेष बैठक सं. - 4)	चेन्नै

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई:

1) जोखिम एवं एनपीए प्रबंधन
2) मानव संसाधन एवं उत्तराधिकार योजना
3) कोर कारोबार
   - ए) शाखा परिचालन, ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग, लागत एवं उत्पादकता
   - बी) ग्राहक सेवाएँ
4) उत्पाद और बाजार, कारोबार में नवोन्मेष और ई- प्रशासन समेत रणनीतिक कारोबार योजना

- ➢ सभी बैठकें उचित कोरम के साथ तथा स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।
- ➢ मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक **27.06.2014** को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	आयोजित मंडल बैठकों की संख्या/ उपस्थिति	27.06.2014 को संपन्न पिछली एजीएम में उपस्थिति
1	डॉ एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	05/05	उपस्थित
2	श्री आर. कोटीस्वरन, प्र. नि. व मु.का.अ.	03/03	31.12.2014 को कार्यभार ग्रहण किया
3	श्री ए. डी. एम. चावली	09/10	उपस्थित
4	श्री अतुल अग्रवाल	16/16	उपस्थित
5	श्री पवन कुमार बजाज	01/01	10.03.2015 को कार्यभार ग्रहण किया
6	डॉ. आलोक पाण्डे	12/16**	उपस्थित
7	श्री निर्मल चंद	15/16	अनुपस्थित
8	श्री आर. संपत कुमार	16/16	उपस्थित
9	डॉ. जय देव शर्मा	16/16	उपस्थित
10	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में	08/10	उपस्थित
	शेयरधारक निदेशक के रूप में	04/04	08.12.2014 को शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित

14	Shri. Ajit Vasant Sardesai	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	Completed 3 year term on 07.12.2014
15	Prof. S.Sadagopan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	Completed 3 year term on 07.12.2014
16	Shri. Sanjay Rungta	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2014	

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure. It is declared that none of the directors are related to each other. The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers, and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report. Shri. S.N. Mishra, Chief General Manager is the Secretary to the Board till 31.12.2014. Shri. Krishan Lal, General Manager, is presently the Secretary to the Board.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are sent to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held **16** times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on I-Pads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

During the financial year 2014-15, the Board meetings were held 16 times on the following dates and places :

SL No.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
1	28.04.2014	Chennai
2	29.04.2014	Chennai
3	12.06.2014	Chennai
4	27.06.2014 (Special Meeting No. 1)	Chennai
05	26.07.2014	Chennai
06	16.08.2014	Chennai
07	20.09.2014	Chennai
08	20.10.2014	Chennai
09	20.10.2014 (Special Meeting No.2)	Chennai
10	30.10.2014	Chennai
11	14.11.2014	Delhi
12	05.12.2014	Chennai
13	17.12.2014 (Special Meeting No.3)	Chennai
14	05.02.2015	Chennai
15	28.02.2015	Chennai
16	24.03.2015 (Special Meeting No.4)	Chennai

As directed by Ministry of Finance, Government of India, one Special Board Meeting was held in each quarter to focus on one of the following subjects:

1) Risk and NPA Management
2) Human Resources & Succession Planning
3) Core Business –
   a) Branch operation, on-line banking, Business Process Re-engineering, costs and productivity
   b) Customer Services
4) Strategic Business Plan including products and markets, innovation in business and e-governance

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on **27.06.2014** are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 27.06.2014
1	Dr. M. Narendra, CMD	05/05	Attended
2	Shri. R Koteeswaran, MD & CEO	03/03	Joined the Bank on 31.12.2014
3	Shri. A.D.M.Chavali	09/10	Attended
4	Shri. Atul Agarwal	16/16	Attended
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	01/01	Joined the Bank on 10.03.2015
6	Dr. Alok Pande	12/16 **	Attended
7	Shri. Nirmal Chand	15/16	Not attended
8	Shri. R. Sampath Kumar	16/16	Attended
9	Dr. Jai Deo Sharma	16/16	Attended
10	Shri. Niranjan Kumar Agarwal As Chartered Accountant Director	08/10	Attended
	As Shareholder Director	04/04	Elected as Shareholder Director on 08.12.2014

11	श्री चिन्नैय्या	15/16	उपस्थित
12	श्रीमती एस. सुजाता	14/16	उपस्थित
13	श्री ए. बी. डी. बादुशास	15/16	उपस्थित
14	श्री अजित वसंत सरदेसाई	11/12	उपस्थित
15	प्रो. एस. सडगोपन	10/12	उपस्थित
16	श्री संजय रुंगटा	04/04	08.12.2014 को शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित

** डॉ. आलोक पांडे ने 30.10.2014, 17.12.2014 तथा 24.03.2015 को संपन्न बैठकों मे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया।

डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष हैं:

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड़कर)
शून्य		

ई. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं । (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (डी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है)।

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया को सहज़ बनाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड बैठक के समक्ष कार्यवृत्त सूचनार्थ भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 **मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी.बी.) :**

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- ए . बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमात्रा के अनुसार उधार प्रस्तावों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) को स्वीकृत करना
- बी. बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमात्रा के अनुसार ऋण और ब्याज समझौता/ बट्टे खाते में डालना प्रस्ताव,
- सी. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव
- डी. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के विचलन सहित
- ई. वाद/अपील दायर करना, उन पर प्रतिवाद करना इत्यादि
- एफ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना
- जी. दान
- एच. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो

मद (ए) से (जी), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विवेकाधिकारों/ ऋण अनुमोदन समितियों के अधिकारों के परे प्रस्तावों के संबंध में है, जैसा भी लागू हो।

वर्तमान में बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं। समिति वर्ष के दौरान 21 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ तथा स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
			से	तक	
1	डॉ. एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	अध्यक्ष	01.11.2010	31.07.2014	07/07
2	श्री आर. कोटीस्वरन, प्र. नि. व मु.का.अ.	समिति के अध्यक्ष	31.12.2014		04/05
3	श्री ए. डी. एम. चावली	सदस्य*	28.12.2011	31.10.2014	12/12
4	श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य**	27.09.2013		18/21
5	श्री पवन कुमार बजाज	सदस्य	10.03.2015		02/02
6	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		17/21
7	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल (सनदी लेखाकार निदेशक)	सदस्य	01.11.2011	31.10.2014	12/12
8	श्री ए. वी. सरदेसाई	सदस्य	15.06.2014	7.12.2014	09/10
9	श्री चिन्नैय्या	सदस्य	28.11.2013 09.02.2015	27.05.2014 08.08.2015	06/06
10	श्रीमती एस. सुजाता	सदस्य	15.12.2013 05.12.2014	14.06.2014 04.06.2015	11/11

11	Shri. Chinnaiah	15/16	Attended
12	Smt. S. Sujatha	14/16	Attended
13	Shri. A B D Badushas	15/16	Attended
14	Shri. Ajit Vasant Sardesai	11/12	Attended
15	Prof. S. Sadagopan	10/12	Attended
16	Shri. Sanjay Rungta	04/04	Elected as Shareholder Director on 08.12.2014

**Dr. Alok Pande attended the meeting through video conferencing on 30.10.2014, 17.12.2014 and 24.03.2015

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
NIL		

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(II) (D)of the listing agreement, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded) as per quantum fixed by the Board

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals – as per quantum fixed by the Board.

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

Presently, the Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 21 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01.04.2014 to 31.03.2015 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/ held
			From	To	
1	Dr. M.Narendra, CMD	Chairman	01.11.2010	31.07.2014	07/07
2	Shri. R. Koteeswaran MD & CEO	Chairman of the Committee	31.12.2014		04/05
3	Shri. A.D.M.Chavali	Member*	28.12.2011	31.10.2014	12/12
4	Shri. Atul Agarwal	Member**	27.09.2013		18/21
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	Member	10.03.2015		02/02
6	Shri. Nirmal Chand	Member	13.03.2014		17/21
7	Shri. Niranjan Kumar Agarwal (C.A. Director)	Member	01.11.2011	31.10.2014	12/12
8	Shri. A.V.Sardesai	Member	15.06.2014	07.12.2014	09/10
9	Shri. Chinnaiah	Member	28.11.2013 09.02.2015	27.05.2014 08.08.2015	06/06
10	Smt. S.Sujatha	Member	15.12.2013 05.12.2014	14.06.2014 04.06.2015	11/11

11	श्री ए. बी. डी. बादुशास	सदस्य	09.02.2014	08.08.2014	07/07
12	डॉ. जय देव शर्मा	सदस्य	09.08.2014	08.02.2015	11/11
13	श्री संजय रुंगटा	सदस्य	08.12.2014	07.06.2015	07/07
14	श्री आर.संपत कुमार	सदस्य	04.06.2014	03.12.2014	11/11

* डॉ. एम.नरेंद्र, की अधिवर्षिता के पश्चात पाँच बैठको (13.08.2014, 25.08.2014, 10.09.2014, 26.09.2014 तथा 14.10.2014) के लिए समिति की अध्यक्षता श्री ए. डी. एम. चावली ने की।

** श्री ए. डी. एम. चावली की अधिवर्षिता के पश्चात चार बैठकों (14.11.2014, 27.11.2014, 17.12.2014 तथा 26.12.2014) के लिए समिति की अध्यक्षता श्री अतुल अग्रवाल ने की।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं एफ सं. 13/1/2006-बीओ.आइ दिनांकित 14.01.2015 तथा अधिसूचना दिनांकित 17.12.2014 प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के संशोधन उपबंध 13 (2) के ज़रिए सूचित किया है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(जी) (सनदी लेखाकार प्रवर्ग) के तहत नियुक्त निदेशक का प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में बने रहना अपेक्षित नहीं है।

प्र. नि. व मु.का.अ.पद की व्यवहार्यता के मद्देनज़र भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 13.02.2015 तथा अधिसूचना दिनांकित 04.02.2015 प्रबंधन समिति के गठन के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के संशोधन विभिन्न उपबंधों के ज़रिए सूचित किया है कि अध्यक्ष का प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में बने रहना अपेक्षित नहीं है।

3.2 मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सी ए सी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार अधिसूचना सं एस ओ 2736 (ई) दिनांकित 5 दिसंबर 2011 के द्वारा निदेशक मंडल ने दिनांक 25.02.2012 को मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया । समिति को ऋण प्रस्तावों की मंजूरी व ऋण समझौतों / बट्टे खाते में डालने संबंधी विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं ।

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। 01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान समिति की बैठकें 13 बार आयोजित की गयीं। अवधि के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत हैं :

निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति / आयोजन
		--- से	... तक	
डॉ. एम.नरेंद्र, अ व प्र नि	अध्यक्ष	25.02.2012	31.07.2014	10/10
श्री आर.कोटीस्वरन प्र नि व मु का अ	समिति के अध्यक्ष	31.12.2014		03/03
श्री ए. डी. एम. चावली	सदस्य	25.02.2012	31.10.2014	10/10
श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013		11/13
श्री पवन कुमार बजाज	सदस्य	10.03.2015		02/02
म. प्र. - वृहद कॉर्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012		12/13
म. प्र. - मध्य कॉर्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012		12/13
म. प्र. - एम.एस.एम.ई	सदस्य	25.02.2012		13/13
म. प्र. - तुलन पत्र प्रबंधन (सी.एफ.ओ)	सदस्य	25.02.2012		11/13
म. प्र. - जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य	25.02.2012		13/13

प्र. नि. व मु.का.अ.पद के परिचालन के मद्देनज़र भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 13.02.2015 तथा अधिसूचना दिनांकित 04.02.2015 उधार अनुमोदन समिति के गठन के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के संशोधन के विभिन्न उपबंधों के ज़रिए सूचित किया है कि अध्यक्ष का प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में बने रहना अपेक्षित नहीं है तथा उधार अनुमोदन समिति की बैठकों मे प्र. नि. व मु.का.अ.तथा कार्यपालक निदेशकों में से एक भाग लेंगे ।

3.3 मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में छ: सदस्य हैं- दो कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक। भारत सरकार ने अपने परिपत्र, दिनांकित 10.06.2014 के ज़रिए सूचित किया है कि बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) व (एच) के तहत नियुक्त निदेशक, जो प्रबंधन समिति में शामिल हैं, किसी भी रूप मे लेखापरीक्षा समिति मे शामिल नही होंगे। बैंक इसका अनुपालन कर रहा है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्तव्य निम्नानुसार हैं

बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक /बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना ।

बैंक में होनेवाले आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा की समीक्षा करना- अनुवर्तन के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता की समीक्षा करना और विशिष्ट तथा बहुत बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा करना।

11	Shri. A.B.D.Badushas	Member	09.02.2014	08.08.2014	07/07
12	Dr. Jai Deo Sharma	Member	09.08.2014	08.02.2015	11/11
13	Shri. Sanjay Rungta	Member	08.12.2014	07.06.2015	07/07
14	Shri. R Sampath Kumar	Member	04.06.2014	03.12.2014	11/11

*Shri. A.D.M. Chavali was the Chairman of the Committee for 5 meetings (viz. 13.08.2014, 25.08.2014, 10.09.2014, 26.09.2014 and 14.10.2014) after the superannuation of Dr. M. Narendra.

**Shri. Atul Agarwal was the Chairman of the Committee for 4 meetings (viz., 14.11.2014, 27.11.2014, 17.12.2014 and 26.12.2014) after the superannuation of Shri. A D M Chavali.

Government of India (GOI) advised, vide their letter F.No.13/1/2006-BO.I dated 14.01.2015 and Notification dated 17.12.2014 amending clause 13(2) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 relating to the constitution of the Management Committee, that the Director appointed under Section 9(3)(g) (Chartered Accountant Category) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 shall no longer be required to be a member of the Management Committee.

In view of operationalisation of the post of Managing Director & Chief Executive Officer, GOI advised vide their letter dated 13.02.2015 and Notification dated 04.02.2015 amending various Clauses of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 relating Inter alia to the constitution of the Management Committee so as to provide that the Chairman shall no longer be a member of the Management Committee.

3.2 Credit Approval Committee of the Board (CAC)

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0. 2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off.

Presently, the Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 13 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of Meetings attended by each Committee Member during the period:

Name of Member	Position	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
Dr. M.Narendra, CMD	Chairman	25.02.2012	31.07.2014	10/10
Shri. R. Koteeswaran, MD & CEO	Chairman of the Committee	31.12.2014		03/03
Shri. A.D.M.Chavali	Member	25.02.2012	31.10.2014	10/10
Shri. Atul Agarwal	Member	27.09.2013		11/13
Shri. Pawan Kumar Bajaj	Member	10.03.2015		02/02
G.M Large Corporate Dept	Member	25.02.2012		12/13
G M Mid Corporate Dept	Member	25.02.2012		12/13
G M MSME Dept	Member	25.02.2012		13/13
G M Balance Sheet Management Dept(CFO)	Member	25.02.2012		11/13
G M Risk Management Dept	Member	25.02.2012		13/13

In view of operationalisation of the post of Managing Director & Chief Executive Officer, GOI advised vide their letter dated 13.02.2015 and Notification dated 04.02.2015 amending various Clauses of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 relating Inter alia to the constitution of the Credit Approval Committee (CAC) so as to provide that the Chairman shall no longer be a member of the CAC and the meetings of the CAC shall be attended by the Managing Director & Chief Executive Officer and one of the Executive Directors.

3.3 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of two EDs, Government director, RBI director, two non-official directors. Government of India has advised vide their letter dated 10.06.2014 that Directors appointed under Section 9 (3) (g) and (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, who are on the Management Committee shall not be on the Audit Committee in any capacity. The Bank is complying with the same.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections of RBI.

To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

➢ कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना ।

➢ सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना ।

➢ भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों / चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना ।

यह समिति निम्नलिखित बातों के अनुवर्तन पर विशेष रूप से ध्यान देती है

➢ अन्तर - शाखा समंजन खाते ।

➢ अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ ।

➢ विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन।

➢ धोखाधड़ियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र ।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य /शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

➢ संदर्भाधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।

➢ किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना ।

➢ बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना ।

➢ जरूरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

➢ कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।

➢ वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं, लेखाकरण मानकों के अनुपालन सहित लेखाकरण नीतियों व व्यवहारों पर विशेष जोर देते हुए वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

➢ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना ।

➢ महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहास्पद मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।

➢ लेखा-परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा-परीक्षा के स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना ।

➢ कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के क्रम में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने विशिष्ट जोखिम स्तरों पर खातों की निम्नवत समीक्षा को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखा समिति की संभावनाओं के विस्तार का अनुमोदन किया:

ए) यथावश्यक संभाव्य एनपीए/ दबावग्रस्त मामले

बी) उच्च मूल्य के ऋण जिन्हें किसी प्रतिभूति जो भार से मुक्त नहीं है, के प्रति प्रदान किया गया है।

सी) एक बारगी निपटान के मामले जिनमें उच्च मूल्य के ऋण शामिल हों।

डी) उच्च मूल्य के खाते - खाते के प्रति प्रदत्त प्रतिभूति/ संपार्श्विक (मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त, दोनों) के मूल्य व गुणवत्ता के मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन हेतु।

वर्ष 2014-14 के दौरान समिति दिनांक 04.04.2014, 29.04.2014, 16.05.2014, 19.07.2014, 26.07.2014, 15.09.2014, 20.10.2014, 30.10.2014, 05.02.2015, 16.02.2015 तथा 28.02.2015 को 11 बार मिली।

सभी बैठकें उचित कोरम के साथ तथा स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री ए. डी. एम. चावली	सदस्य	28.12.2011	31.10.2014	08/08
2	श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013		10/11
3	श्री पवन कुमार बजाज	सदस्य	10.03.2015		--/--
4	डॉ. आलोक पाण्डे	सदस्य*	22.07.2011		10 /11
5	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		10/11
6	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में	सदस्य /समिति के अध्यक्ष 03.12.2011 से	01.11.2011	31.10.2014	07/08
	शेयरधारक निदशक के रूप में	सदस्य /समिति के अध्यक्ष	08.12.2014		03/03
7	श्री ए. वी. सरदेसाई	सदस्य **	26.10.2012	25.10.2014	07/07
8	प्रो. एस. सडगोपन	सदस्य	26.10.2014	07.12.2014	01/01
9	श्री संजय रुंगटा	सदस्य	08.12.2014		03/03

* डॉ. आलोक पांडे ने 30.10.2014 को संपन्न बैठक मे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया।

** 20.10.2014 को संपन्न बैठक के अध्यक्ष श्री ए.वी. सरदेसाई थे।

- To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas.
- To review and follow up on the report of the statutory audits, and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow-up of:

- Inter – Branch Adjustment Accounts
- Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts
- Arrears in balancing of books at various branches
- Frauds and all other major areas of house – keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

A) Potential NPA / stress cases as and when required.

B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances.

C) Cases of One time settlement involving high value loans.

D) High value accounts - to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The committee met 11 times during the year 2014-15 on 04.04.2014, 29.04.2014, 16.05.2014, 19.07.2014, 26.07.2014, 15.09.2014, 20.10.2014, 30.10.2014, 05.02.2015, 16.02.2015 and 28.02.2015.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment.

The members who held office during the period 01.04.2014 to 31.03.2015 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended /held
			From	To	
1	Shri. A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011	31.10.2014	08/08
2	Shri. Atul Agarwal	Member	27.09.2013		10/11
3	Shri. Pawan Kumar Bajaj	Member	10.03.2015		--/--
4	Dr. Alok Pande	Member*	22.07.2011		10 /11
5	Shri. Nirmal Chand	Member	13.03.2014		10/11
6	Shri. Niranjan Kumar Agarwal As CA Director	Member/ Chairman of the Committee w.e.f.03.12.2011	01.11.2011	31.10.2014	07/08
	As Shareholder Director	Member/ Chairman of the Committee	08.12.2014		03/03
7	Shri. A.V. Sardesai	Member**	26.10.2012	25.10.2014	07/07
8	Prof S.Sadagopan	Member	26.10.2014	07.12.2014	01/01
9	Shri. Sanjay Rungta	Member	08.12.2014		03/03

* Dr. Alok Pande attended the meeting on 30.10.2014 through videoconferencing.

**Shri. A V Sardesai was chairman of the meeting held on 20.10.2014.

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

इस समिति की बैठकों के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि व मु.का.अ. हैं। समिति 01.04.2014 से 31.3.2015 के बीच 5 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्योरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010	31.07.2014	01/01
2	श्री आर. कोटीस्वरन	31.12.2014		02/02
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011	31.10.2014	02/02
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		04/05
5	श्री पवन कुमार बजाज	10.03.2015		01/01
6	श्री ए. वी. सरदेसाई	21.12.2011	07.12.2014	03/03
7	प्रो. एस. सडगोपन	21.12.2011	07.12.2014	03/03
8	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014		02/02**
9	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014		02/02

** श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 14.03.2015 को संपन्न बैठक मे वीडियो कान्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.5 बड़ी मूल्यवाली धोखाधड़ियों के प्रबोधन के लिए समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि. व मु.का.अ. हैं। समिति 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से तक		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
1	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010	31.07.2014	03/03
2	श्री आर. कोटीस्वरन	31.12.2014		01/01
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011	31.10.2014	03/04
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		04/05
5	श्री पवन कुमार बजाज	10.03.2015		01/01
6	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		04/05 **
7	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में	03.12.2011	31.10.2014	04/04
	शेयरधारक निदशक के रूप में	08.12.2014		01/01
8	श्री अजित वसंत सरदेसाई	26.10.2012	07.12.2014	04/04
9	श्री ए.बी.डी. बादुशास	05.02.2015		01/01

** डॉ. आलोक पांडे ने 24.03.2015 को संपन्न बैठक मे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.6 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि. व मु.का.अ. हैं। 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010	31.07.2014	01/01
2	श्री. आर. कोटीस्वरन	31.12.2014		01/01
3	श्री. ए. डी. एम चावली	28.12.2011	31.10.2014	00/01
4	श्री. अतुल अग्रवाल	27.09.2013		03/03
5	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		00/03
6	डॉ. जे. डी. शर्मा	02.05.2013		03/03
7	श्री. निरंजन कुमार अग्रवाल	26.10.2012	31.10.2014	01/01
8	श्री. आर.संपत कुमार	24.01.2014		03/03
9	श्री. चिन्नैया	05.12.2014		01/02

3.4 Risk Management Committee:

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Dr.M.Narendra	01.11.2010	31.07.2014	01/01
2	Shri. R Koteeswaran	31.12.2014		02/02
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011	31.10.2014	02/02
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		04/05
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	10.03.2015		01/01
6	Shri. A.V.Sardesai	21.12.2011	07.12.2014	03/03
7	Prof.S.Sadagopan	21.12.2011	07.12.2014	03/03
8	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014		02/02**
9	Shri. Sanjay Rungta	08.12.2014		02/02

** Shri. Niranjan Kumar Agarwal attended the meeting on 14.03.2015 through video conferencing.

3.5 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No	Name of the Directors	From	To	Number of Meetings Attended/ held
1.	Dr. M.Narendra	01.11.2010	31.07.2014	03/03
2	Shri. R Koteeswaran	31.12.2014		01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011	31.10.2014	03/04
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		04/05
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	10.03.2015		01/01
6	Dr.Alok Pande	22.07.2011		04/05 **
7	Shri. Niranjan Kumar Agarwal as CA Director	03.12.2011	31.10.2014	04/04
	As Shareholder Director	08.12.2014		01/01
8	Shri. Ajit Vasant Sardesai	26.10.2012	07.12.2014	04/04
9	Shri. A.B.D.Badushas	05.02.2015		01/01

** Dr. Alok Pande attended the meeting on 24.03.2015 through video conferencing.

3.6 Customer Service Committee:

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 3 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/ held
		From	To	
1	Dr. M.Narendra	01.11.2010	31.07.2014	01/01
2	Shri. R Koteeswaran	31.12.2014		01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011	31.10.2014	00/01
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		03/03
5	Dr.Alok Pande	22.07.2011		00/03
6	Dr. J.D.Sharma	02.05.2013		03/03
7	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	26.10.2012	31.10.2014	01/01
8	Shri. R. Sampath Kumar	24.01.2014		03/03
9	Shri. Chinnaiah	05.12.2014		01/02

3.7 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि. व मु.का.अ. है। 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान समिति 2 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	डॉ. एम.नरेंद्र	01.11.2010	31.07.2014	01/01
2	श्री आर. कोटीस्वरन	31.12.2014		01/01
3	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011	31.10.2014	00/01
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		02/02
5	श्री पवन कुमार बजाज	10.03.2015		01/01
6	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		00/02
7	श्री निर्मल चंद	13.03.2014		02/02

3.8 पारिश्रमिक समिति :

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.12/1/2013-बीओए दिनांकित 28.11.2013 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति -गठित की गई है।

1.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान दो बार मिलने वाली समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

1. डॉ.आलोक पाण्डे
2. श्री निर्मल चंद
3. श्री अजित वसंत सरदेसाई
4. प्रो. एस. सडगोपन

समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

3.9 नामांकन समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांकित 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय "योग्य तथा उचित" हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मांनदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) - वर्तमान तथा भविष्य दोनों में भी लागू किया जाए।

समिति का गठन 28.04.2014 को किया गया। 01.04.2014 से 31.03.2014 के दौरान समिति दो बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	डॉ. आलोक पाण्डे	28.04.2014		2/2
2	श्री एन.के. अग्रवाल	28.04.2014	31.10.2014	1/1
3	श्रीमती एस.सुजाता	28.04.2014		2/2
4	श्री चिन्नैया	01.11.2014		1/1

समिति 26.11.2014 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में शेयरधारकों के चुनाव हेतु नामांकन दर्ज़ करने वाले उम्मीदवारों की "योग्य व समुचित" स्थिति के निर्धारण में समुचित सावधानी बरतने हेतु 14.11.2014 को मिली।

3.10 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि. व मु.का.अ. है। 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान समिति की बैठक दो बार आयोजित की गयी। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1.	श्री आर. कोटीस्वरन	05.02.2015		01/01
2	श्री ए. डी. एम. चावली	28.12.2011	31.10.2014	01/01
3	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		02/02
4	श्री पवन कुमार बजाज	10.03.2015		01/01
5	डॉ. आलोक पाण्डे	28.01.2012		01/02
6	प्रो. एस सडगोपन	28.01.2012	07.12.2014	01/01
7	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014		01/01

3.7 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 2 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No	Name of the Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/ held
		From	To	
1	Dr. M. Narendra	01.11.2010	31.07.2014	01/01
2	Shri. R. Koteeswaran	31.12.2014		01/01
3	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011	31.10.2014	00/01
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		02/02
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	10.03.2015		01/01
6	Dr. Alok Pande	22.07.2011		00/02
7	Shri. Nirmal Chand	13.03.2014		02/02

3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 12/1/2013 – BOA dated 28.11.2013.

The Committee comprising the following members met 2 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015:

1. Dr. Alok Pande
2. Shri. Nirmal Chand
3. Shri. Ajit Vasant Sardesai
4. Prof. S. Sadagopan

All members of the Committee have attended the meetings.

3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The Committee was constituted on 28.04.2014. The Committee met 2 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. The number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	To	
1	Dr. Alok Pande	28.04.2014		2/2
2	Shri. N.K. Agarwal	28.04.2014	31.10.2014	1/1
3	Smt. S. Sujatha	28.04.2014		2/2
4	Shri. Chinnaiah	01.11.2014		1/1

The Committee met on 14.11.2014 to undertake the process of due diligence to determine the "fit and proper" status of the candidates who filed their nominations for election of shareholder directors at the EGM convened on 26.11.2014.

3.10 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 2 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	To	
1	Shri. R. Koteeswaran	05.02.2015		01/01
2	Shri. A.D.M. Chavali	28.12.2011	31.10.2014	01/01
3	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		02/02
4	Shri. Pawan Kumar Bajaj	10.03.2015		01/01
5	Dr.Alok Pande	28.01.2012		01/02
6	Prof. S. Sadagopan	28.01.2012	07.12.2014	01/01
7	Shri. Sanjay Rungta	08.12.2014		01/01

3.11 मानव संसाधन पर मंडल स्तरीय स्टियरिंग समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि. व मु.का.अ. है। 01.04.2014 तथा 31.03.2015 को समिति की बैठक दो बार आयोजित की गई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	डॉ. एम.नरेंद्र	21.12.2011	31.07.2014	01/01
2	श्री आर. कोटीस्वरन	31.12.2014		01/01
3	श्री ए. डी. एम. चावली	28.12.2011	31.10.2014	01/01
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		02/02
5	श्री पवन कुमार बजाज	10.03.2015		01/01
6	डॉ. आलोक पाण्डे	21.12.2011		01/02**
7	श्री के. आर. राममूर्ति, एचआर पेशेवर	21.12.2011		02/02
8	डॉ. टी.टी. राममोहन, एचआर पेशेवर	21.12.2011		02/02

** डॉ. आलोक पाण्डे ने 27.03.2015 को संपन्न बैठक मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

3.12 एनपीए वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के प्र.नि. व मु.का.अ. हैं। 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान समिति की बैठक 5 बार आयोजित की गई। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	डॉ. एम.नरेंद्र	08.12.2012	31.07.2014	01/01
2	श्री आर. कोटीस्वरन	31.12.2014		01/01
3	श्री ए. डी. एम. चावली	08.12.2012	31.10.2014	02/02
4	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013		05/05
5	श्री पवन कुमार बजाज	10.03.2015		--/--
6	डॉ. आलोक पाण्डे	08.12.2012		05/05
7	महाप्रबंधक (वसूली)	08.12.2012		04/05
8	महाप्रबंधक (उधार प्रबोधन)	08.12.2012		04/05
9	बैंक के वरिष्ठतम महाप्रबंधक	08.12.2012		05/05

3.13 पुनरीक्षा समिति

पुनरीक्षा समिति (असहयोगी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण विषयक उच्चतर समिति द्वारा पारित आदेशों की पुनरीक्षा हेतु) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं.सं.आरबीआई / 2014-15/362 - डीबीआर.स.सीआइडी.बी.सी. 54/20.16.064/2014-15 दिनांकित 22.12.2014 की दिशानिर्देशो के अनुपालन मे 28.02.2015 को बोर्ड के अनुमोदन से किया गया। इस समिति मे निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. - समिति के अध्यक्ष
2. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल - स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
3. श्री संजय रुंगटा - स्वतंत्र निदेशक- सदस्य

3.14 शिकायत निवारण समिति

शिकायत निवारण समिति (इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के अनुसार) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/2014-15/73-डीबीआर.स.सीआइडी.बी.सी. 57/20.16.003/2014-15 दिनांकित 17.01.2015 की दिशानिर्देशो के अनुपालन मे 28.02.2015 को बोर्ड के अनुमोदन से किया गया। इस समिति मे निम्नलिखित सदस्य हैं:

- प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. - समिति के अध्यक्ष
- श्री निरंजन कुमार अग्रवाल - स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
- श्री संजय रुंगटा - स्वतंत्र निदेशक- सदस्य

4. शेयरधारकों की समितियाँ

ए.शेयरधारक शिकायत समिति

अप्रैल 2001 को गठित शेयरधारकों की शिकायत समिति का अंतिम बार पुनर्गठन बोर्ड ने दिनांक 14.11.2014 को किया।

अभी समिति के अध्यक्ष श्री संजय रुंगटा हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं । 01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के दौरान समिति 4 बार 29.04.2014, 10.09.2014, 14.11.2014 को मिली। सूचीबद्ध करार के संशोधित उपबंध 49 (VIII) (E)(4) के अनुसार 01.10.2014 से शेयरधारक शिकायत समिति को **स्टेकधारक संपर्क समिति** के रूप मे पुनर्नामित किया गया है और इस समिति की एक बैठक 28.02.2015 को आयोजित की गई। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ तथा स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

3.11 BOARD LEVEL STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 2 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	To	
1	Dr. M. Narendra	21.12.2011	31.07.2014	01/01
2	Shri. R. Koteeswaran	31.12.2014		01/01
3	Shri. A.D.M. Chavali	28.12.2011	31.10.2014	01/01
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		02/02
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	10.03.2015		01/01
6	Dr.Alok Pande	21.12.2011		01/02**
7	Shri. K.R.Ramamoorthy HR Professional	21.12.2011		02/02
8	Dr. T.T. Ram Mohan HR Professional	21.12.2011		02/02

** Dr. Alok Pande attended the meeting on 27.03.2015 through video conferencing.

3.12 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee The Committee met 5 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl.No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	to	
1	Dr. M. Narendra	08.12.2012	31.07.2014	01/01
2	Shri. R. Koteeswaran	31.12.2014		01/01
3	Shri. A.D.M. Chavali	08.12.2012	31.10.2014	02/02
4	Shri. Atul Agarwal	27.09.2013		05/05
5	Shri. Pawan Kumar Bajaj	10.03.2015		--/--
6	Dr.Alok Pande	08.12.2012		05/05
7	General Manager (Recovery)	08.12.2012		04/05
8	General Manager (Credit Monitoring)	08.12.2012		04/05
9	Senior-most General Manager of the Bank	08.12.2012		05/05

3.13 REVIEW COMMITTEE

The Review Committee (for review of the orders passed by Higher Level Committee on the classification of non-co-operative borrowers) has been constituted with the approval of Board on 28.02.2015 in accordance with the guidelines of RBI Notification Re. No.RBI/2014-15/362 – DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22.12.2014 with the following members:

1. Managing Director & CEO – Head of the Committee
2. Shri. Niranjan Kumar Agarwal – Independent Director – Member
3. Shri. Sanjay Rungta – Independent Director – Member

3.14 GRIEVANCES REDRESSAL COMMITTEE

The Grievances Redressal Committee (on classification as wilful defaulters) has been constituted with the approval of Board on 28.02.2015 in accordance with Reserve Bank of India Notification RBI/2014-15/73 DBR.No.CID.BC.57/20.16.003/2014-15 dated 17.01.2015 with the following members:

- Managing Director & CEO – Head of the Committee
- Shri. Niranjan Kumar Agarwal – Independent Director - Member
- Shri. Sanjay Rungta – Independent Director - Member

4.SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

(a) Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was last reconstituted by the Board on 14.11.2014.

At present, the Chairman of the Committee is Shri. Sanjay Rungta and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2014 to 31.03.2015, on 29.04.2014, 10.09.2014, 14.11.2014. As per amended Clause 49(VIII)(E)(4) of Listing Agreement, from 01.10.2014 the Shareholders' Grievance Committee has been redesignated as **Stakeholders Relationship Committee** from 1.10.2014 and this committee has met once on 28.02.2015. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1.	श्री ए. वी सरदेसाई	08.11.2011	07.12.2014	03/03
2	श्री ए.डी. एम. चावली **	28.12.2011	31.10.2014	02/02
3	श्री अतुल अग्रवाल ***	18.10.2013		02/02
4.	प्रो. एस. सडगोपन	21.09.2012	07.12.2014	02/03
5	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014		01/01
6	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014		01/01

** श्री ए.के. बंसल, कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

*** श्री ए. डी. एम. चावली, कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर 18.10.2013 से प्रभावी समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयरधारक शिकायत व उनके निवारण संबंधी प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का आवधिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने श्री वी. सुरेश, कार्यरत कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया जाता है।

बी. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, शेयरधारक निदेशक और मंडल द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, ट्रांसपोजिशन, डी मेट/ रीमेट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 13 बार मिली और सभी बैठकें उचित कोरम के साथ तथा स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री एम. नरेंद्र	01.11.2010	31.07.2014	
2	श्री ए. डी. एम . चावली *	28.12.2011	31.10.2014	07/07
3	श्री अतुल अग्रवाल**	27.09.2013		06/06
4	श्री ए. वी. सरदेसाई	08.12.2011	07.12.2014	09/09
5	प्रो एस. सडगोपन	26.03.2013	07.12.2014	06/09
6	श्री संजय रुंगटा	08.12.2014		04/04
7	डॉ. जे.डी.शर्मा	08.12.2014		04/04

* अ. व. प्र. नि. द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

** अ. व. प्र. नि. या श्री ए.डी.एम. चावली, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एल्स्टैक)

सेबी विनियमनों की समय सीमा के अनुपालन की दिशा में समय सीमा के कड़ाई से पालन हेतु एहतियाती कदम के रूप मे हमारे बोर्ड ने 20.09.2013 को आयोजित अपनी बैठक में **कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एल्स्टैक) का गठन किया जिसमें महा प्रबंधक शामिल होंगे।** समिति को शेयरों को अस्वीकार करने की शक्ति के साथ उनके अंतरण एवं प्रेषण के अनुरोधों पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं। 20.09.2014 को संपन्न बैठक में बोर्ड ने समिति को रीमैट अनुरोधों पर विचार करने और उन्हे अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की।

दिनांक 05.02.2015 को आयोजित बैठक मे बोर्ड ने **कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण अनुमोदन समिति (एल्स्टैक)** को पुनर्गठित किया जिसमें वरिष्ठतम कारपोरेट महा प्रबंधक (मौज़ूदा महाप्रबंधक, प्रायोजना विभाग) या उनकी अनुपस्थिति में एल्स्टैक समिति मे अगले वरिष्ठतम महा प्रबंधक - अध्यक्ष, महाप्रबंधक, तुलनपत्र प्रबंधन विभाग- सदस्य, महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग व अनुपालन विभाग- सदस्य, महाप्रबंधक, परिचालन विभाग- सदस्य व बैक के कंपनी सचिव -सदस्य । समिति के कार्यवृत्त, को एसटीसी के समक्ष अभिपुष्टि / पुष्टि हेतु रखा गया। गठन से लेकर पिछले वर्ष के दौरान समिति की बैठक 31 बार आयोजित की गई तथा एल्स्टैक की कार्रवाई शेयर अंतरण समिति द्वारा अभिपुष्ट की जाती है।

शेयर अंतरण समिति ने एक सक्रिय कंपनी सचिव श्री वी सुरेश को रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखा परीक्षण करने, उनके द्वारा शेयर अंतरण, प्रेषण, समेकन, पृथक्करण, प्रतिलिपि प्रमाण पत्र आदि जारी करने सहित अपनाई पद्धतियों के सत्यापन के लिए नियुक्त किया है। उनका कार्य 01.01.2005 को शुरू हुआ तथा उनकी पाक्षिक रिपोर्टों पर समिति की प्रत्येक बैठक में चर्चा की जाती है। अंतरण का कोई भी अनुरोध पंद्रह दिनों से अधिक के लिए लंबित नहीं रखा जाता।

सी. अनुपालन अधिकारी :

सेबी, स्टॉक एकस्चेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, सूची करार के उपबंध 47 के अनुसार सुश्री दीपा चेल्लम समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं ।

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/held
		From	To	
1.	Shri. A.V.Sardesai	08.11.2011	07.12.2014	03/03
2.	Shri. A.D.M.Chavali **	28.12.2011	31.10.2014	02/02
3.	Shri. Atul Agarwal ***	18.10.2013		02/02
4.	Prof.S.Sadagopan	21.09.2012	07.12.2014	02/03
5.	Shri. Sanjay Rungrta	08.12.2014		01/01
6.	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014		01/01

** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee in the absence or inability of Shri. A.K.Bansal, ED to attend meetings.

*** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee with effect from 18.10.2013 in the absence or inability of Shri. A.D.M.Chavali, ED to attend meetings.

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri. V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

(b) Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director/Managing Director & Chief Executive Officer or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat/remat etc. The committee met 13 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings attended/ held
		From	To	
1	Shri. M. Narendra	01.11.2010	31.07.2014	
2	Shri. A.D.M. Chavali *	28.12.2011	31.10.2014	07/07
3	Shri. Atul Agarwal **	27.09.2013		06/06
4	Shri. A.V.Sardesai	08.12.2011	07.12.2014	09/09
5	Prof. S.Sadagopan	26.03.2013	07.12.2014	06/09
6	Shri. Sanjay Rungta	08.12.2014		04/04
7	Dr. J. D. Sharma	08.12.2014		04/04

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD to attend Meetings.
**Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee In the absence or inability of CMD or Shri. A.D.M.Chavali, ED to attend Meetings.

Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)

In order to comply with the timeline of SEBI Regulations, our Board at its meeting held on 20.09.2013 constituted an **Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC) consisting of General Managers.** The committee is also delegated with powers to consider and approve the share transfer and transmission requests including the power to reject them. The Board, in its meeting held on 20.09.2014, delegated additional powers to the Committee to consider and approve the Remat requests.

The Board in its meeting held on 05.02.2015 reconstituted the **Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC)** consisting of Senior Most Corporate General Manager (Presently General Manager, Planning Department) or in his absence the next Senior most General Manager in the ELSTAC Committee – The Chairman, General Manager, Balance Sheet Management Department – Member, General Manager, Risk Management Department & Compliance Department – Member, General Manager, Operations Department – Member and Company Secretary of the Bank – Member. The minutes of the committee are placed to STC for ratification / confirmation. The committee met 31 times during last year and the actions of ELSTAC committee are ratified by Share Transfer Committee.

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri. V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01.01.2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than 15 days.

(c) Compliance Officer:

In terms of clause 47 of the listing agreement, Ms. Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

डी. शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त, दूर की गई तथा लंबित शिकायतों की संख्या

क्रम सं. .	शिकायत की प्रकृति	31.03.2014 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाई गई	31.03.2015 तक लंबित
1	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	7	7	शून्य
2	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	218	218	शून्य
3	सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों और ग्राहक शिकायत निवारण फोरम / कोर्ट को शिकायतें	1	29	30	शून्य
4	विविध (पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायतें	शून्य	7	7	शून्य
	कुल	1	261	262	शून्य

सूचीबद्ध करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि एक विशेष ई मेल आइडी **investorcomp@iobnet.co.in** दी गई है और सुश्री दीपा चेल्लम, कंपनी सचिव निवेशकों की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निवारण के लिए अनुपालन अधिकारी हैं। हमने यह ई मेल आईडी और अन्य संबंधित ब्यौरे प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं। निवेशक संपर्क कक्ष के प्रमुख एक सहायक महाप्रबंधक हैं जो एक योग्य कंपनी सचिव भी हैं, निवेशक संबंधी शिकायतों के निवारण की देख रेख करेंगे।

5. अन्य समितियां

आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश पुनरीक्षा समिति, प्रबंध निदेशक व सीईओ, कार्यपालक निदेशक, विभाग कार्यपालकों के साथ महाप्रबंधकों वाली उच्च प्रबंधन समिति जैसी विभिन्न समितियाँ हैं, जिन्हें दैनिक कार्यों तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा तथा प्रबोधन करने के लिए गठित किया गया हैं।

6. सामान्य सभा की बैठक

ए. स्थान व समय जहाँ पिछली तीन सामान्य सभा की बैठकें आयोजित की गईं:

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	12वीं एजीएम	29.06.2012, शुक्रवार सुबह 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
2	13वीं एजीएम	28.06.2013 शुक्रवार सुबह 10.00 बजे	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006
3	14वीं एजीएम	27.06.2014 शुक्रवार सुबह 10.00 बजे	रानी सीतै हॉल, 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006

बी. 12वीं, 13 वीं व 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आइ पी), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन या फालो ऑन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

सी. कोई डाक मतदान नहीं था ।

डी. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	ईजीएम	07.12.2002 शनिवार 11.00 बजे, सुबह	रानी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006
2	ईजीएम	30.11.2005 बुधवार 11.00 बजे, सुबह	रानी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006
3	ईजीएम	25.11.2008 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
4	ईजीएम	22.03.2011 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
5	ईजीएम	21.03.2012 बुधवार 10.30 बजे, सुबह	कामराज मेमोरियल हाल, न्यू नं 492, अण्णा सालै, चेन्नै, 600006
6	ईजीएम	18.03.2013 सोमवार 10.00 बजे, सुबह	रानी सीतै हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006
7	ईजीएम	16.12.2013 सोमवार 10.00 बजे सुबह	होटल एंबेसेडर पल्लवा, 30, मॉन्टियथ रोड, एग्मोर, चेन्नै - 600 008.
8	ईजीएम	26.02.2014 बुधवार सुबह 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

प्रथम तीन ई.जी. एम. बैठकों का आयोजन शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए किया गया। अगली पाँच ई.जी. एम. बैठकों का आयोजन भारत सरकार और एल आइ सी व उसकी विभिन्न योजनाओं के लिए अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया ।

(d) Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

S.No.	Nature of Complaint	Pending as on 31.03.2014	Received during the year	Redressed during the year	Pending as on 31.03.2015
1	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	7	7	Nil
2	Non receipt of Dividend	Nil	218	218	Nil
3	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal Forum /Court	1	29	30	NIL
4	Miscellaneous (complaints reg. change of address, Bank mandate, demat requests etc.)	Nil	7	7	Nil
	Total	1	261	262	NIL

In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@ iobnet.co.in** has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager who is also a qualified Company Secretary handles the redressal of investor complaints.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, and Top Management Committee comprising MD & CEO, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	12th AGM	29.06.2012, Friday, 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2	13th AGM	28.06.2013, Friday, 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	14th AGM	27.06.2014, Friday, 10.00 AM	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

b. In the 12th, 13th and 14th AGMs special resolutions were put through to get the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	07.12.2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	EGM	25.11.2008 Tuesday 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4	EGM	22.03.2011 Tuesday 11.00 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5	EGM	21.03.2012 Wednesday 10.30A.M	Kamaraj Memorial Hall, New No. 492, Anna Salai, Chennai – 600 006
6	EGM	18.03.2013 Monday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
7	EGM	16.12.2013 Monday 10.00 A.M.	Hotel Ambassador Pallava, 30, Montieth Road, Egmore, Chennai – 600 008
8	EGM	26.02.2014 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

First three EGM meetings were held for election of shareholder director. The next five EGM meetings were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

ई) ई-वोटिंग:

वर्ष के दौरान, सेबी ने कारपोरेट गवर्नेंस विषयक प्रयोगों को अपनाने तथा कारपोरेट गवर्नेंस रूपरेखा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचीबद्ध करार के प्रावधानो की समीक्षा का निर्णय लिया है। सूचीबद्ध करार के खण्ड 35 बी व खण्ड 49 संशोधित किए गए मुख्य खण्ड थे। खण्ड 35 बी के अनुसार ज़ारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने को सहमत है। बैंक वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक के समय अपने **शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा** प्रदान करने के लिए तैयार है।

7. प्रकटीकरण

ए. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का विवरण	रकम (रु.)
1.	डॉ. एम .नरेन्द्र	अ. व प्र. नि.	01.04.2014 से 31.07.2014 की अवधि के दौरान प्रदत्त वेतन व भत्ते पी एफ, परिलब्धि व प्रोत्साहन	12,72,000.00
2.	श्री आर. कोटीस्वरन	प्र.नि. व मु.का.अ.	31.12.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान प्रदत्त वेतन व भत्ते पी एफ, परिलब्धि व प्रोत्साहन	4,91,505.00
3.	श्री ए. के. बंसल	का. नि.	01.04.2013 से 31.05.2013 की अवधि के दौरान प्रदत्त वेतन व भत्ते पी एफ, परिलब्धि व प्रोत्साहन	66,667.00
4.	श्री ए. डी. एम. चावली	का. नि.	01.04.2014 से 31.10.2014 की अवधि के दौरान प्रदत्त वेतन व भत्ते पी एफ, परिलब्धि व प्रोत्साहन	14,65,904.70
5.	श्री अतुल अग्रवाल	का. नि.	01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान प्रदत्त वेतन व भत्ते पी एफ और प्रोत्साहन	19,21,413.00
6.	श्री पवन कुमार बजाज	का. नि.	10.03.2015 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान प्रदत्त वेतन व भत्ते पी एफ, प्रोत्साहन	1,00,100.00

ए. बैंक स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्रतिभागिता शुल्क दिया जाता है यथा बोर्ड की बैंठकों के लिए प्रति बैठक रु. 10,000/- और समिति की बैठकों के लिए प्रति बैठक रु. 5000/- ।

बी. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है ।

सी. बैंक के निदेशकों, प्रबंधन उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

डी. स्टॉक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

ई. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक मे एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एफ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी काननों / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है ।

जी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

एच. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में उसकी एक प्रति संलग्न है।

आई. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

ए. बैंक के तिमाही अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । हरित पहल के तहत बैंक वार्षिक परिणाम ईमेल द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को मुद्रित प्रति के जरिए भेजा जाता है और प्रत्येक तिमाही परिणाम हमारी वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं ।

बी. सूचीबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गये हैं तथा प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

सी. तिमाही परिणाम व वार्षिक परिणाम बैंक की वेबसाइट **http: // www.iob.in/Financial_perf.aspx** पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक (तमिल)	हिंदी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2014	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	-	01.05.2014
30.06.2014	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनमणि	-	28.07.2014
30.09.2014	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	01.11.2014
31.12. 2014	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	जनसत्ता	06.02.2015

e) E-Voting:

During the year, SEBI has decided to review the provisions of the Listing Agreement with the objectives to adopt best practices on corporate governance and to make the corporate governance framework more effective. Clause 35B and Clause 49 of the Listing Agreement were the main clauses amended. As per Clause 35B, the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM / EGM. Bank is in preparedness to provide e-voting facility to its shareholders at the time of AGM or EGM.

7. DISCLOSURES:

The remuneration of the Chairman & Managing Director, Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors is fixed by the Central Government.

Details of Remuneration paid to whole time Directors during the Financial Year 2014-15 are as follows:

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration	Amount (₹)
1	Dr. M. Narendra	CMD	Salary & Allowances,PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2014 to 31.07.2014	12,72,000.00
2	Shri. R Koteeswaran	MD & CEO	Salary&Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 31.12.2014 to 31.03.2015	4,91,505.00
3	Shri. A K Bansal	ED	Incentives Paid for the period 01.04.2013 to 31.05.2013	66,667.00
4	Shri. A.D.M.Chavali	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2014 to 31.10.2014	14,65,904.70
5	Shri. Atul Agarwal	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 01.04.2014 to 31.03.2015	19,21,413.00
6	Shri. Pawan Kumar Bajaj	ED	Salary & Allowances,PF, Perquisites and Incentives Paid during the Period 10.03.2015 to 31.03.2015	1,00,100.00

a. The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines, for Board Meetings – ₹ 10000/- per meeting and for Committee Meetings – ₹ 5000/- per meeting.

b. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

c. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

d. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2015.

e. Bank has a Whistle Blower Policy as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website

f. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/ directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized Banks.

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

i. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2014-15 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending annual results, under Green Initiative by email to those shareholders whose e mail addresses are available with the Bank, for others by hard copy and displaying every quarter results in our website www.iob.in.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

c. The quarterly results and annual results are also being displayed on the Bank's web-site **http://www.iob.in/Financial_perf.aspx**

Quarter ended	English Daily	Regional Daily (Tamil)	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2014	Business Standard	Dinamani	-	01.05.2014
30.06.2014	The Hindu – Business Line	Dinamani	-	28.07.2014
30.09.2014	Financial Express	Dinamani	Jansatta	01.11.2014
31.12. 2014	Business Standard	Dinamani	Jansatta	06.02.2015

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

ए. एजीएमः तारीख, समय और स्थानः

दिनांक	30.06.2015
समय	10:30 बजे, सुबह
स्थान	सतगुरू ज्ञाननंदा हाल, नारद गान सभा 314, टी टी के, अलवारपेट, चेन्नै,600118

बी. वित्तीय वर्षः 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015

सी. बही बंद करने की तारीखः वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 24.06. 2015 से 30.06.2015 (दोनों दिन शामिल हैं)

डी. अदत्त लाभांश :

16 10 2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाते में पड़ी है, उसे "........वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाता" नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।

अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205(1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि और उसके बाद तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार को अंतरण की तारीख
2000-01	08.12.2006	26.08.2014
2001-02	05.12.2006	30.08.2014
2002-03	05.12.2006	30.08.2014
2003-04 (आइ)	04.12.2006	30.08.2014
2003-04 (एफ)	04.12.2006	05.09.2014
2004-05 (आइ)	09.12.2006	30.08.2014
2004-05 (एफ)	05.12.2006	05.09.2014
2005-06	04.12.2006	05.09.2014
2006-07	13.07.2007	05.09.2014
2007-08	19.07.2008	
2008-09	11.08.2009	
2009-10	26.10.2010	
2010-11	02.09.2011	
2011-12	16.10.2012	
2012-13	01.08.2013	
2013-14 (आई)	05.03.2014	
2013-14 (एफ)	01.08.2014	

कारपोरेट मामलात मंत्रालय ने 21.05.2014 को बैंक को राशि को जमा करने तथा अपनी वेबसाइट पर आवश्यक प्रारूप फाइल करने हेतु बैकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे मे सूचित किया है। अत: 2007 तक घोषित लाभांश को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आइ पी एफ) को अगस्त/ सितबर 2014 के दौरान अंतरित किया गया।

एफ. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. .	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2014-15 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी

31.03.2015 को बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 3000 करोड़ है ।

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रदत्त पूँजी में कोई बढ़ोतरी नही हुई।

जी. बाजार मूल्य के आँकड़े

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	निम्न (रु)	उच्च(रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2014	64.70	49.95	64.65	50.00
मई 2014	86.50	56.95	86.50	56.90
जून 2014	**89.95**	75.50	**89.90**	75.75
जुलाई 2014	85.70	67.40	85.80	67.40
अगस्त 2014	72.65	58.75	72.70	58.80
सितंबर 2014	66.35	53.50	66.25	53.85
अक्तूबर 2014	61.75	55.05	61.70	55.10

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	30.06.2015
Time	10.30 A.M.
Venue	Sathguru Gnananda Hall, Naradha Gana Sabha, 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018.

b) Financial Year : 01st April 2014 to 31st March 2015.

c) Date of Book Closure : 24.06.2015 to 30.06.2015 (Both days inclusive) for purpose of Annual General Meeting.

d) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the Bank's current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____".

Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer and thereafter, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund:

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Date of Transfer to Central Government(IEPF)
2000-01	08.12.2006	26.08.2014
2001-02	05.12.2006	30.08.2014
2002-03	05.12.2006	30.08.2014
2003-04 (I)	04.12.2006	30.08.2014
2003-04 (F)	04.12.2006	05.09.2014
2004-05 (I)	09.12.2006	30.08.2014
2004-05 (F)	05.12.2006	05.09.2014
2005-06	04.12.2006	05.09.2014
2006-07	13.07.2007	05.09.2014
2007-08	19.07.2008	
2008-09	11.08.2009	
2009-10	26.10.2010	
2010-11	02.09.2011	
2011-12	16.10.2012	
2012-13	01.08.2013	
2013-14 (I)	05.03.2014	
2013-14 (F)	01.08.2014	

Ministry of Corporate Affairs had advised the Bank on 21.05.2014, the process to be followed by Banks for depositing the amount and also for filing necessary forms in their website. Hence Dividend declared up to 2007 was transferred to Investors Education and Protection Fund (IEPF) during August/September 2014.

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual listing fee for the year 2014-15 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital:

As on 31.03.2015, the Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

During the year 2014-15 there has not been any increase in Paid up capital.

g) Market Price Data:-

Period - Month	National Stock Exchange		BSE	
	High (₹)	Low (₹)	High (₹)	Low (₹)
April 2014	64.70	49.95	64.65	50.00
May 2014	86.50	56.95	86.50	56.90
June 2014	**89.95**	75.50	**89.90**	75.75
July 2014	85.70	67.40	85.80	67.40
August 2014	72.65	58.75	72.70	58.80
September 2014	66.35	53.50	66.25	53.85
October 2014	61.75	55.05	61.70	55.10

नवंबर 2014	61.10	53.30	61.00	53.40
दिसंबर 2014	63.55	53.20	63.55	53.20
जनवरी 2015	64.65	55.75	64.75	55.85
फरवरी 2015	59.25	45.75	59.05	46.00
मार्च 2015	51.55	**40.60**	51.40	**40.70**

2014-15 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयरों के उच्च / निम्न कीमतों के आँकड़े स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं ।

एच. 01-04-2014 से 31-03-2015 के दौरान बीएसई संसेक्स की तुलना में इक्विटी निष्पादन

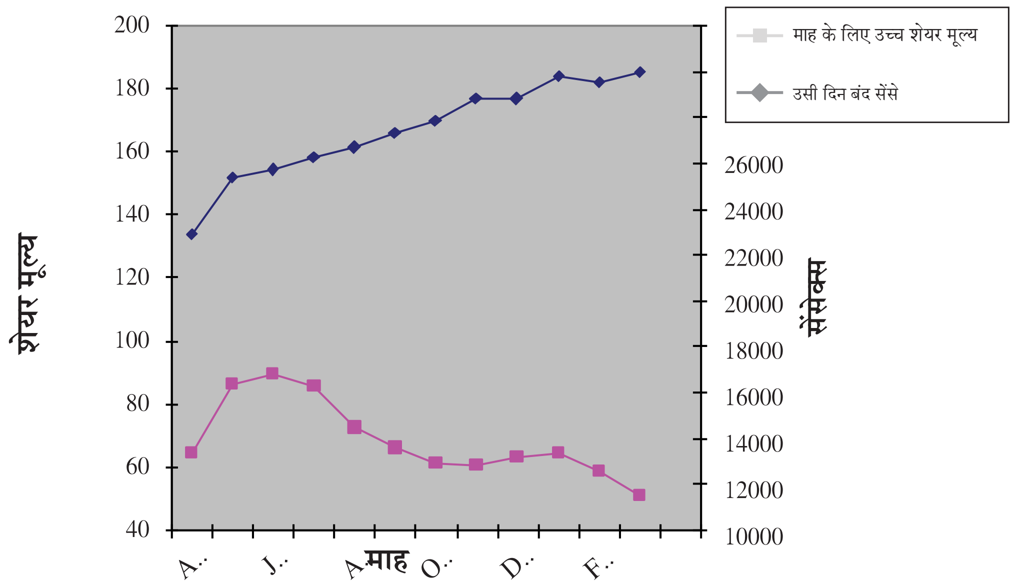

01-04-2014 से 31-03-2015 के दौरान एनएसई निफ़्टी की तुलना में इक्विटी निष्पादन

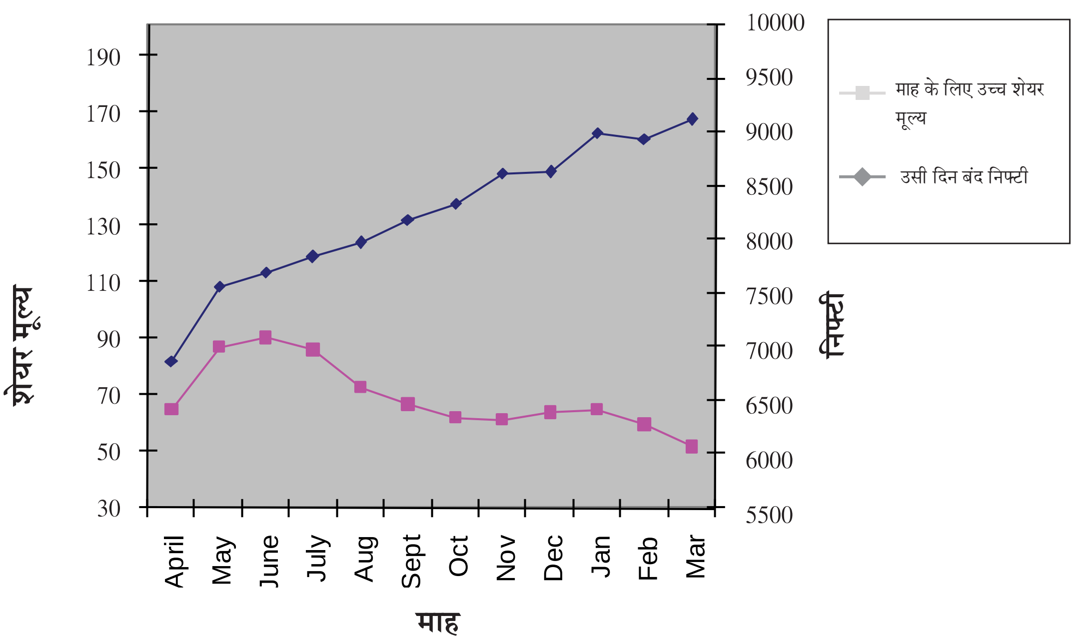

<u>आई. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेण्ट:</u>

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवी मंज़िल, न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044- 28460395, फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

November 2014	61.10	53.30	61.00	53.40
December 2014	63.55	53.20	63.55	53.20
January 2015	64.65	55.75	64.75	55.85
February 2015	59.25	45.75	59.05	46.00
March 2015	51.55	**40.60**	51.40	**40.70**

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares during the year 2014-15 on the respective Stock Exchanges.

h). Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2014 – 31.03.2015

Equity Performance in comparison to BSE Sensex 01.04.2014 to 31.03.2015

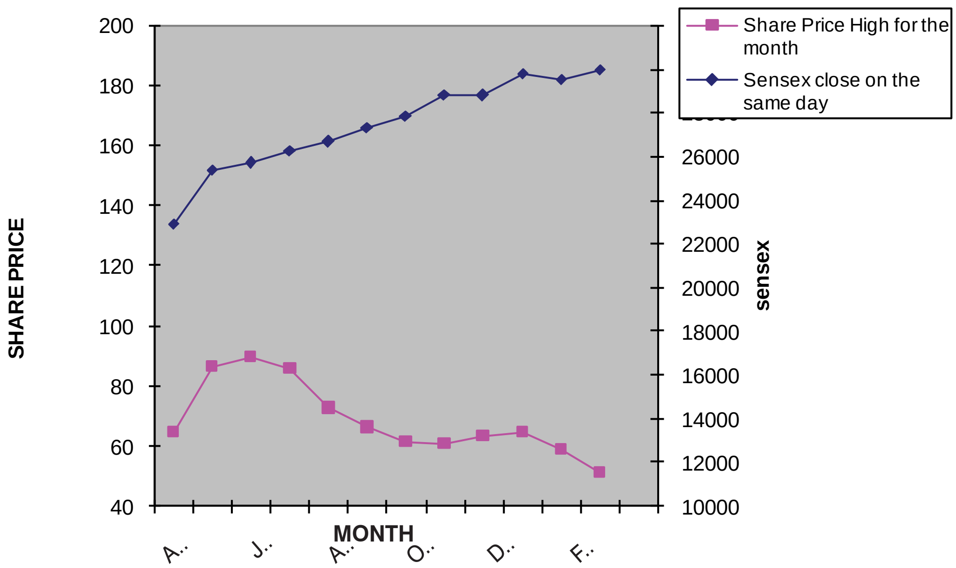

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2014 to 31.03.2015

Equity Performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2014 to 31.03.2015

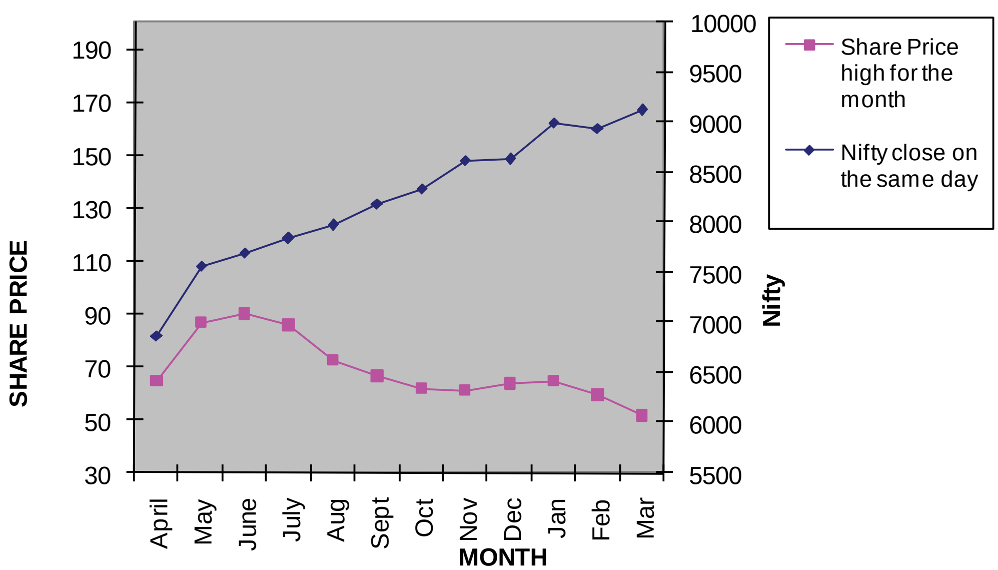

i. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor, No.1 Club House Road, Chennai-600 002.
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

जे. 31.03.2015 तक शेयरधारण का वितरण

क्रम. संख्या	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1.	भारत सरकार	911710848	73.80
	उप योग	**911710848**	**73.80**
	गैर-प्रवर्तक का धारण		
2.	**संस्थागत निवेशक**		
क.	म्यूचुअल फण्डस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	4923320	0.40
ख.	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	177123460	14.34
ग.	बीमा कंपनियाँ	4681678	0.38
घ.	विदेशी संस्थागत निवेशक	18582239	1.50
ड़	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0.00
च	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1891361	0.15
	उप योग	**207250058**	**16.77**
3.	**अन्य**		
क.	निजी निगम निकाय	11066543	0.90
ख.	वैयक्तिक	99194697	8.03
ग.	एन आर आइ	4779578	0.39
घ.	अन्य	1346591	0.11
	उप योग	**116387409**	**9.43**
	कुल योग	**1235348315**	**100.00**

के. 31.03.2015 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं.का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
211136	85.23	5000 तक	365555220	2.96
23356	9.43	5001 - 10000	194528340	1.57
7975	3.22	10001 - 20000	116153920	0.94
1961	0.79	20001 - 30000	49546940	0.40
949	0.39	30001 - 40000	34083250	0.28
574	0.23	40001 - 50000	27053700	0.22
921	0.37	50001 - 100000	67925960	0.55
848	0.34	100001 और उससे अधिक	11498635820	93.08
247720	**100.00**	योग	**12353483150**	**100.00**

एल. 31.03.2015 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	श्रेणी	31.03.2014 तक		31.03.2015 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
1	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	22925053	1.86	18582239	1.50
2	ओ सी बी	48000	0.00	48000	0.00
3	एन आर आई	4479923	0.36	4779578	0.39
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	शून्य	शून्य	1891361	0.15
	कुल	**27452976**	**2.22**	**25301178**	**2.04**

उक्त सारणी मे वर्णितानुसार 31.03.2015 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एन.आर.आइ, ओ.सी.बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 2.04% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

j. Distribution of shareholding as on 31.03.2015:

Sl. No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	911710848	73.80
	Sub-Total	**911710848**	**73.80**
	NON-PROMOTERS HOLDING		
2	**Institutional Investors**		
A	Mutual funds and UTI	4923320	0.40
B	Banks, Financial Institutions	177123460	14.34
C	Insurance Companies	4681678	0.38
D	Foreign Institutional Investors	18582239	1.50
E	Overseas Corporate Body	48000	0.00
F	Foreign Portfolio Investor	1891361	0.15
	Sub-Total	**207250058**	**16.77**
3	**OTHERS**		
A	Private Corporate Bodies	11066543	0.90
B	Individuals	99194697	8.03
C	NRI	4779578	0.39
D	Others	1346591	0.11
	Sub-total	**116387409**	**9.43**
	GRAND TOTAL	**1235348315**	**100.00**

k. Distribution schedule as on 31.03.2015

No. of share holders	% to total no. of shareholders	Shareholding in terms of nominal value of ₹ 10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
211136	85.23	Upto 5000	365555220	2.96
23356	9.43	5001 – 10000	194528340	1.57
7975	3.22	10001 – 20000	116153920	0.94
1961	0.79	20001 – 30000	49546940	0.40
949	0.39	30001 – 40000	34083250	0.28
574	0.23	40001 – 50000	27053700	0.22
921	0.37	50001 – 100000	67925960	0.55
848	0.34	100001 and above	11498635820	93.08
247720	**100.00**	**TOTAL**	**12353483150**	**100.00**

l. Foreign Shareholding as on 31.03.2015

Sl. No.	Category	As on 31.03.2014		As on 31.03.2015	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors (FIIs)	22925053	1.86	18582239	1.50
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	4479923	0.36	4779578	0.39
4	Foreign Portfolio Investor	Nil	Nil	1891361	0.15
	Total	**27452976**	**2.22**	**25301178**	**2.04**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2015 was 2.04% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

एम. 31 03 2015 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	911710848	73.80
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	140727980	11.39
3	एलआईसी ऑफ इंडिया- पी एंड जीएस फंड	15153036	1.23
4	एल आइ सी ऑफ इण्डिया - मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	9385910	0.76
5	आशीष रमेश कुमार गोयंका लवीना आशीष कुमार गोयंका	6405781	0.52
	कुल	**1083383555**	**87.70**

एन. शेयरों का अमूर्तीकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तीकरण डीमैट ट्रेडिंग के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सा. डी.एस.एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करा सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014

31.03.2015 तक 123.53 करोड़ इक्विटी शेयरों में से, 120.47 करोड़ शेयर या 97.52% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 91.17 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करती है जो कि समग्रत: 73.80% है)

डीमैट खाते में धारित अदावी शेयर:

अदावी सस्पेंस खाते में धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
01.04.2014 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	225	59100
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी सस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया ।	1	1000
शेयरधारकों की समग्र संख्या और 31.03.2015 के अंत में अदावी सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	224	58100

ओ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

पी. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए हैं: 31-03-2015 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोड़ में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
निम्न टियर ।।					
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	9.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
उच्च टियर II					**माँग विकल्प तारीख**
i	05.09.2006	500.00	@180	09.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018

m. Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2015:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	The President of India - Government of India	911710848	73.80
2	Life Insurance Corporation of India	140727980	11.39
3	LIC of India – P & GS Fund	15153036	1.23
4	LIC of India Market Plus Growth Fund	9385910	0.76
5	Ashish Rameshkumar Goenka Lavina Ashishkumar Goenka	6405781	0.52
	Total	**1083383555**	**87.70**

n. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2015, out of 123.53 crore equity shares, 120.47 crore shares or 97.52% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 91.17 crore shares in Demat form, aggregating to 73.80%.)

Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No of shareholders	No of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2014	225	59100
Number of Shareholders who approached for Transfer of shares from unclaimed suspense Account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were Transferred from the unclaimed suspense account	1	1000
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed suspense account at the end of 31.03.2015	224	58100

o. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

p. The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2015 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (₹ in cr)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Lower Tier II					
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
xiv	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
Upper Tier II					**Call Option date**
i	05.09.2006	500.00	@180	09.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018

iii	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2026
टियर 1 (बेमियादी)					**माँग विकल्प तारीख**
i	31.03.2006	200.00	@ बेमियादी	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@ बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@ बेमियादी	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@ बेमियादी	09.30	@29.09.2019
टियर 1- बेसल III (बेमियादी)					
i	04.02.2015	1000.00	* बेमियादी	10.00	04.02.2020
	कुल योग	**7402.30**			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा ।

*5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

क्यू. इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशको के हितों की रक्षा करे। ट्रस्टी का पता निम्नवत है:

मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.,

ग्राउंड फ्लोर, एशियन बिल्डिंग

17 आर कमानी रोड, बालार्ड एस्टेट, फोर्ट

मुंबई- 400001

आर. पत्राचार का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं । शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं ।

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल

न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002

टेलिफोन -044- 28460395, फैक्स- 28460129

ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है जिसका पता निम्नवत है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

निवेशक संपर्क कक्ष

केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

टेलिफोन : 044-71729791, 28415702, 28889392 फैक्स-044-28585675

ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

iii	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2026
Tier I (Perpetual)					**Call Option date**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
Tier I – Basel III (Perpetual)					
i	04.02.2015	1000.00	*Perpetual	10.00	04.02.2020
Grand Total		**7402.30**			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

*Call option available at the end of 5 years (with the prior approval of RBI).

q. BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd.,

Ground Floor, Asian Building

17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort,

MUMBAI-400 001

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor

No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044-28460395 Fax: 28460129

email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank

Investor Relations Cell

Central Office, 763, Anna Salai

Chennai-600 002

Tel: 044-71729791, 28415702, 28889392 Fax : 044-28585675

email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड -- कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	हमारे अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक 31.07.2014 को सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार द्वारा हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति 31.12.2014 को हुई। भारत सरकार द्वारा अब तक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है । अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा।
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं।
ऑडिट अर्हता	2014-15 की लेखापरीक्षा टिप्पणी में योग्य अभ्युक्ति मौज़ूद नहीं है।
अध्यक्ष व सीईओ की अलग स्थिति	हमारे अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक 31.07.2014 को सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार द्वारा हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति 31.12.2014 को हुई। अभी भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है ।
आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण है और उनकी रिपोर्ट आवधिक रूप से समीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

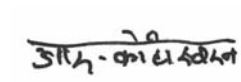

चेन्नै

08 मई 2015

(आर. कोटीस्वरन)

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

B.NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Our Chairman & Managing Director retired on 31.07.2014. Our Managing Director & Chief Executive Officer was appointed by Government of India on 31.12.2014. Non-executive chairman is not yet appointed by Government of India. Hence this Clause is not applicable to us.
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The audit reports for the year 2014-15 do not contain qualified remarks.
Separate positions of Chairman and CEO	Our Chairman & Managing Director retired on 31.07.2014. Our Managing Director & Chief Executive Officer was appointed by Government of India on 31.12.2014. The appointment of Chairman is yet to be made by Ministry of Finance, Government of India.
Internal Auditor	The Bank has its own internal audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Board for review.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
08.05.2015

(R. KOTEESWARAN)
Managing Director & Chief Executive Officer

वर्ष 2014-2015 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध
निदेशकों का जीवन परिचय

1	**नाम**	**श्री आर. कोटीस्वरन** प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 10.06.1956
	योग्यता	बी.कॉम, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	31.12.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.06.2016
	अनुभव	श्री आर. कोटीस्वरन ने 31 दिसंबर 2014 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे 5 अगस्त 2013 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पदभार ग्रहण करने तक बैक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप मे कार्यरत थे। बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप मे उन्होंने देश भर की 4831 शाखाओं के लिए नीतिबद्ध कारोबार विकास, सूचना प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण व प्रबोधन, मानव संसाधन, एस एम ई, ट्रेजरी, लेनदेन बैंकिंग वित्तीय समावेशन तथा खुदरा बिजनेस सेगमेंट के दायित्व का निर्वहन किया। बोर्ड स्तरीय दायित्व में बैक के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना, बैक में एमएसएमई और खुदरा कारोबार केद्रों का समग्र प्रबोधन करना और बैक का समग्र नियंत्रण व निर्देश देना शामिल है। वे स्टार यूनियन दाई इचि इंश्योरेंस कंपनी व बैक ऑफ इंडिया न्यूज़ीलैंड लि. के भी निदेशक थे। श्री आर. कोटीस्वरन ने कॉमर्स में स्नातक करने के पश्चात 1976 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कई कैंद्रों में खासकर क्रेडिट में विभिन्न शाखाओं में कार्य किया है। उन्होंने केन्या की किसुमू शाखा मे 4 वर्षों तक शाखा प्रमुख के रूप मे कार्य किया। जब बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित कारोबार रूपातरण की दिशा में अपने सफर की शुरुआत की, तब वे मई 2005 में इसके कार्यान्वयन हेतु इसकी कोर टीम में शामिल हुए। तत्पश्चात 2010 में सूचना प्रौद्योगिकी व परियोजना विभाग में महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नवंबर 2006 से 4 वर्षो के लिए उन्होंने डाटा सेंटर मैनेजर के रूप में कार्य किया। मई 2013 में उन्हें डाटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट व सीआरएम, संसाधन संचयन, धन प्रबंधन व राजभाषा विभाग का प्रभारी बनाया गया। इस दौरान डाटा वेयरहाउस से उच्च प्रबंधन के लिए कई दैनिक डैशबोर्ड रिलीज़ किए गए जिनमें से कुछ मोबाइल यंत्रों पर भी रिलीज़ किए गए।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
2	नाम	**श्री अतुल अग्रवाल** कार्यपालक निदेशक
	आयु व जन्म तिथि	58 वर्ष, 12.09.1956
	योग्यता	बी.कॉम, सीएआईआईबी
	नियुक्ति की तारीख	27.09.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.09.2016
	अनुभव	श्री अतुल अग्रवाल ने 27.09.2013 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप मे कार्यभार संभाला। वर्तमान में उनके पोर्टफोलियो में वृहत कारपोरेट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, कृषि व ग्रामीण पहल, सूचना प्रौद्योगिकी, लेनदेन बैंकिंग, सामान्य प्रशासन, विधि व वसूली, निरीक्षण/ लेखापरीक्षा, परिचालन व अनुपालन, सीडीआर आदि शामिल हैं । इससे पूर्व वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत 1978 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गाज़ीपुर शाखा (उ.प्र.)में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की। तब से 2007 तक वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चार राज्यों में सेवारत रहते हुए परिचालन व प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर प्रकार्यात्मक, लेखा व आइटी जानकारी प्राप्त करते रहे। जून 2007 में उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला, जहाँ वे दिसंबर 2008 में उप महाप्रबंधक बने और फरवरी 2011 में महाप्रबंधक बने।

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2014-15

DIRECTORS PROFILE

1	Name	**Shri. R. Koteeswaran** Managing Director and Chief Executive Officer
	Age and Date of Birth	58 years – 10.06.1956
	Qualification	B.Com., CAIIB
	Date of Appointment	31.12.2014
	Date of expiry of the Current term	30.06.2016
	Experience	Shri. R. Koteeswaran took over as Managing Director & Chief Executive Officer of Indian Overseas Bank on 31st December 2014. Prior to this assignment, Shri. R Koteeswaran was Executive Director, Bank of India from 5th August 2013 till he joined Indian Overseas Bank. As Executive Director of Bank of India, he was responsible for strategic business development, control and monitoring of Information Technology, Human Resources, SME, Treasury, Transaction Banking, Financial Inclusion and Retail Business segments covering over 4,831 branches of the Bank across India. Board level responsibility included framing of policy guidelines for the Bank, monitoring the SME and Retail Business Centres of the Bank as a whole and overall control and direction of the Bank. He was also Director of Star Union Dai Ichi Insurance Company and Bank of India New Zealand Ltd. Shri. R Koteeswaran joined Bank of Baroda in 1976 after completing graduation in Commerce. He has worked in various branches in different centers, mostly in credit. He was also heading Kisumu Branch in Kenya for 4 years. When the Bank embarked on its journey to Technology led Business Transformation, he was inducted into the core team for its implementation in May 2005. Thereafter, he discharged duties as Data Centre Manager for 4 years from November 2006, before becoming the Head of IT & Projects Department in 2010 as General Manager. From May 2013, he was made in charge of Data Warehousing Project & CRM, Resources Mobilisation, Marketing, Wealth Management and Official Language Department. Several daily dashboards for the top management were released, some of them even on mobile devices, from data warehouse, during this period.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nil
2	Name	**Shri. Atul Agarwal** Executive Director
	Age & date of birth	58 years - 12.09.1956
	Qualification	B.Com., CAIIB
	Date of Appointment	27.09.2013
	Date of expiry of the Current term	30.09.2016
	Experience	Shri. Atul Agarwal has taken charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 27.9.2013. Presently his portfolio includes Large Corporate, International Banking, Agri & Rural Initiatives, Information Technology, Transaction Banking, General Administration, Law & Recovery, Inspection/Audit, Operations & Compliance, CDR etc. Prior to the assignment he was General Manager of Central Bank of India. He started his Banking career with Union Bank of India as Probationary Officer in 1978 at Ghazipur(UP). From then he served in Union Bank of India up to 2007, acquired functional, accounting and IT Knowledge at various levels of operation and management, serving in four states.

		उन्हें व्यावसायिक बैंकिंग मे 36 वर्षों का लंबा अनुभव है जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालय तथा कारपोरेट कार्यालय में विभिन्न रूप में कार्य करने के अलावा ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी व मेट्रो केंद्रों में स्थित लघु, मध्यम, वृहत, अति वृहद, एक्स्ट्रालार्ज शाखाओं में लघु, मध्यम, वृहत, अति वृहत एकसपोज़र शामिल है। उन्होंने 2008-09 के दौरान गुजरात अंचल व 2009-10 के दौरान पूर्वोत्तर में कार्य किया है। साथ ही उन्होंने अजा/ अजजा/ पीडब्ल्यूडी/ भूतपूर्व सैनिकों के मुख्य संपर्क अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ कॉर्पोरेट कार्यालयों में लेखापरीक्षा व निरीक्षण (फरवरी 2011 से सितंबर 2013), सामान्य प्रशासन, राजभाषा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य किया। अन्य कार्यों के साथ उनका कई पहलों में भी योगदान रहा है जिनमें सीए कंपनियों के वेब आधारित आवेदन, फेमा ऑडिट, अनुपालन ऑडिट, सीबीएस का केवाईसी अद्यतन, मास्टर परिपत्रों का निर्गमन, विभिन्न नीतियों की समीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में क्रय मैन्युअल का आरंभ शामिल हैं। ललित कला में रुचि होने के साथ वे उत्तर दक्षिण सांस्कृतिक संगठन के स्थायी सदस्य हैं तथा उन्होंने चिन्मय मिशन लखनऊ के कार्यपालक समिति सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकताएँ	शून्य
3	नाम	**श्री पवन कुमार बजाज** कार्यपालक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 21.09.1958
	योग्यता	विज्ञान मे स्नातकोत्तर, एलएलबी, सीएआइआइबी व एचआर, ट्रेज़री, विदेशी विनिमय तथा अंतरराष्ट्रीय बैकिग में कई डिप्लोमा प्राप्त।
	नियुक्ति की तारीख	10.03.2015
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	30.09.2018
	अनुभव	श्री पवन कुमार बजाज ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप मे 10 मार्च 2015 को कार्यभार संभाला । उनके पोर्टफोलियो मे एमएसएमई, मिड कारपोरेट,ट्रेज़री, रिटेल बैंकिग, प्रायोजना, जन संपर्क, एचआर, औद्योगिक संबंध, कार्मिक प्रशासन, तुलनपत्र प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन आदि शामिल हैं । इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार संभालने से पूर्व वे बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल बैंकिग ग्रुप के मुख्य महाप्रबंधक थे जिसमें दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश (राज्यों) व केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ समेत दस अंचल शामिल थे। उन्होंने अपना करियर 1982 में बैंक ऑफ इंडिया में डीआरओ के रूप मे शुरू किया था तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद संभालने से पूर्व वहाँ मुख्य महाप्रबंधक पद तक रहे। उन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में वृहत अनुभव है। उन्होंने भारत व विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने न सिर्फ सामान्य प्रशासन, एचआर, ट्रेज़री, डीलिंग रूम, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विदेशी विनिमय अदि क्षेत्रों में काम किया बल्कि इंडोनेशिया, वियतनाम व कंबोडिया में सिंगापुर सेंटर इनकंपासिंग ऑपरेशन के मुख्य कार्यपालक के रूप में भी कार्य किया है। उनकी दक्षता का क्षेत्र ट्रेज़री परिचालन, विदेशी विनिमय तथा मानव संसाधन है। सिंगापुर शाखा में कार्य करने के अतिरिक्त उन्होंने कार्यालयीय प्रयोजनों से कई सारे देशों का दौरा किया है। वे एक अनुभवी बैंकर के अतिरिक्त कुशल एकैडमिशियन, क्रिकेटर तथा मार्केट विश्लेषक भी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य

		Joined Central Bank of India in June 2007 as Asst. General Manager and elevated to Deputy General Manager in December 2008 and to General Manager in February 2011. Has 36 years of experience in commercial banking which includes exposure in Small, Medium, Large, Very Large and Extra Large branches situated at Rural, Semi-Urban, Urban and Metro centres besides assignments at Regional Offices, Zonal Office and Corporate Office. Served as Zonal Manager of Gujarat Zone in 2008-09 and North East zone during 2009-10.He has also served as Functional Head at corporate office for Audit & Inspection(From February 2011 to September 2013), General Administration, Rajbhasha with additional responsibility as Chief Liaison officer for SC/ST/PWDs/ Ex-servicemen. He has been instrumental in many initiatives which interalia include web-based application of CA firms, FEMA Audit, Compliance Audit, KYC updation of CBS, issuance of master circulars, review of various policies, introduction of Procurement Manual in a Public Sector Bank. With an interest in fine arts, he is a permanent member of Uttar Dakshin Cultural Organisation and also served as an Executive Committee Member of Chinmaya Mission, Lucknow.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
3	Name	**Shri. Pawan Kumar Bajaj** Executive Director
	Age and Date of Birth	56 years – 21.09.1958
	Qualification	Post Graduate in Science, LLB, CAIIB and holds many diplomas in HR, Treasury, Foreign Exchange and International Banking.
	Date of Appointment	10.03.2015
	Date of expiry of the Current term	30.09.2018
	Experience	Shri. Pawan Kumar Bajaj has taken charge as Executive Director of Indian Overseas Bank on 10th March 2015. His portfolio includes MSME, Mid Corporate, Treasury, Retail Banking, Planning, Public Relations, HR, Industrial Relations, Personnel Administration, Balance Sheet Management, Risk Management etc. Prior to joining Indian Overseas Bank he was the Chief General Manager at National Banking Group (NBG) – North, in Bank of India, comprising 10 zones covering Delhi, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh states and Chandigarh U.T. He started his career in Bank of India as DRO in the year 1982 and rose up to the level of Chief General Manager before moving to Indian Overseas Bank as Executive Director. He has a vast experience in the field of banking, working in various capacities in different places in India and abroad. He has worked not only in General Administration, HR, Treasury, Dealing Room, International Banking, Foreign Exchange etc., but also as Chief Executive in Singapore Centre encompassing operations at Indonesia, Vietnam and Cambodia. His forte is Treasury operations, Foreign Exchange and Human Resources. He has travelled abroad extensively to several countries on official duties apart from working in Singapore branch. He is a good academician, cricketer, market analyzer apart from a seasoned banker.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL

4	नाम	**डॉ. आलोक पाण्डे** भारत सरकार के नामिती
	आयु और जन्म-तिथि	43 वर्ष - 22.10.1971
	योग्यता	बी. ई (मैकेनिकल), एन.आइ.टी इलाहाबाद, पीएच.डी (फाइनेंस) आइआइएम बैंगलोर।
	नियुक्ति की तारीख	22.07.2011
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	डॉ. अलोक पांडे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे वित्तीय समावेशन के प्रमुख हैं। डॉ. अलोक पांडे को भारत सरकार में बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है जहाँ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों मे काम किया है । वित्तीय समावेशन उनके अनुभव व रुचि का क्षेत्र रहा है । उन्होंने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1992 में स्नातक किया है। डॉ. पाण्डे ने 1994 में सिविल सेवाओं में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी पीएचडी उपाधि आइआइएम बैंगलोर से कार्पोरेट फाइनेंस में 2009 में प्राप्त की। उन्होंने अनेक प्रकाशन किए हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत थीसिस वर्ष 2013 मे वित्तीय अर्थव्यवस्था में सर्वोत्कृष्ट थीसिस के एनएसई अवार्ड हेतु चुनी गई । मीनाक्षी यूनिवर्सिटी काँचीपुरम में प्रस्तुत उनकी पीएचडी का शीर्षक है: “बुक बिल्ट इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया: डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइसिंग, सब्सक्रिप्शन पैक्चराइसिंग इन्वेस्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन” वे भारत सरकार की अहम योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के अतिरिक्त मिशन निदेशक हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। वित्तीय सेवाएँ विभाग को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्डस द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
5	नाम	**श्री निर्मल चंद** भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती
	आयु और जन्म-तिथि	54 वर्ष - 31.01.1961
	योग्यता	पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, एमबीए, सीएआईआईबी।
	नियुक्ति की तारीख	13.03.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड एफ अधिकारी के रूप में 1986 में पदभार ग्रहण किया। 3 फरवरी 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे आरबीआई के रायपुर कार्यालय के प्रभारी प्रमुख थे। बैंक में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में कई पद संभाले। बैंकिंग पर्यवेक्षी, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षी, मुद्रा प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली जैसे विभागों में बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ ही कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली तथा रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य किया।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
6	नाम	**श्री आर. संपत कुमार** कामगार कर्मचारी निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	57 वर्ष - 16.02.1958
	योग्यता	बी.ए, सीएआईआईबी।
	नियुक्ति की तारीख	24.01.2014

4	Name	**Dr. Alok Pande** GoI Nominee
	Age and Date of Birth	43 years - 22.10.1971
	Qualification	BE(Mech),NIT Allahabad, Ph. D(Finance). IIM Bangalore
	Date of Appointment	22.07.2011
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Dr. Alok Pande is working as a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Presently he is in-charge of Financial Inclusion Dr. Pande has more than 20 years of experience in Government of India where he has worked in different capacities. His area of interest as well as experience has been that of ensuring Financial Inclusion. He did his graduation in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Allahabad in 1992. Dr. Pande joined the Civil Services in 1994. He completed his Doctorate from IIM Bangalore in the area of Corporate Finance in the year 2009. Dr. Pande has several publications to his credit. The thesis submitted by him has been selected for NSE Award for the best thesis in financial economics for the year 2013 : "Book built initial public offering in India: Determinants of pricing, subscription pacterusing investors and impact of regulation" by Meenakshi University Kanchipuram. He is the Additional Mission Director of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) which is a flagship scheme of the Government. The PMJDY has been hailed as one of the big successes of the Government. Department of Financial Services has also been recognized by the Guinness World Records.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nil
5	Name	**Shri. Nirmal Chand** RBI Nominee
	Age and Date of Birth	54 years - 31.01.1961
	Qualification	Post Graduate from Punjab University, M.B.A., CAIIB
	Date of Appointment	13.03.2014
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	Joined RBI in 1986 as an Officer in Grade F. Has taken charge as the Regional Director, Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram on 03.02.2014. Prior to this, he was Officer-in-charge of Raipur Office of RBI. During his long tenure in the Bank, has held several positions in various offices. Worked in Bank's Central Office at Mumbai as well as other Regional Offices at Kolkata, Jaipur, New Delhi and Raipur in Departments like Banking Supervision, Non Banking Supervision, Currency Management and Payment Systems
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
6	Name	**Shri. R. Sampath Kumar** Workmen Employee Director
	Age and Date of Birth	57 years - 16.02.1958
	Qualification	B.A. CAIIB I
	Date of Appointment	24.01.2014

	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	23.01.2017
	अनुभव	वे 16.12.1981 में बैंक में नियुक्त हुए तथा उन्हें आइओबी में लगभग 33 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है। वर्तमान में वे सीबीओ चेन्नै में विशेष कैडर सहायक हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
7	नाम	**डॉ. जयदेव शर्मा** अधिकारी कर्मचारी निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 20.07.1956
	योग्यता	एम.कॉम, बी.ए, सीएआईआईबी, डीआईएम, एमबीए, एलएलबी, पीएच.डी
	नियुक्ति की तारीख	02.05.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	01.05.2016 अथवा आइओबी में उनके अधिकारी कर्मचारी होने तक या अन्य आदेशों तक, जो भी पहले हो।
	अनुभव	डॉ. जयदेव शर्मा ने 22.07.1977 को बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। वे विगत 37 वर्षों से बैंक में सेवाएँ दे रहे हैं। उन्होंने 4 सालों से भी अधिक समय के लिए बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली में संकाय सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं। इसके अतिरिक्त वे मौद्रिक सिद्धांत हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में एसोसिएट फैकल्टी भी रहे हैं। वे पाँच वर्षों तक बिजनेस प्रबंधन (सीएआईआईबी भाग II) के परीक्षक भी रहे हैं। वे 1991 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी एसोसिएशन के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे आइओबीओए के अध्यक्ष हैं तथा अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआइबीओसी) के संयुक्त महासचिव हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नै से 'पोस्ट ग्लोबलाइजेशन मोटीवेशनल डाइमेंसंस एमंग ऑफिसर्स ऑफ़ इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स' पर पी.एचडी की है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में समकालीन विषयों पर उनके कई शोध पत्र तथा आलेख प्रकाशित हुए हैं। वे 'आइओबीओए-दि क्रुसेडर' नामक आइओबीओए की गृह पत्रिका के एसोसिएट संपादक भी हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया- हैदराबाद, सेंटर फॉर ऑर्गेनाईजेशन डेवलपमेंट- हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडिज एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट- नोएडा में व्याख्यान दिए हैं। वे आइसीडब्ल्यूएआई - एसआईआरसी चेन्नै, मद्रास विश्वविद्यालय (वाणिज्य विभाग), एएमईटी विश्वविद्यालय चेन्नै, एस.आर.एम.यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट स्टडीज़ विभाग आदि में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि/ विशिष्ट अतिथि भी रहे हैं। बैंक के बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उनका पहला कार्यकाल 2006- 09 के दौरान रहा । वर्तमान में कथीड्रल शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	1800
	अन्य निदेशकता	शून्य
8	**नाम**	**श्री चिन्नय्या** अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।
	योग्यता	बीए, एलएलबी
	आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 01.06.1958
	नियुक्ति की तारीख	13.11.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	12.11.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	योग्यता से एक अधिवक्ता होते हुए उन्होंने समाज सेवा से जुड़ने का चुनाव किया। वे वर्तमान में श्री सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रबंधन समिति, हलसुरू, बैंगलोर के अध्यक्ष हैं। वे जय भीम अजा/ अजजा उपभोक्ता सहकारी सोसायटी, उलसूर, बैंगलोर, 560 008, के अध्यक्ष थे। यह संस्था समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करती है। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बैंगलोर के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने डोलोमाइट माइन्स एंड एम्प्लॉयीज वेल्फेयर फंड, नई दिल्ली की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।

	Date of expiry of the Current term	23.01.2017
	Experience	He joined the Bank on 16.12.1981 and is having about 33 years of banking experience in IOB. He is presently a Special Cadre Assistant attached to CBO, Chennai
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nil
7	Name	**Dr. Jai Deo Sharma** Officer Employee Director
	Age and Date of Birth	58 years, 20.07.1956
	Qualification	M.Com., BA., CAIIB, DIM, MBA, LLB, Ph.D
	Date of Appointment	02.05.2013
	Date of expiry of the Current term	01.05.2016 or until he ceases to be an Officer employee of IOB or until further orders, whichever is the earliest.
	Experience	Dr. Jai Deo Sharma joined the Bank on 22nd July 1977. He has been in the services of the Bank for the past 37 years. He has also served as Faculty Member in the Training System of the Bank for more than 4 years. Besides, he has been the Associate Faculty at the Indian Institute of Bankers for Monetary Theory. He was an Examiner for Business Management (CAIIB-Part II) for 5 years. He has been associated with Indian Overseas Bank Officers' Association (IOBOA) as its functionary since 1991 in various capacities. At present he is the President of IOBOA and Joint General Secretary of All India Bank Officers' Confederation (AIBOC). He has completed his research (PhD) on Post Globalization Motivational Dimensions among officers of Indian Public Sector Banks from University of Madras, Chennai. He has published many Research Papers and Articles on Contemporary Topics in prestigious Newspapers and Journals. He is also Associate Editor of "IOBOA-The Crusader", the House Magazine of IOBOA. He has delivered lectures at Administrative Staff College of India - Hyderabad, Centre for Organisation Development - Hyderabad, National Institute of Banking Studies & Corporate Management – NOIDA. He has been the Chief Guest/ Guest of Honour in various programmes held at ICWAI-SIRC-Chennai, University of Madras (Dept. of Commerce), AMET University – Chennai, SRM University, Department of Management Studies etc. This is his second term in the Bank's Board as Officer Employee Director. His earlier term was during 2006-09. Presently Senior Manager, Cathedral Branch
	Shareholding in IOB	1800
	Other Directorships	Nil
8	**Name**	**Shri. Chinnaiah** Part time Non-official Director Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
	Qualification	B.A., LLB
	Age and Date of Birth	56 years, 01.06.1958
	Date of Appointment	13.11.2013
	Date of expiry of the Current term	12.11.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	An advocate by qualification, he has chosen to be associated with social service. He is presently President of Sri Subramanya Swamy Temple Management Committee, Halasuru, Bangalore. He was President of Jai Bheem SC/ST Consumer Co-operative Society. Ulsoor, Bangalore 560 008. The Society is engaged in the helping of downtrodden of the society for their upliftment. Has served as a member of Central Board of Film Certification, Bangalore. Also served as a member of Central Advisory Committee, Dolomite mines and Employees Welfare Fund, New Delhi

	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
9	नाम	**श्रीमती एस. सुजाता** अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।
	योग्यता	एम.कॉम, बीए (हिंदी)
	आयु और जन्म-तिथि	43 वर्ष - 15.12.1971
	नियुक्ति की तारीख	05.12.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	04.12.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	श्रीमती सुजाता 2006 में तिरुच्चि नगर निगम पार्षद चुनी गईं तथा उन्होंने 2009 से 2011 तक तिरुचिरापल्ली नगर निगम की मेयर के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। वर्तमान में वे लेडीज क्लब की अध्यक्ष हैं। वे सामाजिक व लोक स्वास्थ्य सेवा, बाढ़ राहत तथा कल्याण कार्यों, महिलाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करने, पिछड़े तबकों को मजबूत करने वाले 1500 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय व प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने से जुड़ी रही हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
10.	नाम	**श्री ए.बी.डी. बादुशास** अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त।
	योग्यता	वैकल्पिक चिकित्सा के चिकित्सक, एम.बी.ए. (वित्तीय प्रबंधन)
	आयु और जन्म-तिथि	52 वर्ष - 19.08.1962
	नियुक्ति की तारीख	12.12.2013
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	11.12.2016 (अथवा अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो)
	अनुभव	श्री ए.बी.डी.बादुशास पेशे से चिकित्सक (वैकल्पिक चिकित्सा) हैं तथा वे समाज सुधारक, खिलाड़ी तथा कारोबारी के रूप में विविध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वे सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री बागसाहिब के पौत्र भी हैं। श्री बादुशास निम्नलिखित पदों पर कार्यरत हैं: 1. 1015 वर्ष पुराने तथा दक्षिण एशिया के सबसे बड़े न्यास हजरत थैबल आलम बादुशास नाथरवल्ली दरगाह वक्फ न्यास के मुख्य कार्यपालक न्यासी । 2. कॉमनवेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी फॉर रिसर्च, चेन्नई के निदेशक हैं। 3. अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समन्वयक नियुक्त। 4. अखिल भारतीय उपभोक्ता मेला प्रदर्शनी समिति, तमिलनाडु के अध्यक्ष । 5. तिरुच्चि पुनर्वास केंद्र द्वारा स्थापित असंख्य नेत्रहीन विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले ब्लाइंड स्कूल ऑफ तिरुच्चि के सलाहकार समिति के सदस्य।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
11	नाम	**श्री निरंजन कुमार अग्रवाल** शेयरधारक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 22.10.1958
	योग्यता	एफ.सी.ए.
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	07.12.2017

	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
9	Name	**Smt. S. Sujatha** Part time Non-official Director Appointed under Section 9 (3) (h) of the of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
	Qualification	M.Com,, BA (Hindi)
	Age and Date of Birth	43 years, 15.12.1971
	Date of Appointment	05.12.2013
	Date of expiry of the Current term	04.12.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	Smt Sujatha was elected as Trichy City Corporation Councillor in 2006 and served as Mayor, Tiruchirappalli Corporation from 2009 to 2011. She is presently President, Ladies' club. She has been involved in Social and Public Health Care, flood relief and welfare works, providing financial assistance to women, providing financial and administrative assistance to over 1500 self help groups empowering the weaker sections
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nil
10	Name	**Shri. A.B.D. Badushas** Part time Non-official Director Appointed under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
	Qualification	Doctor of Alternative Medicine, MBA (Financial Management)
	Age and Date of Birth	52 years, 19.08.1962
	Date of Appointment	12.12.2013
	Date of expiry of the Current term	11.12.2016 (or until further orders whichever is earlier)
	Experience	Shri. A.B.D. Badushas is a Doctor (Alternative Medicine) by profession and has been involved in multifarious activities as a social reformer, sportsman and businessman. He is also the grandson of well known freedom fighter Late Shri. Bagisahib. Shri. Badushas holds the following positions: 1. Chief Executive Trustee of the Hazrath Thable Alam Badushas Nathervali Dargah Wakf Trust which is 1015 years old and is also the biggest Trust of South Asia 2. Director, Commonwealth Science and Technology Academy for Research, Chennai. 3. Appointed as State Level Co-ordinator by Ministry of Minority Affairs, Government of India 4. Chairman, All India Consumer Fair Exhibition Committee, Tamil Nadu. 5. Advisory Board member of the Blind School of Trichy founded by Trichy Rehabilitation Centre, providing free education to numerous blind students.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	Nil
11	Name	**Shri. Niranjan Kumar Agarwal** Shareholder Director
	Age and Date of Birth	56 Years - 22.10.1958
	Qualification	F. C. A.
	Date of Appointment	08.12.2014
	Date of expiry of the Current term	07.12.2017

	अनुभव	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल, एफ.सी.ए .,1983 से पेशे से सनदी लेखाकार हैं। वे मेसर्स निरंजन कुमार एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंड, कोलकाता के मालिक हैं। उन्हें वृहद कार्पोरेट, कंपनी विधि मामले और इनकम टैक्स को संभालने का तीस वर्षों का अनुभव है। पूँजी व मुद्रा बाज़ार के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। लेखापरीक्षा, विलयन, व समामेलन, कारपोरेट पुनर्संरचना एवं परियोजना वित्तपोषण में विशेषज्ञता । उन्हें टैक्स से जुडे मामलों, टैक्स योजना एवं कंपनी कानून के मामलों पर भी मजबूत पकड़ है। वे कंपनी कानून मामलों, वित्तीय पुनर्संरचना, संसाधन बढ़ाने, कारपोरेट गवर्नेंस आदि मामलों में कारपोरेटों के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे वर्तमान में 1) एमसीसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा 2) मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, कोलकाता के कार्यपालक मंडल के सदस्य हैं। इससे पूर्व 01.11.2011 से 31.10.2014 तक वे हमारे बोर्ड में सनदी लेखाकार निदेशक (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(जी))के रूप में कार्यरत थे ।
	आइओबी में शेयरधारिता	200
	अन्य निदेशकता	शून्य
12	नाम	**श्री संजय रुंगटा** शेयरधारक निदेशक
	आयु और जन्म-तिथि	49 वर्ष - 26.01.1966
	योग्यता	बीकॉम, एफ.सी.ए.
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2014
	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख	07.12.2017
	अनुभव	मुंबई के श्री संजय रुंगटा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बी.कॉम किया है तथा 25 वर्षों से अधिक से सनदी लेखाकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। वे पिछले 25 वर्षों से मेसर्स एस.पी. एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई के वरिष्ठ प्रबंधक साझेदार रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में उन्होंने बैक की शाखाओं की नियमित आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा आयोजित की है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से स्टॉक लेखापरीक्षा, प्राथमिक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समुचित सावधानी तथा वृहत कारपोरेट घरेलू उधारकर्ताओं का प्रबोधन किया है। उन्हें भा.रि.बै. के सीडीआर कक्ष के तहत प्रबोधनात्मक संस्था द्वारा सीडीआर मेकैनिज़्म के तहत बड़े उधारकर्ताओं के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री रूंगटा आइसीएआइ द्वारा नामित "पियर रिव्यूअर्स" के पैनल में शामिल हैं तथा उन्होंने पिछले कुछ सालों में आइसीएआइ विनियमों के अनुपालन में विभिन्न सीए फर्मों की समीक्षा की है। लेखापरीक्षा व बैंकिंग जगत में अपने वृहत अनुभव के अलावा उन्होंने कई प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन, बीमा कंपनियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी कंपनियों का विभिन्न प्रकार से लेखापरीक्षण किया है। उन्होंने भारत व भारत से बाहर कई यात्राएँ की हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	600
	अन्य निदेशकता	शून्य

	Experience	Shri. Niranjan Kumar Agarwal, FCA is a Practicing Chartered Accountant since 1983. He is a Proprietor of M/s.Niranjan Kumar & Co., Chartered Accountants, Kolkata. He has 30 years of experience in handling Audits of Large Corporates, Company Law Matters and Income Tax. He has vast experience in the field of capital and money market. Specialised in Audit, Merger and Amalgamation, Corporate Restructuring and Project Financing. Also specialised in Taxation, Tax Planning and Company Law matters. He is acting as Advisor to many Corporates on company law matters, financial restructuring, resource raising, Corporate Governance etc. He is presently member in Executive Board of (1) MCC Chamber of Commerce & Industry and (2) Marwari Relief Society, Kolkata. He was earlier on our Board as Chartered Accountant Director from 01.11.2011 to 31.10.2014. (Appointed under Section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
	Shareholding in IOB	200
	Other Directorships	Nil
12	Name	**Shri. Sanjay Rungta** Shareholder Director
	Age and Date of Birth	49 years, 26.01.1966
	Qualification	B.Com, F.C.A.
	Date of Appointment	08.12.2014
	Date of expiry of the Current term	07.12.2017
	Experience	Shri. Sanjay Rungta from Mumbai has done B.Com from Rajasthan University and is a practicing Chartered Accountant with more than 25 years of experience and has been exclusively working for the Public Sector Banks. He is a senior managing partner of M/s. S.P. Rungta & Associates, Chartered Accountants, Mumbai since the last 25 years. In the last 25 years he has conducted various kinds of audits of the Banks' branches like regular Internal inspection, concurrent audit, statutory audit and having conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public Sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution under CDR cell of RBI. Shri. Rungta is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, central cooperative societies, Government companies.He has widely travelled in India and abroad.
	Shareholding in IOB	600
	Other Directorships	Nil

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Central Office:763,Anna Salai,Chennai-600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(आर कोटीस्वरन)
प्रबंध निदेशक व सी.ई.ओ

चेन्नै
08.05.2015

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e., General Managers) of the Bank and the said Code is posted on the website of the Bank. The Board Members and senior management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

(R KOTEESWARAN)
Managing Director & CEO

Chennai
08.05.2015

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

Indian Overseas Bank

केन्द्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Central Office:763, Anna Salai,Chennai-600 002

08 मई, 2015

निदेशक मंडल

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31 03 2015 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खण्ड 49-IX सीईओ /सीएफओ का प्रमाणीकरण

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

1. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;
2. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है:

1. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना,
2. वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया और
3. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी के शामिल है जो वित्तीय रिपोर्टिंग विषयक बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(राधा वेंकटकृष्णन)
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

(आर. कोटीस्वरन)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

8th May, 2015

To

THE BOARD OF DIRECTORS

INDIAN OVERSEAS BANK

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31 03 2015 Clause 49 - IX of the Listing Agreement with the Stock Exchanges CEO / CFO Certification

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, we certify that:

a. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   ii. Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(RADHA VENKATAKRISHNAN)
General Manager & CFO

(R. KOTEESWARAN)
Managing Director & CEO

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा
परीक्षकों का प्रमाण - पत्र

सेवा में

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै के शेयरधारक

हमने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज / क्सचेंजों के साथ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सूची करार के खण्ड 49 में निर्दिष्ट किया गया है ।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तो का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मदारी है । हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डिन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था । यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है ।

बैंक द्वारा रखे गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गयी सूचना और दिए गए स्पष्टीकारण के आधार पर, हम प्रमाणित करते है कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्दिष्ट कार्पोरेट संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है ।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा रखे गए रिकार्डो के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है ।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन में बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए है।

पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000051एन

(रमेश चंद गोयल)
साझेदार
एम संख्या.012628

दास खन्ना एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000402एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
एम संख्या.083142

वर्द्धमान एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 004522एस

(आभा जैन)
साझेदार
एम संख्या.015454

ए एस ए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 009571एन

(जे. सिवसंकरन)
साझेदार
एम संख्या.022103

ए वी देवन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000726एस

(ए वासुदेवन)
साझेदार
एम संख्या.023882

स्थान : चेन्नै
दिनांक **: 08.05.2015**

AUDITORS' CERTIFICATE
ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2015, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with Stock Exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanation given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For P.R.MEHRA & Co
Chartered Accountants
FRN 000051N

(RAMESH CHAND GOYAL)
Partner
M.No.012628

For DASS KHANNA & Co
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No.083142

For VARDHAMAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004522S

(ABHA JAIN)
Partner
M.No.015454

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006

(J. SIVASANKARAN)
Partner
M.No.022103

For A V DEVEN & CO
Chartered Accountants
FRN 000726S

(A VASUDEVEN)
Partner
M.No.023882

Place : Chennai
Date : 08.05.2015

31.3.2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रु. 000 में)

	अनुसूची	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
पूँजी व देयताएँ			
पूँजी	01	1235 34 83	1235 34 83
आरक्षितियाँ और अधिशेष	02	14405 66 94	14934 82 40
जमा राशियाँ	03	246048 72 15	227976 08 66
उधार	04	18232 41 08	24505 77 59
अन्य देयताएँ व प्रावधान	05	5714 83 35	6246 63 18
जोड़		**285636 98 35**	**274898 66 66**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	06	12637 77 47	11735 09 75
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	12260 77 15	7273 68 03
निवेश	08	81310 34 72	70236 79 96
अग्रिम	09	171756 02 06	175881 59 33
स्थिर आस्तियाँ	10	2507 06 48	2604 37 71
अन्य आस्तियाँ	11	5165 00 47	7167 11 88
जोड़		**285636 98 35**	**274898 66 66**
समाश्रित देयताएँ	12	83562 52 13	70262 78 40
संग्रहण के लिए बिल		14916 54 79	14017 39 08
मूल लेखाकरण नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ तुलन - पत्र का अंग है।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

आर. कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

पवन कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

निर्मल चंद
आर संपत कुमार
जे. डी. शर्मा
निरंजन कुमार अग्रवाल
चिन्नय्या
एस. सुजाता
ए. बी. डी. बादुशास
संजय रुंगटा

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 08.05.2015

कृते पी.आर. मेहरा एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000051 एन

(रमेश चन्द गोयल)
साझेदार
एम नं. 012628

कृते दास खन्ना एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000402 एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
एम नं. 083142

कृते वर्धमान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004522 एस

(आभा जैन)
साझेदार
एम नं. 015454

ए एस ए एवं एशोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 009571 एन/ एन 500006

(जे सिवशंकरन)
साझेदार
एम.नं. 022103

ए वी देवन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726 एस

(ए वासुदेवन)
साझेदार
एम. नं. 023882

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

(₹ in 000's)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	01	1235 34 83	1235 34 83
Reserves and Surplus	02	14405 66 94	14934 82 40
Deposits	03	246048 72 15	227976 08 66
Borrowings	04	18232 41 08	24505 77 59
Other Liabilities & Provisions	05	5714 83 35	6246 63 18
TOTAL		**285636 98 35**	**274898 66 66**
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	12637 77 47	11735 09 75
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	12260 77 15	7273 68 03
Investments	08	81310 34 72	70236 79 96
Advances	09	171756 02 06	175881 59 33
Fixed Assets	10	2507 06 48	2604 37 71
Other Assets	11	5165 00 47	7167 11 88
TOTAL		**285636 98 35**	**274898 66 66**
Contingent Liabilities	12	83562 52 13	70262 78 40
Bills for Collection		14916 54 79	14017 39 08
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Schedules Form Part of the Balance Sheet

Vide our Report of Even Date

R. KOTEESWARAN
Managing Director & CEO

ATUL AGARWAL
Executive Director

PAWAN KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS
Nirmal Chand
R. Sampath Kumar
J.D. Sharma
Niranjan Kumar Agarwal
Chinnaiah
S. Sujatha
A.B.D. Badushas
Sanjay Rungta

For P.R. MEHRA & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(RAMESH CHAND GOYAL)
Partner
M.No.012628

For DASS KHANNA & CO,
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No.083142

For VARDHAMAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004522S

(ABHA JAIN)
Partner
M.No.015454

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N/ N500006

(J. SIVASANKARAN)
Partner
M.No.022103

For A V DEVEN & CO
Chartered Accountants
FRN 000726S

(A. VASUDEVEN)
Partner
M.No.023882

Place: Chennai
Date: 08.05.2015

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

(रु.000 में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
आय			
अर्जित ब्याज	13	23938 33 45	22683 73 38
अन्य आय	14	2138 59 67	2169 34 39
योग		**26076 93 12**	**24853 07 77**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	18554 37 59	17106 91 53
परिचालन व्यय	16	4200 21 35	3748 91 81
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)		3776 66 69	3395 50 29
योग		**26531 25 63**	**24251 33 63**
लाभ / हानि (-)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)		-454 32 51	601 74 14
अग्रणित लाभ / हानि (-)		0	0
योग		**-454 32 51**	**601 74 14**
विनियोजन			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण		0	150 50 00
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		0	19 61 47
पूँजी आरक्षितियों मे अंतरण		35 51 23	63 43 81
विशेष आरक्षित को अंतरण		0	200 00 00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		0	168 18 86
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि		-489 83 74	0
योग		**-454 32 51**	**601 74 14**
मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)		-3.68	6.05
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं ।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

आर कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व सी ई ओ

अतुल अग्रवाल
कार्यपालक निदेशक

पवन कुमार बजाज
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण
निर्मल चंद
आर. संपत कुमार
जे. डी. शर्मा
निरंजन कुमार अग्रवाल
चिन्नय्या
एस. सुजाता
ए. बी. डी. बादुशास
संजय रूंगटा

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 08.05.2015

कृते पी.आर. मेहरा एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000051 एन

(रमेश चन्द गोयल)
साझेदार
एम नं. 012628

कृते दास खन्ना एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000402 एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
एम नं. 083142

कृते वर्धमान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004522 एस

(आभा जैन)
साझेदार
एम नं. 015454

ए एस ए एवं एशोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 00957 एन/ एन 500006

(जे. शिवशंकरन)
साझेदार
एम.नं. 022103

ए वी देवन एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726 एस

(ए. वासुदेवन)
साझेदार
एम. नं. 023882

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(₹ in 000's)

	SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2015	YEAR ENDED 31.03.2014
INCOME			
Interest earned	13	23938 33 45	22683 73 38
Other income	14	2138 59 67	2169 34 39
TOTAL		**26076 93 12**	**24853 07 77**
EXPENDITURE			
Interest expended	15	18554 37 59	17106 91 53
Operating expenses	16	4200 21 35	3748 91 81
Provisions & Contingencies (Net)		3776 66 69	3395 50 29
TOTAL		**26531 25 63**	**24251 33 63**
PROFIT / LOSS (–)			
Net Profit / Loss (–) for the year		-454 32 51	601 74 14
Profit /Loss **(–)** brought forward		0	0
TOTAL		**-454 32 51**	**601 74 14**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		0	150 50 00
Transfer to Revenue and Other Reserves		0	19 61 47
Transfer to Capital Reserve		35 51 23	63 43 81
Transfer to Special Reserve		0	200 00 00
Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		0	168 18 86
Balance carried over to Balance Sheet		-489 83 74	0
TOTAL		**-454 32 51**	**601 74 14**
Basic & Diluted Earnings per share (₹)		-3.68	6.05
Nominal Value per Equity Share (₹)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

Vide our Report of Even Date

R. KOTEESWARAN
Managing Director & CEO

ATUL AGARWAL
Executive Director

PAWAN KUMAR BAJAJ
Executive Director

DIRECTORS
Nirmal Chand
R. Sampath Kumar
J.D. Sharma
Niranjan Kumar Agarwal
Chinnaiah
S. Sujatha
A.B.D. Badushas
Sanjay Rungta

For P.R. MEHRA & CO
Chartered Accountants
FRN 000051N

(RAMESH CHAND GOYAL)
Partner
M.No.012628

For DASS KHANNA & CO,
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No.083142

For VARDHAMAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004522S

(ABHA JAIN)
Partner
M.No.015454

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N/ N500006

(J. SIVASANKARAN)
Partner
M.No.022103

For A V DEVEN & CO
Chartered Accountants
FRN 000726S

(A. VASUDEVEN)
Partner
M.No.023882

Place: Chennai
Date: 08.05.2015

अनुसूचियाँ

(रु. '000 में)

अनुसूची-1 पूँजी	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर	3000 00 00	3000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूँजी		
प्रत्येक रु.10/- के 123,53,48,315 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 91,17,10,848 शेयर शामिल है)	1235 34 83	1235 34 83

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I. शेयर प्रीमियम		
अथ शेष	4845 12 80	3558 33 50
जोड़ें : परिवर्धन	0	1286 79 30
योग - I	**4845 12 80**	**4845 12 80**
II. सांविधिक आरक्षितियाँ		
अथ शेष	3062 11 87	2911 61 87
जोड़ें : परिवर्धन	0	150 50 00
योग - II	**3062 11 87**	**3062 11 87**
III. पूँजी आरक्षितियाँ		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ		
अथ शेष	1813 90 57	1147 93 66
जोड़ें : परिवर्धन	65 02	845 67 68
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*	108 02 39	179 70 77
योग - अ	**1706 53 20**	**1813 90 57**
आ. निवेशों की बिक्री पर		
अथशेष	973 11 92	910 60 61
जोड़ें : परिवर्धन	35 51 23	62 51 31
योग-आ	**1008 63 15**	**973 11 92**
इ. अन्य		
अथशेष	152 89 13	151 87 87
जोड़ें : परिवर्धन*	4 05	1 01 26
योग - इ	**152 93 18**	**152 89 13**
योग - III (अ, आ, इ)	**2868 09 53**	**2939 91 62**
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ		
(i)अन्य राजस्व आरक्षितियाँ		
अथशेष	2560 56 67	2716 67 41
जोड़ें : परिवर्धन	0	19 61 47
घटाएँ: कटौतियाँ	0	175 72 21
योग - (i)	**2560 56 67**	**2560 56 67**

SCHEDULES (₹ in 000's)

SCHEDULE - 1 **CAPITAL**	**AS AT 31.03.2015**	**AS AT 31.03.2014**
AUTHORISED CAPITAL		
300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000 00 00	3000 00 00
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
123,53,48,315 Equity Shares of ₹ 10/- each	1235 34 83	1235 34 83
(Includes 91,17,10,848 Shares of ₹ 10/- each held by Government of India)		

SCHEDULE - 2 **RESERVES & SURPLUS**	**AS AT 31.03.2015**	**AS AT 31.03.2014**
I. SHARE PREMIUM		
Opening balance	4845 12 80	3558 33 50
Add: Additions	0	1286 79 30
TOTAL -I	**4845 12 80**	**4845 12 80**
II. STATUTORY RESERVE		
Opening balance	3062 11 87	2911 61 87
Add: Additions	0	150 50 00
TOTAL -II	**3062 11 87**	**3062 11 87**
III. CAPITAL RESERVE		
A. Revaluation Reserve		
Opening Balance	1813 90 57	1147 93 66
Add: Additions*	65 02	845 67 68
Less: Deductions / Depreciation *	108 02 39	179 70 77
TOTAL - A	**1706 53 20**	**1813 90 57**
B. On sale of Investments		
Opening Balance	973 11 92	910 60 61
Add: Additions	35 51 23	62 51 31
TOTAL - B	**1008 63 15**	**973 11 92**
C. Others		
Opening Balance	152 89 13	151 87 87
Add: Additions *	4 05	1 01 26
TOTAL - C	**152 93 18**	**152 89 13**
TOTAL - III (A,B,C)	**2868 09 53**	**2939 91 62**
IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
(i) Other Revenue Reserves		
Opening Balance	2560 56 67	2716 67 41
Add: Additions	0	19 61 47
Less: Deduction	0	175 72 21
TOTAL - (i)	**2560 56 67**	**2560 56 67**

अनुसूचियाँ (जारी) (रु. '000 में)

अनुसूची-2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
(ii) विशेष आरक्षिति		
अथशेष	**741 60 00**	**541 60 00**
जोड़ें : परिवर्धन	**0**	**200 00 00**
योग - (ii)	**741 60 00**	**741 60 00**
(iii) निवेश आरक्षितियाँ खाते		
अथशेष	97 95 58	97 95 58
जोड़ें : परिवर्धन	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग - (iii)	**97 95 58**	**97 95 58**
IV) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियाँ		
अथशेष	687 53 86	496 65 66
जोड़ें : परिवर्धन	32 50 37	190 88 20
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग - (iv)	**720 04 23**	**687 53 86**
योग - IV (i,ii, iii & iv)	**4120 16 48**	**4087 66 11**
V. लाभ व हानि खाते	-489 83 74	0
योग (I, II, III, IV & V)	**14405 66 94**	**14934 82 40**

* 31.3.2015 तक विनिमय की दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों के परिवर्तन से हुआ समायोजन शामिल है ।

अनुसूची-3 जमाएं	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
अ. I. माँग जमाएं		
i) बैंकों से	40 85 46	42 74 34
ii) अन्यों से	14599 47 43	13980 00 07
योग - I	**14640 32 89**	**14022 74 41**
II. बचत बैंक जमाएं	**47101 16 22**	**43743 71 40**
III. मीयादी जमाएं		
i) बैंकों से	599 02 19	388 69 49
ii) अन्यों से	183708 20 85	169820 93 36
योग - III	**184307 23 04**	**170209 62 85**
योग- अ (I, II & III)	**246048 72 15**	**227976 08 66**
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएं	239819 19 60	219730 70 35
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं	6229 52 55	8245 38 31
योग - आ	**246048 72 15**	**227976 08 66**

SCHEDULES (Contd.) (₹ in 000's)

SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS			AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
	(ii)	Special Reserve		
		Opening balance	**741 60 00**	**541 60 00**
		Add: Additions	**0**	**200 00 00**
		TOTAL - (ii)	**741 60 00**	**741 60 00**
	(iii)	Investment Reserve Account		
		Opening Balance	97 95 58	97 95 58
		Add: Additions	0	0
		Less: Deductions	0	0
		TOTAL - (iii)	**97 95 58**	**97 95 58**
	(iv)	Foreign Currency Translation Reserve		
		Opening balance	687 53 86	496 65 66
		Add: Additions	32 50 37	190 88 20
		Less: Deduction	0	0
		TOTAL - (iv)	**720 04 23**	**687 53 86**
		TOTAL - IV (i,ii,iii,iv)	**4120 16 48**	**4087 66 11**
V.	**PROFIT AND LOSS ACCOUNT**		-489 83 74	0
		TOTAL (I, II, III, IV & V)	**14405 66 94**	**14934 82 40**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2015

SCHEDULE - 3 DEPOSITS				AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
A.	**I.**	**DEMAND DEPOSITS**			
		i)	From Banks	40 85 46	42 74 34
		ii)	From Others	14599 47 43	13980 00 07
			TOTAL - I	**14640 32 89**	**14022 74 41**
	II.	**SAVINGS BANK DEPOSITS**		**47101 16 22**	**43743 71 40**
	III.	**TERM DEPOSITS**			
		i)	From Banks	599 02 19	388 69 49
		ii)	From Others	183708 20 85	169820 93 36
			TOTAL - III	**184307 23 04**	**170209 62 85**
			TOTAL - A (I,II & III)	**246048 72 15**	**227976 08 66**
B.	I)	Deposits of branches in India		239819 19 60	219730 70 35
	II)	Deposits of branches outside India		6229 52 55	8245 38 31
			TOTAL - B	**246048 72 15**	**227976 08 66**

अनुसूचियाँ (जारी) (रु. '000 में)

अनुसूची-4 लिये गये उधार		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	**भारत में लिए गए उधार**		
	भारतीय रिज़र्व बैंक	0	4175 00 00
	अन्य बैंक	0	0
	अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	748 72 62	2254 19 32
	नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	1780 00 00	780 00 00
	बॉण्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	2632 30 00	2632 30 00
	अधीनस्थ कर्ज	2990 00 00	3190 00 00
	योग I	**8151 02 62**	**13031 49 32**
II.	**भारत के बाहर से लिए गए उधार**	**10081 38 46**	**11474 28 27**
	योग (I व II)	**18232 41 08**	**24505 77 59**
III.	ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**748 72 62**	**6429 19 32**

अनुसूची-5 अन्य देयतायें व प्रावधान		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	देय बिल	521 09 62	547 35 93
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	710 11 65	746 15 05
III.	प्रोद्भूत ब्याज	697 74 05	584 78 18
IV.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	3785 88 03	4368 34 02
	योग	**5714 83 35**	**6246 63 18**

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	1489 70 16	1111 94 23
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ		
	i) चालू खाते में शेष	11148 07 31	10623 15 52
	ii) अन्य खातों में शेष	0	0
	योग	**12637 77 47**	**11735 09 75**

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	भारत में		
	i) बैंकों में शेष		
	क. चालू ख़ातों में	55 25 34	50 08 47
	ख. अन्य जमा खातों में	36 92 34	36 93 65
	ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	क. बैंकों के साथ	2449 99 32	50 00 00
	ख. अन्य संस्थाओं के साथ	5608 11 85	5660 77 02
	योग - I	**8150 28 85**	**5797 79 14**

SCHEDULES (Contd.) (₹ in 000's)

SCHEDULE - 4 BORROWINGS		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
I.	**BORROWINGS IN INDIA**		
	Reserve Bank of India	0	4175 00 00
	Other Banks	0	0
	Other Institutions & Agencies	748 72 62	2254 19 32
	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1780 00 00	780 00 00
	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2632 30 00	2632 30 00
	Subordinated Debt	2990 00 00	3190 00 00
	TOTAL (I)	**8151 02 62**	**13031 49 32**
II.	**BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	**10081 38 46**	**11474 28 27**
	TOTAL (I & II)	**18232 41 08**	**24505 77 59**
III.	Secured borrowings included in I & II above	**748 72 62**	**6429 19 32**

SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
I.	Bills Payable	521 09 62	547 35 93
II.	Inter Office Adjustments (Net)	710 11 65	746 15 05
III.	Interest Accrued	697 74 05	584 78 18
IV.	Others (including provisions)	3785 88 03	4368 34 02
	TOTAL	**5714 83 35**	**6246 63 18**

SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
I.	Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1489 70 16	1111 94 23
II.	Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	11148 07 31	10623 15 52
	ii) in Other Accounts	0	0
	TOTAL	**12637 77 47**	**11735 09 75**

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
I.	In India		
	i) Balances with Banks		
	a) In Current Accounts	55 25 34	50 08 47
	b) In Other Deposit Accounts	36 92 34	36 93 65
	ii) Money at Call and Short Notice		
	a) With Banks	2449 99 32	50 00 00
	b) With other institutions	5608 11 85	5660 77 02
	TOTAL - I	**8150 28 85**	**5797 79 14**

अनुसूचियाँ (जारी) (रु. 000 में)

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
II. भारत के बाहर		
क . चालू खातों में	382 35 27	282 97 23
ख. अन्य जमा खातों में	3597 69 03	969 42 36
ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	130 44 00	223 49 30
योग - II	**4110 48 30**	**1475 88 89**
योग (I व II)	**12260 77 15**	**7273 68 03**

अनुसूची- 8 निवेश	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	65861 98 67	58941 11 42
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3 10 93	51 65 65
iii) शेयर	1358 91 74	1073 71 74
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	4495 88 23	4864 84 34
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	0	0
vi) अन्य निवेश	6053 87 78	2080 58 96
(म्यूच्युअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँजी फंड जमा प्रमाण-पत्र और नाबार्ड के पास आर. आइ. डी. एफ., सी पी में निवेश)		
योग - I	**77773 77 35**	**67011 92 11**
II. भारत के बाहर निवेश*		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)	2520 04 44	2326 51 39
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
iii) शेयर	9 59	9 36
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	816 85 82	705 07 01
v) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199 57 52	193 20 09
vi) अन्य निवेश	0	0
योग - II	**3536 57 37**	**3224 87 85**
कुल जोड़ (I व II)	**81310 34 72**	**70236 79 96**
भारत में सकल निवेश	78196 22 37	68005 84 79
घटाएँ : मूल्यह्रास	422 45 02	993 92 68
निवल विनिधान	77773 77 35	67011 92 11
भारत के बाहर सकल निवेश*	3536 57 37	3226 44 00
घटाएँ : मूल्यह्रास	0	1 56 15
निवल विनिधान	3536 57 37	3224 87 85
कुल निवल निवेश	**81310 34 72**	**70236 79 96**

*31.3.2015 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों में तत्कालीन मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण समायोजन शामिल है ।

SCHEDULES (Contd.) (₹ in 000's)

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
II.	Outside India		
a)	In Current Accounts	382 35 27	282 97 23
b)	In Other Deposit Accounts	3597 69 03	969 42 36
c)	Money at Call and Short Notice	130 44 00	223 49 30
	TOTAL - II	**4110 48 30**	**1475 88 89**
	TOTAL (I & II)	**12260 77 15**	**7273 68 03**

SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
I.	**INVESTMENTS IN INDIA**		
i)	Government Securities	65861 98 67	58941 11 42
ii)	Other Approved Securities	3 10 93	51 65 65
iii)	Shares	1358 91 74	1073 71 74
iv)	Debentures and Bonds	4495 88 23	4864 84 34
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi)	Other Investments (Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and RIDF with NABARD, CP)	6053 87 78	2080 58 96
	TOTAL - I	**77773 77 35**	**67011 92 11**
II.	**INVESTMENTS OUTSIDE INDIA***		
i)	Government Securities (including Local Authorities)	2520 04 44	2326 51 39
ii)	Other Approved Securities	0	0
iii)	Shares	9 59	9 36
iv)	Debentures and Bonds	816 85 82	705 07 01
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	199 57 52	193 20 09
vi)	Other Investments	0	0
	TOTAL - II	**3536 57 37**	**3224 87 85**
	TOTAL (I & II)	**81310 34 72**	**70236 79 96**
Gross Investments in India		78196 22 37	68005 84 79
Less: Depreciation		422 45 02	993 92 68
Net Investments		77773 77 35	67011 92 11
Gross Investments Outside India*		3536 57 37	3226 44 00
Less: Depreciation		0	1 56 15
Net Investments		3536 57 37	3224 87 85
Total Net Investments		**81310 34 72**	**70236 79 96**

* includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2015

(रु. 000 में)

अनुसूची-9 अग्रिम		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
अ.	i) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	3755 94 23	5308 92 11
	ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	80034 41 73	79456 63 82
	iii) सावधि उधार	87965 66 10	91116 03 40
	योग	**171756 02 06**	**175881 59 33**
आ.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	148806 53 16	149913 82 86
	ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	3116 21 11	3291 58 59
	iii) अप्रतिभूत	19833 27 79	22676 17 88
	योग	**171756 02 06**	**175881 59 33**
इ.	I. भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र	59997 17 69	56359 33 44
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	20868 08 16	20424 30 00
	iii) बैंक	11 54 74	659 95 85
	iv) अन्य	75774 73 21	79988 07 34
	योग	**156651 53 80**	**157431 66 63**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	i) बैंकों से शोध्य	760 21 52	543 54 59
	ii) अन्यों से शोध्य		
	क) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	1963 43 60	3278 44 49
	ख) संघबद्ध उधार	5418 12 94	6837 73 45
	ग) अन्य	6962 70 20	7790 20 17
	योग	**15104 48 26**	**18449 92 70**
	कुल योग (सी I व सी II)	**171756 02 06**	**175881 59 33**

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	परिसर		
	गत वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर / पुन : मूल्यांकित रकम	2597 47 45	1718 05 55
	वर्ष के दौरान परिवर्धन*	-6 65 63	880 74 02
		2590 81 82	2598 79 57
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	1 92 19	1 32 12
		2588 89 63	2597 47 45
	अद्यतन मूल्यह्रास	525 63 05	409 07 62
	योग - I	**2063 26 58**	**2188 39 83**
II.	पूँजीगत चालू कार्य	44 99 55	37 28 16
	योग - II	**44 99 55**	**37 28 16**

SCHEDULES (Contd.) (₹ in 000's)

SCHEDULE - 9 ADVANCES				AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
A	i)	Bills Purchased & Discounted		3755 94 23	5308 92 11
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand		80034 41 73	79456 63 82
	iii)	Term Loans		87965 66 10	91116 03 40
		TOTAL		**171756 02 06**	**175881 59 33**
B	i)	Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)		148806 53 16	149913 82 86
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees		3116 21 11	3291 58 59
	iii)	Unsecured		19833 27 79	22676 17 88
		TOTAL		**171756 02 06**	**175881 59 33**
C.	I)	Advances in India			
		i)	Priority Sector	59997 17 69	56359 33 44
		ii)	Public Sector	20868 08 16	20424 30 00
		iii)	Banks	11 54 74	659 95 85
		iv)	Others	75774 73 21	79988 07 34
		TOTAL		**156651 53 80**	**157431 66 63**
	II)	Advances Outside India			
		i)	Due from Banks	760 21 52	543 54 59
		ii)	Due from Others		
			a) Bills Purchased & Discounted	1963 43 60	3278 44 49
			b) Syndicated Loans	5418 12 94	6837 73 45
			c) Others	6962 70 20	7790 20 17
		TOTAL		**15104 48 26**	**18449 92 70**
		TOTAL (C-I & C-II)		**171756 02 06**	**175881 59 33**

SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
I.	Premises		
	At cost / revalued amount as on 31st March of Previous Year	2597 47 45	1718 05 55
	Additions during the year *	-6 65 63	880 74 02
		2590 81 82	2598 79 57
	Deductions during the year*	1 92 19	1 32 12
		2588 89 63	2597 47 45
	Depreciation to date	525 63 05	409 07 62
	TOTAL -I	**2063 26 58**	**2188 39 83**
II.	Capital work in progress	44 99 55	37 28 16
	TOTAL - II	**44 99 55**	**37 28 16**

(रु.000 में)

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	1351 40 71	1188 11 86
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	164 88 68	186 51 43
	1516 29 39	1374 63 29
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	23 18 86	23 22 58
	1493 10 53	1351 40 71
अद्यतन मूल्यह्रास	1094 30 18	972 70 99
योग - III	**398 80 35**	**378 69 72**
कुल योग (I, II & III)	**2507 06 48**	**2604 37 71**

* 31.03.2015 तक विनिमय की दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों के परिवर्तन से हुआ समायोजन शामिल है ।

अनुसूची 11 अन्य आस्तियाँ	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
ii) प्रोद्‌भूत ब्याज	2782 86 86	2640 21 38
iii) अग्रिम रूप से संदत्त/ स्त्रोत पर काटा गया कर	576 52 19	1734 74 43
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	11 48 18	10 68 78
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	211 55 39	211 55 39
vi) अन्य	1582 57 85	2569 91 90
योग	**5165 00 47**	**7167 11 88**

अनुसूची 12 आकस्मिक दायित्व	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	74 63 59	40 61 36
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	34709 30 28	21248 68 37
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ		
क. भारत में	20379 62 79	18432 59 85
ख. भारत के बाहर	1217 31 75	971 18 26
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	17299 21 83	20564 31 27
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	9882 30 29	9005 27 69
	83562 52 13	**70262 78 40**

SCHEDULES (Contd.) (₹ in 000's)

SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
III.	Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	At cost as on 31st March of Previous Year	1351 40 71	1188 11 86
	Additions during the year *	164 88 68	186 51 43
		1516 29 39	1374 63 29
	Deductions during the year*	23 18 86	23 22 58
		1493 10 53	1351 40 71
	Depreciation to date	1094 30 18	972 70 99
	TOTAL - III	**398 80 35**	**378 69 72**
	TOTAL (I, II & III)	**2507 06 48**	**2604 37 71**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2015

SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
i)	Inter Office Adjustments (Net)	0	0
ii)	Interest Accrued	2782 86 86	2640 21 38
iii)	Tax paid in advance / Tax deducted at source	576 52 19	1734 74 43
iv)	Stationery & Stamps	11 48 18	10 68 78
v)	Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	211 55 39	211 55 39
vi)	Others	1582 57 85	2569 91 90
	TOTAL	**5165 00 47**	**7167 11 88**

SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES		AS AT 31.03.2015	AS AT 31.03.2014
i)	Claims against the Bank not acknowledged as debts	74 63 59	40 61 36
ii)	Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii)	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	34709 30 28	21248 68 37
iv)	Guarantees given on behalf of constituents		
	a) In India	20379 62 79	18432 59 85
	b) Outside India	1217 31 75	971 18 26
v)	Acceptances, Endorsements &Other obligations	17299 21 83	20564 31 27
vi)	Other items for which the Bank is contingent liable	9882 30 29	9005 27 69
		83562 52 13	**70262 78 40**

अनुसूचियाँ (जारी) (रु. 000 में)

अनुसूची 13 अर्जित ब्याज		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
i)	ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	17945 58 06	17282 44 41
ii)	निवेशों पर आय	5469 73 94	4990 20 36
iii)	भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	465 84 39	370 90 23
iv)	अन्य	57 17 06	40 18 38
	योग	**23938 33 45**	**22683 73 38**

अनुसूची 14 अन्य आय		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
i)	कमीशन, विनिमय और दलाली	1001 92 99	929 06 56
ii)	निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	536 29 36	488 80 37
iii)	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि (निवल)	-253 48 45	-104 51 32
iv)	भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1 14 85	1 86 84
v)	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	258 65 75	274 33 02
vi)	विविध आय	594 05 17	579 78 92
	योग	**2138 59 67**	**2169 34 39**

अनुसूची 15 खर्च किया गया ब्याज		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
i)	जमाओं पर ब्याज	17245 82 90	15408 82 53
ii)	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	1308 50 68	1697 57 13
iii)	अन्य	4 01	51 87
	योग	**18554 37 59**	**17106 91 53**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
i)	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2649 53 79	2362 61 47
ii)	भाड़ा, कर और रोशनी	378 25 05	330 41 28
iii)	मुद्रण और लेखन-सामग्री	25 98 55	26 88 61
iv)	विज्ञापन और प्रचार	10 34 44	27 01 31
v)	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	149 00 08	141 31 60
vi)	निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	1 33 74	1 39 43
vii)	लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय (शाखा लेखा - परीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित)	42 25 18	32 72 28
viii)	विधि प्रभार	12 68 65	9 01 22
ix)	डाक महसूल, तार, टेलीफ़ोन आदि	60 23 63	55 77 31
x)	मरम्मत और अनुरक्षा	9 73 76	11 90 15
xi)	बीमा	268 06 99	232 06 69
xii)	अन्य व्यय	592 77 49	517 80 46
	योग	**4200 21 35**	**3748 91 81**

SCHEDULES (Contd.) (₹ in 000's)

SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
i)	Interest / discount on advances / bills	17945 58 06	17282 44 41
ii)	Income on investments	5469 73 94	4990 20 36
iii)	Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	465 84 39	370 90 23
iv)	Others	57 17 06	40 18 38
	TOTAL	**23938 33 45**	**22683 73 38**

SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
i)	Commission, Exchange and Brokerage	1001 92 99	929 06 56
ii)	Profit on Sale of Investments (Net)	536 29 36	488 80 37
iii)	Loss on Revaluation of Investments (Net)	-253 48 45	-104 51 32
iv)	Profit on sale of land,buildings	1 14 85	1 86 84
v)	Profit on exchange transactions (Net)	258 65 75	274 33 02
vi)	Miscellaneous Income	594 05 17	579 78 92
	TOTAL	**2138 59 67**	**2169 34 39**

SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
i)	Interest on Deposits	17245 82 90	15408 82 53
ii)	Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1308 50 68	1697 57 13
iii)	Others	4 01	51 87
	TOTAL	**18554 37 59**	**17106 91 53**

SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
I)	Payments to and provisions for employees	2649 53 79	2362 61 47
ii)	Rent, Taxes and Lighting	378 25 05	330 41 28
iii)	Printing and Stationery	25 98 55	26 88 61
iv)	Advertisement and Publicity	10 34 44	27 01 31
v)	Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	149 00 08	141 31 60
vi)	Directors' fees, allowances and expenses	1 33 74	1 39 43
vii)	Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	42 25 18	32 72 28
viii)	Law charges	12 68 65	9 01 22
ix)	Postages, telegrams, telephones, etc.	60 23 63	55 77 31
x)	Repairs and Maintenance	9 73 76	11 90 15
xi)	Insurance	268 06 99	232 06 69
xii)	Other Expenditure	592 77 49	517 80 46
	TOTAL	**4200 21 35**	**3748 91 81**

अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1.तैयारी का आधार

1.1. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ हो तो वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की पुष्टि मे हैं, जिसमें सांविधिक उपबंध, नियंत्रक /भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, लेखांकन मानक / भारतीय लेखा सनदी संस्थान द्वारा जारी मर्गदर्शन नोट (आइसीएआइ) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियाँ समाविष्ट की हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, उन सांविधिक उपबंधों, प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा जो संबंधित विदेशी राष्ट्रों में विद्यमान हैं।

<u>आकलन का प्रयोग :</u>

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता और लेखांकन खर्च

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है । अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो तो मूल रकम के लिए किया जाता है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो ।

2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है ।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

3.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" विषयक लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार विदेशी विनिमय युक्त लेन-देनों के लिए लेखांकन किया जाता है ।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू करके रिपोट्रिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फ़ेडाइ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में समापन समापन दरों पर दिखाया जाता है । सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडाई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फ़ेडाइ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को "अन्य देयताएँ व प्रावधान" / 'अन्य आस्ति खाता' में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व में ले लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन समापन दरों पर किया जाता है ।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3.विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

क) लेखांकन मानक 11, में निर्धारितानुसार सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न प्रचालन माना जाता है ।

ख) आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) को हर तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग) आय और व्यय को हर तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसतन दर पर परिवर्तित किया जाता है ।

घ) परिणत के विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व" नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/ Government Business), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In case of matured overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds &Debentures,

e) Subsidiaries /Joint Ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realisation basis as per prudential norms.

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नवत रूप में किया गया है:

4.3.1. "व्यापार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन को मार्क किया गया। केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग / उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। सूचित इक्विटी शेयरों और बाजार दरों पर है अ-सूचित इक्विटी शेयरों और जोखिम पूंजी निधियों की यूनिट और बही मूल्य उपलब्ध तुलन पत्र से प्राप्त एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यन रु.1/- के प्रति कंपनी/ निधि किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ /एफआइएमएमडीए द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है ।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है, को नजर अंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है, तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 "परिपक्वता के लिए धारित" : ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है । प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो, उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान / आय की अनभिज्ञान के अधीन है । अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो / आरक्षित रेपो लेनदेनों का हिसाब-किताब किया जाता है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 भारत में अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदिग्ध' और 'हानि-जनक आस्तिया' और ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए प्रावधान में वर्गीकृत किया गया है और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. व्युत्पन्न

6.1 ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2 प्रतिरक्षा उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित किया गया है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति / देयता जो भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को मार्क किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति / देयता के साथ पदनामित किया जाता है जिसे भी बाजार को मार्क किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति / देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज़ किया जाता है।

6.3 उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना / मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख को मान्यता दी जाती है । कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज़ किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50 %
फ़र्नीचर*	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण,वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से निकालकर लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया जाता है ।

7.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज़ किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company /Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de -recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

7. Fixed Assets

7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून / पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है । सेवा निवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि, पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है।

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर :

आय पर करों के लेखांकन, आइसीएआइ के लेखांकन मानक 22 के तहत निर्धारित अनुसार चालू कर और आस्थगित कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और आयकर आय के बीच समय बद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षित करने वाला) इसमें समाहित है। आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना हो पर भी विचार हो सके । आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर के अर्जन

बैंक लेखांकन मानक 20 ईपीएस के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकरण संस्थान द्वारा रिपोर्ट करता है । मूल प्रति इक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। सांद्रित मूल अर्जन प्रति शेयर अर्जन संभाव्य घटाव दर्शाता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति इक्विटी शेयर सांद्रित आय का परिकलन भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटि शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

11. आस्तियों का अनर्जन

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। घाटा यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रक़म से अधिक आस्ति रक़म तक दर्शाया गया है।

12. प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रक़म का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो को मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया।

अनुसूची -18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1 समायोजन

अंतर बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31.03.2015 तक पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है। बकाया प्रविष्टियों के विलोपन / समाधान पर प्रबंधन किसी सामग्री परिणामात्मक की अपेक्षा नहीं करता।

2 निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (भा रि बैं) के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु करोड़ में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014
परिपक्वता के लिए धारित	56447.61	49408.91	70.79	72.65
बिक्री के लिए उपलब्ध	22980.34	18521.72	28.82	27.24
ट्रेडिंग के लिए धारित	312.36	75.22	0.39	0.11

2.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 23.50 प्रतिशत की सीमा के अंदर है जो मार्च 2015 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 22.26 प्रतिशत (पिछले वर्ष 21.69 प्रतिशत) रहीं।

2.3 "परिपक्वता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.88.37 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.81.26 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, "Accounting for taxes on income". Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of Inter Bank and Inter Branch transactions has been completed up to 31.3.2015 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

2. Investments

2.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the Bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (₹ in Crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014
Held to Maturity	56447.61	49408.91	70.79	72.65
Available for Sale	22980.34	18521.72	28.82	27.24
Held for Trading	312.36	75.22	0.39	0.11

2.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 22.26 % (previous Year 21.69%) of Bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2015 as against ceiling of 23.50% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of ₹ 88.37 Crores was amortized during the year (previous year ₹ 81.26 Crores).

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.1050 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1050 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति र.9455 करोड़ (पिछले वर्ष रु.9455 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के पास रखी गई हैं। रु.2500 करोड़ की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है। हमने एलएएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ रु.10600 करोड़ प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.15 करोड़ (पिछले वर्ष रु.15 करोड़) की राशि को सीसीआइएल के यहाँ रखा गया है।

2.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु 222,04, 18,450/- करोड़ (पिछले वर्ष रु.222,04 18,450/- करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं ।

2.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु.20.00 करोड़ (बीवी) का विक्रय हुआ,और अर्जित लाभ रु.0.11 करोड़ है। बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु.1769.86 करोड़ (बीवी) (भा.रि.बै.की 5% दी गई सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ,और अर्जित लाभ रु.53.69 करोड़ है।

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

3.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी.79/21.04.048 /2014-15 दिनांकित 30 मार्च 2015 के अनुसार बैंक ने मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों का प्रबंध करने के लिए दिसंबर 31,2014 को धारित अस्थिर प्रावधान प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफ़र रु.658.22 करोड़ के 150.00 करोड़ (22.79%) का प्रयोग किया।

4. अचल आस्तियाँ

4.1 वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत में भूमि और भवन का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है

4.2 आस्तियों की बिक्री पर लाभ रु.1.15 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.1.87 करोड़) जिसे पूँजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु.0.99 करोड़ (पिछले वर्ष रु.2.33 करोड़) की रकम को लाभों के कारण आस्थिगत आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

6.1 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बैंक ने बेसल III मानदण्ड के अनुसार अपेक्षित पूँजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने के लिए बैंक की समग्र पूँजी और अतिरिक्त टियर I पूँजी को बढ़ाने के लिए अप्रतिभूत, गैर परिवर्तनीय, अतिरिक्त टियर I, बेसल III अनुपालक रु.1000 करोड़ के बेमियादी बॉण्ड जारी किए जिसमें रु.300 करोड़ ग्रीन शू विकल्प शामिल हैं। बॉण्ड का फेस मूल्य रु.10 लाख प्रति बॉण्ड है और इसका कूपन 10% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से देय है। पूरा ईश्यू निवेशकों द्वारा अभिदानित है।

6.2 पिछले वर्ष में या वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने टियर-II पूँजी नहीं बढ़ाई है।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों,न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद,आय कर से संबंधित रु.1031.31 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 280.43 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु.565.76 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 241.30 करोड़)।

8. अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएँ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने पर और ग्रैच्युटी सीमा के बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप, बैंक ने वर्ष 2010-11 में रु.1005.21 करोड़ की देयता प्रदान की। लेखांकन मानक (एएस 15) की अपेक्षाओं के अनुसार "कर्मचारी लाभ" रु.1005.21 करोड़ की संपूर्ण राशि लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने की अपेक्षा है।

गैच्युटी सीमाओं मे वृद्धि व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन को शुरू करना - विवेकपूर्ण विनिमायक व्यवहार विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांकित 09.02.2011 के अनुसार बैंक रु.1005.21 करोड़ की रकम का परिशोधन दिनांक 31.03.2011 से शुरू करके पाँच वर्ष की अवधि में करेगा। तदनुसार वर्ष 2014-15 के लिए रु.201.04 करोड़ (पिछले वर्ष रु.201.04 करोड़) को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है और किसी भी शेष राशि को आगे नहीं ले जाया गया।

9. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत वेंडरों के संबंध में जानकारी और जिनसे बैंक माल व सेवाएँ खरीद रहा है सुनिश्चित की जा रही है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांकित 01.07.2014 में दिए दिशानिर्देश के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं।

2.4 Securities of Face Value for ₹ 1050 Crores (previous year ₹ 1050 Crores) towards Settlement Guarantee Fund and securities for ₹ 9455 Crores (previous year ₹ 9455 Crores) towards collateral for borrowing under Collateralized Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation Of India Limited. We have placed securities of face value ₹ 2500 Crores with RBI for intra-day borrowing. We have also placed Securities to the extent ₹ 10600 Crores with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window. Besides, a sum of ₹ 15 Crores (previous year ₹ 15 Crores) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations.

2.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is ₹ 222,04,18,450/- (previous year ₹ 222,04,18,450/-) including amount towards share capital Deposits.

2.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was ₹ 20.00 Crores (BV) and earned a profit of ₹ 0.11 Crores. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of ₹ 1769.86 Crores (BV) (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of ₹ 53.69 Crores.

3. Advances

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 In terms of Reserve Bank of India Circular No. DBR No. BP. BC. 79/21.04.048/2014-2015, dated March 30, 2015, the Bank has utilized ₹ 150.00 crores (22.79%) of floating provision/ countercyclical provisioning buffer of ₹ 658.22 crores held as on December 31, 2014 for meeting specific provisions for Non-performing Assets during the year ended March 31, 2015.

4. Fixed Assets

4.1 During the year 2014-15, no revaluation was done for land and buildings in India.

4.2 Profit on Sale of Assets for ₹ 1.15 crore (previous year ₹ 1.87 crore), has been appropriated to Capital Reserve.

5. Rupee Interest Rate Swap

An amount of ₹ 0.99 Crores (previous year ₹ 2.33 Crores) is kept on deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves:

6.1 During the Financial Year 2014-15, Bank had issued Unsecured, Non-Convertible, Additional Tier – I, Basel III Compliant Perpetual Bonds to the extent of ₹ 1000 crore including green shoe option of ₹ 300 crore to augment additional Tier -I capital and overall capital of the Bank for further strengthening the capital adequacy required as per BASEL III norms. The Bond has a face value of ₹ 10 lac per Bond and carries a coupon of 10% per annum payable annually. The entire issue was fully subscribed by investors.

6.2 The Bank has not raised Tier II capital during the current year or in the previous year.

7. Taxes

7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating ₹ 1031.31 crore (previous year ₹ 280.43 crore).

7.2 Tax expense for the year is ₹ 565.76 crore (Previous year ₹ 241.30 crore).

8. Unamortised Pension and Gratuity Liability

On the reopening of pension to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits, the Bank incurred a liability of ₹ 1005.21 crore in 2010-11. In terms of requirement of Accounting Standard (AS 15) "Employee Benefits", the entire amount of ₹ 1005.21 crore is required to be charged to Profit and Loss Account.

In terms of Reserve Bank of India circular No.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, on Reopening of Pension Option to employees of Public Sector Banks and enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 09.02.2011, Bank would amortize the amount of ₹ 1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011. Accordingly, ₹ 201.04 crore (previous year ₹ 201.04 crore) has been charged to Profit and Loss Account for the year 2014-15 and no balance amount has been carried over.

9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank, is being ascertained.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 1.07.2014, the following additional disclosures are made:-

10. पूँजी

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2013-14
		बेसल III	बेसल III
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	6.55%	7.18%
ii.	टियर 1 पूँजी (%)	7.30%	7.47%
iii.	टियर 2 पूँजी(%)	2.81%	3.31%
iv.	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर) %	10.11%	10.78%
v.	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	73.80%	73.80%
vi.	जुटाई गई इक्विटी पूँजी रकम	शून्य	1598.04%
vii.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी :	1000.00	शून्य
viii.	जुटाई गई टियर 2 पूँजी	शून्य	शून्य

11. निवेश

11.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.3.2015	31.3.2014
i. निवेशो का सकल मूल्य		
(क) भारत में	78196.22	68005.85
(ख) भारत के बाहर	3536.57	3226.44
ii. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	422.45	993.92
(ख) भारत के बाहर	-	1.56
iii. निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	77773.77	67011.93
(ख) भारत के बाहर	3536.57	3224.88

11.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
i. आरंभिक शेष	995.49	628.91
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	83.68	453.53
iii. घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखन / समायोजन	656.72	86.95
iv. समापन शेष	422.45	995.49

11.3 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31 को बकाया	
	14-15	13-14	14-15	13-14	14-15	13-14	2015	2014
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.22	21.30	5.22	51.98	0.01	1.20	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	9.92	4.66	30.60	9.36	0.11	0.05	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. Capital:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	2014-15	2013-14
		Basel III	Basel III
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	6.55%	7.18%
ii)	Tier I Capital (%)	7.30%	7.47%
iii)	Tier 2 Capital (%)	2.81%	3.31%
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) %	10.11%	10.78%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	73.80%	73.80%
vi)	Amount of Equity Capital raised	Nil	1598.04
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	1000.00	Nil
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	Nil	Nil

11. Investments

11.1 Value of Investments

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2015	31.3.2014
(I) Gross Value of Investments		
(a) In India	78196.22	68005.85
(b) Outside India	3536.57	3226.44
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	422.45	993.92
(b) Outside India	-	1.56
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	77773.77	67011.93
(b) Outside India	3536.57	3224.88

11.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments (₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
(i)Opening Balance	995.49	628.91
(ii)Add: Provisions made during the year	83.68	453.53
(iii)Less: Write-back / Adjustments during the year	656.72	86.95
(iv)Closing Balance	422.45	995.49

11.3 Repo transactions (in face value terms)

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31	
	14-15	13-14	14-15	13-14	14-15	13-14	2015	2014
Securities sold under Repo								
i) Government securities	5.22	21.30	5.22	51.98	0.01	1.20	Nil	Nil
ii) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse Repo								
i) Government securities	9.92	4.66	30.60	9.36	0.11	0.05	Nil	Nil
ii) Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

11.4 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

गैर- एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट की सीमा	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों की सीमा	'गैर निर्धारित' प्रतिभूतियों की सीमा	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	5381.24	3377.36	1203.51*	शून्य	10.39
2)	वित्तीय संस्थाएँ	432.24	416.14	शून्य	शून्य	6.94
3)	बैंक	121.03	90.50	शून्य	शून्य	शून्य
4)	निजी कार्पोरेट	4460.81	3796.86	शून्य	शून्य	407.00
5)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	2012.25	--	--	--	--
6)	अन्य	5349.24	--	--	128.46	--
7)	मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधान	420.71	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
	कुल	**11986.86**	**7680.86**	**1203.51***	**128.46**	**424.33**

*डिस्कॉम बाण्डों से संबंधित

11.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2014 तक अथ शेष	143.69
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	59.49
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	23.55
31 मार्च 2015 तक इति शेष	179.63
कुल धारित प्रावधान	76.45

11.6 एचटीएम श्रेणी को / से अन्तरण एवं बिक्री

(रु.करोड़ में)

विवरण	रकम
एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश का बाजार मूल्य	शून्य
विपणन मूल्य से अधिक बही मूल्य के अतिरेक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	शून्य

*(एचटीएम श्रेणी को / से प्रतिभूतियों का कुल अंतरण 5% की अनुमत सीमा के अंदर था)

12. डेरिवेटिव्स

12.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15			2013-14		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
1) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	823.00	6577.27	7400.27	823.00	6356.94	7179.94
2) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	0.02	139.27	139.29	0.40	179.62	180.02
3) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-5.77	139.27	139.29	-22.54	179.62	179.62

11.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition of Non-SLR Investments

(₹ in Crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	5381.24	3377.36	1203.51*	Nil	10.39
(ii)	FIs	432.24	416.14	Nil	Nil	6.94
(iii)	Banks	121.03	90.50	Nil	Nil	Nil
(iv)	Private Corporates	4460.81	3796.86	Nil	Nil	407.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	2012.25	--	--	--	--
(vi)	Others	5349.24	--	--	128.46	--
(vii)	Provision held towards depreciation	420.71	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
	Total	**11986.86**	**7680.86**	**1203.51***	**128.46**	**424.33**

*Pertains to Discom bonds

11.5 Non Performing Non SLR Investments

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2014	143.69
Additions during the year since 1st April	59.49
Reductions during the above period	23.55
Closing Balance as on 31st March 2015	179.63
Total Provisions held	76.45

11.6 Sale and Transfers to/from HTM Category

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Market Value of the investments held in the HTM Category	Nil
Excess of book value over market value for which provision is not made.	Nil

*(Total transfer of securities to/from HTM category was within permissible limit of 5 %.)

12. DERIVATIVES

12.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

	Particulars	2014-15			2013-14		
		Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i)	The notional principal of swap agreements	823.00	6577.27	7400.27	823.00	6356.94	7179.94
ii)	Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.02	139.27	139.29	0.40	179.62	180.02
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v)	The fair value of the swap book	-5.77	139.27	139.29	-22.54	179.62	179.62

12.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	रकम
1)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
2)	31 मार्च 2015 तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
3)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं	शून्य
4)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं	शून्य

12.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

12.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री-(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर (बी) पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज / विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कार्पोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध मे प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है। बैक टू बैक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: मेल किए गए हैं और आरक्षित ऋण नहीं हैं।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है। तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं ।

ट्रेजरी (देशी)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) का प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है । स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइ एस डी ए करार मौजूद है ।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है ।

ख) व्युत्पन्न लेन देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है । आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं ।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है । बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है । केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है ।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

12.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2015	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil

12.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

12.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back-to-back basis to customers.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counter parties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges have not exceeded that of the underlying exposures. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The Income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back-to-back basis, income on account of such things will be recognized on termination.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt and term deposits. In addition, the Bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes treasury department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The Bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge Bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

12.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	646.97	7005.77
	ख) व्यापार के लिए	70.47	394.50
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति		
	क) आस्तियाँ (+)	16.59	139.29
	ख) देयताएँ (-)	3.30	(6.22)
(iii)	ऋण जोखिम	58.29	71.18
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)		
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	5.86	12.93
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	0.78	2.43
(v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम		
	क) प्रतिरक्षा पर	अधिकतम 16.11 न्यूनतम 5.86	अधिकतम 13.39 न्यूनतम 7.30
	ख) व्यापार पर	अधिकतम 1.83 न्यूनतम 0.78	अधिकतम 2.46 न्यूनतम 1.64

13. आस्ति गुणवत्ता

13.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ में)

	2014-15	2013-14
i) निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)	5.68	3.20
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	9020.48	6607.96
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	12015.96	6902.40
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	6113.99	4489.88
घ) इति शेष	14922.45	9020.48
iii) निवल एनपीए का प्रचलन		
क) अथ शेष	5658.12	4027.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	8486.65	4691.60
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	4331.44	3060.69
घ) इति शेष	9813.33	5658.12
iv) एनपीए के लिए प्रावधान का प्रचलन (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	2994.03	2464.51
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3529.31	2210.80
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	2066.14	1681.28
घ) इति शेष	4457.20	2994.03

13.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीपी) दिनांक 31.03.2015 को 50.92% रहा (दिनांक 31.03.2014 को 54.94%).

12.3.2 Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	646.97	7005.77
	b) For Trading	70.47	394.50
(ii)	Marked to Market Positions		
	a) Asset (+)	16.59	139.29
	b) Liability (-)	3.30	(6.22)
(iii)	Credit Exposure	58.29	71.18
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	5.86	12.93
	b) on trading derivatives	0.78	2.43
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Maximum 16.11 Minimum 5.86	Maximum 13.39 Minimum 7.30
	b) on trading	Maximum 1.83 Minimum 0.78	Maximum 2.46 Minimum 1.64

13. ASSET QUALITY:

13.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(₹ in Crore)

		2014-15	2013-14
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.68	3.20
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	9020.48	6607.96
	b) Additions during the year	12015.96	6902.40
	c) Reductions during the year	6113.99	4489.88
	d) Closing Balance	14922.45	9020.48
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	5658.12	4027.21
	b) Additions during the year	8486.65	4691.60
	c) Reductions during the year	4331.44	3060.69
	d) Closing Balance	9813.33	5658.12
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	2994.03	2464.51
	b) Provisions made during the year	3529.31	2210.80
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	2066.14	1681.28
	d) Closing balance	4457.20	2994.03

13.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 50.92% as on 31.3.2015 (54.94% as on 31.3.2014).

13.2 पुनर्संरचित खातों के विवरण

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल, 2014 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	43	8	0	0	51	164	68	8	0	240	616	259	69	0	944	823	335	77	0	1235
		बकाया राशि	5672.15	516.86	0.00	0.00	6189.01	436.30	150.89	3.71	0.00	590.90	6205.87	891.96	276.63	0.00	7374.46	12314.32	1559.71	280.34	0.00	14154.37
		उनपर प्रावधान	493.54	56.30	0.00	0.00	549.84	7.55	0.25	0.00	0.00	7.80	323.00	28.96	1.95	0.00	353.91	824.01	85.51	1.95	0.00	911.47
2	1.4.14 से 31.03.2015 के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	23	1	0	0	24	42	0	0	0	42	52	1	1	0	54	117	2	1	0	120
		बकाया राशि	3072.00	325.00	0.00	0.00	3397.00	377.28	0.00	0.00	0.00	377.28	3078.00	145.86	101.01	0.00	3324.87	6527.28	470.86	101.01	0.00	7099.15
		उनपर प्रावधान	355.00	26.00	0.00	0.00	381.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	139.12	2.01	0.00	0.00	141.13	494.66	28.01	0.00	0.00	522.67
3	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पुनर्संरचित खातों का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उनपर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in Crore)

Sl No :	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Other					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on 01.04 2014 of the FY (opening figures)	No. of Borrowers	43	8	0	0	51	164	68	8	0	240	616	259	69	0	944	823	335	77	0	1235
		Amount outstanding	5672.15	516.86	0.00	0.00	6189.01	436.30	150.89	3.71	0.00	590.90	6205.87	891.96	276.63	0.00	7374.46	12314.32	1559.71	280.34	0.00	14154.37
		Provision there-on	493.54	56.30	0.00	0.00	549.84	7.55	0.25	0.00	0.00	7.80	323.00	28.96	1.95	0.00	353.91	824.01	85.51	1.95	0.00	911.47
2	Fresh Restructuring during 01.04.2014 to 31.03.2015	No. of Barrowers	23	1	0	0	24	42	0	0	0	42	52	1	1	0	54	117	2	1	0	120
		Amt outstanding	3072.00	325.00	0.00	0.00	3397.00	377.28	0.00	0.00	0.00	377.28	3078.00	145.86	101.01	0.00	3324.87	6527.28	470.86	101.01	0.00	7099.15
		Provision there-on	355.00	26.00	0.00	0.00	381.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	139.12	2.01	0.00	0.00	141.13	494.66	28.01	0.00	0.00	522.67
3	Upgradation of restructured standard category during the FY 2014-15	No. of Barrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amt. outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision there-on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
4	उच्च प्रावधान आकर्षित करनेवाले पुन: संरचित मानक अग्रिम और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जिन्हें पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है ।	उधारकर्ताओं की संख्या	11				11	75				75	232				232	318				318
		बकाया राशि	924.84				924.84	139.40				139.40	1207.29				1207.29	2271.53				2271.53
		उनपर प्रावधान	35.84				35.84	13.90				13.90	34.63				34.63	84.37				84.37
5	1.4.14 से 31.03.2015 के दौरान पुन: संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-22	15	7	0	0	0	-14	14	0	0	-45	45	0	0	0	-67	46	21	0	0
		बकाया राशि	-1996.85	1141.73	855.12	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.00	-2105.70	2105.70	0.00	0.00	0.00	-4102.55	3246.93	855.62	0.00	0.00
		उनपर प्रावधान	-170.98	67.62	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	-208.05	104.69	103.36	0.00	0.00

Sl No :	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Other					Total				
	Asset Classification / Details		Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be show as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers	11				11	75				75	232				232	318				318
		Amt. outstanding	924.84				924.84	139.40				139.40	1207.29				1207.29	2271.53				2271.53
		Provision there-on	35.84				35.84	13.90				13.90	34.63				34.63	84.37				84.37
5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2014 to 31.03.2015	No. of Barrowers	-22	15	7	0	0	0	-14	14	0	0	-45	45	0	0	0	-67	46	21	0	0
		Amt outstanding	-1996.85	1141.73	855.12	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.00	-2105.70	2105.70	0.00	0.00	0.00	-4102.55	3246.93	855.62	0.00	0.00
		Provision there-on	-170.98	67.62	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	-208.05	104.69	103.36	0.00	0.00

क्रम सं.	पुन: संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
6	1.4.14 से 31.03.2015 के दौरान पुन: संरचित खातों को बट्टे खाते में डालना / बिक्री	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	0	0	2	0	2	8	0	10	0	55	19	0	74	1	58	27	0	86
		बकाया राशि	443.24	256.14	0.00	0.00	699.38	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	212.84	0.02	0.00	212.86	443.24	468.98	0.02	0.00	912.24
7	मार्च 31, 2015 (अंतिम आंकड़े) तक पुन: संरचित किए गए खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	50	11	13	0	74	98	33	54	0	185	114	37	78	0	229	262	81	145	0	488
		बकाया राशि	6272.72	975.07	1448.40	0.00	8696.19	870.55	60.08	57.23	0.00	987.86	9209.39	870.41	719.71	0.00	10799.51	16352.66	1905.56	2225.34	0.00	20483.56
		उनपर प्रावधान	565.16	50.83	42.90	0.00	658.89	13.06	3.23	0.00	0.00	16.29	446.29	29.10	23.46	0.00	498.85	1024.51	83.16	66.36	0.00	1174.03

Sl No :	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Other					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
6	Write offs/sale of restructured accounts during 01.04.2014 to 31.03.2015	No. of Barrowers	1	1	0	0	2	0	2	8	0	10	0	55	19	0	74	1	58	27	0	86
		Amt outstanding	443.24	256.14	0.00	0.00	699.38	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	212.84	0.02	0.00	212.86	443.24	468.98	0.02	0.00	912.24
7	Restructured Accounts as on March 31 of the 2015 (closing Figures)	No. of Barrowers	50	11	13	0	74	98	33	54	0	185	114	37	78	0	229	262	81	145	0	488
		Amt outstanding	6272.72	975.07	1448.40	0.00	8696.19	870.55	60.08	57.23	0.00	987.86	9209.39	870.41	719.71	0.00	10799.51	16352.66	1905.56	2225.34	0.00	20483.56
		Provision there-on	565.16	50.83	42.90	0.00	658.89	13.06	3.23	0.00	0.00	16.29	446.29	29.10	23.46	0.00	498.85	1024.51	83.16	66.36	0.00	1174.03

13.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण		2014-15	2013-14
(i)	खातों की संख्या	17	58
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	1160.83	736.19
(iii)	कुल प्रतिफल	1431.03	1015.15
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	--	शून्य
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	**270.20**	**278.96**

विवरण	निम्नानुसार बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		निम्नानुसार अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
रसीदों में निवेशों का बही मान	964.39	1270.98	--	--	964.39	1270.98

13.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

13.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
1 (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2 (क) वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

13.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
1 .विक्रय किए गए खाते	17	58
2 .कुल बकाया	1559.14	1710.15
3 .प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	1431.03	1015.15

13.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	1146.83	1195.55

14. कारोबार अनुपात

विवरण		2014-15	2013-14
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	9.16%	8.99%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.82%	0.85%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.27%	1.58%
(iv)	आस्तियों से लाभ	नकारात्मक	0.23%
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड़ में)	13.24	13.67
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	नकारात्मक	0.0201

13.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

(₹ in Crore)

	Particulars	2014-15	2013-14
(i)	No. of accounts	17	58
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	1160.83	736.19
(iii)	Aggregate consideration	1431.03	1015.15
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	--	Nil
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	**270.20**	**278.96**

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Book Value of Investments in receipts	964.39	1270.98	--	--	964.39	1270.98

13.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other Banks

13.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ in Crore)

		Particulars	2014-15	2013-14
1	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

13.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
1. No. of accounts sold	17	58
2. Aggregate Outstanding	1559.14	1710.15
3. Aggregate consideration received	1431.03	1015.15

13.5 Provisions on Standard Assets

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Provisions towards Standard Assets	1146.83	1195.55

14 BUSINESS RATIOS

	Particulars	2014-15	2013-14
(i)	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	9.16%	8.99%
(ii)	Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.82%	0.85%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.27%	1.58%
(iv)	Return on Assets	-ve	0.23%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (₹ In crore)	13.24	13.67
(vi)	Profit per employee (₹ In crore)	-ve	0.0201

15. आस्ति देयता प्रबंधन :

31 मार्च 2015 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रारूप

(रु. करोड़ में)

	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	4696.64	3369.85	1064.95	100.02	705.63	793.56
2 से 7 दिन	4168.87	3287.40	3836.61	137.60	610.65	283.55
8 से 14 दिन	5213.05	5383.75	2693.47	150.00	847.37	14.75
15 से 28 दिन	2886.73	9434.05	1214.86	488.07	78.57	27.20
29 दिन से 3 महीने तक	28454.65	18632.64	8521.40	853.94	2096.33	1717.89
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	42225.80	11948.88	9898.41	2071.16	803.89	489.85
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	64060.40	17589.83	14229.43	1396.32	21.87	503.33
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	28641.43	65476.55	14745.42	8012.98	148.29	758.63
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	6685.96	17776.92	7078.34	3055.32	0.00	723.84
5 वर्ष से अधिक	59015.19	26141.46	18449.90	1967.00	0.00	0.00
कुल	**246048.72**	**179041.33**	**81732.79**	**18232.41**	**5312.60**	**5312.60**

16. उधार

16.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ में)

प्रवर्ग	**2014-15**	**2013-14**
अ) **प्रत्यक्ष ऋण**		
i) रिहाइशी बंधक -	9483.55	8283.73
उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।		
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	6604.76	5943.27
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा -	8612.92	8979.60
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि) उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलित हैं ।		
iii) स्थावर संपदा अन्य : होटल, अस्पताल और लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं है	2727.90	3843.59
iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार		
➢ रिहाइशी	शून्य	शून्य
➢ वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
➢ अन्य	20.00	15.00
आ) **अप्रत्यक्ष ऋण :** राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	3361.00	1863.25
स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण (अ +आ)	**24205.37**	**22985.17**

15 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2015

(₹ in Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	4696.64	3369.85	1064.95	100.02	705.63	793.56
2 to 7 days	4168.87	3287.40	3836.61	137.60	610.65	283.55
8 to 14 days	5213.05	5383.75	2693.47	150.00	847.37	14.75
15 to 28 days	2886.73	9434.05	1214.86	488.07	78.57	27.20
29 days to 3 Month	28454.65	18632.64	8521.40	853.94	2096.33	1717.89
Over 3 Month & up to 6 Month	42225.80	11948.88	9898.41	2071.16	803.89	489.85
Over 6 Month & up to 1 year	64060.40	17589.83	14229.43	1396.32	21.87	503.33
Over 1 year & up to 3 years	28641.43	65476.55	14745.42	8012.98	148.29	758.63
Over 3 years & up to 5 years	6685.96	17776.92	7078.34	3055.32	0.00	723.84
Over 5 years	59015.19	26141.46	18449.90	1967.00	0.00	0.00
Total	**246048.72**	**179041.33**	**81732.79**	**18232.41**	**5312.60**	**5312.60**

16 Exposures

16.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

	Category	2014-15	2013-14
(a)	**Direct Exposure**		
	i) Residential Mortgages -	9483.55	8283.73
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;		
	Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	6604.76	5943.27
	ii) Commercial Real Estate -	8612.92	8979.60
	Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;		
	iii) Real estate others:		
	Hotels, Hospitals and Liquirent not under CRE	2727.90	3843.59
	iv) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures		
	➢ Residential	Nil	Nil
	➢ Commercial Real estate	Nil	Nil
	➢ Others	20.00	15.00
(b)	**Indirect Exposure**: Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	3361.00	1863.25
	Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	**24205.37**	**22985.17**

16.2 पूँजी बाज़ार में ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
i) उन इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	832.36	887.82
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम;	5.86	4.26
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	2.16	341.16
iv) जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	758.06	579.05
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	116.26	128.17
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	शून्य	शून्य
vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	0.67	शून्य
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	203.02	236.48
पूँजी बाजार को कुल उधार	**1918.39**	**2176.94**

16.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग*	31.3.2015 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2015 तक धारित प्रावधान	31.3.2014 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2014 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	18021.20	12.490	18962.24	14.975
कम	6735.10	शून्य	3139.89	शून्य
सामान्य	185.40	शून्य	2514.76	शून्य
उच्च	768.51	शून्य	49.96	शून्य
उच्चतर	2.63	शून्य	263.81	शून्य
प्रतिबंधित	0.44	शून्य	शून्य	शून्य
उधार-इतर	0.00	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	25713.28	12.490	24930.66	14.975

*उस समय तक, जैसे बैंक आंतरिक रेटिंग सिस्टम में जाते हैं, बैंक वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए व कंट्री रिस्क एक्सपोज़र के लिए प्रावधान बनाने हेतु एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. (ईसीजीसी) का अनुसरण करते हुए सात संवर्ग वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ईसीजीसी, बैंकों को अनुरोध पर अपने कंट्री वर्गीकरण के तिमाही अपडेट्स देंगे और अंतरिम अवधि में कंट्री वर्गीकरण में अचानक हुए किसी बड़े परिवर्तन के मामले में सभी बैंकों को सूचित करेंगे

16.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

	Particulars	2014-15	2013-14
(i)	direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	832.36	887.82
(ii)	advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	5.86	4.26
(iii)	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	2.16	341.16
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	758.06	579.05
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	116.26	128.17
(vi)	loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii)	underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	0.67	Nil
(x)	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	203.02	236.48
	Total Exposure to Capital market	**1918.39**	**2176.94**

16.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(₹ in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.3.2015	Provision held as at 31.3.2015	Exposure (net) as at 31.3.2014	Provision held as at 31.3.2014
Insignificant	18021.20	12.490	18962.24	14.975
Low	6735.10	Nil	3139.89	Nil
Moderate	185.40	Nil	2514.76	Nil
High	768.51	Nil	49.96	Nil
Very High	2.63	Nil	263.81	Nil
Restricted	0.44	Nil	Nil	Nil
Off-credit	0.00	Nil	Nil	Nil
Total	25713.28	12.490	24930.66	14.975

* Till such time, as Banks move over to internal ratings systems, Banks may use the seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to Banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all Banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

16.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने सीमा में वृद्धि की है :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और वर्ष 2014-15 के लिए हमारे बैंक की ऋण नीति दस्तावेज के शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता के लिए उधार की अनुमत सीमा रु. 2,998.31 करोड़ (पूँजी निधि का 15%) तथा समूह उधारकर्ता के लिए रु. 7995.49 करोड़ (पूँजी निधि का 40%) है। विदेशी शाखाओं के मामले में एकल उधारकर्ता उधार सीमा यूएसडी 40 मियो और समूह उधारकर्ता सीमा यूएसडी 60 मियो है ।

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2015 तक के लिए बकाये की स्थिति
1.	ट्विन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस - हाँगकाँग शाखा	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ] [एकल उधारकर्ता सीमा]	625.00 [यू एस डी100.00 मिओ]	18.3.2015 - 31.3.2015	14.11.2014	375.00 [यू एस डी 60.00 मिओ]
2.	आर्मडा सी 7 पीटीई लि. - सिंगापुर शाखा	375.00 [यू एस डी 60.00 मिओ] [समूह उधारकर्ता सीमा]	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ 5.8.2014 तक]	1.4.2014 - 5.8.2014	20.09.2013	शून्य
			125.00 [यू एस डी 20.00 मिओ] 24.11.2014 को स्वीकृत, विमोचित की जानी है	शून्य	5.12.2014	
3	आर्मडा डी 1 पीटीई लि. - सिंगापुर शाखा	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ] [एकल उधारकर्ता सीमा]	406.25 [यू एस डी65.00 मिओ]	1.4.2014 - 31.3.2015	1.9.2012	320.43 [यू एस डी 51.269 मिओ]
4	वरदा ट्वेल्व पीटीई लि. - हाँगकाँग शाखा	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ] [एकल उधारकर्ता सीमा]	440.63 [यू एस डी 70.50 मिओ]	1.4.2014 - 31.3.2015	5.12.2014	407.44 [यू एस डी 65.19 मिओ]
5	वेस्टर्न अलायंस इंटरनेशनल लि.@ खाता हाँगकाँग शाखा	375.00 [यू एस डी 60.00 मिओ] [समूह उधारकर्ता सीमा]	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ]	अधिगमन हुआ	27.6.2014	163.76 [यू एस डी 26.202 मिओ]
6	किंग एम्पायर ग्रूप लिमिटेड @ खाता हाँगकाँग शाखा	375.00 [यू एस डी 60.00 मिओ] [समूह उधारकर्ता सीमा]		अधिगमन हुआ	27.6.2014	15.40 [यू एस डी 2.464 मिओ]
7.	फाइव ऐलीमेंट्स रियल ऐस्टेट विकास एलएलसी - @ हाँगकाँग शाखा	375.00 [यू एस डी 60.00 मिओ] [समूह उधारकर्ता सीमा]	106.25 [यू एस डी 17.00 मिओ]	अप्रयुक्त	27.6.2014	शून्य
8.	वेदान्ता रिसोर्सेस पीएलसी	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ] [एकल उधारकर्ता सीमा]	312.50 [यू एस डी 50.00 मिओ]	1.4.2014 - 22.8.2014	8.12.2012	खाता बंद
9.	एमवीपी ग्रूप आइएनटीएनएल आइएनसी	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ]	375.00 [यू एस डी 60.00 मिओ]	1.4.2014 - 31.3.2015	20.9.2013	343.75 [यू एस डी 55.00 मिओ]
10.	गोल्ड मैट्रिक्स रिसोर्सेस पीटीई लि. - सिंगापुर	250.00 [यू एस डी 40.00 मिओ]	303.13 [यू एस डी 48.50 मिओ]	अधिगमन नहीं हुआ	25.10.2013	153.03 [यू एस डी 24.584 मिओ]
11.	एचडीएफसी	2998.31	3000	मार्च 2014 से फरवरी 2015 तक	14.12.2013	2900

16.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2014-15, the permissible level of Single Borrower Exposure limit is ₹ 2,998.31 Crore (15% of Capital funds) and ₹ 7995.49 Crore for Group Borrower limit (40% of Capital funds). SBL and GBL In case of Overseas Branches is USD 40 Mio and USD 60 Mio respectively.

(₹ in Crore)

Sl No.	Name of the Borrower	Exposure Limit	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.3.2015 Outstanding
1.	Twin Star Holdings Ltd., Mauritius – Hong Kong Branch	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	625.00 [USD 100.00 mio]	18.3.2015 – 31.3.2015	14.11.2014	375.00 [USD 60.00 mio]
2.	Armada C 7 Pte Ltd. - Singapore Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]	250.00 [USD 40.00 mio upto 5.8.2014] 125.00 [USD 20.00 mio] Sanctioned 24.11.2014, yet to be released	1.4.2014 – 5.8.2014 Nil	20.09.2013 5.12.2014	Nil
3.	Armada D 1 Pte Ltd. - Singapore Branch	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	406.25 [USD 65.00 mio]	1.4.2014 – 31.3.2015	1.9.2012	320.43 [USD 51.269 mio]
4.	Varada Twelve Pte Ltd. - Hong Kong Branch	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	440.63 [USD 70.50 mio]	1.4.2014 – 31.3.2015	5.12.2014	407.44 [USD 65.19 mio]
5.	Western Alliance International Ltd. @ A/c Hong Kong Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]	250.00 [USD 40.00 mio]	Not Exceeded	27.6.2014	163.76 [USD 26.202 mio]
6.	King Empire Group Limited @ A/c Hong Kong Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]		Not Exceeded	27.6.2014	15.40 [USD 2.464 mio]
7.	Five Elements Real Estate Development LLC - @ Hong Kong Branch	375.00 [USD 60.00 mio] [Group Borrower Limit]	106.25 [USD 17.00 mio]	Not Availed	27.6.2014	Nil
8.	Vedanta Resources Plc	250.00 [USD 40.00 mio] [Single Borrower Limit]	312.50 [USD 50.00 mio]	1.4.2014 – 22.8.2014	8.12.2012	A/c Closed
9.	MVP Group Intnl Inc.	250.00 [USD 40.00 mio]	375.00 [USD 60.00 mio]	1.4.2014 – 31.3.2015	20.9.2013	343.75 [USD 55.00 mio]
10.	Gold Matrix Resources Pte Ltd. - Singapore	250.00 [USD 40.00 mio]	303.13 [USD 48.50 mio]	Not exceeded	25.10.2013	153.03 [USD 24.584 mio]
11.	HDFC	2998.31	3000	March 2014 to February 2015	14.12.2013	2900

16.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	108.26	3291.59
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का अनुमानित मूल्य	108.26	3291.59

17. भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड	शून्य	3.002

लेखांकन मानकों के संदर्भ में प्रकटीकरण

18.1 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए कुल लाभ अथवा हानि अवधि से पूर्व मदें और लेखांकन पॉलिसियों में बदलाव

भा.रि.बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी. 79 / 21.04.048/2014-15 दिनांकित 30.03.2015 द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसरण में, बैंक ने अस्थाई प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधान बफ़र से, रु.150.00 करोड़ की राशि को अनर्जक आस्ति हेतु निर्दिष्ट प्रावधानों के लिए प्रयोग किया है ।

18.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी - अनुसूची 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गई हैं ।

18.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “कर्मचारियों के लाभ” संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है ।

ii) लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन (रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5426.49	4865.10	1125.40	1098.78	389.92	327.26
ब्याज लागत	342.23	408.30	91.16	89.87	31.08	27.24
वर्तमान सेवा लागत	94.83	82.46	55.06	54.16	26.23	24.40
प्रदत्त लाभ	(423.11)	(483.25)	(166.95)	(145.77)	(69.53)	(62.38)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	567.28	553.88	(30.57)	28.36	35.78	73.40
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	6007.72	5426.49	1074.10	1125.40	413.49	389.92

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	5401.08	4578.80	1260.73	1010.40	0.00	0.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	481.88	416.82	85.02	78.76	0.00	0.00
नियोक्ता का अंशदान	566.00	455.00	140.00	270.00	101.00	123.00
प्रदत्त लाभ	(423.11)	(483.25)	(166.95)	(145.77)	69.53	92.72
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	3.73	433.71	23.13	47.25	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	6029.58	5401.08	1341.93	1260.73	0.00	0.00
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--

16.5 Unsecured Advances

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	108.26	3291.59
Estimated value of such intangible collateral	108.26	3291.59

17 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Penalties imposed by RBI	NIL	3.002

DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

18.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

As permitted by RBI vide its circular No. DBR. No. BP. BC. 79 / 21.04.048/2014-15 dated 30.03.2015 and also in pursuance to Bank's Board approved policy, the Bank has utilized a sum of ₹ 150.00 crores from Floating provisions/ Counter Cyclical Provisioning Buffer towards Specific Provisions for Non Performing Assets.

18. 2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

18. 3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i) The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employee Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.

ii) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with the Accounting Standard–15 (Revised) are as under:-

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(₹ in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Present Value of obligation as at the beginning of the year	5426.49	4865.10	1125.40	1098.78	389.92	327.26
Interest Cost	342.23	408.30	91.16	89.87	31.08	27.24
Current Service Cost	94.83	82.46	55.06	54.16	26.23	24.40
Benefits Paid	(423.11)	(483.25)	(166.95)	(145.77)	(69.53)	(62.38)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	567.28	553.88	(30.57)	28.36	35.78	73.40
Present Value of Obligation at year end	6007.72	5426.49	1074.10	1125.40	413.49	389.92

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(₹ in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	5401.08	4578.80	1260.73	1010.40	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	481.88	416.82	85.02	78.76	0.00	0.00
Employer's contribution	566.00	455.00	140.00	270.00	101.00	123.00
Benefit Paid	(423.11)	(483.25)	(166.95)	(145.77)	69.53	92.72
Actuarial loss/(gain) on Obligations	3.73	433.71	23.13	47.25	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	6029.58	5401.08	1341.93	1260.73	0.00	0.00
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--

(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	6007.72	5426.50	1074.09	1125.40	413.49	389.92
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	6029.58	5401.08	1341.93	1260.73	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गई गैर निधि निवल देयता	0.00	151.73*	0.00	49.31*	413.49	389.92
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	21.86	126.31	267.84	184.63	0.00	0.00

*पेंशन और ग्रैच्युटी निधियों में निहित अ-निधीगत निवल देयता को अगले एक वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधित किया जायेगा।

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
वर्तमान सेवा लागत	94.83	82.46	55.06	54.16	26.23	24.40
ब्याज लागत	342.23	408.30	91.17	89.87	31.08	27.24
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(481.88)	(416.82)	(85.02)	(78.76)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	563.55	120.17	(53.70)	18.89	35.78	73.40
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	518.73	194.11	(7.51)	84.16	101.00	123.49
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ड़) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

क) ऋण लिखतें	पेंशन न्यास (%)		गैच्युटी न्यास (%)	
	2015	2014	2015	2014
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	5.70	8.84	5.46	6.44
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	48.30	45.73	50.63	48.97
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	41.08	40.40	38.39	39.15
अन्य निवेश	4.92	5.03	5.52	5.44
ख) इक्विटी लिखतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
बट्टा दर	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	9.00%	9.00%	8.00%	8.00%	0%	0%
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.50%	5.00%	5.50%
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

(छ) अनुभवगत समंजन

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	3.73	433.71	23.13	47.25	0.00	0.00
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(567.28)	(553.88)	30.57	(28.36)	35.78	73.40

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(₹ in Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	6007.72	5426.50	1074.09	1125.40	413.49	389.92
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6029.58	5401.08	1341.93	1260.73	0.00	0.00
Un-funded Net Liability recognized in Balance sheet	0.00	151.73*	0.00	49.31*	413.49	389.92
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	21.86	126.31	267.84	184.63	0.00	0.00

* The balance of Unfunded Net Liability in Pension and Gratuity Funds, are to be amortised next years.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss

(₹ in Crore)

	PENSION (Funded)		**GRATUITY (Funded)**		**LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)**	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Current Service Cost	94.83	82.46	55.06	54.16	26.23	24.40
Interest Cost	342.23	408.30	91.17	89.87	31.08	27.24
Expected return on Plan Asset	(481.88)	(416.82)	(85.02)	(78.76)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	563.55	120.17	(53.70)	18.89	35.78	73.40
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	518.73	194.11	(7.51)	84.16	101.00	123.49
Amount received from II Pension Optees / Employer's Contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

a) Debt Instruments	**Pension Trust (%)**		**Gratuity Trust (%)**	
	2015	2014	2015	2014
Central Government Securities	5.70	8.84	5.46	6.44
State Government Securities	48.30	45.73	50.63	48.97
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	41.08	40.40	38.39	39.15
Other Investments	4.92	5.03	5.52	5.44
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)		**GRATUITY (Funded)**		**LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)**	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Discount Rate	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%	8.75%
Expected rate of return on Plan Assets	9.00%	9.00%	8.00%	8.00%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	5.00%	5.00%	5.00%	5.50%	5.00%	5.50%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

Experience Adjustments

Particulars	**PENSION (Funded)**		**GRATUITY (Funded)**		**LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)**	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	3.73	433.71	23.13	47.25	0.00	0.00
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(567.28)	(553.88)	30.57	(28.36)	35.78	73.40

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2015) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

प्रत्याशित लाभ दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.170 करोड़ है ।

18.4 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	6260.73	5913.11	11753.80	11520.98	7737.70	7138.88	266.37	238.06	26018.60	24811.02
परिणाम	434.57	1174.39	976.45	1734.10	1633.42	1088.07	237.92	(40.71)	3282.36	3955.85
अनाबंटित आय									58.33	42.04
अनाबंटित व्यय									18.35	0.66
परिचालनगत लाभ/हानि									3322.34	3997.24
आय कर									565.75	241.30
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									3210.92	3154.20
असाधारण लाभ / हानि				-				-	0	0
निवल लाभ									(454.33)	601.74
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	83321.19	74160.01	120817.45	128320.48	80437.13	70531.48	132.82	151.36	284708.60	273163.34
अनाबंटित आस्तियाँ									928.38	1741.50
कुल आस्तियाँ									285636.98	274904.84
खण्डवार देयताएँ	78130.48	69012.65	114579.22	120679.10	77224.33	68608.41	39.51	61.94	269973.50	258362.10
अनाबंटित देयताएं									22.40	372.55
कुल देयताएं									269995.94	258734.65

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(रु. करोड़ में)

	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
राजस्व	25044.58	23745.08	1032.35	1108.00	**26076.93**	**24853.08**
आस्तियाँ	265309.31	252271.04	20327.67	22633.80	**285636.98**	**274904.84**

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on Government bonds as on the date of valuation. (Balance sheet dated 31.3.2015)

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

Bank's best estimate expected to be paid in the next Financial Year for Gratuity is ₹ 170 crore.

18.4 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(₹ in Crore)

Business Segments	**Treasury**		**Corporate / Wholesale Banking**		**Retail Banking**		**Other Banking Operations**		**TOTAL**	
Particulars	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
Revenue	6260.73	5913.11	11753.80	11520.98	7737.70	7138.88	266.37	238.06	26018.60	24811.02
Result	434.57	1174.39	976.45	1734.10	1633.42	1088.07	237.92	(40.71)	3282.36	3955.85
Unallocated Income									58.33	42.04
Unallocated Expenses									18.35	0.66
Operating Profit/Loss									3322.34	3997.24
Income Taxes									565.75	241.30
Provisions & Contingencies									3210.92	3154.20
Extraordinary profit / loss				-				-	0	0
Net Profit									(454.33)	601.74
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	83321.19	74160.01	120817.45	128320.48	80437.13	70531.48	132.82	151.36	284708.60	273163.34
Unallocated Assets									928.38	1741.50
Total assets									285636.98	274904.84
Segment Liabilities	78130.48	69012.65	114579.22	120679.10	77224.33	68608.41	39.51	61.94	269973.50	258362.10
Unallocated Liabilities									22.40	372.55
Total Liabilities									269995.94	258734.65

Part B – Geographic segments

(₹ in Crore)

	Domestic		**International**		**Total**	
	2014-15	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**	**2013-14**
Revenue	25044.58	23745.08	1032.35	1108.00	**26076.93**	**24853.08**
Assets	265309.31	252271.04	20327.67	22633.80	**285636.98**	**274904.84**

18.5 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

मदों से संबंधित पार्टी	मूल कंपनी (स्वामित्व या नियंत्रण अनुसार)	सहायक कंपनी	सहयोगी / संबद्ध	मुख्य प्रबंध कार्मिक@	मुख्य प्रबंध कार्मिक से संबधित	कुल
उधार#	0.00	0.00	1334.28	0.00	0.54	1334.82
जमाएं#	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
जमाओं का नियोजन#	0.00	0.00	0.00	0.47	0.38	0.84
अग्रिम#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश#	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
गैर निधि प्रतिबद्धता#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टा/ प्राप्त किए गए एचपी प्रबंध#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पट्टा/ प्रदान किए गए एचपी प्रबंध#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थायी आस्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
स्थायी आस्तियों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त ब्याज	0.00	0.00	26.25	0.00	0.02	26.27
प्राप्त ब्याज	0.00	0.00	58.49	0.02	0.02	58.53
सेवाओं का प्रतिदान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाओं की प्राप्ति*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रबंधन संविदा*	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

* संविदा सेवाएं आदि जैसी सेवाएं न कि प्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि ।

@भारत में बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक व विदेशी बैंकों की शाखाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वर्ष के अंत में बकाया व वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटीकरण।

इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद के निदेशक		
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	श्री. तेनकुरिसी नंदकुमार रामकुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक निदेशक
2.	श्री. सी.वीआर.राजेन्द्रन	गैर स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री. दातुक भूपतराय ए/आइ श्री. माकुशलाल प्रेमजी	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
4.	श्री. गोपाल कृष्ण ए/आइ श्री. सी पी गोपालन	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक

वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्ण कालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन एवं निष्पादन इंसेटिव के ब्योरे

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक				
क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	**पारिश्रमिक राशि (रु.) (2014-15)**
1.	श्री. आर कोटीस्वरन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.01.2015 से 31.03.2015	4,91,505.00
2.	श्री. अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	19,21,413.00
3.	श्री. पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से 31.03.2015	1,00,100.00
4.	श्री. एम.नरेन्द्र	पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	01.01.2014 से 31.07.2014	12,72,000.00
5.	श्री. ए.के.बंसल	पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2014 से 31.03.2015	66,667.00
6.	श्री. ए.डी.एम.चावली	पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2014 से 31.10.2014	14,65.904.70

*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं ।

18.5 Accounting Standard 18- Related Party Disclosures (₹ in Crore)

Items/ Related Party	Parent (as per ownership or control)	Subsidiaries	Associates/ Joint Ventures	Key Management personnel @	Relatives of Key management Personnel	Total
Borrowings#	0.00	0.00	1334.28	0.00	0.54	1334.82
Deposit#	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
Placement of Deposits#	0.00	0.00	0.00	0.47	0.38	0.84
Advances#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments#	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Non-funded Commitments#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements availed#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing/HP arrangements provided#	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
Sale of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest paid	0.00	0.00	26.25	0.00	0.02	26.27
Interest received	0.00	0.00	58.49	0.02	0.02	58.53
Rendering of services*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receiving of services*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Management contracts*	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

* Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.
@ Whole time directors of the Board and CEOs of the branches of foreign Banks in India
# The outstanding at the year-end and the maximum during the year are to be disclosed.

Directors of the India International Bank Malaysia Berhad		
Sl. No.	**Name**	**Designation**
1.	Shri. Thenkurissi Nandakumar Ramakumar	Managing Director and Chief Executive Director
2.	Shri. C. VR. Rajendran	Non Independent Non-Executive Director
3.	Shri. Datuk Bhupatrai a/l Shri. Makuskhlal Premji	Independent Non-Executive Director
4.	Shri. Gopala Krishnan a/l Shir. C P Gopalan	Independent Non-Executive Director

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2014-15:

Key Management Personnel				
Sl. No.	**Name**	**Designation**	**Period**	**Remuneration* Amount (₹) (2014-15)**
1.	Shri. R. Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	01.01.2015 To 31.03.2015	4,91,505.00
2.	Shri. Atul Agarwal	Executive Director	01.04.2014 To 31.03.2015	19,21,413.00
3.	Shri. Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	10.03.2015 To 31.03.2015	1,00,100.00
4.	Shri. M. Narendra	Ex-Chairman & Managing Director	01.04.2014To 31.07.2014	12,72,000.00
5.	Shri. A.K. Bansal	Ex-Executive Director	01.04.2014 To 31.03.2015	66,667.00
6.	Shri. A.D.M. Chavali	Ex-Executive Director	01.04.2014 To 31.10.2014	14,65.904.70

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

18.6 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	2014-15	2013-14
इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ में)	-454.33	601.74
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	1,23,53,48,315	99,44,71,502
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	नकारात्मक	रु. 6.05
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	रु. 10.00	रु. 10.00

18.7 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

18.8 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु.करोड़ में)

विवरण	31-03-2015		31.03.2014	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		542.88		1514.41
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास	14.99			17.01
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	143.75		140.31	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	12.97		11.74	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	420.06		342.85	
आगे ले जाई गई हानियाँ			1010.42	
विशेष आरक्षितियाँ		252.07		252.14
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	540.75			
अन्य	7.03		7.31	
कुल	**1139.55**	**794.95**	**1512.63**	**1783.56**
निवल डीटीएल / डी टी ए	**344.60**			**270.93**

18.9 लेखांकन मानक 23 - सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में लेखांकन

चूँकि अनुषंगी संस्थाएँ नहीं हैं, समेकित वित्तीय विवरण आवश्यक नहीं माना गया ।

18.10 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

बैंक में प्रयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को स्वयं ही तैयार किया गया है और यह एक सुदीर्घ अवधि में विकसित हुआ है। अत: सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालनात्मक व्यय जैसे वेतन आदि का अनिवार्य अंश है और इसे लाभ-हानि खाते के संबंधित व्यय शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

18.11 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बडौदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं । बैंक निगारा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16.04.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो संयुक्त उद्यम को आबंटित पूँजी एम वाई आर 320 मिओ है। इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% - 115.500 मियो एमवाइआर है ।

31.03.2015 तक हमारे बैंक ने प्रति शेयर 10 एमवाइआर सहित 11550000 शेयरों के लिए रु.194.91 करोड़ प्रदान किया है, जिसका कुल मूल्य 115.500 मियो एमवाइआर बनता है । इस संयुक्त उद्यम ने 11.07.2012 को परिचालन शुरू किए ।

18.12 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को “कार्पोरेट आस्तियाँ” माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस28 के जरिए परिभाषित अनुसार “नकदी सृजन इकाइयाँ” नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है ।

18.13 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

18.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2014-15	2013-14
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (₹ in Crore)	-454.33	601.74
Weighted Average Number of Equity Shares	1,23,53,48,315	99,44,71,502
Basic & Diluted Earnings Per Share	-ve	₹ 6.05
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

18.7 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2015		31.3.2014	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		542.88		1514.41
Depreciation on Fixed Assets	14.99			17.01
Provision for Employee Benefits	143.75		140.31	
Provision for Frauds	12.97		11.74	
Provision for Restructured Advances	420.06		342.85	
Carry forward losses			1010.42	
Special Reserve		252.07		252.14
Provision for NPA	540.75			
Others	7.03		7.31	
Total	**1139.55**	**794.95**	**1512.63**	**1783.56**
Net DTL /DTA	**344.60**			**270.93**

18.9 Accounting Standards 23 – Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

18.10 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the cost of software is essential part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

18.11 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorised Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Assigned Capital is MYR 320 Mio. Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR115.500 Mio.

As on 31.3.2015, Bank has paid ₹ 194.91 crore towards 11550000 shares of MYR10 each aggregating to MYR115.500 Mio. The Joint Venture has commenced operations on 11.7.2012.

18.12 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

18.13 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

19. अतिरिक्त प्रकटीकरण

19.1. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

19.1.1. जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	48467.12	27282
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	19.70	12.41

19.1.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (उधार एक्सपोजर व्युत्पन्नों सहित)

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	34301.16	31930.22
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	14.45%	13.84%

19.1.3. एक्सपोजर का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र)

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	43694.17	33442.57
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	17.88%	12.86%

19.1.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	2014-15	2013-14
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल एक्सपोज़र	1442.52	939.56

19.1.5 प्रवर्ग-वार अग्रिम / अनर्जक आस्तियाँ

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2014-15			2013-14		
		कुल बकाया अग्रिम	कुल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों एवं कुल अग्रिम की प्रतिशतता	कुल बकाया आस्ति	सकल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों एवं कुल अग्रिम की प्रतिशतता
ए.	**प्राथमिक क्षेत्र**	**64071.72**	**5801.06**	**9.05**	**59695.66**	**3468.21**	**2.14**
1.	कृषि व सम्बन्धित गतिविधियाँ	26284.30	2012.33	7.66	26990.09	1092.01	0.67
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	13865.57	1883.04	13.58	12581.69	1072.38	0.66
3.	सेवाएं	11652.97	1263.03	10.84	11993.13	889.14	0.55
4.	वैयक्तिक ऋण	12268.88	642.76	5.24	8130.75	414.68	0.26
	कुल (अ)	**64071.72**	**5801.06**	**9.05**	**59695.66**	**3468.21**	**2.14**
ब.	**गैर प्राथमिक क्षेत्र**	**98765.80**	**7352.32**	**7.44**	**102302.37**	**437016**	**2.70**
1.	कृषि व सम्बन्धित गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
2.	उद्योग	61770.72	6501.07	10.52	60789.39	3804.85	2.35
3.	सेवाएं	29040.36	517.04	1.78	24823.18	458.42	0.28
4.	वैयक्तिक ऋण	7954.72	334.21	4.20	16686.80	106.89	0.07
	कुल (ब)	**98765.80**	**7352.32**	**7.44**	**102302.37**	**4370.16**	**2.70**
	कुल (अ+ब)	**162837.52**	**13153.38**	**8.02**	**161998.03**	**7838.37**	**4.84**

19 Additional Disclosures

19.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

19.1.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Total Deposits of twenty largest depositors	48467.12	27282
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	19.70	12.41

19.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Total Advances to twenty largest borrowers	34301.16	31930.22
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.45%	13.84%

19.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	43694.17	33442.57
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	17.88%	12.86%

19.1.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Total Exposure to top four NPA accounts	1442.52	939.56

19.1.5 Sector-wise Advances / NPAs

(₹ in Crore)

Sl No	SECTOR	2014-15			2013-14		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A.	**Priority Sector**	**64071.72**	**5801.06**	**9.05**	**59695.66**	**3468.21**	**2.14**
1.	Agriculture and allied activities	26284.30	2012.33	7.66	26990.09	1092.01	0.67
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	13865.57	1883.04	13.58	12581.69	1072.38	0.66
3.	Services	11652.97	1263.03	10.84	11993.13	889.14	0.55
4.	Personal Loans	12268.88	642.76	5.24	8130.75	414.68	0.26
	Sub Total (A)	**64071.72**	**5801.06**	**9.05**	**59695.66**	**3468.21**	**2.14**
B	**Non Priority Sector**	**98765.80**	**7352.32**	**7.44**	**102302.37**	**437016**	**2.70**
1.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
2.	Industry	61770.72	6501.07	10.52	60789.39	3804.85	2.35
3.	Services	29040.36	517.04	1.78	24823.18	458.42	0.28
4.	Personal loans	7954.72	334.21	4.20	16686.80	106.89	0.07
	Sub Total(B)	**98765.80**	**7352.32**	**7.44**	**102302.37**	**4370.16**	**2.70**
	TOTAL (A+B)	**162837.52**	**13153.38**	**8.02**	**161998.03**	**7838.37**	**4.84**

19.2 अनर्जक आस्तियों का प्रचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
01 अप्रैल तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)	9020.48	6607.96
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	12015.96	6902.40
उप-योग (अ)	21036.44	13510.36
घटाएँ :		
i. उन्नयन	1425.35	994.19
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	2601.70	2021.72
iii) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए	2003.12	1413.81
iv. ऊपर iii) में उल्लिखित को छोड़कर बट्टे खाते में डाली गई रकम	83.82	60.16
उप-योग (आ)	6113.99	4489.88
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	14922.45	9020.48

19.3 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु.करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
कुल आस्तियाँ	20327.67	22633.80
कुल अनर्जक आस्तियाँ	1769.02	1182.11
कुल राजस्व	1032.36	1108.00

19.4 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन-मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**विदेशी**
शून्य	शून्य

19.5 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा

(रु.करोड़ में)

	2014-15	2013-14
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	565.76	241.30

19.6 प्रावधान और आकस्मिकताएँ - अलग-अलग विवरण

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग-अलग विवरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-560.88	453.53
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	3529.31	2210.80
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-46.51	246.13
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	565.76	241.30
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	288.99	243.74
कुल	**3776.67**	**3395.50**

19.7 अस्थिर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2014-2015	2013-14
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	शून्य	171.36
(ख)	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
(ग)	लेखा-वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफ़र को अंतरित)	शून्य	171.36
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	शून्य	शून्य

19.2 MOVEMENT OF NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	9020.48	6607.96
Additions (Fresh NPAs) during the year	12015.96	6902.40
Sub-total (A)	21036.44	13510.36
Less:-		
(i) Up-gradations	1425.35	994.19
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts and including sale to ARCIL)	2601.70	2021.72
(iii) Technical Write-offs	2003.12	1413.81
(iv) Write offs other than those under (iii) above	83.82	60.16
Sub-total (B)	6113.99	4489.88
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	14922.45	9020.48

19.3 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Total Assets	20327.67	22633.80
Total NPAs	1769.02	1182.11
Total Revenue	1032.36	1108.00

19.4 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

19.5 Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

	2014-15	2013-14
Provision for Income Tax (net)	565.76	241.30

19.6 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of ‘Provisions and Contingencies’ shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Provisions for depreciation on Investment	-560.88	453.53
Provision towards NPA	3529.31	2210.80
Provision towards Standard Assets	-46.51	246.13
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	565.76	241.30
Other Provision and Contingencies	288.99	243.74
Total	**3776.67**	**3395.50**

19.7 Floating Provisions

(₹ in Crore)

	Particulars	2014-15	2013-14
(a)	Opening balance in the floating provisions account	NIL	171.36
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	**Nil**	**Nil**
(c)	Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	Nil	171.36
(d)	Closing balance in the floating provisions account	Nil	NIL

19.8 शिकायतों का प्रकटीकरण

19.8.1 ग्राहकों की शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	166
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8369
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	7909
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	626

19.8.2 एटीएम ग्राहकों की शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही एटीएम शिकायतों की संख्या	3
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1895
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1889
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	9

19.8.3 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-
(ख)	वर्ष के दौरान पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	-
(घ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	-
(ङ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	-

19.8.4 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	शून्य
31.03.2015 को बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	2
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	शून्य
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	शून्य

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने एक चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया कि बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% के न्यूनतम सीआरएआर का अनुरक्षण किया जाएगा तथा रखे गए अर्जनों को पूँजी निधियों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा / या सीआरएआर को 12% के न्यूनतम स्तर पर अनुरक्षित करने के लिए और पूँजी लाई जाएगी बशर्ते भा.रि.बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो ।

शाखा के संपूर्ण वस्त्र उद्योग को दिए गए सभी उधारों के बुरी तरह अनर्जक आस्ति बनने के कारण, हमें टीएचबी 408.341 मिओ की अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह वस्त्र उद्योग के मानक अग्रिमों का अप्रतिभूत हिस्सा है । यदि ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न होती है, अप्रतिभूत रकम को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान आरक्षितियाँ पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त पूँजी का प्रेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था । बैंक संयुक्त उद्यम के अन्य भागीदारों के सहयोग सहित इण्डिया इंटर्नेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हाद को निधि प्रदान करने के लिए, व्यापार और अन्य मामलों में जब कभी अपेक्षित हो, समर्थन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों में, व्यापारिक परिचालनों और प्रबंधन संबंधी मलेशिया के कानून, विनियमों और पॉलिसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है ।

बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए गए चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव यह है कि प्रदत्त पूँजी एमवाइआर 330 मिओ के 35 % यानी, एमवाइआर 115.500 मिओ का प्रेषण करना होगा । हमारे बैंक ने एमवाइआर 115.500 मिओ की पूँजी के लिए 199,57,52,186/- रुपयों का प्रेषण किया है ।

19.9 बैंकएश्यूरन्स कारोबार

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप*	2014-15	2013-14
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	5.25	7.88
2	गैर जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	13.60	11.64
3	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.22	0.30
4	अन्य (स्पष्ट करें)	--	--
	कुल	19.07	19.82

*बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक।

19.10 तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	3537.63	3188.37
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	2003.12	1413.81
उप-जोड़ (अ)	5540.75	4602.18
घटाएँ: पहले तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली (आ)	584.53	1064.55
31मार्च को इति शेष (अ) - (आ)	4956.22	3537.63

19.8 Disclosure of complaints

19.8.1 Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	166
(b)	No. of complaints received during the year	8369
(c)	No. of complaints redressed during the year	7909
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	626

19.8.2 ATM – Customer Complaints

(a)	No. of ATM complaints pending at the beginning of the year	3
(b)	No. of ATM complaints received during the year	1895
(c)	No. of ATM complaints redressed during the year	1889
(d)	No. of ATM complaints pending at the end of the year	9

19.8.3 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	-
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	-
(c)	No. of Awards implemented during the year	-
(d)	No. of Awards lapsed due to non acceptance by customer	-
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	-

19.8.4 Letters of Comfort (LoC)

Letters of Comfort issued during the year	Nil
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2015	2
Assessed financial impact	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligation	Nil

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/ or infuse further capital in order to restore the CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB 408.341 mio being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of undertaking issued to Bank Negara Malaysia is remittance of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 mio ie. MYR 115.500 mio. Our Bank has remitted INR 199,57,52,186/- towards the capital of MYR 115.500 mio.

19.9 Bancassurance Business

(₹ in Crore)

S No	Nature of income*	2014-15	2013-14
1	For selling Life Insurance Policies	5.25	7.88
2	For selling Non Life Insurance Policies	13.60	11.64
3	For Selling Mutual Fund products	0.22	0.30
4	Others (specify)	--	--
	Total	19.07	19.82

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

19.10 Movement of Technical Write off

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	3537.63	3188.37
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	2003.12	1413.81
Sub-total (A)	5540.75	4602.18
Less: Recoveries made from previously Technical / Prudential written off accounts during the year (B)	584.53	1064.55
Closing Balance as on 31st March (A-B)	4956.22	3537.63

19.11 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण **शून्य**

19.12 उधार डीफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) **शून्य**

19.13 इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र

(रु करोड़ में)

विवरण	2014-15
इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र का %	शून्य
इंट्रा ग्रूप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य

20 जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रु करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	371.28	शून्य
घटाएं : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	2.84	शून्य
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	368.44	शून्य

21. अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यू एफ सी ई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यू एफ सी ई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षा रु.9.96 करोड़ है और अग्रगामी आर डब्ल्यू ए अपेक्षा रु.606.87 करोड़ है जिसे ऋण जोखिम पूँजी मूल्यांकन भाग के रूप में शामिल किया गया है।

22. चलनिधि कवरेज अनुपात का प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

		2014-15		2013-14	
		कुल अभारित मूल्य* [औसत]	कुल भारित मूल्य [औसत]	कुल अभारित मूल्य* [औसत]	कुल भारित मूल्य [औसत]
	उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति				
1	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)		21830.72		लागू नहीं
	नकद प्रवाह			लागू नहीं	लागू नहीं
2	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	**45625.86**	**3528.36**	लागू नहीं	लागू नहीं
i.	स्थिर जमाएं	20684.56	1034.23	लागू नहीं	लागू नहीं
ii.	कम स्थिर जमाएं	24941.30	2494.13	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	अप्रतिभूत ऋण	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
3	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	**24218.36**	**8168.97**	लागू नहीं	लागू नहीं
i.	परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	140.05	34.87	लागू नहीं	लागू नहीं
ii.	गैर - परिचालनात्मक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियां)	24078.31	8134.10	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	अप्रतिभूति ऋण	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
4	प्रतिभूत थोक वित्तीयन	56.06	0	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	**12044.88**	**3581.77**	लागू नहीं	लागू नहीं
i.	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	282.08	282.08	लागू नहीं	लागू नहीं
ii.	ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
iii.	ऋण एवं तरलता सुविधा	11762.80	3299.69	लागू नहीं	लागू नहीं

19.11 Disclosures relating to Securitisation NIL

19.12 Credit Default Swaps (CDS) NIL

19.13 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15
Total amount of intra-group exposures	Nil
Total amount of top 20 intra-group exposures	Nil
% of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil

20 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in Crore)

Particulars	2014-15	2013-14
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	Nil	Nil
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	371.28	Nil
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.84	Nil
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	368.44	Nil

21 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI Circular ref to RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

For the year 2014-15, the additional provision requirement is to the tune of ₹ 9.96 crores and the incremental RWA requirement is to the tune of ₹ 606.87 crores which is included as part of the Credit Risk Capital assessment.

22 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(₹ in Crore)

		2014-15		2013-14	
		Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]
	High Quality Liquid Assets				
1	Total High Quality Liquid Assets [HQLA]		21830.72		NA
	Cash Outflows			NA	NA
2	Retail Deposits and deposits from small business customers, of which :	**45625.86**	**3528.36**	NA	NA
i.	Stable Deposits	20684.56	1034.23	NA	NA
ii.	Less Stable Deposits	24941.30	2494.13	NA	NA
iii.	Unsecured Debt	0	0	NA	NA
3	Unsecured wholesale funding, of which:	**24218.36**	**8168.97**	NA	NA
i.	Operational deposits [all counterparties]	140.05	34.87	NA	NA
ii.	Non-Operational deposits [all counterparties]	24078.31	8134.10	NA	NA
iii.	Unsecured Debt	0	0	NA	NA
4	Secured wholesale funding	56.06	0		NA
5	Additional requirements, of which	**12044.88**	**3581.77**	NA	NA
i.	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	282.08	282.08	NA	NA
ii.	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	NA	NA
iii.	Credit and Liquidity facilities	11762.80	3299.69	NA	NA

		2014-15		2013-14	
		कुल अभारित मूल्य* [औसत]	कुल भारित मूल्य [औसत]	कुल अभारित मूल्य* [औसत]	कुल भारित मूल्य [औसत]
6	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	1.31	1.31	लागू नहीं	लागू नहीं
7	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	36613.83	1830.69	लागू नहीं	लागू नहीं
8	कुल नकद बहिर्वाह		**17111.10**		लागू नहीं
	नकद अंतर्वाह				
9	प्रतिभूत उधार [उदा. रिवर्स रेपो]	7071.80	0	लागू नहीं	लागू नहीं
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	9618.84	2.34	लागू नहीं	लागू नहीं
11	अन्य नकद अंतर्वाह	12135.01	6466.04	लागू नहीं	लागू नहीं
12	कुल नकद अंतर्वाह	**28825.65**	**6468.38**		
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एच क्यू एल ए		21830.72		लागू नहीं
22	कुल निवल नकद बहिर्वाह		10642.71		लागू नहीं
23	तरलता कवरेज अनुपात [%]		**205.1236**		लागू नहीं

* अभारित मूल्य (औसत) प्रबंधन द्वारा दिए जाते हैं और लेखा परीक्षकों के विश्वास के अधीन हैं ।

23. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया।

		2014-15		2013-14	
		Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value [average]
6	Other contractual funding obligations	1.31	1.31	NA	NA
7	Other contingent funding obligations	36613.83	1830.69	NA	NA
8	Total Cash Outflows		**17111.10**		NA
	Cash Inflows				
9	Secured lending [eg. Reverse repos]	7071.80	0	NA	NA
10	Inflows from fully performing exposures	9618.84	2.34	NA	NA
11	Other cash inflows	12135.01	6466.04	NA	NA
12	Total Cash Inflows	**28825.65**	**6468.38**		
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		21830.72		NA
22	Total Net Cash Outflows		10642.71		NA
23	Liquidity Coverage Ratio [%]		**205.1236**		NA

*Unweighted values (Average) are provided by the management and relied upon by the Auditors.

23 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

नकद प्रवाह विवरण

(रु. '000 में)

31-03-2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2015	समाप्त वर्ष 31.03.2014
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह		
निवल लाभ / (हानि)	**-4 54 32 51**	**6 01 74 11**
निम्नवत के लिए समायोजन		
एचटीएम निवेशों के लिए परिशोधन	88 36 83	81 25 78
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	2 53 48 45	1 04 67 43
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	1 49 00 08	1 41 31 60
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	- 1 14 85	- 1 86 84
आरक्षितियों से अंतरण	32 54 42	-3 60 61 54
करों के लिए प्रावधान	8 36 34 16	2 41 29 91
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	37 56 47 48	22 10 79 79
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	- 46 51 23	2 46 13 43
निवेशों पर मूल्य ह्रास	-5 29 39 06	4 65 43 44
अन्य मदों के लिए प्रावधान	-2 40 24 67	2 31 83 71
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	6 03 15 81	6 07 81 35
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	180 72 63 49	258 40 73 86
उधारों में वृद्धि / (ह्रास)	-70 73 36 51	11 33 17 60
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	-1 61 35 02	5 62 07 54
निवेशों में वृद्धि / (ह्रास)	-108 79 63 55	-89 98 48 91
अग्रिमों में वृद्धि / (ह्रास)	3 69 09 79	-179 66 28 47
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (ह्रास)	11 87 78 58	-13 98 00 54
प्रत्यक्ष कर (निवल)	- 22 01 33	-4 65 00 00
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	**59 40 90 36**	**32 78 03 26**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	8 03 11	1 86 84
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटारा	-1 65 94 46	-2 21 57 78
नियत आस्तियों की खरीद	- 6 37 43	- 6 89 46
सहयोगियों में निवेश	**-1 64 28 78**	**-2 26 60 39**
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद (ख)		
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		15 98 04 60
ईक्विटी शेयर ईश्यू से प्राप्त राशि	10 00 00 00	
टियर I टियर II बाँडों से प्राप्त राशि	-2 00 00 00	-2 00 00 00
टियर II बाँडों से छूट	-6 14 58 24	-6 04 62 06
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	- 72 26 48	- 94 49 61
प्रदत्त लाभांश	**1 13 15 28**	**6 98 92 92**
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	**58 89 76 86**	**37 50 35 79**
नकद में निवल वृद्धि व नकद समतुल्य (क+ख +ग)		
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	117 35 09 75	98 37 82 50
भा.रि.बैं के यहाँ नकद व शेष	72 73 68 03	54 20 59 49
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य		
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	126 37 77 47	117 35 09 75
नकद व भा.रि.बैं के यहाँ शेष	122 60 77 16	72 73 68 03
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य		
नकद में निवल वृद्धि व नकद समतुल्य	58 89 76 86	37 50 35 79

यह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है ।

राधा वेंकटकृष्णन
महा प्रबंधक

आर कोटीस्वरन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम, अधोहस्तारकर्ता-गण, इण्डियन ओवरसीज बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उक्त नकदी-प्रवाह विवरण की जाँच की है । यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीबद्ध खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते जो कि भारत के राष्ट्रपति को उसी तिथि पर दी गयी हमारी रिपोर्ट द्वारा आवरित है, के अनुसार व उस पर आधारित है ।

पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000051एन
(रमेश चंद गोयल)
साझेदार, एम संख्या.012628

दास खन्ना एण्ड कंपनी.
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000402एन
(राकेश सोनी)
साझेदार, एम संख्या.083142

वर्द्धमान एण्ड कंपनी.
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 004522एस
(आभा जैन)
साझेदार एम संख्या.015454

ए एस ए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 009571एन
(जे. सिवसंकरन)
साझेदार
एम संख्या.022103

ए वी देवन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000726एस
(ए वासुदेवन)
साझेदार
एम संख्या.023882

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 08.05.2015

INDIAN OVERSEAS BANK

CASH FLOW STATEMENT

(₹ in '000s)

Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit / (Loss)	**-4 54 32 51**	**6 01 74 11**
Adjustments for :		
Amortisation of HTM Investments	88 36 83	81 25 78
Loss on Revaluation of Investments	2 53 48 45	1 04 67 43
Depreciation on Fixed Assets	1 49 00 08	1 41 31 60
Profit / Loss on Sale of Assets	- 1 14 85	- 1 86 84
Transfer from Reserves	32 54 42	-3 60 61 54
Provision for taxes	8 36 34 16	2 41 29 91
Provision for NPAs	37 56 47 48	22 10 79 79
Provision for Standard Assets	- 46 51 23	2 46 13 43
Depreciation on Investments	-5 29 39 06	4 65 43 44
Provision for Other Items	-2 40 24 67	2 31 83 71
Interest Paid on Tier II Interest	6 03 15 81	6 07 81 35
Increase / (Decrease) in Deposits	180 72 63 49	258 40 73 86
Increase / (Decrease) in Borrowings	-70 73 36 51	11 33 17 60
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	-1 61 35 02	5 62 07 54
(Increase) / Decrease in Investments	-108 79 63 55	-89 98 48 91
(Increase) / Decrease in Advances	3 69 09 79	-179 66 28 47
(Increase) / Decrease in Other Assets	11 87 78 58	-13 98 00 54
Direct Taxes (Net)	- 22 01 33	-4 65 00 00
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**59 40 90 36**	**32 78 03 26**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / disposal of Fixed Assets	8 03 11	1 86 84
Purchase of Fixed Assets	-1 65 94 46	-2 21 57 78
Investment in Associates	- 6 37 43	- 6 89 46
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**-1 64 28 78**	**-2 26 60 39**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds of Equity Share Issue		15 98 04 60
Proceeds of Tier I & Tier II Bonds	10 00 00 00	
Redemption of Tier II Bonds	-2 00 00 00	-2 00 00 00
Interest Paid on Tier II Capital	-6 14 58 24	-6 04 62 06
Dividend Paid	- 72 26 48	- 94 49 61
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**1 13 15 28**	**6 98 92 92**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	**58 89 76 86**	**37 50 35 79**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	117 35 09 75	98 37 82 50
Balances with Banks & Money at Call	72 73 68 03	54 20 59 49
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash & Balances with RBI	126 37 77 47	117 35 09 75
Balances with Banks & Money at Call	122 60 77 16	72 73 68 03
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	58 89 76 86	37 50 35 79

This Statement has been made prepared in accordance with Indirect Method.

Radha Venkatakrishnan
General Manager

R Koteeswaran
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE

We, the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2015. The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32, of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of even date to The President of India .

P R Mehra & Co.
Chartered Accountants
FRN 000051N
(RAMESH CHAND GOYAL)
Partner, M.No.012628

Dass Khanna & Co.
Chartered Accountants
FRN 000402N
(RAKESH SONI)
Partner, M.No.083142

Vardhaman & Co.
Chartered Accountants
FRN 004522S
(ABHA JAIN)
Partner, M.No.015454

ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006
(J SIVASANKARAN)
Partner
M.No.022103

A V Deven & Co
Chartered Accountants
FRN 000726S
(A VASUDEVEN)
Partner
M.No.023882

Place : Chennai
Date : 08.05.2015

अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल (II) पर समय - समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने वाली गतिविधियों को रोकना या उनसे बचना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया जाए ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसे जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच समुचित संतुलन के जरिए शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम सिद्धांत को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और बैंक के जोखिम उठाने की क्षमता के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी) गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, फ्रॉड जोखिम के प्रबंधन हेतु परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (सतर्कता) समिति तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन का कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का अधिक प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल सिद्धांत जोखिम को उसके प्रारंभिक बिंदु पर नियंत्रित करना है । बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में, फ्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहा है। बेसल II फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक "तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क" तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और अल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं आपदा से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डेटा केंद्रों की सुविधा शुरू की गई है। सभी 3 डाटा केन्द्रों पर मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन प्रदान किए गए है. और वैकल्पिक सेवा प्रदाता से केंद्रीय डुएल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रू जन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित की जाती है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलंग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के

ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India, Mumbai issues guidelines on Basel II Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a Bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the Bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the Bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the Bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the Bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The Bank has set up appropriate risk management organization structure in the Bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The Bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for the managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) and ALCO Sub-committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, Operational Risk management (Vigilance) Committee for managing fraud risk and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the Bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the Bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the Bank and is the convenor for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments / branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The Bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and Bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the Bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with Bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the Bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The Bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the Bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the Bank carries out various stress tests on Bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. Information System Security Department has been established to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches.. The Bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated Bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The Bank has put in place system and procedure in place in this regard in compliance with the RBI guidelines.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing

कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तीसरे पिलर का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और पिलर II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: मानकीकृत पद्धति की शर्त पर पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और-11) पूंजी का संघटन (डीएफ-11)। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं						

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन का देश/ अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों के नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पूर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The Bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the Bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all Banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10) and (k) Composition of Capital (DF-11). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the Bank in various parameters.

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies

(i) Qualitative Disclosures

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank does not belong to any group Not Applicable						

a. List of Group entities considered for consolidation

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Bank does not belong to any group Not Applicable					

ii. Quantitative Disclosures:

c. List of Group entities considered for consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not applicable			

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entiites / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the Bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Not applicable				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानक और पूंजी मापन का अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देश जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका था और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए),बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखी है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबंधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय के पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। पूँजी संगणना के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर फील्ड स्टाफ को आवधिक रूप से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि पूँजी संगणना में यथार्थता व पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों, जो प्रकट हो गए हैं, को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। संपार्श्विक प्रबंधन व उधार जोखिम कम करने के लिए एक समुचित नीति तैयार की गई है जिसे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति (आर डब्ल्यू ए) अर्थात जोखिम भारित आस्ति (सीआरएआर) की पूँजी के 9% के न्यूनतम कुल अनुपात (एमटीसी) को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम टीयर I सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर टियर 2 पूँजी को अधिकतम 2% तक स्वीकार किया जा सकता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के पिलर 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कहीं लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थ करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने कारोबार की भावी संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता का आवधिक रूप से आकलन किया है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अधिशेष सीआरएआर भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करता है। इसके अलावा, टियर I और टियर II पूंजी घटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार, बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। भारत सरकार, जो बैंक में बड़ा शेयरधारण रखता है, पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए नई पूँजी को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में, बैंक आय को बनाए रखकर तथा बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बाज़ार की शर्तों पर आधारित बाज़ार से नई पूँजी के आधान के ज़रिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

बेसल III फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टियर I पूँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टियर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संगणना का आधार "पूँजी की परिभाषा (पूँजी उपाय) तथा कुल जोखिम (जोखिम उपाय) पर आधारित है।" भारत में परिचालित बैंकों के लिए तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात तथा 01 अप्रैल 2015 से प्रदत्त टेम्पलेट्स के अनुसार तिमाही आधार पर इसके संघटकों का **प्रकटीकरण** किया जाना अपेक्षित है। पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए किया जाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैंकों को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनएसएफआर नियमित आधार पर वित्तपोषण के और अधिक स्थाई स्रोतों के साथ बैंकों को उनके कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु अनुरोध करके दीर्घकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपेक्षाएँ क्रमश: 1 जनवरी 2015 तथा 1 जनवरी 2018 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनज़र कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group: Not applicable

Table DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of Banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the Bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows Banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the Bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the Bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the Bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the Bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR).

RBI has prescribed that Banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. Thus, within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 capital can be admitted maximum up to 2%.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the Bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the Bank's overall risk profile. In framing the policy the Bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and Bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the Bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the Bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the Bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the Bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the Bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. The basis for calculation at the end of each quarter is "based on the definition of capital (the capital measure) and total exposure (the exposure measure). Banks operating in India are required to make **disclosure** of the leverage ratio on quarterly basis and its components from April 1, 2015 on a quarterly basis as per the templates given. First disclosure required to be made for the quarter ending June 30, 2015.

RBI has issued guidelines on two minimum standards viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that Bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The NSFR promotes resilience over longer term time horizons by requiring Banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The LCR and NSFR requirement would be binding on Banks from January 1, 2015 and January 1, 2018 respectively. With a view to provide transition time for Banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

01.01.2015 को एलसीआर 60% की न्यूनतम निर्धारित अपेक्षा को भली भाँति पूरा करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण	(रु.करोड़ में)
क. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	15238.70
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य
ख. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	592.65
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	18.08
- इक्विटी जोखिम	575.57
ग. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1067.86
• मानकीकृत दृष्टिकोण	लागू नहीं
घ. सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी अनुपात	6.55%
टियर I पूँजी	7.30%
कुल पूँजी अनुपात	10.11%
उच्च समेकित समूह हेतु तथा	लागू नहीं
• बैंक के महत्वपूर्ण अनुषंगियों हेतु (फ्रेमवर्क के लागू होने के आधार पर स्टैंड अलोन या उप समेकित)	लागू नहीं

तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के निवेश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक बाध्यकारी (उधारकर्ता) और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं जैसे, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि को फैक्टर करते हैं। उद्योग जोखिम आंकड़े बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की टियर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और सार्थक तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मँजूरी पर विचार करने के लिए बैंक ने तीन समितियों यथा (ए) अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) (बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी ईडी) तथा (सी) प्रदत्त शक्तियों के साथ वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मँजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुखों की अध्यक्षता वाली क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) तथा अंचल कार्यालयों में राष्ट्रीय बैंक स्तरीय ऋण समितियों (एनबीसीसी) का गठन किया गया है। परिणामत: शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मँजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए बोर्ड/ आरएमसीबी के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं।

	January 1, 2015	January 1,2016	January 1,2017	January 1,2018	January 1,2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

The LCR as on 01.01.2015 was well within the minimum stipulated requirement of 60%.

Quantitative disclosures	(₹ in Crore)
a) Capital requirements for credit risk	
• Portfolios subject to standardised approach	15238.70
• Securitisation exposures	Nil
b) Capital requirements for market risk:	
• Standardised duration approach	
- Interest rate risk	592.65
- Foreign Exchange risk (including gold)	18.08
- Equity risk	575.57
c) Capital requirements for operational risk	
• Basic indicator approach	1067.86
• The Standardised Approach	Not Applicable
d) Common Equity Tier 1 Capital Ratio	6.55%
Tier 1 Capital	7.30%
Total Capital Ratio	10.11%
For the top consolidated group; and	Not Applicable
• For significant Bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	Not Applicable

Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the Bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the Bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the Bank. As a measure of robust credit risk management process, the Bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The Bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the Bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by MD & CEO, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Zonal Level Credit Committees (ZLCC) headed by the Zonal Head and Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all Zonal Offices and Regional Offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.

The new products introduced by Bank are examined by the head office level risk management committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/Board for approval.

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक ने उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम और उधार जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त निधि एवं निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करनी पड़ सकती हैं।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।विभाग का उद्देश्य है अर्जक खातों को एन पी ए में स्लिपेजों को कम करना और साथ ही उपलब्ध मानदण्डों व दिशानिर्देशों का अनुपालन करना । विभाग खातों का दैनिक आधाार पर वर्गीकरण व अनुवर्तन करके फिसलन को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्म निगरानी भी करता है । इसके साथ ही खातों की निगरानी उनके ऋण के आकार के आधार पर विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है ।

रु. 1करोड़ और ऊपर के ऋण वाले सभी मानक उधार खातों की निगरानी ऋण पुनरीक्षा प्रणाली के तहत की जाती है जो अनिवार्यत: एक ऑफ साइट ऑडिट प्रणाली है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण जोखिम पर निर्देश नोट और बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ऋण लेखा परीक्षा की जाती है ।

ऋण ऑडिट के तहत किसी भी स्तर के प्राधिकृत द्वारा मंजूर रु. 5 करोड़ और ऊपर के उधार खाते आते हैं । यह लगातार चलने वाला कार्य है जिससे बैंक को कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है साथ ही उधार खाते की रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं । यह अनिवार्यत: एक ऑन साइट लेखा परीक्षा प्रणाली है जिससे अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंक के हित की रक्षा हो सकती है। बैंक रु. 1.00 करोड़ तथा उससे अधिक के कार्यशील पूँजी ऋणवाले खातों के विवरण आमंत्रित करके सतत निगरानी भी करना है।

पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार पुनर्संरचित खाते के वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का समय समय पर पालन करता है ।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण :

बैंक अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का पालन करता है। (रु करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण		2014-15
क.	कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र,	268337.48
	निधि आधारित	28388.68
	गैर निधि आधारित	
ख.	प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
	• **देशी**	
	निधि आधारित	162837.52
	गैर निधि आधारित	35944.91
	• **विदेशी**	
	निधि आधारित	16203.81
	गैर निधि आधारित	2951.25
ग.	प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित
घ.	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
ङ.	एनपीए (सकल) की राशि	14922.45
	• अवमानक	6874.49
	• संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	7806.65
	• हानि	241.31
च.	निवल एनपीए	9813.33
छ.	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	8.33%
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपी	5.68%

Credit Risk Management Policies

The Bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the Bank on a Bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The Bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the Bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the Bank. Besides, the Bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the Bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the Bank is exposed.

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of ₹ 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of ₹ 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the Bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the Bank. The Bank also maintains surveillance on the accounts with working capital exposure of ₹ 1.00 Cr and above by calling for Continuous Surveillance statements.

Classification of restructured accounts:

The Bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.

Classification of Non Performing Accounts:

The Bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(₹ in Crore)

Quantitative Disclosures	2014-15
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	268337.48
Non fund based	28388.68
b) Geographic distribution of exposures,	
• **Domestic**	
Fund based	162837.52
Non Fund based	35944.91
• **Overseas**	
Fund based	16203.81
Non Fund based	2951.25
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	14922.45
• Substandard	6874.49
• Doubtful (D1, D2, D3)	7806.65
• Loss	241.31
f) Net NPAs	9813.33
g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	8.33%
• Net NPAs to net advances	5.68%

ज. एनपीए का प्रचलन (सकल)	
• प्रारंभिक शेष	9020.48
• जोड़	12015.96
• घटाव	6113.99
• अन्तिम शेष	14922.45
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	
• प्रारंभिक शेष	2994.03
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	3529.31
• बट्टे खाते में डाला गया	2066.14
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0
• अन्तिम शेष	4457.20
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	179.63
ट. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	76.45
ठ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
• प्रारंभिक शेष	995.49
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	83.68
• बट्टे खाते में डाला गया /आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	656.72
• अन्तिम शेष	422.45

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन (रु. करोड़ में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि - 3 म	3-6 म	6म - 1 वर्ष	>1 से 3 वर्ष	> 3 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष
5294.40	16096.75	7925.85	9168.85	24023.28	20226.35	30599.83	72154.42	26242.17	56491.02

देशी परिचालन के लिए सकल आस्तियों का कवरेज

उद्योगवार ऋण (रु. करोड़ में)

उद्योग का नाम	**बकाया**
खनन व क्वेरियिंग	1866.55
खाद्य प्रसंस्करण	4372.20
उनमें से चीनी	1234.26
उनमें से खाद्य तेल और वनस्पति	1146.60
उनमें से चाय	46.95
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	598.11
सूती वस्त्र उद्योग	4012.64
जूट वस्त्र उद्योग	76.92
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	204.11
अन्य वस्त्र उद्योग	3006.94
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	532.12
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	713.34
कागज और कागज उत्पाद	1863.71
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	1103.00
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्टस आदि)	2521.15
उनमें से उर्वरक	127.98
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	739.18
उनमें से अन्य	1653.99
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	1141.98
ग्लास और ग्लासवेयर	135.22
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1550.50
लौह एवं स्टील	11219.66
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2269.60
सभी इन्जीनियरिंग	6167.99

h)	Movement of NPAs (Gross)	
	• Opening balance	9020.48
	• Additions	12015.96
	• Reductions	6113.99
	• Closing balance	14922.45
i)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	2994.03
	• Provisions made during the period	3529.31
	• Write off	2066.14
	• Write back of excess provisions	0
	• Closing balance	4457.20
j)	Amount of Non-Performing Investments	179.63
k)	Amount of provisions held for non-performing investments	76.45
l)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	• Opening Balance	995.49
	• Provisions made during the period	83.68
	• Write-off / Write-back of excess provisions	656.72
	• Closing Balance	422.45

Residual contractual Maturity break down of Assets (₹ in Crore)

Day 1	2-7 D	8-14 D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3years	>3 to 5years	>5 years
5294.40	16096.75	7925.85	9168.85	24023.28	20226.35	30599.83	72154.42	26242.17	56491.02

Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES (₹ in Crore)

Industry Name	**Outstanding**
Mining and quarrying	1866.55
Food Processing	4372.20
Of which Sugar	1234.26
Of which Edible Oils and Vanaspati	1146.60
Of which Tea	46.95
Beverages and Tobacco	598.11
Cotton Textiles	4012.64
Jute Textiles	76.92
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	204.11
Other Textiles	3006.94
Leather and Leather Products	532.12
Wood and Wood Products	713.34
Paper and Paper Products	1863.71
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1103.00
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	2521.15
Of which Fertilisers	127.98
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	739.18
Of which Others	1653.99
Rubber, Plastic and their products	1141.98
Glass & Glassware	135.22
Cement and Cement Products	1550.50
Iron and Steel	11219.66
Other Metal and Metal Products	2269.60
All Engineering	6167.99

उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	409.80
वाहन,वाहन के भाग, परिवहन साधन	3350.88
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	917.41
निर्माण	998.90
इन्फ्रास्ट्रक्चर	28592.82
उनमें से रोडवेज़	8066.81
उनमें से शक्ति	19064.92
उनमें से तार संचार	1461.09
अन्य उद्योग	419.88
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	101405.30
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	1511.67
कुल ऋण और अग्रिम	**179041.33**

तालिका डी एफ-4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल II पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत उपागम के तहत क्रेडिट जोखिम हेतु पूँजी की गणना के लिए व्यक्तिगत/ प्रत्येक ऋणों को लिया गया है।जहाँ पर एक्सपोजर पूरी तरह से प्रतिभूतित हैं जैसे आभूषण ऋण, सावधिक जमाओं/ उपलब्ध जीवन बीमा पॉलसी इत्यादि, चूँकि उच्च लाभप्रदता के कारण उचित मार्जिन लागू करने के बाद न्यूनीकरण उपलब्ध एक्सपोजर से होता है इसीलिए ये लोन उपलब्ध उधार जोखिम शामक (सीआरएम) के विरुद्ध पूर्णत: नेटेड होते हैं।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छ: देशी ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि. (सीएआरई),क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि.और इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी और ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है ।उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता हैं । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खातों के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित की है। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

वर्तमान में, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए आंतरिक रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता ।साथ ही साथ बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत **31.3.2015** तक लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत का लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में लेना चाहिए जिसमें कुछ समय लगेगा।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन कवर्ड इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	106813.87	12018.50	94795.38
100% जोखिम भार	94546.34	12927.60	81618.73
100% जोखिम भार से अधिक	30504.68	10051.59	20453.09
घटाएँ	0	0	0
कुल	**231864.89**	**34997.69**	**196867.20**

Of which Electronics	409.80
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3350.88
Gems and Jewellery	917.41
Construction	998.90
Infrastructure	28592.82
Of which Roadways	8066.81
Of which Energy	19064.92
Of which Telecommunications	1461.09
Other Industries	419.88
Residuary Other Advances to balance Gross Advances	101405.30
Of which Aviation Sector	1511.67
Total Loans and Advances	**179041.33**

Table DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the Bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, individual exposures are captured. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The Bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the Bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating:

The Bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The Bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The Bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.3.2015 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	**Unrated**
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	106813.87	12018.50	94795.38
100% risk weight	94546.34	12927.60	81618.73
More than 100% risk weight	30504.68	10051.59	20453.09
Deducted	0	0	0
TOTAL	**231864.89**	**34997.69**	**196867.20**

अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	31871.27	1853.75	30017.52
100% जोखिम भार	5581.77	0	5581.77
100% जोखिम भार से अधिक	51.69	0	51.69
घटाएं	0	0	0
कुल	**37504.73**	**1853.75**	**35650.98**

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

बैंक द्वारा विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन हेतु तथा उधार जोखिम कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो ।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, किसान विकास पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिट, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ आदि शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार, बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक),जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए “मान्य गारंटियों” के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसई (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं। उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में, बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में किसी भी संकेन्द्रण जोखिम पर विचार नहीं करता है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	24214.01
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	46.22
बैकों की अनुसूची(आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	0.00
प्राईमरी डीलर	0.00
कार्पोरेट	3783.52
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	15758.91
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	21.24
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	125.96
उपभोक्ता ऋण	4208.72

OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	31871.27	1853.75	30017.52
100% risk weight	5581.77	0	5581.77
More than 100% risk weight	51.69	0	51.69
Deducted	0	0	0
TOTAL	**37504.73**	**1853.75**	**35650.98**

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the Bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the Bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/ Ornaments, Kisan Vikas Patras, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The Bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the Bank has recognized specific securities viz (a) cash/Bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where Bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees", in computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign Banks as per guidelines).

The Bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the Bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the Bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	24214.01
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	46.22
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Primary Dealers	0.00
Corporates	3783.52
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	15758.91
Claims secured by Residential Property	21.24
Claims secured by Commercial Real Estate	125.96
Consumer Credit	4208.72

पूँजी बाजार एक्सपोज़र	3.43
एन बी एफ सी	26.32
जोखिम पूंजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.24
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	77.68
अन्य आस्तियाँ - स्टाफ ऋण	63.65
अन्य आस्तियाँ	50.13
पुनर्संरचित खाते	19.32
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	28.50
पुनर्सरंचित आवास ऋण	0.17

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (रु करोड़ो में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, कुल एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों /क्रेडिट व्युत्पन्नों (जब भी भा. रि. बैं.द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गयी) द्वारा कवर किया गया है ।	14392.88
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	7829.14
कार्पोरेट	2868.49
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	764.01
पुनर्संरचित	2838.95
पूँजी बाजार ऋण	0.00
सीआरई	68.29
सीआरई -आरएच	24.00

तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा • प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है। • प्रतिभूत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ तरलता जोखिम) • अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण बढ़ोतरी प्रदाता, तरलता प्रदाता, स्वैप प्रदाता, प्रतिरक्षा प्रदाता) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक • प्रतिभूतिकरण ऋण की ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणाार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है ।) • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं ।
ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार • क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण माना जाता है • प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित); रखे गए या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन • पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव • बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां	
ग) बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो।	

Capital Market Exposure	3.43
NBFC	26.32
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.24
Non Performing Assets – b) Others	77.68
Other Assets – Staff Loans	63.65
Other Assets	50.13
Restructured Accounts	19.32
Claims secured by C.R.E-RH	28.50
Restructured Housing Loan	0.17

Quantitative Disclosures (₹ in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	14392.88
Public Sector Entities	7829.14
Corporates	2868.49
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	764.01
Restructured	2838.95
Capital Market Exposure	0.00
CRE	68.29
CRE-RH	24.00

Table DF 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of: • The Bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the Bank to other entities. • The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets • The various roles played by the Bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the Bank's involvement in each of them; • A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009); • A description of the Bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure;	No securitisation for the year ended 31.03.2015
b) Summary of the Bank's accounting policies for securitisation activities, including : • Whether the transactions are treated as sales or financings; • Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased. • Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; • Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the Bank to provide financial support for securitized assets;	
c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	

बैंकिंग बही में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	
घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिम की कुल राशि	
ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि) द्वारा काट दिया गया हो	लागू नही
च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम	
छ) (च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्ति की रकम	
ज) प्रतिभूतिकृत (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) एक्सपोजरों की कुल राशि व एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर अमान्यताप्राप्त हानि या लाभ।	
झ) (एक्सपोज़र प्रकार द्वारा) काटे गए ऑफ बैंलेस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम	
ट) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल राशि व संबंधित पूँजी प्रभार, एक्सपोजर के बीच काटे गए और अन्य प्रत्येक विनियामक पूँजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में काटे गए	
*टियर I पूँजी से पूर्णत: काटे गए एक्सपोजर, कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) से काटी गयी उधार बढ़ोतरी आइ / ओ	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बही	
ठ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंक ने एक्सपोज़र रखा था और जो एक्सपोज़र प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है।	
ड) निम्नलिखित की समग्र मात्रा : • रखा गया या खरीदा गया ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटा गया हो • ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोज़र प्रकार द्वारा काटा गया हो	
ढ) निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की समग्र मात्रा • रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विशिष्टि जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र जो विभिन्न जोखिम भारित बैण्ड में काटे गए विशिष्टि जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो	
ण) निम्नलिखित की समग्र मात्रा : • प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूँजी अपेक्षा जो विभिन्न जोखिम भारित बैण्ड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो • टियर I पूँजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, कुल पूँजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोतरी और अन्य कुल पूँजी (एक्सपोज़र प्रकार द्वारा) से काटे गए अन्य एक्सपोज़र	

तालिका डीएफ - 7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा एचफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा इक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ, निधि प्रबंधन एवं निवेश नीति, फोरेक्स परिचालनों के लिए जोखिम प्रबंधन नीति,व्युत्पन्न नीति और तनाव परीक्षण नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डाटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से अल्को (एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि आरबीआइ के हालिया परिपत्र के अनुसार, मार्च 2013 से प्रभावी

Quantitative Disclosures in Banking Book d) Total amount of exposures securitised by the Bank. e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security) f) Amount of assets intended to be securitized within a year. g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation. h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type. i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach. * Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).	Not applicable
Quantitative Disclosure: Trading Book k) Aggregate amount of exposures securitised by the Bank for which the Bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type. l) Aggregate amount of: • On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and • Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	
m) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for: • Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and • Securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. n) Aggregate amount of: • the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. • Securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).	

Table DF – 7

Market Risk in Trading Book:

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a Bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and erosion of equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the Bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hither too reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per recent RBI circular, w.e.f March 2013 onwards the liquidity risk is to be computed and submitted to RBI in rupee and

तरलता जोखिम की संगणना की जानी है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेज़री द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अवधि अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अवधि अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है। सप्ताह में दो बार मिलने वाली अल्को उपसमिति तरलता की स्थिति का विश्लेषण करती है, बड़े जमाओं के मूल्य निर्धारित करती है तथा आकस्मिक निधि आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है, जिसे अनुवर्ती बैठकों में अल्को को रिपोर्ट किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2015 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रु.करोड़ में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	6585.02	592.65
इक्विटी स्थिति जोखिम	6395.23	575.57
विदेशी विनिमय जोखिम	200.87	18.08
कुल	**13181.13**	**1186.30**

तालिका डीएफ - 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। बैंक कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार / फोरेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पूंजी धारित करनी चाहिए।

गुणात्मक प्रकटीकरण **(रु. करोड़ में)**

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	11865.07	1067.86

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The Bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed for global operations. The Bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis. ALCO subcommittee which meets twice a week analyze the liquidity position, decide on price for bulk deposits and assess contingency funding requirement which is reported to ALCO in the subsequent meeting.

Quantitative Disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2015 in trading book of the Bank is as under:

(₹ in Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	6585.02	592.65
Equity position risk	6395.23	575.57
Foreign exchange risk	200.87	18.08
TOTAL	**13181.13**	**1186.30**

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk:

The Bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The Bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in Banks, the Bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our Bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the Banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI

Quantitative disclosures **₹ In Crores**

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	11865.07	1067.86

Table DF –9 Interest rate risk on the Banking Book:

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a Bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। दशी परिचालनों हेतु आय (परिप्रेक्ष्य अर्जन) पर प्रभाव को एक वर्ष के लिए बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 25 बीपीएस से 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के (निवल ब्याज आय) एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के प्वाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को अल्को तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित पिछले वर्ष के निवल ब्याज आय (एनआइआइ) के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने एक साल की अवधि तक वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है । दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है, संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है । गैर परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल ए)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों कें अंदर प्रस्तुत की जाती है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2015 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु. करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2015	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	192.5 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	142.46	118.15
0.50% परिवर्तन	385 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	284.91	236.31
0.75% परिवर्तन	577.5 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	427.37	354.46
1.00% परिवर्तन	770 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	569.82	472.61
2.00% परिवर्तन	1540 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	1139.64	945.22

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	31.03.2015
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	0.1193%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीइ)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए इक्विटी में घटाव	-4.6057%

सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	काउंटरपार्टी सीमा को निर्धारित करते समय निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय मानदंडों पर विचार किया जाना है।
वित्तीय/ गैर वित्तीय मानदंड	**विवरण**
वित्तीय	
ए. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)	10% तथा उससे अधिक सीएआर वाले बैंक को अधिकतम 25% भारांक दिया जाता है तथा 8% से कम वालों को 0% दिया जाता है। 6% से कम सीएआर वाले बैंकों को 25% के छूट घटक दिए जाते हैं जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिए जाते हैं।

The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the Banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock ranging from 25bps to 200bps as prescribed in the Bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the Bank and in absolute terms and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional GAP Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII) duly approved by Board.

The Bank has adopted traditional GAP analysis combined with duration GAP analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The Bank calculates Duration GAP and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duraton is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the Bank has conducted behavioural studies as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The Bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional GAP Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the Bank's global assets or global liabilities. . The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures –

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2015 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as unde

(₹ in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2015	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	192.5 (3% of NII of previous year)	142.46	118.15
0.50% change	385 (6% of NII of previous year)	284.91	236.31
0.75% change	577.5 (9% of NII of previous year)	427.37	354.46
1.00% change	770 (12% of NII of previous year)	569.82	472.61
2.00% change	1540 (24% of NII of previous year)	1139.64	945.22

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**31.03.2015**
Modified Duration Gap (DGAP)	0.1193%
Limit as per ALM Policy	(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	-4.6057%

Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosure	The following key financial and non-financial parameters are taken into consideration while fixing counter party limits
FINANCIAL/NON FINANCIAL PARAMETERS	**DETAILS**
FINANCIAL	
a. Capital Adequacy Ratio [CAR]	Banks with CAR of 10% and above are assigned maximum weightate of 25% and below 8% is assigned 0%. Banks with CAR of less than 6% are assigned with discount factors of 25% that will be deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits.

बी.	आस्तियों पर रिटर्न (आरओए)- लाभप्रदता	1.10 या उससे अधिक आरओए वाले बैंकों को अधिकतम 20% भारांक दिया जाता है तथा 0.15% से कम आरओए वालों को 0%।
सी.	सकल एनपीए/ निवल एनपीए - आस्ति गुणवत्ता	3.00% से कम सकल एनपीए (विदेशी बैंकों के लिए)/ निवल एनपीए (भारतीय बैंकों के लिए) वाले बैंकों को अधिकतम 20% का भारांक दिया जाता है तथा 9.00% या उससे अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वालों को शून्य भारांक दिया जाता है। 15% से अधिक सकल एनपीए / निवल एनपीए वाले बैंकों को 20% का छूट घटक दिया जाता है जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिया जाता है। हालांकि यह सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (जिनमें अधिकतर शेयरधारिता सरकार की हो) पर लागू नहीं होगी।
डी.	बाहरी एजेंसियों की रेटिंग (मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस अथवा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स)	स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज अथवा फिच तथा भारत में क्रिसिल, आइसीआरए, केयर या ब्रिकवर्क्स जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों पर काउंटरपार्टी सीमा प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है। उच्चतम/ उच्च गुणवत्ता/ अपवादात्मक/ उत्कृष्ट ग्रेड की रेटिंग वाले बैंकों को 25% का अधिकतम भारांक दिया जाता है तथा बिना रेटिंग वाले बैंकों को शून्य भारांक दिया जाता है। भारत के अधिकांश बैंक अपने टियर II जारीकरण, विदेशों में उधारी के लिए भारत अथवा विदेशों में रेटिंग एजेंसियों से खुद ही अपनी रेटिंग करवाती हैं। हालांकि, हो सकता है कि कुछ बैंकों की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग नहीं हो। इस प्रकार के बैंकों को काउंटरपार्टी सीमाओं का मूल्यांकन करते समय केवल 5% का भारांक दिया जाता है। जहाँ भी दोनों रेटिंग उपलब्ध हैं, कम वाले को ही माना जाएगा और तदनुसार भारांक दिया जाता है।
ई.	पूर्ण निबंधनों में टियर I पूँजी	काउंटर पार्टी बैंक के कुल मूल्य के संबंध में अनुमानित जोखिम की प्रमात्रा कुल मूल्य के 15% से 50% के बीच होगी।
गैर - वित्तीय	पारस्परिक कारोबार/ संबंध सरकार समर्थित बैंक/ भारतीय सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक समावेशन का देश	उक्त पाँच प्रमुख वित्तीय मानदंडों के साथ ही काउंटर पार्टी बैंक पर निर्णय देते समय कई अन्य प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। उनमें से प्रमुख हैं क) स्वामित्व संरचना का व्यापकता व स्वरूप ख) प्रबंधन क्षमता ग) अन्य बैंकों से आपसी तुलना घ) अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व तथा ड.) समावेशन / विनियामक परिवेश का देश। कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ बैंक को वित्तीय मानदंडों के आधार की बजाए उनके संबंध, पारस्परिक व्यवस्था, कारोबार विचारों, भारतीय शाखाओं, ओवरसीज़ केंद्रों आदि से अनुरोधों के आधार पर सीमाओं पर विचार करना है। जहाँ भी आवश्यक लगे, सरकार समर्थित बैंकों/ भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों/ सक्रिय संवादी बैंकों के लिए 0% से 10% के बीच भारांक पर विचार किया जा सकता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण **(रु. करोड़ में)**

संख्या	ब्यौरे	कल्पित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान ऋण जोखिम
1	व्युत्पन्न	717.44	16.59	58.29
2	ब्याज दर संविदा/ स्वैप	7400.27	139.29	204.69
3	वायदा खरीद/ बिक्री संविदा	28961.16	390.95	928.98
5	ऋण व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य
6	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ -11: पूँजी के संघटक

भाग I : केवल मार्च 31,2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेटः लागू नहीं

भाग II : मार्च 31,2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बेसल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

(रु. करोड़ में)

विनियामन समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017)			बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियाँ
सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष(शेयर प्रीमियम)	6080.48	6080.48
2	प्रतिधारित आय	7525.85	7525.85
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	0.00	0.00
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
	1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी को पोषण	0.00	0.00

b.	Return On Assets [RoA] – Profitability	Banks with ROA of more than or equal to 1.10 are assigned maximum weightage of 20% and the ROA less than 0.15% are assigned as 0%.
c.	Gross NPA / Net NPA – Asset Quality	Banks with Gross NPA (for Foreign Banks)/Net NPA (for Indian Banks) of less than 3.00% are assigned Maximum weightage of 20% and the Gross NPA/Net NPA more than or equal to 9.00% are assigned zero Weightage. Banks with Gross NPA/Net NPA more than 15% are assigned with discount factors of 20% that is deducted from the total wieghtage arrived at for computation of counter party limits. However, this will not be applicable to Banks owned by Govt. (Government holding majority share)
d.	External Agencies Ratings(Moody Investors Service or Standard & Poor's)	Ratings of Standard & Poor's, Moody's or Fitch and domestic rating agencies like CRISIL, ICRA, CARE of Brickworks in India are considered for arriving at the counter party limits. Banks rated with the highest/high quality /Exceptional/ Excellent grade are assigned a maximum weightage of 25% and the unrated shall have a zero weightage. Most of the Banks in India get themselves rated by rating agencies in India or abroad for their Tier II issuances, borrowing abroad. However, some Banks may not have any rating at all by recognized rating agencies. Such Banks will be assigned a weightaage of only 5% while assessing counter party limits. Wherever both the ratings are available, lower one will be reckoned and the weightage is assigned accordingly.
e.	Tier One Capital in Absolute Terms	Quantum of exposure assumable in relation to the net-worth of a counter party Bank ranges from 15% to 50% of net worth.
NON – FINANCIAL Reciprocal Business / Relationship Govt. Supported Banks/Indian Public/ Private Sector Banks Country of Incorporation		In addition to the above five key financial parameters there are many other key parameters assessed while forming judgement on the counter party Bank. The important among them are **a)** The spread and nature of the ownership structure **b)** Management Ability **c)** Peer comparison **d)** Importance of the Bank in the Economy and **e)** Country of Incorporation / Regulatory Environment. There are some Banks where Bank has to consider limits not based on the financial parameters but simply based on their relationship, reciprocal arrangements, business considerations, requests from Indian branches, overseas centres, etc., Wherever deemed necessary, the weightage ranging from 0% to 10% shall be considered for Govt. supported Banks/Indian Private sector Banks/Active correspondent Banks.

Quantitative Disclosures **(₹ in Crores)**

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	717.44	16.59	58.29
2	Interest Rates Contracts/Swaps	7400.27	139.29	204.69
3	Forward Purchase / Sales Contract	28961.16	390.95	928.98
4	Credit Derivatives	Nil	Nil	Nil
5	Credit Default Swaps	Nil	Nil	Nil

Table DF – 11: Composition of Capital

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

(₹ In Crores)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	6080.48	6080.48
2	Retained earnings	7525.85	7525.85
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00	0.00
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00	0.00
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	0.00

5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी**	**13606.33**	**13606.33**
	सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	बंधक सेवा अधिकारों से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	489.84	489.84
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	346.89	346.89
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	35.94	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	0.00
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की इक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अनुपलब्ध हानियों को बाहर करना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक)		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर Iतथा टियर II के कारण सामान्य इक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	**सामान्य इक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन**	**872.67**	**836.73**
29	**सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी (सीईटी 1)**	**12733.65**	**12769.60**
	अतिरिक्त टियर I पूँजी लिखत		
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	1546.00	1780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00

5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**13606.33**	**13606.33**
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	489.84	489.84
10	Deferred tax assets	346.89	346.89
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	35.94	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	0.00
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**872.67**	**836.73**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**12733.65**	**12769.60**
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	1546.00	1780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00

32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	1546.00	1780.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	**1546.00**	**1780.00**
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	75.00	75.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	20.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
	बेसल IIIसे पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00
	जिनमें से : [समायोजन का प्रकार यानि डीटीए डालें]		
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर I से घटाया गया है]		
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें]		
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	**95.00**	75.00
44	**अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)**	**1451.00**	**1705.00**
44 ए	**पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचान की गई अतिरिक्त टियर I पूँजी**	**1451.00**	**1705.00**
45	**टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44ए)**	14184.65	14474.60
	टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	1562.00	1562.00
47	टियर 2 से बाहर होने होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	1842.61	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	2109.96	2109.96
51	**विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी**	**5514.57**	**6304.26**
	टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	55.00	55.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	

32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	1546.00	1780.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**1546.00**	**1780.00**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	75.00	75.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	20.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	0.00
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	95.00	75.00
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**1451.00**	**1705.00**
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**1451.00**	**1705.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44a)**	14184.65	14474.60
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1562.00	1562.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1842.61	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions	2109.96	2109.96
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**5514.57**	**6304.26**
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	55.00	55.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	

56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिनमें से असेमिकत बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
	बेसल IIIसे पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर 2 से घटाया गया है]	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	0	0
57	**टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन**	55.00	55.00
58	**टियर 2 पूँजी (टी2)**	5459.57	6249.26
58ए	**पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचानी गई टियर 2 पूँजी**	**5459.57**	**6249.26**
58बी	**टियर 2 पूँजी के लिए पहचानी गई बहुतायत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी**	**0.00**	
58सी	**पूँजी पर्याप्तता (58ए + 58बी)के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी**	**5459.57**	**6249.26**
59	**कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58 सी)**	**19644.22**	**20723.85**
	बेसल III पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर जोखिम भारांक वाली आस्तियां के संबंध में राशि	55.94	
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	55.94	
	जिनमें से:	0	
60	**कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	194365.04	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	169318.84	
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	13181.13	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	11865.07	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.55%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.30%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.11%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.50%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	1.05%	
	राष्ट्रीय न्यूनता (बेसल III से भिन्न होने पर)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
	कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियॉ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	2109.96	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	2429.56	

56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the Bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	55.00	55.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	5459.57	6249.26
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**5459.57**	**6249.26**
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	**5459.57**	**6249.26**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**19644.22**	**20723.85**
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	55.94	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	55.94	
	of which: …	0	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	194365.04	
60a	of which: total credit risk weighted assets	169318.84	
60b	of which: total market risk weighted assets	13181.13	
60c	of which: total operational risk weighted assets	11865.07	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	6.55%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.30%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.11%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.05%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	2109.96	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2429.56	

78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं	
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)		
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी 1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सी ई टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	546	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	234	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	1842.61	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	789.69	

टेम्पलेट पर नोट		
टेम्पलेट की रो संख्या	विवरण	(रु. करोड़ में)
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	346.89
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	346.89
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णत: नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोतरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोतरी	0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की इक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 44 में रिपोर्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूँजी तथा 44 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार अनुमत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में अंतर)	0
	जिसमें से: क्रम 58 बी के तहत टियर 2 पूँजी के रूप में मानी गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी।	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1342.02
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	767.94
	क्रम 50 का कुल	2109.96
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक टियर 2 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 58 में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 पूँजी तथा 58 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 में अंतर)	0

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन

(रु. करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
ए	**पूँजी तथा देयता**		
i	**प्रदत्त पूँजी**	**1235.35**	**1235.35**
	आरक्षिति तथा अधिशेष	14405.67	14405.67
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	**15641.02**	**15641.02**

78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	546	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	234	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1842.61	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	789.69	

Notes to the Template

Row No. of the template	Particular	(₹ in Crore)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	346.89
	Total as indicated in row 10	346.89
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of Bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1342.02
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	767.94
	Total of row 50	2109.96
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0

Table DF – 12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements

(₹ in Crore)

		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	**Paid up Capital**	**1235.35**	**1235.35**
	Reserves and Surplus	14405.67	14405.67
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	**15641.02**	**15641.02**

ii	**जमा**	**246048.72**	**246048.72**
	जिसमें से:बैंकों से जमा	639.88	639.88
	जिसमें से: ग्राहक जमा	245408.84	245408.84
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	**उधार**	**18232.41**	**18232.41**
	जिसमें से: आरबीआइ से	0	0
	जिसमें से: बैंक से	10081.38	10081.38
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	748.73	748.73
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूँजी लिखत	7402.30	7402.30
iv	**अन्य देयताएँ तथा प्रावधान**	**5714.83**	**5714.83**
	कुल	**285636.98**	**285636.98**
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
बी	**आस्तियाँ**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	**12637.77**	**12637.77**
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	**12260.77**	**12260.77**
ii	**निवेश**	**81310.35**	**81310.35**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	68382.03	68382.03
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3.11	3.11
	जिसमें से: शेयर	1359.01	1359.01
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	5312.74	5312.74
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	199.58	199.58
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	6053.88	6053.88
iii	**ऋण तथा अग्रिम**	**171756.02**	**171756.02**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	1444.79	1444.79
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	170311.23	170311.23
iv	**अचल आस्तियाँ**	**2507.06**	**2507.06**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**5165.00**	**5165.00**
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
vi	**समेकन पर साख**	0	0
vii	**लाभ व हानि खाते में ऋण शेष**	0	0
	कुल	**285636.98**	**285636.98**

(रु. करोड़ो में)

	बेसल III साामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो)	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षिति	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतूल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष।	6080.48
2	प्रतिधारित आय	7525.85
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	0

ii	**Deposits**	**246048.72**	**246048.72**
	of which : Deposit from Banks	639.88	639.88
	of which : customer deposits	245408.84	245408.84
	of which : Others	0	0
iii	**Borrowings**	**18232.41**	**18232.41**
	of which : From RBI	0	0
	of which : From Bank	10081.38	10081.38
	of which : from other institutional & agencies	748.73	748.73
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	7402.30	7402.30
iv	**Other liabilities and provisions**	**5714.83**	**5714.83**
	Total	**285636.98**	**285636.98**
		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
B	**Assets**		
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	**12637.77**	**12637.77**
	Balance with Bank and money at call and short notice	**12260.77**	**12260.77**
II	**Investments**	**81310.35**	**81310.35**
	of which: Government Securities	68382.03	68382.03
	of which: Other approved securities	3.11	3.11
	of Which :shares	1359.01	1359.01
	of which : Debentures & Bonds	5312.74	5312.74
	of which: Subsidiaries/joint Venture/Associates	199.58	199.58
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	6053.88	6053.88
iii	**Loans and advances**	**171756.02**	**171756.02**
	of which : Loans and advances to Banks	1444.79	1444.79
	of which : Loans and advances to customers	170311.23	170311.23
iv	**Fixed assets**	**2507.06**	**2507.06**
v	**Other assets**	**5165.00**	**5165.00**
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	0	0
vi	**Goodwill on consolidation**	**0**	**0**
vii	**Debit balance in Profit & Loss account**	**0**	**0**
	Total	**285636.98**	**285636.98**

(₹ in.Crore)

	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)-Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	
		Component of regulatory capital reported by Bank.
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	6080.48
2	Retained Earning	7525.85
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0

4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूँजी	0
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी	13606.33
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	0

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		निम्न टियर II	**निम्न टियर II**	**निम्न टियर II**	**निम्न टियर II**
		शृंखला VII	**शृंखला VIII**	**शृंखला IX**	**शृंखला X**
1	जारीकर्ता	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09074	आइएनई 565ए09082	आइएनई 565ए09090	आइएनई 565ए09108
3	लिखतों के अभिशासी नियम	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	शून्य	शून्य	50	शून्य
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	08.01.2005	16.09.2005	09.01.2006	13.03.2006
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	08.04.2015	16.12.2015	09.04.2016	13.03.2016
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं शोधन राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 150	शून्य, शून्य, 200	शून्य, शून्य, 250	शून्य, शून्य, 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	13606.33
7	Prudential valuation adjustment	0
8	Goodwill(net of related tax liablity)	0

Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**
		SERIES VII	**SERIES VIII**	**SERIES IX**	**SERIES X**
1	Issuer	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09074	INE565A09082	INE565A09090	INE565A09108
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ In Crore, as of most recent reporting date)	nil	nil	50	nil
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	08.01.2005	16.09.2005	09.01.2006	13.03.2006
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	08.04.2015	16.12.2015	09.04.2016	13.03.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	Nil, Nil, 150	Nil, Nil, 200	Nil, Nil, 250	Nil, Nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A

30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		निम्न टियर II श्रृंखला XI	निम्न टियर II श्रृंखला XII	निम्न टियर II श्रृंखला XIII	निम्न टियर II श्रृंखला XIV
1	**जारीकर्ता**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए090132	आइएनई 565ए09165	आइएनई 565ए09181	आइएनई 565ए09215
3	लिखतों के अभिशासी नियम	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	100	180	232	1000
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	26.07.2006	22.8.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	26.07.2016	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं शोधन राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 290	शून्य, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**	**Lower Tier II**
		SERIES XI	**SERIES XII**	**SERIES XIII**	**SERIES XIV**
1	**Issuer**	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09132	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ In Crore, as of most recent reporting date)	100	180	232	1000
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	26.07.2006	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	26.07.2016	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A

27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		उच्च टियर II	**उच्च टियर II**	**उच्च टियर II**	**उच्च टियर II**
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	जारीकर्ता	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**	**पीएसयू बैंक**
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09140	आइएनई 565ए09173	आइएनई 565ए09199	आइएनई 565ए09223
3	लिखतों के अभिशासी नियम	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूँजी लिखत	उच्च टियर II पूँजी लिखत	उच्च टियर II पूँजी लिखत	उच्च टियर II पूँजी लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	500	655.30	510	967
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं शोधन राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016, शून्य, 500	17.09.2018, शून्य, 655.30	01.09.2019, शून्य, 510	10.01.2021, शून्य, 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कूपन / लाभांश				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Upper Tier II	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Issuer	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**	**PSU Bank**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09140	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ In Crore, as of most recent reporting date)	500	655.30	510	967
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in ₹ Crore)	"05.09.2016 Nil 500"	"17.09.2018 Nil 655.30"	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		स्थायी	**स्थायी**	**स्थायी**	**स्थायी**
		बेसल II अनुपालन	**बेसल II अनुपालन**	**बेसल II अनुपालन**	**बेसल II अनुपालन**
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09116	आइएनई 565ए09124	आइएनई 565ए09157	आइएनई 565ए09207
3	लिखतों के अभिशासी नियम	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	200	200	80	300
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	31.03.2006	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009

21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non -Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI

Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual	**Perpetual**	**Perpetual**	**Perpetual**
		Basel II Compliant	**Basel II Compliant**	**Basel II Compliant**	**Basel II Compliant**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09116	INE565A09124	INE565A09157	INE565A09207
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ In Crore, as of most recent reporting date)	200	200	80	300
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2006	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009

12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं शोधन राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 200	शून्य, शून्य, 200	शून्य, शून्य, 80	शून्य, शून्य, 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कूपन / लाभांश				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	इक्विटी शेयरधारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	इक्विटी शेयरधारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	इक्विटी शेयरधारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	इक्विटी शेयरधारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है ।

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		स्थायी		
		बेसल III अनुपालन		
		शृंखला I		
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक		
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09231		
3	लिखतों के अभिशासी नियम	चेन्नै		
	विनियामक समाधान			

12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	Nil, Nil, 200	Nil, Nil, 200	Nil, Nil, 80	Nil, Nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI

Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual		
		Basel III Compliant		
		SERIES I		
1	Issuer	PSU Bank		
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09231		
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai		
	Regulatory treatment			

4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I		
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I		
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल		
7	लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत		
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	1000		
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख		
10	खाता वर्गीकरण	देयता		
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	04.02.2015		
12	स्थायी या दिनांकित	स्थायी		
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	स्थायी		
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ		
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं शोधन राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 1000		
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं		
	कूपन / लाभांश			
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित		
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर		
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं		
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्णत: विवेकाधिकार		
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं		
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी		
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय		
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर	लागू नहीं		
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं		
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं		
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं		
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं		
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं		
30	अवलेखन विशेषताएँ	उपलब्ध		
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर	कॉमन इक्विटी टियर I पूँजी अनुपात 5.5		
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	आंशिक या पूर्णत:		
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थाई	दोनों		
34	यदि अस्थाई अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	बैंक निश्चित तौर से अपने विवेकाधिकार से भविष्य में बॉण्ड्स को उसके वास्तविक मूल्य से आलेख कर सकता है जब यह इसकी पूँजी स्थिति को न्यूनतम पूँजी आवश्यकता से अधिक तथा आर बी आइ के पूर्वानुमोदन के साथ दर्शाता है ।		
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन		
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं		
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं		

4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I		
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I		
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo		
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument		
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ In Crore as of most recent reporting date)	1000		
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs		
10	Account classification	Liability		
11	Original date of issuance	04.02.2015		
12	Perpetual or dated	Perpetual		
13	Original maturity date	Perpetual		
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes		
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	nil, nil, 1000		
16	Subsequent call dates, if applicable	No		
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed		
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate		
19	Existence of a dividend stopper	No		
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary		
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Available		
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative		
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible		
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A		
25	If convertible, fully or partially	N/A		
26	If convertible, conversion rate	N/A		
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A		
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A		
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A		
30	Write-down feature	Available		
31	If write-down, write-down trigger(s)	Common Equity Tier1 capital ratio 5.5		
32	If write-down, full or partial	partially or fully		
33	If write-down, permanent or temporary	Both		
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank solely at its discretion, may write up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI		
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors		
36	Non-compliant transitional features	No		
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable		

टेबल डीएफ 14 : नियामक पूंजी लिखत की निबंधन एवं शर्तें

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला VII	शृंखला VIII	शृंखला IX	शृंखला X
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09074	आइएनई 565ए 09082	आइएनई 565ए 09090	आइएनई 565ए09108
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 150	शून्य, शून्य, 200	शून्य, शून्य, 250	शून्य, शून्य, 300
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश स्टापर की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XI	शृंखला XII	शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए09132	आइएनई 565ए09165	आइएनई 565ए09181	आइएनई 565ए09215
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 290	शून्य, शून्य, 1000
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश स्टापर की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय

Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES VII	**SERIES VIII**	**SERIES IX**	**SERIES X**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09074	INE565A09082	INE565A09090	INE565A09108
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	nil, nil, 150	nil, nil, 200	nil, nil, 250	nil, nil, 300
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES XI	**SERIES XII**	**SERIES XIII**	**SERIES XIV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09132	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not abvailable	Not Available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible

14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

टेबल डीएफ 14 : नियामक पूंजी लिखत की निबंधन एवं शर्ते

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		शृंखला I	**शृंखलाII**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565 ए 09140	आइएनई 565ए 09173	आइएनई 565ए 09199	आइएनई 565ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016, शून्य, 500	17.09.2018, शून्य, 655.30	01.09.2019, शून्य, 510	10.01.2021, शून्य, 967
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश स्टापर की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प व मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प व मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प व मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प व मोचन की अनुमति दी जानी है

टेबल डीएफ 14 : नियामक पूंजी लिखत की निबंधन एवं शर्ते

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
		बेसल II अनुपालन	**बेसल II अनुपालन**	**बेसल II अनुपालन**	**बेसल II अनुपालन**
		शृंखला I	**शृंखला II**	**शृंखला III**	**शृंखला IV**
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई 565ए9116	आइएनई565ए 09124	आइएनई565ए 09157	आइएनई 565ए09207
2	लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत	स्थायी उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख

14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Upper Tier II	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**	**Upper Tier II**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09140	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
3	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in ₹ Crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI

Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual	**Perpetual**	**Perpetual**	**Perpetual**
		Basel II Compliant	**Basel II Compliant**	**Basel II Compliant**	**Basel II Compliant**
		SERIES I	**SERIES II**	**SERIES III**	**SERIES IV**
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09116	INE565A09124	INE565A09157	INE565A09207
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs	₹ 10.00 lakhs

4	स्थायी या दिनांकित	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
5	वास्तविक परिपक्वता तारीख	स्थायी	स्थायी	स्थायी	स्थायी
6	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता माँग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 200	शून्य,शून्य, 200	शून्य, शून्य, 80	शून्य, शून्य, 300
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	लाभांश स्टापर की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित	उन्नयित
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	इविवटी शेयर धारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन	इविवटी शेयर धारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन	इविवटी शेयर धारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन	इविवटी शेयर धारकों से श्रेष्ठ तथा सभी अन्य लेनदारों के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

टेबल डीएफ 14 : नियामक पूंजी लिखत की निबंधन एवं शर्ते :

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		स्थायी
		बेसल III अनुपालन
		शृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09231
2	लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख
4	स्थायी या दिनांकित	स्थायी
5	वास्तविक परिपक्वता तारीख	स्थायी
6	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता माँग	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित
9	लाभांश स्टापर की उपलब्धता	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों व जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

4	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 200	nil, nil, 80	nil, nil, 300
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI

Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual
		Basel III Compliant
		SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09231
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	₹ 10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ in Crore)	nil,, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. सार्थक लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांशयुक्त 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा तथा संबंधित वर्ष के नकद प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 8 विदेशी शाखाओं सहित 1928 शाखाओं की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं । हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । इस तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में उन 1456शाखाओं व 59 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई । अ-लेखापरीक्षित इन शाखाओं का अग्रिमों के क्षेत्र में अंशदान है 5.35%, जबकि जमाओं में 16.14%, ब्याज आय में 15.85% और ब्याज संबंधी खर्चों में 14.91% का अंशदान है ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है । वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण को बनाए रखना इस जिम्मेदारी में शामिल है व ये वित्तीय विवरण किसी धोखाधडी या गलती के कारण वस्तुनिष्ठ रूप से गलत नहीं होते जो कि दोषरहित विवरण है चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों ।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है । हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखाकरण पर मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की । इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षा करें और वित्तीय विवरण दोषरहित रहने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें ।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों में प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी प्रयोग की गई प्रक्रियाएँ शामिल रहती हैं । चयनित की गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णयों पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुनिष्ठ गलत विवरण के मूल्यांकन का जोखिम शामिल रहता है, चाहे वे धोखाधडी या गलती के कारण हों । इन जोखिम मूल्यांकन का आकलन करने में उस समय की परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति एवं बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षक विचार करता है । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की गई लेखाकरण नीतियों के समयुक्त मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखाकरण अनुमानों के तर्कसंगतों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है ।

5. हमें विश्वास है कि अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान हेतु हमने पर्यात एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं ।

राय

6. हमारी राय में बैंक की बहियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार व हमारी उचित जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

   (i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलनपत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2015 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है ;

   (ii) लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं ; और

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है ।

7. मामलों पर बल

   क) हम नोट सं. 8 जो दिनांकित 31.03.2011 से 5 वर्षों की अवधि हेतु रु.1005.21 करोड़ की पेंशन के अमूर्तिकरण एवं ग्रेच्युटी के चुकतान के संबंध में है, पर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

   ख) हम 31.12.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 150 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 324.20 करोड़) की अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान को पूरा करने के लिए 31.12.2014 को किए गए फ्लोटिंग प्रावधान तथा प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण के उपयोग से संबंधित नोट सं 3.5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

   उक्त के संबंध में हमारी राय नहीं ली गई है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म संख्या क्रमश: ए व बी में प्रकाशित किया गया ।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Overseas Bank as at 31.3.2015, which comprise the Balance Sheet as at 31.3.2015, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1928 branches including 8 overseas branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1456 branches and 59 Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.35% of advances, 16.14% of deposits, 15.85% of interest income and 14.91% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulations Act 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31.3.2015 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

a) We draw attention to Note No.8 regarding amortization of pension and gratuity liability of ₹ 1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011.

b) We draw attention to Note No 3.5 regarding utilization of floating provision and counter cyclical provisioning buffer held as on 31.12.2014 for meeting specific provision for non performing assets during the year ended 31.3.2015 amounting to ₹ 150 crores (Previous year ₹ 324.20 crore).

Our opinion is not qualified in respect of the above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. अनुच्छेद 1 से 5 से अधिक में इंगित की गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 द्वारा अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अनुसार भी हो, हम रिपोर्ट करते हैं

क) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्कृष्ट हैं, हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है ।

ख) बैंक के लेनदेन जो कि हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंदर किए गए हैं ।

ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ लेखा के उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाई गई है ।

हमारी राय में, तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार है ।

पी आर मेहरा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000051एन

(रमेश चंद गोयल)
साझेदार
एम संख्या.012628

दास खन्ना एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000402एन

(राकेश सोनी)
साझेदार
एम संख्या.083142

वर्द्धमान एण्ड कंपनी.
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 004522एस

(आभा जैन)
साझेदार
एम संख्या.015454

ए एस ए एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 009571एन/ एन 500006

(जे. सिवसंकरन)
साझेदार
एम संख्या.022103

ए वी देवन एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 000726एस

(ए वासुदेवन)
साझेदार
एम संख्या.023882

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 08.05.2015

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For P.R.MEHRA & Co
Chartered Accountants
FRN 000051N

(RAMESH CHAND GOYAL)
Partner
M.No.012628

For DASS KHANNA & Co
Chartered Accountants
FRN 000402N

(RAKESH SONI)
Partner
M.No.083142

For VARDHAMAN & CO
Chartered Accountants
FRN 004522S

(ABHA JAIN)
Partner
M.No.015454

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006

(J. SIVASANKARAN)
Partner
M.No.022103

For A V DEVEN & CO
Chartered Accountants
FRN 000726S

(A VASUDEVEN)
Partner
M.No.023882

Place : Chennai
Date : 08.05.2015

शेयरधारकों को अनुदेशः अति आवश्यक व तत्काल

1. वित्तीय वर्ष 2007-08 से लाभांश नही प्राप्त करने वाले/ लाभांश का नकदीकरण नहीं कराने वाले शेयरधारको से अनुरोध किया जाता है कि वे फोलियो संख्या के ब्योरों समेत अपने दावे को रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स केमियो कारपोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, (यूनिट-आइओबी), सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवां तल, नं 1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600002 या निवेशक संपर्क कक्ष, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 को भेज दें।
2. शेयरधारको से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे हमारे पब्लिक इश्यू 2000 और अनुवर्ती पब्लिक इश्यू 2003 के संबध मे वापसी आदेश प्राप्त न होने पर अपने दावे, यदि कोई हो, आवेदन संख्या सहित निवेशक संपर्क कक्ष, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002 को भेज दें।
3. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारको को पते, बैंक खाते आदि जैस अधिदेशित विवरणों में परिवर्तन के लिए सिर्फ संबंधित डीपी से ही संपर्क करना है न कि रजिस्ट्रार से।
4. फोलियो का समेकन: यह पाया गया ह कि कई शेयरधारको के पास एक से अधिक अर्थात कई फोलियो हैं। शेयरधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

Instructions to shareholders: Most Urgent and Immediate

1. The Shareholders who have not received/encashed the dividend from financial year 2007-08, are requested to send their claim along with details of Folio No.(s) to Registrar & Share Transfer Agent, M/s Cameo Corporate Services Ltd, (Unit–IOB), Subramanian Building, V Floor, No 1 Club House Road, Chennai 600 002 or to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office,763 Anna Salai, Chennai 600 002.
2. Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund orders in respect of our Public Issue 2000 and Follow on Public Issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office,763, Anna Salai, Chennai-600 002.
3. The shareholders, who are holding shares In electronic form have to approach only the DP concerned and not the Registrar for any change in the mandated particulars like change of address, Bank Account, etc
4. Consolidation of Folios: It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

फार्म 'बी'
प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)
(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियों सं-........................ (यदि बेकागज़ीकृत न हो)
डीपी आइडी सं .... ग्राहक आइडी सं :............................

मैं/हम, ...निवासी
....
जिला.....................................राज्य ....इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ....निवासी .... जिला .... राज्य .... को, मंगलवार दिनांक 30 जून 2015 को सुबह 10.30 बजे नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्दा हाल) 314, टी टी के रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधित कोई अन्य स्थगन हो तो उसमें मुझे/ हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं ।

वर्ष 2015 के .... माह के .... दिन हस्ताक्षरित

....
(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पता : ....

....

....

रु.1/- का राजस्व टिकट चिपकाएँ

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक बैध नहीं होगा जब तक की
   - क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
   - ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
2. किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवक्ष अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3. क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्रधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
   - ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नई - 600 002 में वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात 25 जून 2015, गुरुवार को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति अर्थात 05.00 बजे को या उससे पहले जमा करा दिया जाना है।
4. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
5. बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
6. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
7. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
8. इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथ्वा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)
(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio .... No. (If not Dematerialised)
D P Id No. .... Cl. Id No. ....

I/ We,..resident(s) of.. ....in the district of………………………………………………..………………………in the State of ....,being a shareholder/shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt …………………………………… resident of ………………………………………in the district of ………………………..in the State of ………………………….. OR failing him/her Shri/Smt …………………………………… resident of ………………………………………… in the district of ………………………..in the State of ………………………….. as my/our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Tuesday, 30th June 2015 at 10.30 A.M. at Narada Gana Sabha (Sathguru Gnananda Hall), 314 TTK Road, Chennai 600018 and at any adjournment thereof.

Signed this...........................day of......................2015

....

(Signature of the Proxy)

Name ....

Address ....

....

....

Please affix ₹ 1/- Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Indian Overseas Bank with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 5.00 p.m. on Thursday, 25th June 2015.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

हमारे खुदरा उत्पादों की एक झलक

1. शुभगृह

   उद्देश्य: फ्लैट अथवा मकान का अधिग्रहण/ निर्माण

   पात्रता: स्वतंत्र व नियमित आय वाले व्यक्ति

   प्रमात्रा: कोई उच्चतम सीमा नहीं

   मार्जिन: 10 से 25%

   प्रतिभूति: वित्तपोषित की जाने वाली संपत्ति का बंधक

   संसाधन प्रभार: ऋण राशि का 0.58% बशर्ते अधिकतम रु. 15,000/- हो ।

   चुकतान: 18 माह की अवकाश अवधि समेत अधिकतम 30 वर्ष

2. प्रतिवर्ती बंधक:

प्रतिवर्ती बंधक ऋण योजना वरिष्ठ नागरिकों, जिनके पास आवासीय घर/या फ्लैटहो,की वित्तीय आवश्यकताओं का ख्याल रखता है ताकि वे अपना बचा जीवन आराम से बिता सकें । त्रण आवासीय संपत्ति के बंधक के प्रति मंजूर किया जाएगा बशर्ते मासिक किस्त रु. 50,000/- से अधिक न हो ।

3. आइओबी सूर्या

सौर ऊर्जा उपकरणों के वित्त पोषण के लिए योजना

भारत में ऑफ ग्रिड नवीकरणीय सौर ऊर्जा उपकरणों की निम्नानुसार खरीद हेतु : सौर कूकर सौर हीटर आवासी/ भीतरी प्रकाश व्यवस्थाएँ

योजना ए (व्यक्तियों के लिए) : न्यूनतम रु.30,000/- तथा अधिकतम रु.10.00 लाख (परियोजना लागत पर 85% जिसमें व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं, परिवहन तथा प्रतिष्ठापन की लागत शामिल है।)

योजना बी (संस्थाओं के लिए) : न्यूनतम रु.1.00 लाख तथा अधिकतम रु.10.00 लाख अर्थात (परियोजना लागत पर 80% जिसमें व्यवस्था, अतिरिक्त वस्तुओं, परिवहन तथा प्रतिष्ठापन की लागत शामिल है।)

4. आइओबी व्यक्तिगत ऋण

उपभोक्ता वस्तुओं मसलन इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, लकड़ी तथा मेटल के फर्नीचर आदि की खरीद के वित्तपोषण हेतु।

वस्तु की लागत के 90% तक (या) सकल मासिक वेतन का 10 गुना, या अधिकतम रु. 5 लाख का ऋण ।

5. आइओबी पैशन

इस ऋण का मकसद किसी के शौक को पूरा करना है ।

अपने शौक को पूरा करने के लिए मूल उपकरणा स्पोर्ट किट, म्युजिक इन्स्ट्रूमेंट्स आदि को खरीदने के लिए वित्तपोषण करना ।

प्रमात्रा : सामान की कीमत का 90 % या रु. 3.0 लाख जो भी कम हो ।

चुकतान : 60 ईएमआई

6. आइओबी हेल्थ केयर प्लस

काफी कम प्रीमियम पर हमारे व्यक्तिगत खाता धारकों के अभिभावकों समेत पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा। किसी चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

दुर्घटनाओं, आकस्मिक बीमारी, किसी भी बीमारी के संबंध में सर्जरी के मामलों में अस्पताल के खर्चे प्रदान करता है।

प्रवेश की आयु सीमा 3 महीने से 65 वर्ष तक है, कवरेज सिर्फ 80 वर्ष

OUR RETAIL PRODUCTS AT A GLANCE

1. Subhagruha

Purpose: Acquisition/ Construction of a flat or a house.

Eligibility: Persons with independent and regular income.

Quantum: No maximum ceiling

Margin: 10 to 25%

Security: Mortgage of property to be financed

Processing charge @0.58% of the loan amount subject to a maximum of ₹ 15,000/-

Repayment: Maximum 30 years including holiday period of 18 months.

2. Reverse Mortgage:

Reverse Mortgage loan scheme takes care of the financial needs of senior citizens owning self occupied residential house/flat for leading a decent life during their twilight days. Loan will be granted against the mortgage of residential property subject to monthly installment does not exceed ₹ 50,000/-

3. IOB Surya:

To purchase off grid renewable solar energy equipments in India as under:

Solar Cookers, Solar Heaters, Home/Indoor Lightning systems.

Scheme A (For Individuals) : Minimum of ₹ 30,000/- and Maximum of ₹ 10.00 lacs i.e (85% on the project cost which includes cost of the system, accessories, transportation and installation)

Scheme B (For Institutions): Minimum amount of ₹ 1.00 lac and Maximum of ₹ 10.00 lacs i.e (80% on the project cost which includes cost of the system, accessories,transportation and installation)

4. IOB Personal loan:

To finance the purchase of consumer durables such as electrical and electronic items, wooden and metal furniture etc.

Loan upto 90% cost of the article (or) 10 times the gross monthly salary to a maximum of ₹ 5.00 lacs

5. IOB Passion:

Purpose: To provide loan to pursue one's passion. To finance the purchase of basic materials to pursue in ones passion like sports kit, music instruments etc.

Quantum: 90% of cost of articles or ₹ 3.00 acs whichever is less

Repayment: 60 EMIs

6. HEALTH CARE PLUS

Health insurance for entire family including parents, of our individual account holders at a very low premium. No medical examination required.

Provides hospitalization expense in case of accidents, sudden illness, surgery, in respect of any disease.

Entry age limit is between 3 months and 65 years, coverage is available upto age of 80 years only. Age limit

तक ही उपलब्ध है। आश्रित बच्चों के लिए आयु सीमा - पुरुषों के लिए 21 वर्ष. महिलाओं के लिए 25 वर्ष या विवाह तक जो भी पहले हो।

दावा मुक्त पॉलिसी के तीन निरन्तर वर्षों के बाद पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जा सकता है।

पॉलिसी के अन्य पक्ष प्रशासक के माध्यम से नकद रहित लेन-देन।

कवरेज : रु.50,000/- से रु.5 लाख तक।

दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु को अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर कवर किया जा सकता है।

धारा 80 डी के तहत कर सुविधा।

7. अपोलो म्युनिख के साथ ईजी हेल्थ समूह बीमा

2-3 मिनट में ही शाखा स्तर पर पॉलिसी और कार्ड्स को तत्काल जारी करना ।

रु. 3 और रु. 5 लाख के लिए गंभीर बीमारी के लिए दुगुना कवरेज

रु. 3500 का वार्षिक हेल्थ चेक अप की सुविधा चाहे क्लेम का इतिहास कुछ भी हो ।

65 मिनट के रिकार्ड टर्न अराउण्ड टाइम के अंदर कैशलेस - ए एम एच आई का इन हाउस टी पी ए

बढ़ा हुआ कवरेज - उच्च आयु प्रवेश सीमा 69 वर्ष और जीवन भर नवीनीकरण की सुविधा

दावों में कोई सह भुगतान नहीं

कोई प्रीपॉलिसी चेक अप नहीं

हॉस्पिटल रूम किराया में कोई उप सीमा नहीं

प्री और पोस्ट हास्पिटलाइजेशन कवरेज (क्रमशः 60 और 90 दिन)

दैनिक कैश सुविधा - रु. 1000/ 2000 (नार्मल / आइ सी यू) हॉस्पिटल कैश और साझे में रहने के लिए रु.500

आयुर्वेद, यूनानी ,सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष) लाभ रु. 100,000/-

व्यक्तिगत और फैमिली फ्लोटर प्लान - प्लान की बड़ी सीमा

व्यक्तिकृत वेलनेस पोर्टल

निदान, हेल्थ चेक-अप और परामर्श के तहत नेटवर्क सेन्टर पर 5-25% की छूट

for dependent children- for male upto 21 years, for female upto 25 years or till their marriage whichever is earlier.

Pre-existing diseases can also be covered after three consecutive claim free policy years.

Cashless transaction through Third Party Administrator of the policy.

Coverage: Rs.50,000 to ₹ 5 lakhs.

Accidental death can be covered on payment of additional premium.

Tax benefit under section 80D.

7. EASY HEALTH GROUP INSURANCE WITH APOLLO MUNICH

On the Spot Issuance of Policy and Cards at branch level itself within 2-3 minutes.

Double Coverage in case of Critical Illness for Rs.3 and 5 lakh Plans.

Annual Health Check up Benefit for Rs.3500/- irrespective of claim history.

Cashless within 65 minutes Record Turn Around Time (TAT) - AMHI's In-house TPA.

Extended Coverage – Upper age Entry Level upto 69 and Life long renewals.

No Co Payment in Claims.

No Pre-Policy Check up.

No Sublimit on Hospital Room Rent.

Increased Pre & Post Hospitalisation coverage (60 and 90 days respectively).

Daily cash facility – Hospital Cash of Rs.1000/2000 (Normal/ ICU) & Rs.500 for shared accommodation.

Ayurveda, Unani, Sidda and Homeopathy (AYush) benefit of Rs.100000/-.

Individual and Family floater plans – wider range of plans.

Personalised Wellness Portal.

Discounts ranging from 5-25% at network centres under diagnostics, Health Checkups and consultations